Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का २५वां दिवस [संख्या १८

बृहस्पतिवार, दिनांक २१ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(शिक्षा, नियुक्ति, राजस्व, देवस्थान, बिक्री-कर, सामान्य प्रशासन, सहकारी, पंचायत, वित्त, उद्योग, आबकारी, कॉलोनाइजेशन, सिंचाई एवं विकास– विभाग)

पोलीटेक्निक, अलवर में स्टीम बॉयलर ।

५०८. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) । क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि पोलीटैक्निक, अलवर में ४० हॉर्स पॉवर का एक स्टीम बॉयलर लगा हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि इस बॉयलर को चलाने के लिये इन्डियन बॉयलर एक्ट के तहत आवश्यक फिटनेस सर्टीफिकेट आदि हॉसिल नहीं किये गए हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस बॉयलर को चलाने के लिए पोलीटैक्निक के पास कोई ट्रेन्ड कर्मचारी नहीं है ?

(४) क्या यह सही है गत १८-१-६३ को इस बॉयलर में दुर्घटना हुई, जिसके कारण दो कर्मचारी श्री तिलक राज बांगा और श्री नत्थूराम जल गए ?

(५) क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों को पोलीटैक्निक की ओर से क्षतिपूर्ति के लिए कोई सहायता नहीं दी गई है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) ४५ हॉर्स पॉवर का एक स्टीम बॉयलर लगा हुआ है ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी हां । मामूली जल गये थे ।

(५) नियमानुसार श्री नत्थूराम को हॉस्पिटल लीव दे दी गई । मामूली जल गये थे । कोई स्थाई चोट नहीं आई थी ।

Page No 2

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
इसलिए किसी प्रकार की आर्थिक सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल**: इन लोगों ने कोई फिटनेस सर्टीफिकेट लिये बगैर इसको चालू क्यों किया ?

श्री **निरंजननाथ आचार्य**: फिटनेस सर्टीफिकेट इसका था । मेन्यूफेक्चरर के साथ यह जब बॉयलर आया तो इसके फिटनेस सर्टीफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट दोनों साथ थे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: प्रश्न संख्या (३) का उत्तर देते हुए आपने कहा है—बॉयलर चलाने के लिए कोई ट्रेन्ड कर्मचारी नहीं था । तो क्या बगैर ट्रेन्ड कर्मचारी के चलाना जुर्म नहीं है, बॉयलर एक्ट के अनुसार ?

श्री **निरंजननाथ आचार्य**: ट्रेन्ड कर्मचारी था न । तिलकराय, जिनके पास डिप्लोमा है मेकेनिकल और इन्जीनियरिंग का, वे एक क्वालीफाइड हैंड थे, दूसरे इन्जीनियर, जिनके पास सर्टीफिकेट बॉयलर का है, उनकी गाइडेन्स में वे चला रहे थे ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल**: क्या यह सही नहीं है कि कम्पेन्सेशन एक्ट के तहत अगर टेम्परेरी इन्जरी हो तो भी उसके तहत भी रनिंग, उसका कम्पेन्सेशन, उसकी आधी पे—जब तक इन्जरी कंटीन्यू करे और जिस अर्से के लिए ड्यू हो, उसको दी जाती है ? तो फिर इस प्रकार का कम्पेन्सेशन उसको क्यों नहीं दिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: अध्यक्ष महोदय, यह पॉइन्ट ऑफ लॉ है । प्रोविजन्स लॉ के क्या हैं ? यह मैं नहीं कह सकता लेकिन मुझको ऐसा ख्याल है, यह कम्पेन्सेशन ड्यूरेशन ऑफ इन्जरी के आधार पर, कितने दिन हॉस्पिटल में रहा, कितने दिन नहीं रहा—इस पर एसेस किया जाता है । यह कानूनी प्रश्न है, ऐसी स्थिति जो कानून के अन्तर्गत आती है: He may get the compensation if permisssible.

श्री **अध्यक्ष**: श्री श्रवणलाल ।

गर्ल्स हाई स्कूल, हिन्डौन

५०९. श्री **श्रवणलाल** (हिन्डौन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या सरकार ने हिन्डौन शहर में गर्ल्स हाई स्कूल खोलने की कोई योजना बनाई है ?

(२) क्या यह सच है कि यहां पर लडकियों की संख्या काफी है ?

(३) क्या यह भी सच है कि यहां पर मिडिल स्कूल ही होने के कारण लडकियां आगे नहीं पढ सकती हैं तथा दूसरी जगह पढने जाने में असमर्थ रहती हैं ?

(४) यदि हां, तो सरकार का हिन्डौन शहर में गर्ल्स हाई स्कूल कब खोलने का विचार है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी हां । जनता की आम धारणा के अनुसार इस प्रकार होना सम्भव है परन्तु हिन्डौन में छात्रों के लिए हाई स्कूल

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
हैं वहां पर चाहें तो लडकियां पढ सकती हैं।

(४) जी नहीं । हिन्डौन शहर में गर्ल्स हाई स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है ।

श्री **श्रवणलाल** : नम्बर एक के उत्तर में आपने कहा, 'जी नहीं' । वहां पर कितनी संख्या है ?

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : १६ हैं । कुल संख्या लडकियों की पूछ रहे हैं आठवीं क्लास में, १६ हैं । पच्चीस होनी चाहिये पहले ही कम है ।

अनुसुचित जाति एवं अनुसूचिन जन-जाति के उम्मेदवारों की रिक्त स्थानों में नियुक्तियां

५१०. श्री **हरिकिशन** (राजगढ): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५६ से अगस्त १९६२ तक हर विभाग में राज्य सेवा के कितने कितने स्थान रिक्त हुए और उनमें से कितने स्थानों के लिये राज्य सरकार द्वारा एड-वर्टाइजमेंट किया गया और रिक्त स्थानों की पूर्ति में कितना प्रतिशत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उम्मीद-वारों को नियुक्त किया गया तथा कितना प्रतिशत रिजर्व कोटा से प्रति कम रहा और इस प्रकार कमी के कोटे को पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने क्या क्या प्रयास किया ? इसकी सूचि भी पूर्ण विवरण सहित दी जावे ।

(२) सन् १९५६ से अब तक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आर० ए० एस०, आर० पी० एस० और राजस्थान अकाउन्ट सर्विसेज के कितने स्थान विज्ञापित किये गये और उन स्थानों में कितने स्थान अनु-सूचित जाति व अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित रखे गये और उन सुरक्षित स्थानों में से कितने उम्मीद वारों को सुरक्षित स्थानों के प्रति नियुक्त किया गया ?

(३) राजस्थान सेवा आयोग द्वारा आर. ए. एस. व आर. पी. एस. और राजस्थान अकाउन्ट सर्विस की सन् १९५६ से अब तक परीक्षा में कितने अनुसूचित जन-जाति व अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवारों ने उत्तीर्ण किया और उन उत्तीर्ण उम्मीद-वारों में से कितने का सलेक्शन किया गया ? जब भारत सरकार व अनुसूचित जन-जाति के आयुक्त के यह आदेश व सिफारिश हैं कि यदि अनुसूचित जन-जाति व अनुसूचित जाति के उम्मीदवार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो महज साक्षात्कार में कम अंक प्राप्त होने पर भी उनको चयन से वंचित नहीं रखा जावे और उनका चयन कर लिया जाय ताकि ड्यू कोटा की पूर्ति हो सके ? इस ओर राजस्थान सरकार का क्या विचार और कदम रहा है ?

(४) क्या राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये राज्य सेवाओं में प्रमोशन के अन्तर्गत रिजर्वेशन रखा है ? क्या सुप्रीम कोर्ट से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को राज्य सेवाओं में प्रमोशन दिये जाने के लिये निर्णय हुआ है

(श्री हरिकिशन)
और उस निर्णय के अनुपालन में राजस्थान राज्य सरकार ने क्या विचार और कदम उठाया है ?

(५) सन् १९५६ से अब तक हर प्रकार की राज्य सेवाओं में सुरक्षित स्थानों के प्रति जो कमी रही है उसकी पूर्ति के लिये राज्य सरकार ने क्या कार्यक्रम व नीति अपनाई है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिकिशन ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर बहुत बडा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): पढ़ने की जरुरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर सदन की मेज पर रख दें, माननीय सदस्य देख लें फिर कोई सप्लीमेन्ट्रीज़ हुए तो बाद में ले लेंगें। सारा पढने में मेरे ख्याल से काफी समय लगेगा।

(कृपया परिशिष १ देखिये)

श्री हरिकिशन : मेरा क्वेश्चन क्लीअर है, इसमें ऐसी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: इसमें आंकड़े काफी मांगे हैं।

श्री हरिकिशन: जवाब के साथ आंकड़े चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो इसका मिलेगा इसे स्टेडी कर लें, देख कर जानकारी कर लें और उसके बाद सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : दूसरे माननीय सदस्य....

श्री अध्यक्ष : आप भी देख सकते हैं। सदन की मेज पर रखे जायें, आप उसको देख लें। उसको स्टेडी कर लें फिर एक दो दिन बाद पूछ सकते हैं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): सभी माननीय सदस्यों को यह बाँटा जायगा ?

श्री अध्यक्ष: श्री सावंलियाराम।

श्री हरिकिशन: सप्लीमेन्ट्री पूछने का कब मौका मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : आप देख लीजिये, फिर मौका मिल जायेगा।

श्री हरिकिशन : डिटेल्स....

श्री अध्यक्ष: आप देख लीजिये। एक दो दिन ले लीजिये, अपने साथियों को दिखा दीजिये। फिर उसको देख लेंगे। बहुत जरूरी प्रश्न है, यह स्वीकार करते है।

प्रश्न संख्या ५११

श्री सांवलियाराम ।

(अनुपस्थित)

आरजी काश्त भूमि का अलॉटमेंट तहसील भादरा ।

५१२. **श्री हरदत्त सिंह** (नौहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) तहसील भादरा में व रकबा गोगा मंडी में कुल कितना कितना रकबा आरजी काश्त भूमि का खाली बिना काश्त पड़ा है ?

Page No 5

(श्री हरदत्तसिंह)

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि का आरजी काश्त रकबा प्रति वर्ष काश्तकारों को एक निश्चित दर पर साल भर के लिए अलॉट किया जाता रहा है ?

(ग) तहसील भादरा (जिला गंगानगर) के उपरोक्त रकबे को इस वर्ष खाली रखने से कुल कितने मन अनाज की कमी होने की सम्भावना है और इस अनाज की कमी के बारे में कॉलोनाइज़ेशन कमिश्नर, बीकानेर की क्या राय है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा: (१) तहसील भादरा का २,६२३) बीघा रखबा व गोगामण्डी का २,१९५ बीघा रकबा राज है।

(२) हां, हर साल भादरा का रकबा तहसील राजस्व भादरा से और गोगामंडी का रकबा तहसील कॉलोनाइज़ेशन नोहर से एक साल काश्त अलॉट नहीं किया जाता था इस साल बावजह पुख्ता नीलामी एक साल अॅलाट नहीं किया गया। उक्त सरकारी रकबे पर काश्तकरान ने नाजायज़ काश्त कर रखी है।

(३) जो रकबा सरकारी पुख्ता नीलाम के लिए खाली छोड़ा गया उसमें इस साल नाजायज़ काश्त कर ली गई है: अतः अनाज की कमी का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री हरदत्तसिंह: जो नाजायज़ काश्त करने का आपने बताया है उस पर लगान सरकार ले रही है या कोई तावान ले रही है ?

श्री रामप्रशाद लड्ढा: नाजायज तरीके पर काश्त करने के लिए कानून में प्रावधान है, उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरदत्तसिंह : मेरा प्रश्न स्पष्ट है, क्या उस पर तावान लिया जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैं कह रहा हूं कि नाजायज़ कब्जे के सम्बन्ध में प्रावधान है, २२–२३ दफा कॉलोनाइज़ेशन एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है और उसमें इजेक्टमेंट का प्रावधान है, पैनल्टी का प्रावधान है सभी प्रावधान हैं।

श्री हरदत्तसिंह : मेरा तो अर्ज करने का मतलब है, सवाल (ख) के जवाब में बताया है कि अनाज की कमी से नुकसान नहीं हुआ, कमी नहीं आई, वहां कमी उस काश्त की वजह से नहीं आई तो फिर क्या राजस्थान सरकार····

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फर्क इतना नहीं पड़ा। अनाज की कमी नहीं आई लेकिन बिना इजाजत जमीन बोई है, उसके लिए कानून के अन्तर्गत प्रावधान है, उसके तहत पैनेल्टी या जो कुछ है वसूल की गई है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह अच्छे काम की सजा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अच्छे काम की सजा नहीं है, गलत काम के लिए कानून के खिलाफ काम के लिए जो सजा है वह मिलनी चाहिए।

श्री हरदत्तसिंह : जिस जमीन के लिए बताया कि लोगों ने उस पर नाजायज़ काश्त कर ली उस जमीन को मई के आखिर तक नीलाम कर देंगे और उस पर बिना इजाजत नाजायज़ काश्त करने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर तावान लगाने की क्या जरूरत है ?

Page No 6

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तावान गलत काम की सजा है; जो नाजायज काम कर लिया है, उसकी सजा है । अगर वे ठीक रास्ते पर आ जायेंगे तो उसकी सजा नहीं होगी।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): अगर वे किसान काश्त नहीं करते और सरकार की पड़त जमीन; खाली जमीन पड़ी रहती तो उस पर कोई अनाज पैदा नहीं होता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पड़त जमीन होने का मतलब यह नहीं है कि बिना इजाजत काश्त कर ली जाय। आपको मालूम होना चाहिए कि नीलामी के बाद में कब्जा देना पड़ता है। उस वक्त काश्त कर लेते हैं तो कब्जा छुड़ाने की बात आ जाती है और निगरानी और रेवेन्यू बोर्ड के कई झगड़े आ जाते हैं। इस व्यू से सोचना होता है । दूसरा कुछ ऐरिया जो कमान्डेड था वह अनकमान्डेड हो गया तो उसमें आने वाले की मांग होती है कि जो कमान्डेड में जमीन थोड़ी है, उसकी अनकमान्डेड जमीन से क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है । वह क्षतिपूर्ति जल्दी करनी है, इस वजह से ही अलॉटमेंट को रोक रखा है।

श्री श्योपतसिंह : जो तावान लगा रखा है वह ज्यादा है और किसान नहीं दे सकते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I can not say any thing about it.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): तावान कुल कितनी जमीन पर लगा था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये आंकड़े दे दिये हैं मैंने अपने उत्तर में।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरा प्रश्न यह है कि तावान वसूल कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने नाजायज़ कब्जा किया। उस जमीन को आप नीलाम कर रहे थे जो नाजायज़ कब्जा की गई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया, नीलामी का कार्यक्रम उस क्षेत्र में जारी है; एक बात । दूसरी बात यह है कि अनकमान्डेड होजाने की वजह से, जिनको कमाण्डेड जमीन दी थी, उसकी क्षतिपूर्ति का प्रश्न विचाराधीन है। इस प्रश्न से २,६००,९२७ बीघा आरजी काश्त पर नहीं दी इस साल और यही कारण है कि उन्होंने बिना इजाजत जमीन पर खेती कर ली। सारे राजस्थान में नीलामी का कार्यक्रम जारी है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह नीलाम जिस जमीन को दे रहे थे उसका है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सबको नीलाम पर चढ़ा रखा है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री उम्मेदसिंह ।

रणछोड धर्मशाला, बाडमेर

५९३. **श्री उम्मेदसिंह** (बाडमेर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रणछोड धर्मशाला, बाडमेर जो कि पब्लिक ट्रस्ट प्रोपर्टी है उसका ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड है ?

(ख) अगर है, तो उक्त ट्रस्ट के ट्रस्टीज कौन कौन हैं ?

(श्री उम्मेदसिंह)

(ग) अगर नहीं है, तो क्यों तथा सरकार उक्त धर्मशाला को रजिस्टर कराने की क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री, देवस्थान (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) धर्मशाला के व्यवस्थापक को रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही कराने के लिये नोटिस देने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री उम्मेदसिंह: इस सराय को बने कितना अर्सा हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन यह कह सकता हूं कि काफी समय हुआ है।

श्री उम्मेदसिंह: मैं माननीय मंत्री महोदय को बता देना चाहता हूं कि यह सन् ५४ में बनाई गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: एक व्यक्ति के दो लडके थे उनके लडकों ने अपने पिता के नाम पर एक प्लाट लेकर १० हजार में यह धर्मशाला बनवाई थी। यह धर्मशाला बिना किसी पब्लिक कान्ट्रीब्यूशन के बनाई और वह पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत आता है या नहीं, इसके लिये कार्यवाही दर पेश है। ऐसी सूरत में हम नोटिस ही दे सकते हैं, उसके साथ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती।

श्री उम्मेदसिंह: क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कोशिश करेंगे कि नोटिस की मयाद समाप्त हो गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: वह जनवरी फरवरी में खत्म हो गई है। उसके बाद सरकार ने एक साल तक के लिये और बढाने का फैसला किया। इस सम्बन्ध में बिल जल्दी सरकार के सामने आ रहा है।

श्री उम्मेदसिंह: क्या सरकार को मालूम है कि उनको किन शर्तों पर धर्मशाला बनाने की इजाजत लोकल सेल्फ गवर्नमेंन्ट द्वारा दी गई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट ने किस शर्त पर उसको बनाने की इजाजत दी यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

गम्भीरीबांध के कारण ग्राम सेगवा के मीणों को मकान हेतु भूमि

५१४. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेडा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सेगवा (निम्बाहेडा) के मीणे गम्भीरी बांध के कारण परेशान हैं और दूसरी जगह गांव आबाद करना चाहते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि कई दरख्वास्त तहसील निम्बाहेडा और कलेक्टरी चितौडगढ में इन सेगवा वासी मीणों द्वारा जमीन वास्ते बनाने मकान दिलाये जाने हेतु पेश की गई है; लेकिन उन पर आज तक फैसला नहीं हुआ है ? यदि हां, तो देरी का क्या कारण है ?

(३) क्या सरकार उनके रहने के मकानों के निमित्त तुरन्त भूमि देने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) कोई प्रार्थना पत्र पेन्डिग नहीं है।

(३) यदि वास्तव में गम्भीरी बांध के कारण वहां के बाशिन्दगान को कोई कठिनाई है तो उनके प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जा सकता है।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या यह सूचना जो प्रश्न के उत्तर में दी जा रही है वह तहसील निम्बाहेडा से प्राप्त की गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कलेक्ट्री से मंगाई है और जो सूचना आई है उसके अनुसार उत्तर दिया है।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या उन्होंने यह लिखा है कि यह गंभीरी बांध में नहीं आती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा :ऐसा तो नहीं लिखा।

श्री अब्दुल जब्बार : शायद माननीय मंत्री महोदय को यह मालूम नहीं है कि लोगों ने वहां पर मकान बना लिये हैं मगर तहसील के द्वारा उनके प्रार्थनापत्रों का रेस्पोन्स नहीं किया जा रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा :आपने कहा कि जमीन नहीं दी जा रही है।

श्री अब्दुल जब्बार : जब वे लोग वहां पर बस गये हैं तो जमीन उनको देनी चाहिये। क्या कारण है कि उनको जमीन नहीं दी जा रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारे पास इसकी सूचना नहीं है। आप यह सूचना दे रहे हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : आपको यह सूचना के तौर पर दे रहा हूं। आशा है, आप इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामकिशन।

सेल्स टैक्स पिगमेंट्स मिल, भरतपुर

५१५. **श्री रामकिशन** (वैर): श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) द्वारा पूछा गया क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या भरतपुर की पिगमेन्ट्स मिल ने अपने यहां माल की बिक्री पर कभी कोई सेल्सटैक्स जमा कराया है ? यदि हां, तो कब और कितना ?

आबकारी मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल): जी नहीं। यह मिल १-४-६२ को चालू हुई थी और अब तक इसने जो रिटर्न पेश किये हैं उनमें कोई बिक्री नहीं दिखाई गई है।

मुकटबिहारीलाल गोयल : कुल कितनी बिक्री दिखाई है ?

श्री बालकृष्ण कौल: मैं कह चुका हूं कि अभी बिक्री दिखाई नहीं गई है। साल भर हुआ है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री विजयसिंह झाला

कक्षा १ से ८ तक की पाठ्य पुस्तकें

५१६. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथ द्वारा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कक्षा १ से लेकर कक्षा ८ तक की सभी पुस्तकें राजस्थान राज्य द्वारा प्रकाशित चलती है और राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मन्डल द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत विक्रेताओं द्वारा बेची जाती है ?

Page No 9

(श्री विजयसिंह झाला)

(२) क्या कक्षा २ में सामान्य विज्ञान व गणित भी विषय रखे गये हैं तथा क्या उसके लिये राजस्थान राज्य द्वारा कोई पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित है?

(३) यदि हां तो कौनसी ? यदि नहीं, तो अन्य पुस्तकें इन विषयों की किस आधार पर चलाई जाती हैं ?

(४) भविष्य में सरकार इसके लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) छठी, सातवीं और आठवीं कक्षाओं के लिये गृह विज्ञान और अंग्रेजी भाषा की मान्यता प्राप्त पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य सभी पुस्तकें जो कक्षा १ से ८ तक पढाई जाती हैं, राजस्थान राज्य के राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा प्रकाशित की जाती हैं तथा इस मण्डल द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत बेची जाती है ।

(२) कक्षा २ के विद्यार्थियों को सामान्य विज्ञान व गणित विषय पढाये जाते हैं किन्तु पाठ्यक्रम में इन विषयों को मौखिक पढाने का प्रावधान है । इसके लिये राज्य सरकार द्वारा कोई पुस्तकें नहीं प्रकाशित की जाती ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, जो आपने बताया उसके सिवाय और किताबें एक नहीं है । कक्षा ६, ७, व ८ की ट्रान्सलेशन, कक्षा २ से ५ तक की ड्राइंग कक्षा ६, ७ व ८ के लिये गृह विज्ञान और कक्षा २ में हिन्दी के सिवाय कोई पुस्तक सरकार की तरफ से नहीं है, यह सही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने कहा ड्राइंग । इसके लिये कोई पुस्तक नहीं है । यह मौखिक आधार पर बताया जाता है । फिर आपने क्या कहा ?

श्री विजयसिंह झाला : कक्षा ६, ७ और ८ का ड्राइंग व ट्रान्सलेशन व गृह विज्ञान और अंग्रेजी ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अंग्रेजी और गृह विज्ञान का राष्ट्रीयकरण किया है । ट्रान्सलेशन वगैरह तो हम बिना किताबें के ही पढाते थे ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या सरकार को मालूम है कि एक एक विषय पर २०० लेखकों की किताबें चलती हैं और जिस पुस्तक पर ज्यादा कमीशन मिलता है उसको ही मास्टर लोग अपने स्कूल में पढाने के लिये रिकमन्ड करते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ट्रान्सलेशन वगैरह तो मौखिक स्तर पर ही पढाये जाते हैं, यह हम जानते हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : कक्षा ६, ७ व ८ के लिये आपके यहां अंग्रेजी की किताब है । वह फोरिन कम्पनी की है, मेक मिलियन एन्ड कं० की है । उसकी प्राइसेज फिक्स हैं मगर दिल्ली, मद्रास में जो उसकी प्राइस ली जाती है उससे १॥ गुना कीमत यहां ली जाती है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ६३-६४ तक मान्यता प्राप्त है । इसकी तरफ

Page No 10

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
ध्यान देंगे । इसके लिये एक कमेटी काम कर रही है ।

श्री विजयसिंह झाला : पुस्तकों को किस आधार पर राष्ट्रीयकरण किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : आधार तो बताया है कि कमेटी बनाई है जो किताबें वह ठीक समझती है उनको एप्रूव करती है ।

श्री विजयसिंह झाला : किस आधार पर प्राइसेज फिक्स होती हैं ? जब बहुत से ऑथर्स किताबें लिखते हैं तो सरकार के सामने क्या रास्ता है जिसके आधार पर वे दूसरों को मान्यता देते हैं ? ऐसा कहा गया है कि मैकमिलियन एण्ड कं० ने २५ हजार का अनुदान दिया है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य: आप यह २५ हजार अनुदान की बात कहते हैं मैं इसको सही नहीं मानता । इसको कॉन्ट्राडीट करता हूं । इसका आधार यह है कि आप और हम पढते थे तब से ये किताबें चलती आ रही हैं । इसको ६३-६४ तक मान्यता है । हमने प्रावधान रखा है कि हम खुद पुस्तकें लिखवा रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :मौखिक विषयों के लिये कहा गया । ट्रान्सलेशन व हिसाबों की पुस्तक आदि ऐसे विषय हैं जिस पर कोई भी पुस्तक लिख सकता है । अगर कोई ऐसे विषय हों तो निश्चित् तौर से क्लेरिफिकेशन कर दें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य: लेकिन हमारी यह धारणा है कि मौखिक विषयों के महत्व को कम नहीं किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन ।

आबादी भूमि–बीकानेर शहर

५१७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) :क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर शहर के village map म कितनी बीघा भूमि आबादी के लिये दर्ज है तथा वास्तव में अब बीकानेर शहर कितनी भूमि पर बसा हुआ है तथा उनके खसरा नम्बर क्या क्या हैं ?

(२) उपरोक्त आबादी की जमीन में कब कब वृद्धि हुई ?

(३) क्या यह सही है कि रजिस्टर खसरा गिरदावरी में उपरोक्त खसरा नम्बर की गिरदावरी सं० २०१६ तक की जाती रही जब कि वास्तव में वहां पर आवास भवन खडे हुए हैं ?

राजस्व उप-मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(१) ४,५१० बीघा भूमि आबादी के लिये दर्ज हैं । वास्तव में अब बीकानेर शहर ४६१६।।) १ बीघा भूमि पर बसा हुआ है तथा उसके खसरा नम्बर यह है । २०,४१, ७८, ८२,८४, ८६, ९२,९७, १०९, १११, ११२, १ ,२१, ६५, १००, १०१, ११७ ।

(२) उपरोक्त आबादी की जमीन में २४-८-४३ तथा १४-८-५२ को वृद्धि हुई ।

(३) उपरोक्त खसरा नम्बरान की गिरदावरी सम्बत् २०१६ तक आबादी के नाम से अंकित की जाती रही है चाहे आवास हो या क्षेत्रफल पडता रहा हो ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आबादी जमीन पर वसूली कैसे करते रहे हैं जब कि जमीन आबाद थी तो उसके बाद में भी वसूली किस आधार पर करते रहे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा :किसने कहा लगान वसूल करते रहे ?

श्री मुरलीधर व्यास: आपने कहा गिरदावरी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गिरदावरी का केवल यही मतलब नहीं है कि लगान की वसूली हो ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : आबादी में इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा :मैंने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि यह एरिया आबादी में है ।

श्री तेजाराम गहलोत :फिर इसे आबादी लैंड रेकॉर्ड में दर्ज क्यों नहीं किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब सेटलमेन्ट होगा, या रिवाइज होगा तब यह इन्द्राज होगा ।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही है कि लैंड रेकॉर्ड मेन्युअल के हिसाब से लैंड रेकार्ड ऑफिसर को बिना सेटलमेन्ट के, बिना रिवाइज्ड सेटलमेन्ट के भी इस प्रकार की दुरुस्ती करने के अधिकार हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा :ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रचलन

५१८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—(१) सरकार ने सारा काम हिन्दी में करने के लिये कब कब सर्क्यूलर निकालें ?

(२) क्या सरकार ने इसकी जांच भी की कि सर्क्यूलर के अनुसार कार्य प्रारम्भ हुआ या नहीं ? यदि हां, तो यह कार्य किस किस विभाग में प्रारम्भ हो गया है तथा ऐसे कौन से विभाग हैं जिनमें इसका अनुसरण नहीं किया गया ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) :(१) सरकार ने सारा कार्य हिन्दी में करने के लिये दिनांक १३-१०-५६ एवं १७-५-६१ को आदेश प्रसारित किये हैं ।

(२) जी हां, शासन की आज्ञानुसार सभी निम्नलिखित विभागों में कार्य यथा-सम्भव हिन्दी में प्रारम्भ हो गया है :—

१. राजस्व विभाग (तहसील से सचिवालय स्तर तक)
२. राजस्व मंडल (राजस्व मंडल के फैसलों को छोड कर)
३. देवस्थान,
४. आयुर्वेद,
५. पुलिस विभाग,
६. स्कूल-शिक्षा,
७. पंचायतें,

(श्री परसराम मदेरणा)

८. स्वायत्त शासन,

९. सामान्य प्रशासन (क) एवं (ख) विभाग

१०. समाज कल्याण,

११. नियुक्ति (ख १ व ख २)

१२. कारामहाधिपति

१३. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग

१४. सहकारी विभाग ।

शासन की आज्ञानुसार जब उपरोक्त सभी विभागों में कार्य हिन्दी में हो रहा है तब किसी विभाग द्वारा अनुसरण नहीं करने का प्रश्न ही नहीं रहता ।

श्री मुरलीधर व्यास : ५९ में इस प्रकार का सर्क्यूलर प्रसारित किया गया था तो ६१ में फिर सर्क्यूलर निकालने की क्या आवश्यकता पडी ?

श्री परसराम मदेरणा: ६१ में सर्क्यूलर निकाला गया, जो आदेश सरकार ने प्रसारित किया था उसका ठीक तरह से इम्प्लीमेन्टेशन हो रहा है या नहीं । उनके इम्प्लीमेन्टेशन में क्या क्या डिफिकल्टीज सामने आ रही हैं । इसके लिये दूसरा आदेश निकाला था । जहां तक हो सका उस आदेश के पालन की कोशिश की थी । कुछ डिफिकल्टीज भी थी, उनके लिये पूछा था कि क्या डिफिकल्टीज है और यह आदेश जारी किया गया कि कठिनाई महसूस करते हुए भी राजकाज हिन्दी में करना चाहिये ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : अब तक डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट की तरफ से, पंचायत विभाग की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से सर्क्यूलर निकलते हैं वे अंग्रेजी में आते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : डेवलपमेन्ट से तो अंग्रेजी में निकलते हैं क्योंकि डेवलपमेन्ट डिपार्टमेट को हिन्दी में कार्य करने के आदेश जारी नहीं किये हैं, पर नीचे के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंचायत समिति लेवल के नीचे के स्तर पर हिन्दी में जारी करने के आदेश दिये हैं ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यह सही है कि डेवलपमेन्ट डिपार्टमेंट के आदेश पंचायत स्तर पर जाते हैं व अंग्रेजी में जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष :वह तो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : माननीय अध्यक्ष, मेरा यह मतलब है कि पंचायतों के सरपंच हिन्दी भी नहीं समझते हैं तो अंग्रेजी कैसे समझ सकेंगे ? इसलिये जो आदेश उनको जायें व हिन्दी में जाने चाहिये । पंचायतों के सरपंचों को समझाने के लिये सर्क्यूलर जाते हैं तो ट्रान्सलेशन हो कर हिन्दी में आदेश जाने चाहिये ताकि वे समझ सकें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया :(मुख्य मंत्री): पंचायतों को जो सर्क्यूलर अंग्रेजी में जाते है तो इसको ठीक किया जाना चाहिये । जनरली तो पंचायतों के पास पंचायत समिति से सर्क्यूलर जाते होंगे, गवर्नमेन्ट से डायरेक्ट पंचायतों के पास सर्क्यूलर्स भेजने का अवसर तो मैं समझता हूं आता ही नहीं होगा । तो पंचायत समितियों को चाहिये कि किस भाषा में काम करें, यह निर्णय उनका है,

Page No 13

(श्री परसराम मदेरना)
वे चाहते हुए भी ऐसे सरक्यूलर्स भेजें तो उचित नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय ने कहा कि हिन्दी में होता है मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ५० प्रतिशत से अधिक काम अंग्रेजी में होता है। तो मैं यह फिर से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि अब सारा का सारा काम हिन्दी में हो रहा है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जवाब में कहा है कि ज्यादा से ज्यादा हिन्दी में काम करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है, मैं यह नहीं कह सकता कि कोई उदाहरण ही नहीं मिल सकता कि अंग्रेजी में होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : ५६ में सरक्यूलर प्रसारित किया गया, ६१ में प्रसारित कर के घोषणा की तो फिर सारा काम हिन्दी में क्यों नहीं होता?

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : जिला परिषद की प्रोसीडिंग्स अंग्रेजी में आती हैं, इसको गरीब लोग नहीं समझ सकते, इससे गरीब लोगों को नुकसान है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अध्यक्ष महोदय, ये क्या बोले समझ में नहीं आया।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : इस प्रकार का आश्वासन देना चाहिये कि आयन्दा हिन्दी में काम होगा।

श्री अध्यक्ष : यह आश्वासन दे चुके हैं, यह कहा कि ज्यादा से ज्यादा काम हिन्दी में किया जाय इस बात की कोशिश की जा रही है।

नक्स्ट, श्री दुर्गालाल बाढदार।

नाग तलाई व बंधा प्यारा से बस्तियों को नुकसान—जयपुर

५१९. **श्री दुर्गालाल बाढदार** (हवामहल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर नगर के पूर्व में स्थित नाग तलाई व बंधा प्यारा सर्व प्रथम किस वर्ष टूटा और इससे नगर में कितनी हानि हुई?

(२) क्या यह नाग तलाई प्रतिवर्ष वर्षाकाल में जयपुर की बास बदनपुरा, लाल डंगरी और मोहल्ला खटीकान को क्षति पहुंचाती रहती है?

(३) क्या इस वर्ष वर्षा में इन बस्तियों में बाढ आने के कारण सारे खेत नष्ट हो गये व कुए बुर गए और पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हुआ?

(४) क्या राज्य सरकार ने इस नाग तलाई को बंधाने की कोई व्यवस्था की है? और नहीं, तो क्या राज्य सरकार कोई स्थाई प्रबन्ध करने की योजना रखती है?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) लगभग ११ वर्ष पहिले टूटा था। उस समय की हानि सम्बन्धी सूचना सरकारी रेकार्ड में उपलब्ध नहीं है अतः सही तौर पर नहीं कहा जा सकता।

(२) जब ज्यादा वर्षा होती है उसी वर्ष।

(३) कुछ खेत नष्ट हुए और कुओं में भारी हानि हुई है। पीने के पानी उपलब्ध न होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(४) अभी सरकार जयपुर शहर का मास्टर प्लान बनाने के लिये एक कमेटी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
बनाई है उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकती है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : नाग तलाई टूट गयी थी तो इसके टूटने से कितना नुकसान हुआ, इसका सरकार को ख्याल है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां, ख्याल है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : कितना नुकसान हुआ था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बदनपुरा में २३ परिवार प्रभावित हुए, संतोषसागर में १, परिवार नष्ट हुआ, मोती कटला में २९ परिवार प्रभावित हुए। कुछ कुए व जमीन भी नष्ट हुए।

श्री दुर्गालाल बाढदार : यह सम्भवत: दूसरे का बता रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो मैंने कहा न कि ११ वर्ष पहले की घटना है, उसका रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मौजूदा घटना में कितनी जमीन नष्ट हुई ?

श्री अध्यक्ष : आप चाहते क्या हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मेरा निवेदन करना है कि बंधा प्यारिया और नागतलाई ये दो बहुत पुराने बन्ध हैं। ये बन्ध सबसे पहले टूटे थे तो बहुत भारी नुकसान हुआ था। ४ साल पहले टूटे थे तो जयपुर की काफी बस्तियों में बहुत अधिक पानी आ गया था। गई साल फिर टूट गया तो इतना नुकसान हुआ कि बहुत सी जमीन नष्ट हो गई। इधर जितनी खेती होती है, उस जमीन में सब्जी होती है वह सब नष्ट हो गये, २५-३० सब्जी के खेत बर्बाद हो गये। इस जमीन के नष्ट होने के कारण जयपुर में सब्जी की कमी हो गई।

श्री अध्यक्ष : आप सीधा यही पूछ लीजिये कि इनको ठीक कराने का सरकार का विचार है कि नहीं ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : जब सरकार को मालूम ही नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है तो क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : इतने परिवार प्रभावित हुए, इतनी जमीन का, कुओं का नुकसान हुआ, यह बताया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तात्कालिक ५००० की सहायता भी दी गई। ८ मार्च, १९६३ को एक कमेटी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट पेश होने वाली है उसकी रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही करने का प्रयास किया जायगा।

एक माननीय सदस्य : यह मास्टर प्लान कमेटी कब बैठाई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अर्ज किया न कि ८-३-६३ को। इसमें डेवलपमेन्ट कमिश्नर, सेक्रेटरी लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट, सेक्रेटरी पी. डब्लू. डी., डिप्टी सेक्रेटरी टाउन प्लानिंग, चीफ इन्जीनियर बिल्डिंग्स एण्ड रोड्स, डायरेक्टर लोकल बोडीज, चीफ टाउन प्लानर, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर सिटी ये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस कमेटी में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के प्रतिनिधि नहीं हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कमेटी निर्माण का प्रश्न रेवेन्यू विभाग से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

हल्दीना तेल घाणी सहकार समिति, अलवर

५२०. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) हल्दीना तेल घाणी सहकारी समिति (जिला अलवर) के कितने सदस्य हैं और कौन-कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि यह सभी सदस्य हल्दीना के सरपंच श्री रामचन्द्र के सगे संबन्धी हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस सहकारी समिति को चार या पांच वर्ष पहिले २५ हजार रूपया कर्ज मिला था ।

(४) यदि हां, तो यह कर्जा किस किस कार्य के लिये मिला था ?

(५) क्या इस सहकारी समिति ने कर्जा जिस उद्देश्य के लिये लिया था वह पूरा किया है ?

(६) क्या यह सही है कि १९६०-६१ की आडिट रिपोर्ट में इस सहकारी समिति के विरुद्ध कई ऐतराज किये गये हैं ? यदि हां, तो वे ऐतराज क्या क्या हैं ?

(७) क्या विभाग ने इन ऐतराजात को पूरा कराने के लिये कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

सहकारी उप-मंत्री (श्री भीमसिंह) : (१) २३ सदस्य हैं जिनके नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी है ।

(२) जी नहीं ।

(३) २५,०००) रु० नहीं, बल्कि १८,२५०) रु० ऋण खादी बोर्ड से मिला था ।

(४) १८,२५०) रु० का ऋण खादी बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिये मिला था :—

तारीख	रकम	कारण
४-४-५८	४,०००)	ऋण तिलहन खरीदने को ।
२-४-६०	५,०००)	” ”
४-४-५८	३,५००)	ऋण हिस्सा राशि को ।
२-३-५९	१,७५०)	” ”
४-४-५८	१,५००)	ऋण सुधरी घाणियों के लिये ।
२७-७-५९	१,२५०)	ऋण छप्पर व टिन घाणियों पर डालने के लिये ।
२३-८-६०	१,२५०)	” ”

(५) जी नहीं । जिस कार्य के लिये ऋण दिया उसका उपयोग उसी कार्य में नहीं होने की जानकारी इस विभाग को मिलने पर मामला पुलिस में दे दिया ।

(६) जी हां । इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(७) जी हां । समिति के मन्त्री एवं सहकार प्रसार अधिकारी को इन ऐतराजों की पूर्ति करने के लिए आदेश दिये गये हैं ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये) ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने प्रश्न संख्या २ के जवाब में 'जी नहीं' कहा । आप यह बतायेंगे कि सरपंच रामचन्द्र के कितने सगे सम्बन्धी उसके सदस्य हैं ?

(विराम)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रश्न यह है कि सब सदस्य उसके सगे सम्बन्धी हैं; आपने कहा कि जी नहीं। कितने सदस्य उसके सगे सम्बन्धी हैं?

श्री भीमसिंह : ६ सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय क्या यह सही है कि जो सूची आपने दी है इसमें सदस्य संख्या १६ पर बुधाराम है, इसकी सदस्य संख्या ३ पर बद्री प्रसाद है और ५ पर धन्नुराम है। ये दो उसके लडके हैं और सदस्य ७ और १७ नम्बर पर दो उसकी स्त्रियां हैं, सदस्य नं० ४ और ६ उसके लडके की स्त्रियां हैं, इसी तरह से एक ही सदस्य बुधाराम के घर के ७ सदस्य हैं और यह बुधाराम रामचन्द्र चचाजेत ताऊ का भाई है?

श्री भीमसिंह : मैंने ६ सदस्य बताये और आपने ७ बताये । ७ हो सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बुधाराम के खुद के घर के ७ सदस्य हैं और दूसरे सदस्य रामचन्द्र के हैं आपकी बात को गलत साबित करने के लिए बताऊं। बाकी के सदस्य और भी उसके रिश्ते में हैं। क्या एक घर के ७ सदस्य कोऑपरेटिव रूल्स के अनुसार आ सकते हैं?

एक माननीय सदस्य : अलग अलग परिवार के हों तो क्या आपत्ति है।

श्री भीमसिंह : जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसमें ६ के नाम हैं। हो सकता है आप जो फरमा रहे हैं वह हो। इसको वेरिफाई किया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो ६ उसके सगे सम्बन्धी हैं उनके नाम क्या हैं?

श्री अध्यक्ष : अब तो सारा मामला पुलिस के पास जांच के लिए जा चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न के उत्तर में दिया कि विभाग को कार्य पूर्ति करने के लिए सौंप दिया है इस के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि क्या ऑडिट के ये ओब्जेक्शन्स नहीं हैं।

ऑब्जेक्शन १०. इस समिति में २३ सदस्य हैं जिनमें से १६ सदस्य कार्यक्षेत्र के बाहर रहते हैं। एक एक परिवार से दो दो व्यक्ति सदस्य बनाये गये हैं।

ऑब्जेक्शन नं० ११ श्री लल्लुराम, सोहनलाल व रमतीराम के धाणियां समिति के गठन के पहिले से ही नहीं है किन्तु उनके नाम से धाणियां रजिस्टर कराकर खादी ग्रामोद्योग कमीशन को धोखा ही दिया है। इसमें यह भी दिया है:

ऑब्जेक्शन नं० १३. खादी बोर्ड से ९ सदस्यों को सुधरी धाणियां दी गई हैं किन्तु ये सभी धाणियां बेकार पडी हैं इनसे एक भी सदस्य तेल नहीं निकालता है ।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के सीरियस चार्जेज हैं।

नं० २. सदस्यों के बयानों के मुताबिक उन्होंने समिति को कोई तेल नहीं बेचा जब कि समिति के रेकॉर्ड के मुताबिक उनसे तेल खरीदना व बेचना पाया जाता है। वास्तव में न तो तेल खरीद किया गया है और न बेचा गया है, बल्कि सरकार से रिबेट लेने की गरज से तेल का आमद–खर्च फर्जी किया गया है।

नं० ४ सदस्यों के बयानों व मौखिक कथनानुसार जब समिति में तेल का क्रय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
विक्रय ही नहीं हुआ है तो रिबेट देने का प्रश्न ही नहीं उठता । समिति ने तेल बेचते समय जो रिबेट देना दिखाया है वह फर्जी है।

श्री अध्यक्ष : Order Please.

सब को रेफर करने से कोई फायदा नहीं ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : On a Point of Order, Sir. कौनसा प्रश्न पूछा जा रहा है ? जो बात थी, पुलिस को दी जा रही है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह क्या पोइन्ट ऑफ ओर्डर है ?

श्री अध्यक्ष : पुलिस को हेंड-ओवर कर चुके हैं ।

श्री भीमसिंह : पुलिस को हेंड-ओवर किया जा चुका है और पुलिस जांच कर रही है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या इन्क्वायरी कर रहे हैं ? प्राइमा-फेसी केस तो रजिस्टर हो जाना चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस को-ऑपरेटिव सोसाइटी को भंग करके सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये । ऑडिट ऑब्जेक्शन्स का क्या करेंगे ? सरकार ने इसको अब तक क्यों नहीं हाथ में लिया ?

श्री भीमसिंह : चार्जेज सीरियस थे इसीलिए तो पुलिस को हेंड-ओवर किया था । डिनाई थोड़े ही कर रहे हैं कि सीरियस चार्जेज नहीं हैं । इरेंगुलेरिटीज नहीं हैं । दोनों सीरियस हैं । इस समिति में घोटाला किया है इसीलिए पुलिस को दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिह ।

एक माननीय सदस्य : सरकार से जो रुपया लिया है ४ हजार, उसकी वसूली के लिए तो कदम उठाने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह ।

सन् १९५२ से देवस्थान विभाग के मन्दिरों में हुए चोरी के मामले

५२१. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर): क्या मंत्री, देवस्थान विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९५२ से लेकर अब तक देवस्थान विभाग के सुपरविजन में चलने वाले किस किस मंदिर में कब कब और कितने कितने माल की चोरी हुई है ?

(२) इस काल में से कब कब किस किस मंदिर का और कितना माल बरामद हुआ है ?

(३) क्या इन चोरियों के सम्बन्ध में मंदिरों के किन्हीं कर्मचारियों को कॉन्ट्री-ब्यूटरी नेग्लीजेन्स या अन्य प्रकार से दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो किन किन को किस किस मामले में और उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री देवस्थान (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) यह सूचना उक्त सूची में दर्ज है ।

(३) यह सूचना भी उक्त सूची में दर्ज है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : कान्ट्रीब्यूटरी नेग्ली-जेन्स में किस किस को पनिशमेन्ट मिला ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह उसमें दर्ज है, आपने पढ ली होगी ।

श्री भैरोंसिंह : नहीं है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अगर नहीं है तो नहीं है और है तो इसमें है ।

श्री अध्यक्ष : श्री बालूराम चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

छात्रवृत्ति नियम

५२३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये राजस्थान राज्य का बोनाफाइड रेजीडेन्स का सर्टिफिकेट दिया जाना जरूरी है ? यदि हां, तो किसका ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि इस प्रकार का सर्टिफिकेट प्राप्त करने में काफी दिक्कत आती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई अन्य व्यवस्था करने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां । मेरिट छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये उस क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसमें छात्र रहता है का बोनाफाइड रेजिडेन्स सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है ।

(२) गवर्नमेन्ट आर्डर नं० १५ (ए) ३२।होम।ए।जी।आर।१।६१ तारीख ३१-७-६२ के अन्तर्गत कुछ जिलाधीश बोनाफाइड सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर रहे हैं । उपरोक्त आज्ञा में मेरिट स्कॉलरशिप के लिये डोमीसाइल सर्टिफिकेट देने के विषय में होम डिपार्टमेन्ट को समुचित स्पष्टीकरण करने के लिये निवेदन कर दिया गया है । यह विषय होम डिपार्टमेन्ट में विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष : कुंवर श्री महेन्द्रसिंह ।

गल्ले पर चुंगी-सीमल्या पंचायत, जिला कोटा

५२४. **कुंवर श्री महेन्द्रसिंह** (दांगोद) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सीमल्या, पंचायत समिति सुल्तानपुर, जिला कोटा के द्वारा जो चुंगी गल्ले पर वसूल की जाती है उसकी दो दरें पंचायत क्षेत्र वालों से छः पैसे प्रति मन व दूसरे बाहर के लोगों से दस पैसे प्रतिमन है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री पंचायत (श्री भवानीशंकर नंदवाना) : यह सही है कि ग्राम पंचायत सीमल्या द्वारा पहिले गल्ले के आयात पर चुंगी दो दरों से वसूल की जाती थी । परन्तु दिनांक ११-३-६३ से यह अन्तर समाप्त कर अब चुंगी केवल एक दर से यानी ६ नये पैसे प्रति मन से वसूल की जा रही है ।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : सुना नहीं, क्या कहा । समझ में नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष: अब एक दर कर दी गई है।

श्री सम्पतिलाल बोहरा।

सरपंच द्वारा गबन अमलावत पंचायत जिला प्रतापगढ

५२५. श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली): श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया: क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सच है कि अमलावत पंचायत, पंचायत समिति प्रतापगढ जिला चित्तौडगढ के सरपंच ने गबन किया ?

(२) यदि हां, तो कितने रुपयों का और यह गबन कब हुआ ?

(३) क्या यह सच है कि पहली जांच अक्टूबर, ६१ में हुई ?

(४) क्या यह सच है कि बी. डी. ओ. ने भी इसकी जांच की ?

(५) क्या यह सच है कि आगे जांच कलेक्टर ने रुकवा दी ?

(६) प्रथम जांच की रिपोर्ट व बी. डी. ओ. की जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय।

(७) क्या यह सच है कि गबन का रुपया अब तक वसूल नहीं हुआ ?

(८) क्या सरकार इस बारे में कोई शीघ्र कदम उठायेगी ?

उप-मंत्री पंचायत (श्री भवानीशंकर नंदवाना): (१) भूतपूर्व सरपंच द्वारा गबन किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

(२) ४३०) रु० ९७ नये पैसे का माह अप्रेल से जून १९६० तक गबन होना पाया गया है।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां।

(५) जी नहीं।

(६) विकास अधिकारी द्वारा ही प्रथम जांच की गई है। जांच की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(७) जी नहीं। जो धन राशि जांच के अनुसार कम पायी गई थी, वह वसूल की जा चुकी है।

(८) स्थानीय निधि लेखा विभाग से विशेष जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरोंसिंह: क्या सरकार ने गबन का पैसा कम्पाउन्ड किया है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना:—भूतपूर्व सरपंच का है। विशेष आडिट बिठाया गया है और कोई कमी निकली तो कदम उठाया जायगा।

श्री भैरोंसिंह: कम्पाउन्ड तो नहीं किया है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना: जी, नहीं।

श्री भैरोंसिंह: पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की गई ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना: कलेक्टर लेवल पर कार्यवाही चल रही है। रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह: बी. डी. ओ. ने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि सरपंच ने गबन किया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: ४३०) रु० का गबन किया है मैं खुद मानता हूं।

श्री भैरोंसिंह: रिपोर्ट क्यों नहीं की पुलिस को ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: रिपोर्ट अब आयी है, कलेक्टर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह: बी. डी. ओ. ने रिपोर्ट कर दिया और गबन का मामला साबित है तो फिर पुलिस को क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: अब आयी है रिपोर्ट।

श्री भैरोंसिंह: बी. डी. ओ. की रिपोर्ट तो बहुत पहले ही आ गई।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): फाइनेन्शियल अकाउन्ट्स रूल्स के अनुसार बी. डी. ओ. को बगैर ऑफिसर को इन्फार्म किये ही पुलिस को दे देने चाहियें ऐसे मामले में फिर क्यों नहीं गई ?

भवानीशंकर नन्दवाना: कलेक्टर ने जांच करायी है, अधिकार है देना चाहें तो दें।

श्री तेजाराम गहलोत: बी. डी. ओ. को रूल १११ के अन्तर्गत अधिकार है कि उसके नोटिस आते ही डाइरेक्ट वह केस पुलिस को दे सकता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: अधिकार है तो दे देना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): कलेक्टर से पूछते हैं, कलेक्टर के नोटिस में आते ही उसने केस पुलिस को क्यों नहीं दिया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: सरकार की जानकारी में अभी आयी है, की जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: ३१-७-६२ को बी. डी. ओ. ने रिपोर्ट गबन की दे दी उसके बाद इतने दिन तक कागज दबाकर रखे इसका क्या कारण है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: इसमें कागज दबाने का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: जब प्राइमाफेसी केस है तो विशेष ऑडिट बैठाने की क्या आवश्यकता है ? जब यह प्राइमाफेसी मान लिया गया तो केस रजिस्टर क्यों नहीं किया गया ? अब तो आडिट रिपोर्ट की वेट की जा रही है उसके बाद कहा जायगा। ए. जी. जांच करेगा।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, जितने भी इस प्रकार के केसेज आते हैं उनका दबाने की चेष्टा की जाती है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: इसमें दबाने का सवाल नहीं है। कलेक्टर जांच कर रहा है।

Page No 21

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप स्पेशल इन्वेस्टीगेशन आफिसर को क्यों नहीं भेज देते। स्पेशल आडिट बैठाकर आप पुलिस के हाथों को कमजोर कर रहे हैं ताकि आप सोचते हैं इन्वेस्टीगेशन न कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान सचिवालय मिनिस्टीरियल स्टाफ में नियुक्तियां एवं हस्तानान्तरण

५२६. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान सचिवालय के मिनिस्टीरियल स्टाफ को सचिवालय के बाहर स्थानान्तरित किया जा सकता है या सचिवालय में बाहर से स्टाफ में नियुक्त किया जा सकता है ? यदि हां, तो किस आधार पर और किन किन नियमों के अन्तर्गत ?

(२) जनवरी, सन् १९६१ से लेकर अब तक किन २ की इस प्रकार नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण किया गया और क्यों ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : (१) सचिवालय के मिनिस्टीरियल स्टाफ की नियुक्तियां राजस्थान सेक्रेटेरियट मिनिस्टीरियल स्टाफ रुल्स, १९५६ के अन्तर्गत की जाती हैं। इन नियमों के अनुसार मिनिस्टीरियल स्टाफ के कर्मचारियों का स्थानान्तरण बाहर से सचिवालय में अथवा इसके बाहर नहीं किया जा सकता।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या सचिवालय में इस प्रकार की नियुक्तियां नहीं हुई बाहर से ?

श्री मोहनलाल सुखाडियां : रूल्स के मुताबिक न सचिवालय से बाहर किसी को नियुक्त किया जा सकता है और न बाहर से सचिवालय में नियुक्त किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं कि चार आदमियों की नियुक्तियां इस प्रकार से हुई है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उनके नाम बताये जायं।

श्री भैरोंसिंह : मैं नाम आपको बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जयकृष्ण।

कृषि भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन अलवर

५२७. **श्री जयकृष्ण** (थानागाजी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (१) अलवर से कितने प्रार्थना-पत्र कृषि भूमि को आबादीभूमि में परिवर्तित (कनवर्ट) करने के लिये गत ४ साल में प्राप्त हुए ?

(२) उनमें से कितने प्रार्थना-पत्रों पर स्वीकृति दी गई और कितने विचाराधीन हैं ?

(३) यदि अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई तो क्यों और अब भविष्य में कब तक स्वीकृति देने का विचार है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लढ्ढा) :—(१) सात प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ?

Page No 22

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) चार मामलों में स्वीकृति दी गई, एक मामला अस्वीकृत और दो विचाराधीन हैं। कार्यवाही की जा रही है जिन पर आवश्यक निर्णय जल्दी ही लिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : चार प्रार्थना-पत्रों पर कितने अर्से में स्वीकृति दी गई ? और नाम भी जानना चाहता हूं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बाबूराम बद्रीप्रसाद लक्ष्मणगढ, मेसर्स मंगलाराम, तहसील किशनगढ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिनके अस्वीकृत किये गये उनके क्या क्या नाम है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किस-किस आदमी ने किस-किस समय प्रार्थना-पत्र दिये, किसने दरख्वास्तें दीं उन सब की फाईलें तो मैं लेकर आया नहीं। मैंने उत्तर में निवेदन किया कि चार का फैसला हो चुका है, एक मामला अस्वीकृत हुआ और दो विचाराधीन हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितने अर्से में दी गई मन्जूरी, वह तो बता सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मन्जूरी दिये हुए काफी समय हो गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितने अर्से तक आपके पास रहा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या ऐसे कोई नियम हैं कि जिसके फलस्वरूप एग्रीकल्चरल लैण्ड को आबादी भूमि में कनवर्ट किया जा सके ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सवाल पृथक है।

श्री जयकृष्ण : जो दरख्वास्तें पेंडिंग हैं उन पर निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

उद्योगों की राजस्थान विद्युत् ड्यूटी-कर से मुक्ति

५२८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान विद्युत् (ड्यूटी) अधिनियम, सन् १९६२ की धारा ३ की उप-धारा (३) के अधीन एक विज्ञप्ति संख्या एफ. ६(२) ई. एन. टी.।६२।१, दिनांक २६-३-६२ जारी करके सभी उद्योगों को इस कर से मुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो फिर भरतपुर व अलवर में इस प्रकार का कर आरोपण क्यों किया गया ?

(२) क्या सरकार ने संबंधित बिजली-घर अधिकारियों को इस प्रकार के कर वसूल न करने का आदेश दे दिया है ?

(३) क्या सरकार ने इस प्रकार के अवैधानिक ढंग से वसूल किये गये कर को वापिस करने के आदेश दे दिये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) जी हां! नोटीफिकेशन नं० एफ. ६।२। ई. एण्ड टी.।६२ आई. दिनांक २६-३-६२ को जारी किया गया था। इसके तहत राजस्थान की तमाम इन्डस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से एक्जेम्ट कर दिया गया था।

(श्री बालकृष्ण कौल)

(२) इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कानून के मुताबिक ही वसूल की जा सकती है, इसलिये अलहदा आदेश देने की जरूरत नहीं समझी गई।

(३) अगर कोई गैरकानूनी वसूली की गई है तो गवर्नमेंट के नोटिस में आने पर वाजिब कार्यवाही जरूर की जावेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री जयनारायण सालोदया।

सिवाय चक भूमि के लिये प्रार्थना-पत्र जिला टौंक

५२६. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--(१) तहसील टौंक, जिला टौंक में जनवरी, १९६१ से दिसम्बर, १९६२ तक सिवाय चक भूमि लेने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र किन किन तारीखों में प्राप्त हुए? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उन प्रार्थना-पत्रों में से कितने व्यक्तियों को कितने-कितने बीघा जमीन दी गई? नामजद सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) जिनको जमीन दी गई उनमें से कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित आदिम जाति के थे? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) उक्त प्रार्थनापत्रों में से कुल कितने प्रार्थना पत्र खारिज किये गये? मय कारणों के नामजद सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) कुल ५७३ प्रार्थना-पत्र पेश हुए। विवरण सूची में अंकित कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(२) २१६ व्यक्तियों को २१५४ बीघा १ बिस्वा भूमि दी गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जिनको भूमि दी गई उनमें ८३ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। कुल १९२ प्रार्थना-पत्र खारिज किये गये हैं। कारण उनके नाम के सामने सूची में अंकित हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया: जो सूची दी गई वह ऐसी है जिसको पढा नहीं जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): रखी ही इसलिये जाती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ऐसी ही मेरे पास है।

श्री जयनारायण सालोदिया: इसके लिये स्पेशल चश्मा भी दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री जयनारायण सालोदिया: आप यह तो बता दीजिये कि २०७ में से कितनों को जमीन मिली? कब्जा नहीं मिल रहा है तो वह जमीन किस काम आयगी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैंने जैसा कि निवेदन किया ५७३ प्राप्त हुई हैं उनमें से २१६ स्वीकार हुई। १६२ अस्वीकार हुई बाकी की जो बची हुई है पेन्डिंग हैं और जो अस्वीकार हुई उनके कारण भी बताये हुए हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया: प्रश्न यह है कि स्थानीय व्यक्ति नहीं वैसे आदमियों को जमीन दी गई है, आखिर आपके पास क्या माप दंड है जिसके आधार पर किन्हीं को तो जमीन दी गई किन्हीं को नहीं दी गई?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य भी तो उस कमेटी के मेम्बर होते हैं, उनको एतराज करना चाहिये।

श्री जयनारायण सालोदिया: एतराज करने के बाद भी कुछ नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष: एतराज करने के बाद भी कुछ नहीं होता है तो रूल्स के अन्तर्गत कलेक्टर को भी अपील कर सकते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया: इसमें काश्तकारों को कितनी दिक्कत होती है अपील करने में, यह भी देखने की बात है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री तेजाराम गहलोत।

पटवारियों के विरुद्ध शिकायतें-जिला पाली

५३०. **श्री तेजाराम गहलोत (सोजत)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) पाली जिले में १ जनवरी, १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक किन-किन पटवारियों के विरुद्ध रिश्वत की फर्जी इन्द्राज करने की व अपने पद का दुरुपयोग करने की शिकायतें:-

(क) तहसीलदार के पास,

(ख) एस. डी. ओ. के पास, और

(ग) जिलाधीश के पास।

की गई व उन पर संबंधित अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। संबंधित अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही की गई है उसका भी उल्लेख उसमें दे दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत: जो सूची दी गई है हमारे सोजत के एस. डी. ओ. का नाम इसमें नहीं है। तहसीलदारजी द्वारा लैण्ड अलाटमेन्ट कमेटी में शिकायत पेश की गई थी उनका नाम यहां नहीं है, उसके लिये क्या अर्ज कर सकता हूं?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: सोजत तहसील के किसी आदमी का नाम नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत: मैं आपसे निवेदन करूं कि रूपवास के पटवारी श्री भैरूंसिंह के खिलाफ अलाटमेन्ट के संबंध में रिश्वत लेने के आरोप हैं जिनका ब्योरा नहीं दिया गया है, उसके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इतने नामों में एक नाम बताया और इसके विरुद्ध एन्टी-करप्शन विभाग में कार्यवाही हो रही है,

Page No 25

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इसलिये इस लिस्ट में उनका नाम नहीं लिया गया है ।

(१२.०० म.प.)

आयरन स्टील व तांबा आदि धातुओं का राजस्थान को अलाटमेंट तथा उसका वितरण

५३१. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान का पिछले ३ वर्षों में प्रति वर्ष आयरन व स्टील, तांबा, स्टेनलैस स्टील, जस्ता व रांगा का भारत सरकार की ओर से कितना आबंटन (अलाटमेन्ट) किया गया ?

(ख) उक्त धातुओं का पिछले ३ वर्षों में प्रति वर्ष राजस्थान के निम्न ५ नगरों के उद्योगों को कितना-कितना वितरण किया गया ?

(१) जयपुर (२) जोधपुर (३) उदयपुर (४) कोटा व (५) बीकानेर ।

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल बैद) : (क) आयरन व स्टील, तांबा, जस्ता, स्टेनलैस स्टील व रांगा का कोटा पिछले तीन सालों में राजस्थान को भारत सरकार द्वारा निम्न लिखित अलाट किया गया ।

	१९५९-६०	१९६०-६१	१९६१-६२
आयरन स्टील	२८,८४९ टन	२३,५८८.४१६ टन	१८,८४२ मी. ट.
तांबा	३५० मी.ट.	५५५ मी.ट.	१,००० मी.ट.
जस्ता	७७० मी.ट.	६४० मी.ट.	१२०० मी.ट.
स्टेनलेस	—	अक्टू. ३७ट	अक्टूबर ६२ ३६ टन
रांगा	कुछ नहीं		

(५) यह कोटा ५ नगरों के उद्योगों को निम्न प्रकार वितरण किया गया ।

(सूची पढ़नी प्रारम्भ की)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : लिस्ट बहुत लम्बी है । आप समय ले रहे हैं । सूची दे दें आप तो ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सूची सप्लाई नहीं की गई ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो सारी सूची सुनाने को तैयार हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपको सूची देने में क्या आपत्ति है । दे दें, उसे देखकर सप्लीमेन्ट्री भी पूछ सकेंगे ।

श्री चन्दनमल बैद : सुना देता हूं साहब, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सूची आपको दे देनी चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : आप सुना दीजिये नहीं तो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाकी क्वेश्चन रह जायेंगे । आप जिद कर रहे हैं पढ़ने की; पर कापी नहीं दे रहे हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आप फिर बीकानेर का बता दीजिये । कापी दे दीजिये न ।

श्री अध्यक्ष : Order Order! Please. !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मंत्री महोदय से कहें कि वे इसकी

(श्री रामानंद अगवाल)
लिस्ट माननीय सदस्य को सप्लाई कर दें। उसे देखने के बाद ही वे सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : वे केवल बीकानेर का मांग रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने तो यह नहीं कहा था।

श्री अध्यक्ष : एक दूसरे माननीय सदस्य ने पूछा था।

श्री मुरलीधर व्यास : लिस्ट सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिये चाहा कि बीकानेर की सुन लूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इस प्रकार किताब पढ़कर सुनाने से लाभ क्या है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : लिस्ट दे दें तो सप्लीमेन्ट्री पूछने में मदद मिलेगी।

श्री चन्दनमल बैद : लिस्ट सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : कोटा जिस तरह से दिया गया, क्या उसका इस्तेमाल भी उसी तरह से हुआ या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : इसको विभाग वाले बराबर जांच करते रहते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसका अलाटमेंट किस आधार पर किया जाता है ?

श्री चन्दनमल बैद : D. I. O. और आर. डी. डी. की मार्फत जो मांग आती है वही आधार है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, लिस्ट की प्रति दे दें तो सप्लीमेन्ट्री करने में सहूलियत होगी।

श्री अध्यक्ष : अब तो सप्लीमेन्ट्री का समय नहीं रहा। लिस्ट तो वैसे आपको मिल जावेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कल पूछ लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : कल की व्यवस्था उचित नहीं होगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसके बाद लिस्ट दे दें तो बाद में कर लें।

श्री अध्यक्ष : आप फैक्ट्स को देख लें, इनको और कहीं काम में लाना चाहें तो ला सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भारत सरकार की तरफ से जो क्वान्टिटी ग्रान्ट की गई है वह कितनी है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री श्योपतसिंह।

शराब के नये ठेके तहसील हनुमानगढ़

५३२. **श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़)** : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) हनुमानगढ़ तहसील के कौन कौन से गांवों में सन् १९६२-६३ में शराब के नये ठेके दिये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इन नये ठेकों के खोले जाने पर गांव के लोगों ने भारी

(श्री श्योपतसिंह)
विरोध किया है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

आबकारी मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) किसी गांव में नये ठेके नहीं दिये गये।

(२) सरकार को ऐसे किसी मुखालफत की इत्तला नहीं मिली है इसलिये कार्यवाही का सवाल नहीं उठता।

भूतपूर्व नरेशों को बिजली की सहूलियते

५३३. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) द्वारा पूछा गया) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार और भूतपूर्व नरेशों के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा था कि भूतपूर्व नरेशों के उन मकानों में जो प्राइवेट रेजीडेन्स नहीं हैं खर्च होने वाली बिजली में सहूलियत दी जाय या नहीं ?

(२) क्या यह सही है कि इस डिस्प्यूट को तय करने के लिये सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी ?

(३) यदि हां, तो उक्त कमेटी ने क्या निर्णय लिया ?

उप मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) कमेटी की अन्तिम रिपोर्ट आनी बाकी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या कावनेन्ट में इस तरह के कन्सेशन थे ?

श्री परसराम मदेरणा : कावनेन्ट में कन्सेशन देने का नहीं था, पर इसे क्लेरिफाई कराया गया उस पर यह दिया जा रहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कावनेन्ट (Covenant) का यह प्रश्न किस समय आया ?

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स थे कि this letter will be treated as part of the Covenant and shall have the same effect as Covenant itself. It is, therefore, as good as Covenant.

श्री रघुनाथ विश्नोई : Collateral letter में है क्या यह पर्सेन्टेज की बात ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : असल में बात यह थी कि इलक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह ही सप्लाई उनको थी, पर उसके बारे में कोई लिमिट फिक्स नहीं हुई थी। इसके बाद में जब सरकार ने इस सवाल को उठाया तो यह पर्सेन्टेज बाद में डिसाइड किया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह कन्सेशन केवल चार स्टेटों के लिये ही माना गया था ? बाकी स्टेटों के लिये एप्लीकेबल नहीं था ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जी हां।

श्री मानिकचन्द सुराणा: एक्स रूलर्स के लिये यह क्यों एप्लाई किया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जिनके लिये लिख दिया गया है उन्हीं के लिये यह है, सब के लिये एप्लाई नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

Page No 28

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : निर्णय क्या लिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : निर्णय अभी लिया नहीं। कमेटी रूलर्स के रिप्रेजेन्टेटिव्ज से बात कर रही है, जो बीकानेर आज शाम की ट्रेन से जा रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: कितने अर्से से यह मामला पेंडिंग में है कमेटी के सामने ?

श्री मानिकचंद सुराणा : कोलेटरेल लैटर को लेकर आपने पहले भी जिक्र किया था, इस मामले में इतनी देर का क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसमें कई बातें हैं। उनके रेजीडेन्शियल बंगलोज कौन कौन से गिने जावें, क्या क्या उनके आउट-स्टेन्डिंग्ज हैं, उनके आश्रितों का क्या किया जाय, ये ऐसे कई मसले हैं जिनको डिसाइड करने में देर लग रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक कमेटी चार पांच रूलर्स से बात नहीं कर सकी इतने सालों में ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा :बाकी जो रह गये हैं प्रश्न वे कब लिये जावेंगे ?

श्री अध्यक्ष : इसका केवल एक ही रास्ता है कि आप सप्लीमेन्ट्री कम पूछें ताकि ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकें। इनके लिखित उत्तर छप जावेंगे।

(प्रश्न समय में न पूछे जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

(१२.०० म. प.)

मांग संख्या १२ एवं ११ पुलिस तथा कारागार

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,२१,७९,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या ११

माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३५,६८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

(इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

श्री भैरोंसिंह :

मांग संख्या १२

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) :

(१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (सिपाही दल-जनता में व्याप्त पाकिस्तान-राजस्थान की सीमा पर बसने वाली असुरक्षा के भाव मिटा सकने में असमर्थता पर बहस करने हेतु)।

Page No 29

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

(२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में विभागीय असफलता पर बहस करने हेतु)।

(३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (पुलिस विभाग द्वारा सामान की खरीद में अनियमितता पर बहस करने हेतु)

(४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (बढते हुए जरायम की रोक थाम में पुलिस की अयोग्यता व विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

(५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति में की जाने वाली धांधलियों पर विचार करने पर बहस करने हेतु)।

(६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अन्याय पर बहस करने हेतु)।

(७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (सरकार की हथियारों के सम्बन्ध में अपनाई गई घातक नीति पर विचार करने के संबंध में बहस करने हेतु)।

(८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (राजस्थान में बढती हुई डकैतियों की रोक-थाम में विभागीय असफलता पर बहस करने हेतु)।

(९) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (सशस्त्र सिपाही दल के खर्चा का भारत सरकार से पूर्व हिस्सा प्राप्त न करने की असमर्थता पर बहस करने हेतु।

मांग संख्या ११

(१०) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में एक रुपये की कटौती की जाय (जेलों की अव्यवस्था तथा जेल कमीशन की निरर्थकता पर बहस करने हेतु)।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : (१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालने के सम्बन्ध में बहस करने हेतु)।

श्री किशनसिंह (लक्ष्मणगढ) : (१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार अधिक फैल गया है उसके सुधार पर बहस करने हेतु)।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : (१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कर्मचारियों की शिथिलता के कारण फैली हुई अपराधी वृद्धि पर बहस करने हेतु)।

(२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय

(दुर्गालाल बादवार)
(पुलिस कर्मचारियों की दयनीय दशा तथा उनके (Promotion) में वर्ती जाने वाली अनियमितता पर बहस करने हेतु)।

(३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस ट्रेनिंग कालेज पर अपव्ययता पर बहस करने हेतु)।

(४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति म पक्षपात व अनियमितता पर बहस करने हेतु)।

(५) Demand No. 12, Major Head 23—Police be reduced by rupee one (to discuss investigation of offences are unnecessarly delayed).

(६) Demand No. 12, Major Head 23—Police be reduced by rupee one (to discuss the Police has utterly failed to justify its motto "may I help you ?")

श्री देवेन्द्र कुमार (सहाड़ा-सु०) : (१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (पुलिस के सिपाहियों के वेतन वृद्धि कराने पर बहस करने हेतु)।

श्री ललित मोहन (गोगुन्दा-सु०) : (१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (कोटडा, फलसिया क्षेत्र में पुलिस की ज्यादती पर बहस करने हेतु)।

श्री गोपीलाल गोठवाल (फागी) : (१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (पुलिस पर सरकार का उचित एवं निष्पक्ष न होने से व्याप्त कठिनाइयों पर बहस करने हेतु)।

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) : (१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (भरतपुर जिले में बढ़ रहे जुरायम पर बहस करने हेतु)।

(२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (धौलपुर सब डिविजन में पुलिस विभाग की लापरवाही तथा अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

(३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (भरतपुर पुलिस जनता के जानोमाल की रक्षा करने में असमर्थ रही है पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या ११

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर) : (१) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार में एक रुपये की कटौती की जाय (जेल में कैदियों की हालत सुधारने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)।

(२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (पुलिस के कार्य को अधिक वैज्ञानिक बनाने पर बहस करने हेतु)।

(३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय और महा विद्यालय में Scientific Investigation

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

की शिक्षा पर अधिक जोर देने पर बहस करने हेतु)।

(४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (Home guards) के निर्माण में होने वाली शिथिलता पर बहस करने हेतु)।

(५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस के कर्मचारियों के Promotion में हुए पक्षपात पर बहस करने हेतु)।

(६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय (रेल्वे पुलिस में व्यापत भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

(७) **Demand No. XII, Major Head 23—Police be reduced by Rs.100/-** (to discuss about the inadequate police force in Ganganagar District to check up growing crime situation of the district).

(८) **Demand No. XII, Major Head 23—Police be reduced by rupee one** (to discuss that Rajasthan Police and R. A. C. have not been timed up to the mood of the past emergency conditions and Government have failed to make proper arrangement for Indo-Pak border protection to making law and order situation normal in Rajasthan).

(९) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (प्रान्त में बढ़ते हुए अपराधों पर बहस करने हेतु)।

(१०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस द्वारा डकैतियों को रोकने में असमर्थता पर बहस करने हेतु)।

(११) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कमीशन की नियुक्ति एवं स्थगित करने के निर्णय पर बहस करने हेतु)।

(१२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता पर बहस करने हेतु)।

(१३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस द्वारा अपराधों की छानबीन करने के तरीके में सुधार की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)।

(१४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

(१५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस द्वारा जनता पर दमन करने पर बहस करने हेतु)।

(१६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (यूनियन बनाने के अपराध में निकाले हुए पुलिस कर्मचारियों को नौकरी में अभी तक वापस न लेने के प्रश्न पर बहस करने हेतु)।

(१७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (राजाओं के महलों पर सरकारी खर्चे पर गार्ड रखने की नीति पर बहस करने हेतु)।

(१८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कर्मचारियों में वर्तमान वेतन स्तर तथा अन्य सर्विस कन्डीशन्ज के कारण व्याप्त असन्तोष पर बहस करने हेतु)।

Page No 32

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

(१९) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान नान-गजेटिड पुलिस कर्मचारी संघ को मान्यता न देने पर बहस करने हेतु)।

(२०) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (बनेडा तहसील अन्दोलन में की गई गिरफ्तारियों वा पुलिस ज्यादतियों पर बहस करने हेतु)।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): (१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय राजस्थान के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग व्याप्त सुस्ती एवं उसकी कार्य प्रणाली पर विवाद करने हेतु)।

(२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस मे १००) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले मे निठार, बसई, डीग आदि स्थानों पड़ी डकैतियों तथा उससे पैदा होने वाले प्रश्नों पर विवाद करने हेतु)।

(३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले मे बढ़ रही चोरी, डकैती एवं अराजकता की समस्या पर बहस करने हेतु)।

(४) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार मे १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान मे कारागारों की व्यवस्था एवं राजनैतिक बन्दियों के साथ बर्ताव के बारे में बहस करने हेतु)।

(५) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में १००) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले की सेवर जेल को जुडीशल लोक अप में बदल देने से उत्पन्न समस्याओं पर बहस करने हेतु)।

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिडवारा): (१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (भ्रष्टाचार विभाग व कर्मचारियों द्वारा ज्यादतियों पर बहस करने हेतु)।

श्री उमराव सिंह (बनेडा): (१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (छोटे गांवों में पुलिस स्टेशनों की व्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

(२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (बनेडा तहसील आन्दोलन मे की गई गिरफ्तारियों पर बहस करने हेतु)।

(३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (बरा व रायला के सरपंचों द्वारा रेल्वे हड़ताल के समय सिपाहियों के प्रबन्ध व खाने पर किए गए खर्चे पर बहस करने हेतु)।

(४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस म १००) रु० की कटौती की जाय (बनेडा पंचायत समिति क्षेत्र के बनेडा, सुलास, भटेडा, डगोस, रायला में हुई नकबजनियों पर बहस करन हेतु)।

(५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १०० रु० की कटौती की जाय (बनेडा तहसील आन्दोलन के समय सी. आई. डी. यों द्वारा की गई ज्यादतियों पर बहस करने हेतु)।

(श्री उमरावसिंह)

(६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (बनेडा तहसील आन्दोलन के समय चुने हुए व्यक्तियों को हथकडियां लगाने पर बहस करने हेतु)।

(७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (बनेडा तहसील आन्दोलन के समय भीलवाडे में स्त्री पुलिस के कार्यों पर बहस करने हेतु)।

(८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (डी. एस. पी. की पोस्ट की अनावश्यकता पर बहस करने हेतु)।

(९) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

श्री मानसिंह महार (आमेर):

1. Demand No. XII, Major Head 23-Police be reduced by rupee one (to discuss unnecessary waste in transfers in the Department).

2. Demand No. XII, Major Head 23-Police be reduced by rupee one (to discuss the failure of the Government to give proper facilities and amenities to the low paid staff).

3. Demand No. XII, Major Head 23-Police be reduced by rupee one (to discuss the failure of the Government to improve the tone of police administration in Rajasthan by eradication corruption prevailing in the Department).

4. Demand No. XII, Major Head 23-Police be reduced by rupee one to discuss the mis-management and mal-administration in the Department with particular reference to the present I.G.P. and his narrow outlook).

श्री नाथूरा करोल (बागीडोरा):
(१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (बांसवाडा जिला, तहसील गढी में पुलिस विभाग की ओर से अव्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

श्री हरी राम चौहान (तिजारा):
(१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर जाब्ता फौजदारी की धारा ११० के तहत पुलिस द्वारा अनुचित कार्यवाही पर बहस करने हेतु)।

(२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३–पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस की दमनकारी नीति पर बहस करने हेतु)।

(३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर बहस करने हेतु)।

(४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस द्वारा तफतीश करने के तरीके में सुधार की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)।

(श्री हरिराम चौहान)

(५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता पर बहस करने हेतु)।

(६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (प्रान्त में बढते हुए अपराधों पर बहस करने हेतु)।

(७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान नान-गजेटिड पुलिस कर्मचारी संघ को मान्यता न देने पर बहस करने हेतु)।

(८) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (यूनियन बनाने के अपराध में निकाले हुए पुलिस कर्मचारियों को तुरन्त नौकरी पर वापस लेने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)।

(९) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (राजाओं के महलों पर सरकारी खर्च पर गार्ड रखने की नीति पर बहस करने हेतु)।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) :

मांग संख्या ११

(१) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में एक रुपये की कटौती की जाय (अलवर जिले की जेल में उद्योग खोलने की व्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

मांग संख्या १२

(२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की मौजूदा हालत को सुधारने एवं उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने पर बहस करने हेतु)।

(३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कर्मचारियों की वर्दी की व्यवस्था पर बहस करने हेतु)।

श्री गणपतिलाल वर्मा (मान्डलगढ) : (१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (भीलवाडे जिले की पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कराने के लिये ध्यान आकर्षित करने पर बहस करने हेतु)।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : (१) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग की सीमा पर स्थित ग्रामीण जनता में व्याप्त असुरक्षा की भावना को दूर करने की असमर्थता पर व इसके लिये आर० ए० सी० व ए० डी० एफ० की आवश्यक पोस्टें न लगाने पर बहस करने हेतु)।

(२) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग द्वारा कानून के विरुद्ध कई डिप्टी सुपरिन्टेडन्ट पुलिस को सर्किल इन्स्पेक्टर के पदों पर डिमोट किये जाने पर बहस करने हेतु)।

(३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय (सीमा पर रहने वाले नागरिकों को मुफ्त शस्त्र रक्षा हेतु देन पर बहस करन हेतु)।

(४) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय

Page No 35

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
(पुलिस कर्मचारियों के वेतन श्रृंखलाओं पर बहस करने हेतु)।

(५) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १००) रु० की कटौती की जाय पुलिस द्वारा डाकुओं को पकड सकने की असमर्थता पर बहस करने हेतु)।

(६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस विभाग की असफलताएं व कानून व व्यवस्था बनाये रखने में असमर्थता पर बहस करने हेतु)।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) :

मांग संख्या ११

(१) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२-कारागार में एक रुपये की कटौती की जाय (जेल में कैदियों की हालत सुधारने की आवश्यक्ता पर बहस करने हेतु)।

(2) Demand No. XI, Major Head 22-Jails be reduced by rupee 1/- (to discuss on the apathetic attitude of the administration to reform Prisnors in Jails

मांग संख्या १२

(३) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (पुलिस कमीशन की नियुक्ति व स्थगन पर बहस करने हेतु)।

(4). Demand No. XII, Major Head 23-Police be reduced by rupee 100/- (to discuss on the failure of the Government to stop corruption in the Police Department).

5. Demand No. XII, Major Head 23-Police be reduced by rupees 100/- (to discuss on inadequate arrangement of the armed constabulary on Indo-Pak Boarder in Rajasthan).

(६) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (मजदूरों और किसानों के आन्दोलनों को कुचलने के लिए पुलिस का अनुचित उपयोग करने पर बहस करने हेतु)।

(७) मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान नान-गजेटिड पुलिस कर्मचारी संघ को मान्यता न देने के प्रश्न पर बहस करने हेतु)।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के संबंध में जो मांग प्रस्तुत की गयी है उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राज्य में सन् १९५१-५२ से लेकर अब तक निरन्तर पुलिस का बजट बढता आ रहा है। १९५१-५२ में २ करोड ६१ लाख रुपये का खर्चा था तो आज वह खर्च बढ कर ५ करोड ८९ लाख रुपये का हो गया। हर साल यदि एवरेज इस बढोत्तरी का निकाला जाये तो ४० और ५० लाख के बीच में यह बढोत्तरी निरन्तर हुई है। राजस्थान की जन-संख्या लगभग २ करोड की है और इस जन-संख्या के अनुपात से यदि पुलिस विभाग का सारा खर्चा देखा जाये तो एक व्यक्ति के ऊपर २।।।) रुपया का खर्चा आता है। हमारे राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले में पुलिस के ऊपर ज्यादा खर्च है। गुजरात के अन्दर ७.६ है, पंजाब में ८.२ है,

(श्री भैरोंसिंह)

मध्य प्रदेश में ८.३ है, उत्तरप्रदेश में, जो सबसे बडा इलाका है, उसमें ६.२ है और राजस्थान में ९.४ है पुलिस का खर्चा । इस सारे खर्च की पृष्ठभूमि में यदि हम इसकी उपयोगिता देखें तो ऐसा लगता है कि हमने ज्यों ज्यों पुलिस पर खर्चा बढाया उसी प्रकार से पुलिस के द्वारा जो अपराध रजिस्टर किये जाते हैं उनकी संख्या भी निरंतर उसी प्रकार से बढती गयी है । मैं १९५५ से लेकर अब तक के उन सारे केसेज के आंकडों में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन इतना अवश्य बताऊंगा कि १९५५ में ३ करोड ८५ लाख रुपये का माल चोरी, डकैती और धाडे-इन सब के अन्दर गया था और उसमें केवल ११ लाख रुपये की बरामदगी हुई थी । १९६० के अन्दर ६ करोड २५ लाख की चोरियां हुई और उनमें से ३० लाख की बरामदगी हुई । अब यह इस बात का सुबूत है कि हम ज्यों ज्यों खर्च करते जा रहे हैं वह इस बात के लिए करते हैं कि हमारे जान-माल की रक्षा पुलिस के हाथों में सुरक्षित हो । लेकिन जब यह आंकडों का आधार हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जब जब हमने खर्च बढाया है उसी आधार के ऊपर हमारे यहां जरायम बढते गये और जरायम के अन्दर आज सरकार अपनी सफलता बताये और यह कहे कि जरायम के आंकडे दिन प्रतिदिन घटते गये हैं तो यह इस बात का सबूत है कि हमने जो खर्चा किया उससे जो हमारी आशा थी उस आशा को हम प्राप्त नहीं कर पाये बल्कि राजस्थान के अन्दर उन घटनाओं की संख्या बढने लगी है जो राजस्थान में पहले कहीं सुनने को नहीं मिलती थीं । राजस्थान के अन्दर रेप के केसेज का आप नम्बर देखें तो ५२ से लेकर ६३ तक इसका नम्बर बढता गया है । किडनेपिंग के केसेज को देखें तो राजस्थान के अन्दर किडनेपिंग के केसेज का नम्बर भी इसी प्रकार से बढता गया है और वह इतना बढा है कि हिन्दुस्तान के अन्दर किसी भी प्रान्त के अन्दर इतने किडनेपिंग के केसेज नहीं होते जितने राजस्थान में होते हैं । यदि यह समझा जाये कि यह सारी इस बात की देन है कि हमने पुलिस के ऊपर खर्च बढाया और पुलिस ने जरूरी समझा कि इस खर्च को और भी बढाना है तो हमें इसी प्रकार से जरायम भी बढाने पडेंगे । जितने भी केसेज कतल के कहिये, रोबेरी के कहिये, कैटल लिफ्टिंग के कहिये, बर्गलरी के कहिये—कोई भी इस प्रकार के अपराध नहीं हैं जिनके लिये माननीय गृह मंत्रीजी कह सकते हों कि ५३ से लेकर अब तक हम जरायम की संख्या में किसी प्रकार की कोई कमी ला पाये हैं । यह किस बात का सुबूत है ? मेरे ख्याल से यह इस बात का सुबूत है कि हम पुलिस के द्वारा जनता की ठीक तरह से सुरक्षा नहीं करवा सके । हमारी सरकार ने पुलिस विभाग के संबंध में जो एक विवरण प्रस्तुत किया है उसके अन्दर जो जरायम बढते हैं उनके संबंध में लिखा है कि **इस वृद्धि का प्रमुख कारण अपराधों के खुले पंजीकरण का निर्णय है जिसे राज्य सरकार ने गत वर्ष नीति के रूप में स्वीकार किया था ।**

अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के अन्दर मैंने विशेष तौर पर और कई माननीय सदस्यों ने भी इस बात का सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि पुलिस के रजिस्टर में केसेज वास्तव में रजिस्टर नहीं किये जाते लेकिन बर्किग होते हैं । केसेज का नम्बर कम

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं रह जाये और वास्तविक स्थिति यह है कि गांव और शहरों में चोरियां ज्यादा होती हैं। पुलिस के ऊपर पब्लिक का जितना विश्वास रहना चाहिये उतना उसको विश्वास नहीं हो पाया है। आज जनता यह समझने लगी है कि यदि किसी चोरी और डकैती की रिपोर्ट हमने करवा दी तो चोरों से मिल कर जो वापिस माल प्राप्त कर सकते हैं वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में वापिस नहीं मिलेगा। इसलिये लोग इस आशंका के कारण रिपोर्ट नहीं कराते हैं। अब हम कहते हैं कि हमने इस प्रकार का निर्णय लिया है। मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहूंगा कि यह निर्णय नया कैसे है? यह निर्णय आज क्यों लिया? यह तो फण्डामेन्टल प्रिन्सिपल है पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन का कि जितनी रिपोर्ट दर्ज होती हैं, जितने जरायम होते हैं, वह लाजिमी तौर से दर्ज करने होते हैं। जब पुलिस के सामने काग्निजेबल आफेन्स की किसी तरह की रिपोर्ट होती है तो उसे दर्ज करना पडेगा। अब हम कहते हैं कि हमने निर्णय लिया। मैं ऐसा समझ कर चलता हूं कि जो उनके पहले की सरकार गई क्या वह इस प्रकार का निर्णय लेकर नहीं चलती थी? क्या इस प्रकार का पहले की सरकार का दृष्टिकोण था कि केसेज ज्यादा होते हैं और उनको रजिस्टर नहीं किया जाये और उनको वर्किंग किया जाये? यह इसका सबूत है कि आज हम पिछले वर्षों से कहते आये थे कि राजस्थान सरकार में वर्किंग होता है। आज गृह मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि हमने अब यह निर्णय लिया है कि केसेज रजिस्टर किये जायें और रजिस्टर होने के बाद में अगर नम्बर बढा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप तो राजस्थान के गृह मंत्रीजी हैं और मैं एक साधारण सदस्य हूं, कि आपकी नीति के बाद भी केसेज का वर्किंग होता है। आप अपनी मर्जी का राजस्थान में एक भी थाना ऐसा बता दें जहां मैं आपके साथ चलता हूं और बिना पूछे आप किसी भी गांव में चले जाइये वहां एक साल में कितने काग्निजेबल ऑफेन्स हुए हैं, उसकी आप गांव में इन्क्वायरी कीजिये और एफ. आई. आर. का रजिस्टर देख लें तो आपको पता लगेगा कि थाने में कितने कम केसेज रजिस्टर हुए हैं। वहां पर आज भी वर्किंग चलता है।

जब हमारे यहां जरायम की संख्या बढती जा रही है तो इस बात की चिन्ता होती है कि खर्च करने के बाद भी हमारी सरकार किस प्रकार से सो रही है। मैं ऐसा समझता कि अध्यक्ष महोदय, अगर इस मसल को यहीं छोड दें तो आज हमारे सामने जो बडा भारी संकट आ रहा है जिसको लेकर हमारी सरकार यह कह सकती है कि हमने पुलिस विभाग के अन्दर खर्चा बढाया है, आर. ए. सी. की बटेलियंस नियुक्त की हैं, राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा की दृष्टि से आर. ए. सी. की पोस्टों की संख्या बढाई है, जितने आदमी थे उनकी संख्या बढाई है, २ ऊंट की जगह ६ ऊंट किये हैं, पीने के लिये पानी की व्यवस्था की है, कुछ आर्म्स एंड एम्युनिशन्स की व्यवस्था की है, मोटरों की व्यवस्था की है, वायरलैस सैट्स की कुछ व्यवस्था की है—इसके कारण खर्चा बढा है; लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि खर्चे की वृद्धि वहां करते हैं वह आवश्यक है। इस खर्चे के बारे में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस

Page No 38

(श्री भैरोंसिंह)

खर्चे के बावजूद भी आज राजस्थान की जो सीमा पाकिस्तान से लगती है उसकी क्या हालत है। आप यदि इस क्षेत्र में जावें तो ऐसा लगता है कि यह क्षेत्र राजस्थान का नहीं है, इस पर राजस्थान सरकार का कण्ट्रोल नहीं है : इसमें रहने वाले व्यक्ति चाहें वे किसी भी जाति के हों, ऐसे नहीं हैं जो भय से त्रस्त नहीं हों। उनको हर समय इस बात की चिन्ता रहती है कि न जाने किस समय डाका पडने वाला है, किस समय उनका ऊंट ले जाया जाने वाला है, किस समय उनके मकान में आग लगने वाली है और किस समय मेरा खुद का अपहरण होने वाला है। इस प्रकार की राजस्थान की ६५० मील सीमा जो पाकिस्तान से लगती है उसकी स्थिति हो रही है। अब सरकार कहती है कि हमने आर. ए. सी. की वृद्धि की, उनकी संख्या बढाई है, इसके बाद में वहां पर कितने डाके पडे हैं, कितनी चोरियां हुई हैं, कितने अपहरण हुए हैं–उनकी संख्या में अब की संख्या में और पहले की संख्या में जो अन्तर आया है वह हजारों का अन्तर आया यह सही है कि कुछ डकैतियां ज्यादा हुई हैं, कत्ल ज्यादा हुए हैं। इस सबक पीछे यह समझ कर चलें कि डाके डाले जा रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, ये सब डाके शुद्ध डाके हों, चोरियां कोई शुद्ध चोरियां हों या जो अपहरण हुए हैं वे शुद्ध अपहरण हुए हों, ऐसी बात नहीं है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इन डाकों के पीछे कुछ राजनैतिक कारण हैं। राजनैतिक कारण इस प्रकार के नहीं हैं कि कोई राजनैतिक पार्टियां ये डाके कराती हों, वल्कि यह राजनैतिक कारण इस प्रकार के हैं कि पाकिस्तान की सरकार और राजस्थान की सरकार के बीच और पाकिस्तान की सरकार और हिन्दुस्तान की सरकार के बीच जिस तरह का व्यवहार होना चाहिये उस तरह का व्यवहार नहीं है। कुछ खुशी की बात यह है कि हमारी सरकार ने व्यवहार निभाया है लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं निभा रही है। माननीय गृह मंत्रीजी यदि मेरे साथ चलें पाकिस्तान के बोर्डर पर तो मैं उनको बता दूं कि जिन गांवों में कोई मस्जिद नहीं थी वहां अब मस्जिद बन गई है। जहां पर पहले किसी प्रकार के निशान नहीं थे वहां पर अब निशान बन गये हैं। वहां पर पाकिस्तान की करेन्सी चलती है। पाकिस्तान की टैक्स्ट बुक्स चलती हैं। जिस प्रकार की इन्फॉरमेशन वहां से नहीं दी जानी चाहिये वह दी जाती है। पाकिस्तान के लोगों के साथ रिश्तेदारियां होती हैं, शादी-विवाह होते हैं और शादी के नाम पर वहां के लोग आकर यहां से सूचनायें ले जाते हैं। मुझे अभी जो सूचना मिली है उसके अनुसार पाकिस्तान की सीमा पर प्रत्येक व्यक्ति ७०) रु० इसलिये जमा कर रहे हैं कि पाकिस्तान से उनको हथियार मिलने वाले हैं। वहां पर हथियार आये हैं, पिछले दिनों आये। अब हथियारों के लिये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। हमारी सरकार यह समझती होगी कि आर. ए. सी. के बूते पर इन सब चीजों को रोका जायगा तो यह संभव नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान सरकार के साथ जब कि हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं तो बोर्डर पर सडकें बनाने के बारे में हमारी सरकार ने क्या किया ? हमारी सरकार कहती है कि उसने हजारों मील सडकें बना दी, मोटरेबिल सडकें बना दी ग्रेवल रोड्स बना दीं लेकिन बोर्डर पर सडकें बनाने के बारे में सरकार सोती क्यों रही है ?

(श्री भैरोंसिंह)
बाडमेर ग्रौर जैसलमेर के बोर्डर पर सरकार ने एक इंच भी सडक नहीं बनाई। दूसरी ग्रोर सडकें पूरे बोर्डर पर बन चकी है, सारी तैयारी है, ग्रार्म्स एंड एम्युनिशन तैयार हैं। लेकिन हम सोते रहे। खर्चा नहीं है, इसलिये सडकें नहीं बना सके। मैं कहता हूं कि कोई भी ग्रावश्यक खर्चा काट कर पाकिस्तान ग्रौर राजस्थान की सीमा पर सडकें बनानी चाहियें थीं। बदकिस्मती इस बात की है कि ग्रौर चीजों पर खर्चा कर देते हैं पर सीमा पर जो ग्रावश्यक चीज है उसके लिये खर्चा नहीं होता। सीमा पर इस समय कुछ इम्प्रूवमेन्ट किया है उस पर धन्यवाद देता हूं। लेकिन जैसा ग्रभी नेफा में हुग्रा, एक दिन यहां पर वैसा ग्रा सकता है जब पाकिस्तान ग्रौर हिन्दुस्तान के बीच ब्रेक-ग्रप हो जाय उसके कारण राजस्थान को नेफा की सी स्थिति का सामना करना पडेगा। जिस प्रकार नेफा में इज्जत हतक हुई है उसी प्रकार राजस्थान में भी हो सकती है। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि सीमा पर खर्चा जितना बढाना चाहें बढावें हम उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन सरकार कम से कम हमारी सीमा की सुरक्षा का प्रबन्ध करे, सीमा पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा करे। वहां पर ऐसे ग्रधिकारी नियुक्त करे जिनकी बोनाफाइडी पर शक नहीं किया जा सके। मुझे इत्तला है कि वहां पर ग्रधिकारी ऐसे हैं जो वहां पर बैठ कर पाकिस्तान सरकार को सूचना देते हैं जिसके जिसके ग्राधार पर यहां डकैतियां की जाती हैं।

पिछले दिनों मैंने डी. ग्राई. जी. का स्टेटमेन्ट पढा। उसमें लिखा था कि किसी तस्करी को देखा जायगा तो उसको गोली मार दी जायगी। यह सही है कि डाकुग्रों पर ग्रौर तस्करियों पर इसका कुछ प्रभाव पडा। लेकिन जिस क्षेत्र में रोड्स नहीं हैं, जहां पर डाकुग्रों का ग्राना जाना रोक नहीं सकते उस क्षेत्र को ग्राप नो मैन्स लैंड डिक्लेयर कर दीजिये। उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति घुसेगा या घुसने की चष्टा करेगा तो उसको गोली मार दी जायगी। उसके बाद देखिये कि क्या हालत होती है। बंगाल में पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानियों के ग्रावागमन को नहीं रोक पाये थे। बंगाल सरकार ने उस क्षेत्र को नो-मैन्स-लैण्ड घोषित कर दिया ग्रौर कहा कि इसमें कोई घुसने की चष्टा करेगा तो उसको गोली मार दी जायगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सरकार इस ग्रोर ध्यान नहीं दे रही है। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि हम चोरियां, डाके ग्रौर ग्रपहरण को बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन कोई विदेशी हमारी स्वतंत्रता पर डाके डालने की चेष्टा करे तो हरगिज बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ग्राप इसको छोटा मसला नहीं समझें। पाकिस्तान ग्रौर हिन्दुस्तान की सीमा पर जो डाके डाले जाते हैं वे शुद्ध डाके नहीं हैं बल्कि उसके पीछे ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक महत्व है। इसको देख कर चलेंगे तो हमें खुशी होगी कि हमारी सरकार सतर्क है।

वहां पर डाके पडे उससे कुछ दिन पहले सरकार ने टाइगर ग्रापरेशन चालू किया था। टाइगर ग्रापरेशन क्या बला है? उसके पीछे कौनसे शेर चीते ग्रायेंगे जिससे डाकू घबरा कर भाग जायेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि उस ग्रापरेशन में कई लोगों के मकान गिरा दिये, घर जला दिये, कई स्त्रियों के साथ छेड-छाड की गई, लोगों का सामान लूटा गया। क्या यही ग्रापका टाइगर कैम्पेन है? भाषण में ग्रापने सदन में इन्कार किया था कि इस प्रकार की घटनायें नहीं हुई। तो मैं ग्रापको चुनौती करता हूं। मैं ही चुनौती नहीं करता लेकिन राजस्थान के स्वर्गीय जयनारायणजी

Page No 40

(श्री भैरोंसिंह)

व्यास ने भी पत्र लिखा था, उन्होंने सारी सीमा की जानकारी दी थी, एम. पीज. ने दौरा किया था। उन्होंने प्रधान मंत्रीजी को पत्र लिखा था जिसमें सारी सीमा की जानकारी दी है, टाइगर ऑपरेशन का रिजल्ट बताया है। मुझे मालूम है कि टाइगर ऑपरेशन में जिनको नुकसान हुआ है उनको सरकार कम्पेन्सेशन देने को तैयार है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन के आर्डर से सरकार को यह कम्पेन्सेशन देना पडा उनके खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया है ? सरकार कहेगी उनके खिलाफ एक्शन नही लेंगे। सरकार को जिसके कारण घाटा होता है, जिसके कारण नुकसान होता है, जो लोग टाइगर ऑपरेशन से प्रभावित हैं उन्होंने अपना कॉन्फीडेंन्स इस सरकार के प्रति खो दिया है। वे कहते हैं कि हम सरकार का साथ दें, देश के प्रति वफादारी बतावें तो हमारी पुलिस सबसे ज्यादा हमीं को कष्ट देती है। उसने हमारे मकान जलाये हैं, हमारी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसने हमारा सामान लूटा है ऐसी हालत में क्या हम उसको सहयोग दें, । इस सरकार को कोई सहयोग नहीं मिल सकता। अगर वहां की जनता में कॉन्फीडेंन्स पैदा करना है तो जिनको नुकसान हुआ है उनको कम्पेन्सेशन दें और जिनके कारण नुकसान हुआ है उनको सजा दें ताकि लोगों में आपके प्रति विश्वास पैदा हो जाय। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की कार्यवाही करने से आप में जो अविश्वास पैदा हो गया है वह नहीं रहेगा बल्कि जनता आप में विश्वास रखेगी और जिस प्रकार की सूचना आपको उससे मिलनी चाहिये वह देगी। लेकिन साथ ही साथ बदकिस्मती से टाइगर ऑपरेशन के कारण लोगों में पूर्णतया अविश्वास पैदा हो गया है, सरकार को चाहिये कि अविश्वास को जल्दी से जल्दी दूर करे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इस क्षेत्र की जनता के पास हथियार नहीं हैं। आज से छः वर्ष पहले मैंने विधान सभा में कहा था कि बाडमेर और जैसलमर जिलों में बोर्डर पर जो जनता रहती है उनमें से कुछ लोगों के पास हथियार हैं वे उनका रिन्यूवल कराना चाहते थे लेकिन उनको इसके लिये परमिशन नहीं दी गई। बदकिस्मती ऐसी है कि उन लोगों को हथियार रखने की परमिशन दी गई जो पाक के एजण्ट्स हैं और इस रूप में काम करते हैं। जो गद्दार हैं, उनको हथियार रखने की इजाजत दी गई लेकिन जो गद्दार नहीं हैं, जो देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहते हैं उनके पास हथियार नहीं हैं। यह किस प्रकार का अंधेर है, किस प्रकार का दुर्भाग्य है ? हमें देश की रक्षा के लिये त्याग करना चाहिये और जो लोग देश के सम्मान को ऊंचा रखना चाहते हैं उनके पास हथियार होने चाहिये।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह राजनैतिक पहलू से हट कर, राजनैतिक मतभेद से दूर होकर जिन व्यक्तियों की एक्टीविटीज के बारे में संदेह है, जिनकी एक्टीविटीज की जानकारी सरकार को अपने विभाग के द्वारा मिलती है, प्राइवेट पार्टीज के द्वारा मिलती है, उनके सारे हथियारों को जब्त कर दे और उन क्षेत्रों में वह हथियार दे देने चाहिये, और उनको हथियार रखने की परमिशन देनी चाहिये। इसके साथ साथ जो टोपीदार बन्दूक हैं, इसके लाइसेंस के भी रिन्यूवल की आवश्यकता होती है। आप

(श्री भैरोंसिह)

आंकडे उठा कर देखें तो राजस्थान में टोपीदार बन्दूक से न तो डाके होते हैं, न उससे कत्ल होते हैं, न राजस्थान में टोपीदार बन्दूक से अपराध होते हैं और न टोपीदार बन्दूक डाकू लोग रखते हैं। फिर यह समझ में नहीं आता है कि जब इस चीज का प्रयोग नहीं होता है तो इस पर पाबन्दी क्यों है ? कोई व्यक्ति इससे अपनी रक्षा कर सकता है, ऐसी टोपीदार बन्दूक के लाइसेंस के रिन्यूवल के नाम पर लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, इसकी आप व्यवस्था कर दें। तो बहुत से लोग ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वे परेशानी में रहते हुए टोपीदार बन्दूक रखें और सरकार इस प्रकार की बात उनके द्वारा मनवा सके। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह स्वीकार करने में आपको आपत्ति नहीं हो सकती कि राजस्थान में कई लोगों के पास अनलाइसेंस्ड, अनरजिस्टर्ड वैपन्स हैं जो डम्प किये हुए हैं। वे ओपन नहीं होते जब तक कि वे लीगेलाइज नहीं हो जांय। जब तक वे डम्प रहेंगे और लीगेलाइज नहीं होंगे वे वैपन्स डाकुओं के पास जाते हैं। डाकुओं के पास पैसा होता है, वे बिना लाइसेंस के हथियार रखते हैं और डम्प किये हुए हथियार होते हैं उनको वे खरीद कर ले जाते हैं और उन हथियारों से डाके डाले जाते हैं। आप यह व्यवस्था कर दें जो कि आपने स्मगल्ड गोल्ड के लिये व्यवस्था कर दी है कि स्मगल्ड गोल्ड सुरक्षा कोष में जमा कर दें तो यह पूछा नहीं जायगा कि यह सोना कहां से आया है। मैं कहना चाहूंगा कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से जिनके पास अन-आथोराइज्ड, अनलाइसेंस्ड वैपन्स पडे हैं, अगर भारत सरकार उनको रजिस्ट्रेशन के लिये स्वीकार करती है, भले ही वह कोई मयाद कर दे, एक महिने, दो महिने की मयाद कर दे, तो रजिस्ट्रेशन के लिये हथियार वापिस आयेंगे और हथियार मंगाने के लिए जो फॉरिन एकस्चेन्ज का सवाल पैदा होता है वह नहीं होगा और लोग अपने देश की सुरक्षा करने के लिये तैयार होंगे। लेकिन बदकिस्मती में ऐसा नहीं होता है और इसी कारण डाके पडते हैं, तस्कर व्यापार होता है, झगडे होते हैं, जानवरों को ले जाते हैं, आदमियों को ले जाते हैं लेकिन उनको रोक नहीं पाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सरहद का मामला है इसलिये इसे सरकार गंभीरता से लेकर इस पर विचार करने की चेष्टा करे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर हमारे पुलिस विभाग, जिसके ऊपर सुरक्षा का सारा दायित्व है, उसमें संतोष है या नहीं ? मैं ऐसा समझता हूं कि आज पुलिस विभाग में कान्स्टेबिल से लेकर डी. आई. जी. हैं उनसे प्राइवेसी में पूछा जाय कि आज पुलिस विभाग की क्या स्थिति है तो सब एक बात कहने में संकोच नहीं करेंगे कि पुलिस विभाग में जबर्दस्त असंतोष है। वह किस बात का है ? आप सिपाही से जाकर पूछें, तो उनमें संतोष है। हैड कान्स्टेबिल्स से जाकर पूछें, तो उनमें असंतोष है। सब-इंसपैक्टर्स से जाकर पूछें तो उनमें असंतोष है। इन्सपैक्टर्स से जाकर पूछें तो उनमें असन्तोष है। डी. आई. जी. से जाकर पूछें तो उनमें असंतोष है। आखिर यह क्या है ? आखिर उनमें असंतोष इस बात का नहीं हो सकता कि जो रिश्वत खाते हैं उसको रोकने की चेष्टा करते हैं। इसके लिये कोई नाराज नहीं हो सकता। इसके लिये कोई सफाई नहीं दे सकता। नाराज

(श्री भैरोंसिंह)

इसलिये होते हैं कि उनके हकों के ऊपर, उनके अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया जाता है। इसके कारण उनमें नाराजी होती है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि सरप्लस डिक्लेयर करने की आज्ञा जारी की, उसकी मंशा यह थी कि जूनियर मोस्ट को सरप्लस डिक्लेयर किया जाय। मैं पूछना चाहूंगा कि पुलिस के कान्स्टेबिल जितने सरप्लस हुए हैं, वे चाहे अजमेर के हों, चाहे जयपुर के हों, चाहे भरतपुर के हों, बीकानेर के हों-- जहां भी पुलिस कांस्टेबिल सरप्लस डिक्लेयर किये हैं, आप लिस्ट को उठा कर देख लें कि सीनीयर-मोस्ट को सरप्लस डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद कोई अजमेर का सिपाही अजमेर में नहीं रह सकता, वह भरतपुर में जायगा। भरतपुर का सिपाही भरतपुर में नहीं रह सकता वह अलवर जायगा। अलवर का सिपाही अलवर में नहीं रह सकता, वह जैसलमेर जायगा। और जैसलमेर का सिपाही जैसलमेर में नहीं रह सकता, वह बीकानेर जायगा। आखिर अल्प-वेतनिक कर्मचारी कहां जायं? जिस पुलिस वेडे की शक्ति के ऊपर, पुलिस वेडे के संगठन के ऊपर प्रान्त की, देश की सुरक्षा के प्रश्न को लेकर चलते हैं, उसमें यदि इस प्रकार का असंतोष हो और असंतोष ही नहीं, आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि जनता की पिटाई की बात तो होती है पुलिस द्वारा लेकिन जयपुर शहर में पुलिस द्वारा पुलिस के सिपाही की पिटाई होती है। एक सिपाही को पीट दिया एक थानेदार ने और उसको छः महीने तक मुअत्तिल रखा, आठ महीने तक मुअत्तिल रखा; लेकिन जिस थानेदार ने उसे पीटा था, उसको प्रमोशन मिल गया। जिस सिपाही को पीटा गया, उसका एक ग्रेड इन्क्रीमेंट रोक दिया गया। एक सिपाही को एक मजिस्ट्रेट ने चपत मार दी जनता के सामने सिर्फ इसलिए कि मजिस्ट्रेट की गाडी रोंग साइड पर खडी थी। सिपाही ने उससे कहा गाडी हटाने को, तो बजाय गाडी हटाने के उसके चपत मारी। मैं पूछना चाहूंगा कि उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ क्या कार्यवाही की? आपने एफ० आई० आर० दर्ज कर दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश नहीं किया।

इसी तरह अभी पांच छः दिन हुए, मैं पांच-बत्ती पर खडा था। मैंने देखा जलमहल के पास भीड हो रही थी। वहां जाकर मालूम हुआ कि एक सिपाही को एक व्यक्ति ने थप्पड मार दिया। उसके बाद केस रजिस्टर हुआ लेकिन जब गिरफ्तार करने लगे आपके फ्लाइंग स्क्वेड वाले, जिसके बाबत आपने कहा था कि जरायम रोकने की व्यवस्था मान कर चलते हैं, वे गये और उन सज्जन को पकडने लगे तो वे नहीं पकड सके। वहां पर इतना झगडा हुआ कि पांच सौ लोग इकठ्ठे हो गये। लेकिन उसे पकड नहीं सके। मैंने पूछा "पकड क्यों नहीं रहे हो?" तो मुझे बताया गया कि जिनको पकडना है, वे मंत्री के रिश्तेदार हैं। मैंने कहा, "आपको सोच समझ कर केस रजिस्टर करना चाहिए। आपने पहले विचार क्यों नहीं किया और अब यह कह रहे हैं।" उन्होंने कहा, "मजबूर हैं, हम क्या करें।" मैं आप को कहना चाहूंगा कि जिन पर आप सबसे बडा भरोसा करके चलते हैं, उनकी यह हालत है।

आपने कभी पुलिस लाइन्स का निरीक्षण किया है? आप जयपुर पुलिस लाइन्स में जाइये आपको पता लगेगा कि वहां पर १०० पुलिस कर्मचारी मुअत्तिल हैं। आप बीकानेर पुलिस लाइन्स में जाइये वहां पर २२ पुलिस कर्मचारी

(श्री भैरोंसिह)

मुअत्तिल हैं। आप जोधपुर पुलिस लाइन्स जाइये आपको पता लगेगा कि १८ आदमी मुअत्तिल पडे हैं। आखिर ये मुअत्तिल क्यों पडे हैं ? आप सिपाहियों को मुअत्तिल करते हैं उनको दंड देते हैं, एक साल का इन्क्रीमेंट रोक देते हैं, सस्पेन्शन के पीरियड की तनख्वाह नहीं मिलती हैं। जिस अल्प-वैतनिक कर्मचारी को साठ रुपये तनख्वाह मिलती है उसको आप मोनीटरी लॉस पहुचाने की कोशिश करते हैं। इस लॉस के घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें जो सिलसिला अख्तियार करना पडता है वह जायज नहीं होता है। आज मिलिटरी में सख्त से सख्त दंड दे दिया जाता है लेकिन किसी को मोनीटरी लॉस नहीं पहुंचाया जाता है। किसी को पन्द्रह दिन की एक्स्ट्रा परेड दे दी, किसी को तीन महीने की दे दी, किसी का कोर्ट मार्शल कर दिया; लेकिन किसी को मोनीटरी लॉस नहीं पहुंचा सकते। लेकिन आज हमारी सरकार इसमें अपनी शोभा समझ कर चलती है। आज कांस्टेबिलों को पब्लिक के सामने पीट दिया जाता है, उनका इन्क्रीमेंट रोक दिया जाता है, उनको मुअत्तिल कर दिया जाता है और मुअत्तिल रहने के समय उसकी तनख्वाह का कोई हिसाब नहीं रहता है और फिर उसका ट्रान्सफर राजनीति के आधार पर कर दिया जाता है– इसका कोई हिसाब नहीं है। यह आपके पुलिस के बेडे की हालत है, जो पुलिस का बडा, जब आपके सामने कोई कठिनाई आती है, तो उस समय दूसरों से लडने को तैयार हो जाता है, उसकी ओर आपका ध्यान नहीं है।

इसके अलावा आर० पी० एस० के पद पर डी० एस० पी० के पद पर एस० आई० का प्रमोशन कर दिया जाता है। उसमें किस का प्रमोशन हो, किसका डिमोशन हो, यह मेरे लिए चिन्ता की बात नहीं है। सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड हैं, सरकार अपने रूप से निर्णय लेती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा एक सीनियोरिटी लिस्ट सर्किल इन्सपेक्टर्स की बनाई हुई है। मैं देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि सर्किल इन्सपेक्टर के प्रमोशन में कितनी ज्यादतियां सरकार ने की हैं; जिसका पचास नम्बर पर नाम है, उसका प्रमोशन हो गया लेकिन जिसका दूसरे नम्बर पर है उसका प्रमोशन नहीं हुआ। जिस आदमी का ३२ नम्बर पर नाम है उसका प्रमोशन हो गया लेकिन जिसका चौथे नम्बर पर नाम है उसका प्रमोशन नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी इस बात को समझ लें कि राजस्थान के अन्दर सर्विसेज को कन्डक्ट करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान सर्विस रूल्स बना रखे हैं। अगर कोई आदमी काम-काज में गफलत करता है तो उसके आधार पर उसको दंड दिया जाता है। लेकिन पुलिस विभाग ने इन कानूनों को उठा कर ताक में रख दिया है और एक आदमी को कन्फर्म करने के बाद उसको डी-कन्फर्म कर दिया जाता है। यह कौनसा कायदा है ? अगर किसी को कोई चार्ज-शीट देनी है तो उसको पहले चार्ज-शीट दीजिये और अगर फिर चार्ज लेबल होते हैं तो सजा दीजिये। लेकिन सीधे डी-कन्फर्म करते हैं। इसी प्रकार लोगों का डिमोशन किया है उसके बारे में जानकारी मिली है कि ४७ में जो डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट की पोस्ट पर काम कर रहे थे, ५१ में जो डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट के पद पर काम कर रहे थे उनका ६३ में आपने डिमोशन कर दिया है। क्या और जगह उनको उनकी ग्रेड में इनवेट किया गया है ? आप उनकी सर्विस बुक्स उठा कर देखें, उनकी सर्विस बुक्स में बढ़िया एन्ट्री २०० हैं और पांच छः बेड एन्ट्रीज

Page No 44

(श्री भैरोंसिंह)

हैं। इसके अलावा आपके राज्य में सर्विस शीट्स को फाड कर फेंक दिया जाता है। आज इस डेमोक्रेसी में सर्विस बुक्स में से कागज निकाल दें (शेम, शेम) उसकी चिन्ता आपको नहीं है। अभी भरतपुर में कान्स्टेबिल्स हैड कान्स्टेबिल्स को प्रमोशन देने का सवाल आया। उस सम्बन्ध में एक कमेटी बना कर सिलेक्शन हुआ। उस कमेटी में आई० जी० पी० को नियुक्त कर दिया, और एस० पी० को नियुक्त कर दिया। उसमें पेपर आउट कर दिये गये। जो पास हो गये थे उनको फैल कर दिया और जो फैल हो गये थे उनको पास कर दिया गया। अपने अपने लोगों को कमेटी में शामिल करके पुलिस के लोगों का प्रमोशन किया गया। ये करते कौन हैं? वे ही अधिकारी ज्यादतियाँ करते हैं। एक एस० पी०, जिनके खिलाफ होम मिनिस्टर की ताकत नहीं कि कोई ऐक्शन ले लें, वह एस० पी० जिनको मैंने रेड हैन्डेड गिरफ्तार कराया, जो पैट्रोल की चोरी करते हैं, वर्क शॉप और मोटर ट्रैफिक एक्ट के अनुसार टैक्स की चोरी करते हैं, पंजाब के कस्टम के केसेज हैं उनके खिलाफ किन्तु आप कोई एक्शन नहीं लेते; जिस आदमी ने इस प्रकार के सभी केसेज को फाइल किया, जिसके खिलाफ विधान सभा में प्रश्न उठाया गया था—भूतपूर्व मंत्री द्वारा उसका ट्रान्सफर किया गया था और कहा गया था, इम्मोरल ट्रैफिक को रोका जावे। आप देखेंगे कि जिसने उसका विरोध किया उसके खिलाफ डाके और चोरी का और वह भी नाई महिला के यहां का केस रजिस्टर किया। अध्यक्ष महोदय, जिसने झूठे केसेज लोगों पर किये उसको भरतपुर की कोतवाली का इन्चार्ज आपने बनाया। यह वही बन्धु हैं जिन्होंने पत्रकार का चालान ११० में किया। मैं आपको ११० के बारे में विशेष नहीं बताता। मैं एक एक बात कहूंगा और होम मिनिस्टर से कहूंगा कि कोर्ट से जो उसकी चार्ज शीट दी वह पढने लायक है।

हमलावर होकर उनके कार्य में बाधा पहुंचाने और अपने हमले के भय से अपने अनुकूल न्याय को करने—आप अपनी पुलिस और जुडिशियरी को देखें। पुलिस यह लिखती है कि जुडिशियरी गुन्डों के प्रभाव में आती है और अनुचित कार्य करती है। उस पत्रकार के लिये मैं इतना ही कहूंगा कि उसे इसलिये गिरफ्तार किया कि उसने इलेक्शन में पब्लिक के सामने पुलिस की सारी पोलों को रखा। पुलिस वाले उससे परेशान थे और किसी न किसी तरह उसको फंसाना चाहते थे। सब यही चाहते थे कि उसकी ताकत को किस तरह से कम किया जाए। इसलिये झूठा मुकदमा चलाया। आज आवश्यकता तो यह थी कि भरतपुर के एस. पी. के खिलाफ कार्यवाही की जाती। पंजाब के कस्टम के केसेज की जांच सरकार कराती। नौकरियों में फर्जी सर्टीफिकेट दे दे और उसके बाद में सरकार के सामने तथ्य आयें या कोई घटना हो जावे तो उसकी कोई जांच और सुनवाई नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में अजमेर में कुछ घटनाएं हुई हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो घटना हुई वह कोई मामूली नहीं। एक व्यापारी का काला मुंह करके सरे बाजार

(श्री भैरोंसिंह)

निकाला गया। डायरियों में रिश्वत और चोरी के हिसाब लिखे थे जो विधान सभा में पेश की गई, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। विधान सभा में तो माननीय गृह मंत्रीजी ने उस बात की सत्यता को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया लेकिन जिस समय पुलिस के ऑफिसर्स की मीटिंग जयपुर में हुई तो माननीय गृह मंत्रीजी ने यह कहा कि हमने विधान सभा में तो इस बात से इन्कार कर दिया था कि यह बात सही नहीं है, लेकिन वास्तव में यह बात तो सही है। पुलिस ऑफिसर्स के सामने तो बात सही हो जाती है और विधान सभा में वही बात गलत हो जाती है। पुलिस ने ज्यादती की उसका भी जिक्र नहीं है पर कल की एक बात का जिक्र करूंगा कि एक साल पहले एक नर्स और नाइयों की लड़की के साथ, अजमेर से कुछ (२६) मील पर नाइयों के घर हैं उसमें उनको नंगा करके नाच कराया गया। किसने? होम मिनिस्टर ने नहीं, चीफ मिनिस्टर ने नहीं, राजस्थान के बड़े बड़े ऑफिसरों ने कराया। पुलिस में होम सेक्रेटरी के पी. ए. और तीन डिप्टी सुपरिंटेन्डेन्ट थे। जब उस मसले को उठाया गया तो उस समय उनको मुअत्तिल कर दिया। मगर बाद में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई और उनको री-इन्सटेट कर दिया गया। किसलिये कर दिया गया? इसलिये कि चीफ मिनिस्टर को वोटों की आवश्यकता थी। एक वोट के लिए ८ बलात्कार। मैं यह कहूंगा कि राजाओं के जमाने में भी बलात्कार करने और कत्ल करने की छूट नहीं दी गई थी। एक एक वोट के लिये माननीय मंत्री ८, ८ बलात्कारों की छूट देते हैं। फिर कहते हैं कि हम राज्य करते हैं।

नानकचन्द को गिरफ्तार करके रख दिया इसलिये कि वह पुलिस की पोलों को अखबार में निकालता था। आप उसको डिफेन्स आफ इन्डिया एक्ट में रख सकते हैं। माननीय मंत्री को मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जनसंघ का कोई भी कार्यकर्ता इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा। यह सरकार की बुर्जुआई का नमूना है। आप कहते हैं कि पुलिस के मामलों में हस्तक्षेप करता था। मैं कहूंगा, करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, निश्चित तौर से कहेंगे क्योंकि आप जनता के साथ और जनसंघियों के साथ अन्याय करते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार कहा है। आपको यह कहें कि उनको आपने बरी क्यों कर दिया जिनको आपने सस्पेन्ड किया था तो आप कहेंगे कि इस प्रकार का नियम है कि दो साल से ज्यादा किसी को सस्पेन्ड नहीं रखा जा सकता। लेकिन मैं यह कहूंगा कि उनको तो ८ महीने ही हुए थे। फिर यह सारी हरकत क्यों हुई?

अध्यक्ष महोदय, किशनगढ में पिछले दिनों में एक वकील साहब के यहां अफीम पकडी गई और एक रिवाल्वर पकडा गया। अगर आज पुलिस से कोई पूछे कि उन केसेज का क्या हो रहा है तो पुलिस यही कहेगी कि जांच हो रही है। कब से जांच हो रही है, ८ महीने उस बात को हो गये अभी तक जांच हो रही है? किस बात की जांच हो रही है जब कि उसके कब्जे से रिवाल्वर व अफीम बरामद हुआ। जांच करनी है इस बात की कि उसके सूटकेस में से एक पत्र मिला। जिस पत्र में किसी एक व्यक्ति ने लिखा था कि जो फलां तारीख को डाका डाल कर कत्ल किया गया था उसके पैसे मिलने चाहिये, वह पैसे नहीं मिले। वह वकील के पास

(श्री भैरोंसिंह)

पाया गया । उस पत्र के बारे में कत्ल का इन्वेस्टीगेशन होना चाहिये, उसको क्यों छिपाते हो ? मैं यह कहूंगा कि वह पत्र अब गायब हो चुका है । उसको दूसरे पत्र के जरिये रिप्लेस किया गया है । वह पत्र गया, उसकी आप जांच नहीं करते । समझ में नहीं आता कि क्यों ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं पांच मिनट और बोलूंगा ।

हमारी सरकार ने कुछ दिनों पहले कुछ पेट्रोल जेनरेटर्स खरीदे थे । जो १९६० में ७० रुपये में आते थे वे आज ३५० रुपये ७० नये पैसे में खरीदे । वे एक लाख ६० हजार के खरीदे । जिस समय एक्सेस डिमान्ड का प्रश्न आता है उस समय उसको पास करना पडता है । सरकार क्या करती है, ? वह कहती है कि एस. पी. ने आर्डर दिया । मैं यह कहूंगा कि एक एस. पी. को इतनी बडी रकम का आॅर्डर प्लेस करने का अधिकार नहीं था । होम मिनिस्टर और फाइनेन्स मिनिस्टर को भी पांच हजार से ज्यादा के आॅर्डर देने का अधिकार नहीं है । फाइनेन्स को रेफर करना पडता है और एक लाख ६० हजार का आॅर्डर आपके एस. पी. ने कर दिया, वह क्यों ? मैं यह कहूंगा कि आज तक भी उस खरीद के बारे में सरकार से स्वीकृति नहीं ली गई है । क्या एस. पी. को अधिकार था ? एस. पी. तो मैं समझता हूं कि १०० रु० से ज्यादा की खरीददारी नहीं कर सकता । उसको उससे ज्यादा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसने एक लाख ६० हजार की खरीद की । फिर भी आप उसको बचाना चाहते हैं, तो आप बचावें । अगर कोई हैड कान्स्टेबिल चार आने के बजाय ८ आने की पेंसिल की खरीद करे तो उसको मौकूफ किया जा सकता है मगर आपका एक एस. पी. जिसको एक लाख ६० हजार के पेट्रोल जेनरेटर खरीदने का अधिकार नहीं होते हुए भी खरीदता है और वह भी ७० रुपये की चीज को ३५० रुपये में खरीदता है उसके खिलाफ सरकार आज क्या कार्यवाही कर रही है ?

आज हमारी सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि आर. ए. सी. के लिये चीजों की जरूरत है उसकी बढोतरी की जा रही है । हमें कहते हैं कि अच्छे अच्छे वायरलेस सैट्स और वेगन्स लाने हैं इसलिये एक लाख ५ हजार का एडजस्टमेंट किया जाता है । अगर कोई गडबडी करें और उनके खिलाफ आप कोई एक्शन न लें तो मैं समझता हूं कि यह कोई उचित बात नहीं है ।

आखिर में मैं एक खास बात सदन की जानकारी के लिये रख देना चाहता हूं.....

श्री मानकचन्द सुराणा (कोलायत) : Point of order, Sir अध्यक्ष महोदय, अलग अलग पार्टीज के लिये समय आपके द्वारा निर्धारित किया जा चुका है ।

(एक माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

श्री मानकचन्द सुराणा : आप इसको व्यक्तिगत न समझें, मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं । यदि आप किसी का समय बढावें तो यह समय दूसरी पार्टी के समय में से कम नहीं किया जावे और चार बजे के बाद में भी कार्य किया जावे । आप इस संबंध में व्यवस्था करें ।

Page No 47

श्री अध्यक्ष : उसी अनुपात में दूसरी पार्टी का समय बढा दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह :—मैं एक छोटा सा निवेदन कर देना चाहता हूं। मैं सदन में कह चुका हूं कि पुलिस, डाक्टर और मजिस्ट्रेट मिल कर मर्डर को छिपाते हैं, सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। १९५६ में इसी विधान सभा में, नहीं १९५४ में मैंने एक मामला इस सदन में उठाया था कि खेतडी के थाने में एक राजपूत थानेदार ने जंगले के अन्दर हत्या कर दी। इस पर सरकार ने पोस्ट मॉर्टम की रिपोर्ट पेश की। मैंने कहा था कि पोस्टमॉर्टम-रिपोर्ट गलत है, इसकी हत्या की गई है, उसके गुप्तांगों को बांध कर जंगले में लटका दिया गया और उसकी हत्या थानेदार ने की है। पर अब वह मामला सामने आया है। १९५६ में प्रेस्क्रिप्शन गायब होने पर वहां कम्पाउन्डर को सस्पेन्ड कर दिया। डी.एम.एच.ओ. ने इन्क्वायरी की और उस इन्क्वायरी के सिलसिले में रेकॉर्ड से यह साबित होता है कि उस राजपूत को हॉस्पिटल में भर्ती किया यह गलत है, उसे बैड दिया गया यह गलत है, इलाज हॉस्पिटल में कराया गया यह गलत है। न उसका हॉस्पिटल में इलाज हुआ, न डाक्टर ने दवा दी। उसको थाने में मार दिया गया व डाक्टर से मिल कर यह रिपोर्ट करवा दी। यह देखना चाहें तो डाक्टर की रिपोर्ट मेरे पास है। चार जगह उसमें लिखा हुआ है, न उसे दवा दी गई, न हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कारण दिया गया है, गलत है, पर दोनों डिपार्टमेंट उस रिपोर्ट पर हाथ दिये बैठे हैं, न होम डिपार्टमेंट इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कराता है और न मेडिकल विभाग गलत रिपोर्ट देने वाले के खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है।

जेल विभाग के बारे में मैं निवेदन करूं, वहां आफिसर्स की सर्विस शीट्स सुरक्षित नहीं हैं। वहां सर्विस शीट्स में मेट्रिक्यूलेट के सर्टिफिकेट बदले हैं। नाम अगर जानना चाहें तो मैं नाम बताने को तैयार हूं। गंगा प्रसाद सुपरिन्टेन्डेन्ट जोधपुर और दूसरे हैं कमलाराय माथुर, जयपुर, इनके मेट्रिक के सर्टिफिकेट को मालूम करें तो असलियत का पता चले।

तो इस बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस का बजट बढायें, इसमें आपत्ति नहीं, पर इस बात को हमें जरूर बता दें कि जो कुछ कर रहे हैं उससे जनता को न्याय मिलता है, जनता की सुरक्षा होती है? मैं यह नहीं कहता कि सारा पुलिस का बेडा ही खराब है, मेरी मंशा सारे पुलिस के बेडे को कन्डैम करने की नहीं। इसमें अच्छे भी हैं जिन्होंने अच्छे काम किये हैं। जिन्होंने अच्छे काम किये हैं उन्हें प्रमोशन्स दीजिये, इनाम दीजिये, उनकी सर्विसेज को एप्रीशियट कीजिये। पर उन लोगों की अच्छी सर्विसेज की बात रख कर पूरे बेडे में यह कह कर सरकार बचना चाहे कि कोई दोषी नहीं है, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं, हर मामले पर चैलेंज स्वीकार करें। रिश्वत के मामले पर चुनौती स्वीकार करें, सारे वर्किंग के बारे में चुनौती स्वीकार करें, डाकुओं से मिलने के बारे में चुनौती स्वीकार करें, जो पुलिस में परचेजेज होती हैं, उनके बारे में चुनौती स्वीकार करें, मैं प्रमाण सहित सबूत देने को तैयार हूं कि सब जगह घोटाले होते हैं। इनको आप रोकेंगे तो जनता में पुलिस के प्रति विश्वास होगा

Page No 48

(श्री भैरोंसिह)
और जनता का पुलिस में विश्वास होगा तो इसका नतीजा यह होगा कि क्राइम्स घटेंगे। आज वह सहयोग नहीं है, वह सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से आवश्यक है कि पुलिस के बेडे को सुधारें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यही कह कर मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरली धर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष, पुलीस का बजट और डिमान्ड रखी गई है, इसके सम्बन्ध में मैं जहां तक समझता हूं, यह बजट एक सुरक्षा का बजट है और सुरक्षा के मामले में जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा, मैं इस बजट का, डिमान्ड का वैसे विरोध नहीं करता। कैसी भी स्थिति आज तक रही हो और बजट जो २ करोड से ६ करोड तक पहुंचा है, उस समय की परिस्थितियां और रही हैं पर आज जिन परिस्थितियों में बजट है, इस सम्बन्ध में ६ करोड की डिमान्ड रखी है, उसका वैसे तो विरोध नहीं करता पर इस ओर ध्यान दिलाता हूं कि सुरक्षा के मामले को लेकर पुलिस बजट में वढोतरी करते हैं. तो वहां कौन कौन से जायज कदम उठाते हैं, और क्या कामयाबी मिली है, इसको पूछना हमारा पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है। आज अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हैं कि यदि कहीं किसी सीमा पर झगडा पैदा हो, कहीं किसी प्रकार का तनाव पैदा हो जाय तो सीमा सम्बन्धी मामलों में हमने कितनी तैयारियां की हैं, इसको हमें देखना होगा। जहां तक सीमा का सवाल है, इस बजट में बुनियादी बात पर विचार करना चाहिये कि राजस्थान को तैयार करने के लिये कितना कितना रुपया किस किस मद में खर्च कर रहे हैं। सुरक्षा के साथ ही हमें यह ख्याल रखना है कि एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में खर्चा होता है, उसने कितनी कायमाबी हासिल की है, कितने गबन के केस पकडे हैं, कितने तस्कर व्यापारियों को पकडा? यह पैसा लगा कर कहां तक सुधार किया? तीसरी बडी बात यह है कि सीमा पर होने वाले तस्कर व्यापार और सी.आई.डी. की हलचलें हो रही हैं, इन दोनों कामों पर सरकार को ध्यान देना है। गबन और भ्रष्टाचार के मामलों में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, जनलेखा समिति की रिपोर्ट कहती है कि पुलिस विभाग के गबन के मामलों की संख्या ७०० और भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या ५०० पहुंच गई है,। पुलिस में ७०० मामले गबन के हों तो यह बडी शर्म की बात है। जो विभाग इस तरह के अपराधों की रोक थाम के लिये रखा गया है उसमें ही जब इतने मामले गबन के और भ्रष्टाचार के होते हैं तो यह तो बडी दयनीय स्थिति है, दूसरों का क्या सुधार करेंगे? तो सबसे पहले इस विभाग को सुधारना चाहिये।

दूसरे, सी. आई. डी. (विभाग) है, इसके समबन्ध में अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार को काफी सर्तक रहना चाहिये। अभी चीन से युद्ध हुआ तो उसमें सी.आई.डी. (विभाग) की खामियों की वजह से बहुत कुछ नुकसान हमने उठाया। तो इस सम्बन्ध में सरकार को सर्तक रहना चाहिये। आज

(श्री मुरलीधर व्यास)
हमारे बोर्डर पर न मालूम कितने काम हो रहे हैं। कुछ दिनों के लिये लोग पास-पोर्ट ले कर आते हैं, और मयाद बढवा लेते हैं। उनकी किस किस तरह की सी.आई.डी की कार्यवाहियां सीमा पर होती हैं, इस सम्बन्ध में सरकार को पूरा सतर्क रहना चाहिये।

उस रोज मैंने एक मामला सदन के सामने रखा तो मन्त्री महोदय ने कहा कि उसके खिलाफ वारन्ट नहीं था, मुझे खुशी है कि वह आदमी गिरफ्तार हो गया है....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : मैंने यह कहा था कि वह आदमी सदन के एक माननीय सदस्य की मार्फत पास ले कर विजिटर्स गैलेरी में आया था। आपने कहा था कि वारन्ट है और यहां बैठा है तो मैंने जांच की तो पता चला कि उस वक्त जब यहां बैठा था उसके खिलाफ कोई वारन्ट नहीं था और न उसे अरेस्ट करने की बात सोचते थे। यहां से जाने के बाद वह क्यों पकडा गया यह अलग बात है।

श्री मुरलीधर व्यास : उसी दिन गिरफ्तार हुआ।

श्री मथुरादास माथुर : उसी दिन नहीं हुआ, दूसरे केस में उसके खिलाफ स्मगलिंग में गवाह ने बयान दिये उसमें वह गिरफ्तार हुआ। चार दिन बाद गिरफ्तार हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास : खैर, इस बात को जाने दें। सी.आई.डी और तस्करियों का वहां बडी तादाद में जाल बिछा हुआ है। १६ तारीख का मामला है, बीकानेर में कुछ नगीने पकडे गये, नगीने जयपुर से गये थे, जयपुर से टिकट था, उन्हें पुलिस की सी.आई.डी ने पकडा। फौरन डी. एस. पी., गंगानगर तक सूचना दी गई तो ५ जगह पकडा; बीकानेर, लालगढ, जामसर और सूरतगढ में पकडा गया। तो अन्दाज लगाइये कि लाखों रुपयों का नगीना जयपुर से पाकिस्तान ले जायं और यदि सी.आई. डी. विभाग जागरुक रहा तो इतनी दूर कैसे निकल गये? रिपोर्ट ऐसी है कि वे पाकिस्तान से पन्ना लाते हैं और जयपुर में पन्ना देकर यहां से नगीने ले जाते हैं।....

श्री मथुरादास माथुर : इस केस को पकडा किसने था? पुलिस की सी.आई. डी. ने पकडा?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां जयपुर में पन्ना लाते हैं और जयपुर से नगीने ले जाते हैं। तो इतने नगीने पकडे। पहले हम सोने के बारे में कहते थे तो सोने के बारे में तो कह दिया कि १४ केरेट का गोल्ड इस्तेमाल किया जायगा। तो उससे कम से कम यह तस्कर और सोने का भाव तो कम हुआ। हीरे, पन्ने में भी कई तस्करी-काम हो रहे हैं। यह दूसरा तस्कर चल रहा है। बिना पास-पोर्ट के लोग चले आते हैं, जाते हैं, पकडे गये हैं। तो अन्दाज लगाइये कि कितनी फौज की फौज में ये तस्कर व्यापारी चलते हैं जिनके पास से लाखों रुपये के नगीने पकडे गये। ये तस्कर के मामले जितने हुए हैं, मांजी खा का मैंने उल्लेख किया था, दूसरे लोग भी बीकानेर के पकडे गये, साल डेढ साल पहले मैंने बताया था कि इनके जरिये तस्करी चलती है। ये आदमी वे ही हैं जिनके मैंने फोटो सदन में पेश किये थे। ये तस्करी करते हैं। अनोपचंद, सज्जन

Page No 50

(श्री मुरलीधर व्यास)
सिंह, सिकन्दर-यह उस फोटो में मौजूद हैं। मैं आपका ध्यान बार-बार खींचता रहा

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): आगे भी ध्यान खींचते रहें।

श्री मुरलीधर व्यास: तस्करी के मामले में अर्ज करना चाहता हूं कि सीमा पर बहुत बडा भारी समुदाय काम कर रहा है। उसमें सरकारी आदमी भी हैं। दूसरे राजनैतिक आदमी हैं, कार्यकर्ता हैं और तीसरे डाकुओं से सम्बन्ध रखने वाले भी लोग हैं। यदि आप अपने विभाग को ठीक नहीं समझते तो केन्द्रीय सरकार से उनके विभाग को अपोइन्ट करवा लीजिये इसके लिये, तो आपको मालूम पडेगा कि कितनी तस्करी हुई है, कितने डाके हुये हैं और दूसरी घटनायें हुई हैं-उनमें ये मिले हुये थे। उसको दूर करने के लिये सक्रिय कदम उठाने पडेंगे। सक्रिय कदम वह नहीं होगा कि ये तो हमारे आदमी हैं, हमारी जमात में बैठे हुए हैं। जमात कोई भी हो, कोई भी आदमी जमात का हो, वह देश से बडा नहीं है। देश के लिये अपनी भूमि और अपना देश बडा है-इस दृष्टिकोण से आपको देखना चाहिये।

अभी अभी हमारे यहां से दो आदमी गिरफ्तार हुए। दो आदमी उडाये गये। मैंने एडजोर्नमेन्ट मोशन भी रखा था। मैं उसके बारे में अधिक नहीं कह रहा हूं सिर्फ यही बता रहा हूं कि भूरसिंह और धन्नेसिंह नाम के आदमी पाकिस्तान में किडनेप किये गये या किसी तरह ले जाये गये, आप जांच करियें। लेकिन भूरसिंह, धन्नेसिंह जो किडनेप किये गये हैं, डी०आई०जी०पी० राजस्थान के रिश्तेदार हैं। भूरसिंह की लडकी का संबंध डी०आई०जी०पी० से हुआ है। रिकार्ड उनका क्या रहा है यह भी देख लीजिये। तस्करी के अन्दर इनका हाथ रहा है या नहीं? सीमा के मामले को लेकर माणिक्यलाल जी वर्मा और जयनारायणजी व्यास ने खुले रूप में कहा है कि खुले रूप में जो तस्करी और भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको सख्ती से रोकना चाहिये। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनमें विलम्ब किया जाय। चाहे डी०आई०जी० से संबंध हो। हमारे भी बहुत से आदमी पाकिस्तान की सीमा में घर लिये जाते हैं। किन कारणों से गये हैं, छानबीन होनी चाहिये।

इसके साथ-साथ अर्ज करना चाहता हूं कि डाकुओं से संबंध के बारे में। किन-किन लोगों का संबंध है डाकुओं से, यही अनूपचंद जिसको गिरफ्तार किया गया है, एक ऐसा पत्र मिला है, पाकिस्तान से पत्र लिखा गया है, उदयपुर में भी एक आदमी जो जेल में है, उसको यह पत्र लिखा गया है, तुम्हारे लिये अनूपचंद को पैसा दे दिया, छुडाया क्यों नहीं, तुम्हारा पैसा क्यों नहीं पटाया गया। इससे पता लगता है कि तस्करी में जो लोग पकडे गये हैं उनको भी छुडाने की बात करते हैं। इस प्रकार का वातावरण सीमा में छाया हुआ है इसको दूर करने के लिये सख्त से सख्त कदम उठाये जाने चाहिये और भ्रष्टाचार के जितने मामले विभाग के पास आते हैं उनको दबाने की या रोक कर रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। गंगानगर में ऐसा मामला पकडा गया उस वक्त खुद डी० एस० पी० ने उस मामले को रोका कि कार्यवाही होनी चाहिये। दूसरे डी० एस० पी० वहां गये, भ्रष्टाचार के मामले को लिखकर हटाया। एक डी० एस० पी० चाहता है और दूसरा हटा लेता है। एंटी-करप्शन

(श्री मुरलीधर व्यास)

विभाग इसलिये तो नहीं है । एक मामला है रामकिशोर मिर्धा । डी० एस० पी० ने ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के मामले में इनके संबंध में घूस लेने के लिये मामला दर्ज किया था । मामला दर्ज हुआ । डी० एस०-पी० गये । उसने उसको ले लिया । इस प्रकार हमारे बीकानेर में कोई डाक्टर हैं टन्डन । मरीजों से घूस के रूप में पैसा लिया । मामला डी० एस० पी० ने दर्ज किया । यहां पर कोई मेहता हैं । होम मिनिस्टर के मकान के पास रहते हैं । फोन से बातचीत की, इसको पकड़ा है, हटा सकते हैं या नहीं - जांच तो आप करें इसकी ....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : डा० टन्डन जो डेन्टिस्ट हैं वे ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां । जो डेन्टिस्ट हैं वे । ६-७ वर्ष पहले दो मामले नमक के प्लॉट्स के संबंध में रखे थे । गोविन्द नारायण माथुर जिन्होंने गलत तरीके से नमक के प्लॉट्स दिये थे, पांच-सात साल हो गये लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं होता है कि उन्होंने गलत तरीके से प्लॉट नमक के दिये या नहीं या घोटाला किया या नहीं ।

डी. एस. पी. मानसिंह, बीकानेर के अन्दर पुलिस की निगरानी में बाक्स रखा गया उसमें से ५८,००) रुपये पार हो गये । उसके मोहर लगी हुई थी । जब मोहर खोली तो जेवरात तो मिल गये लेकिन उसमें से नकदी ५,८००) और कितने रुपये थे वे नहीं मिले । पेटी खुद मानसिंह ले गये थे । मजिस्ट्रेट के सामने पेटी खोली तो ५,८००) रुपये गायब थे । पांच-पांच हजार रुपया पुलिस की कस्टडी से गायब हो जाय, पुलिस की निगरानी में पेटी रहे, आप कार्यवाही न करें तो नतीजा बुरा निकलता जावेगा । इसलिये अर्ज करना चाहता हूं कि सीमा के मामले में तीन चीजों की तैयारी करनी चाहिये । कोई तस्करी करता हो, चाहे वह किसी दल का हो, उसके खिलाफ फौरन कार्यवाही होनी चाहिये । गबन और घोटाले के पुलिस में भी केसेज होते हैं उनके खिलाफ शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये । सीमा पर सी. आई. डी. को मजबूत करना चाहिये । अभी मैंने सुना है कि बाडमेर में एक तस्करी मामला पकडा डी. एस. पी. ने । उसका इसीलिए वहां से तबादला किया जाता है कि वह तस्करी के मामलों को पकडता है । मैंने जैसा सुना है डी. एस. पी. बाडमेर को इसीलिये हटाया गया कि तस्करी के मामले को पकडा ।

मेरी यह अर्ज है कि इन सब मामलों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो देश के लिए बहुत उत्तम होगा । हम इसका स्वागत करेंगे ।

श्री किशनसिंह बाटड (लक्ष्मणगढ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १२ के बारे में चर्चा चल रही है उस पर बोलते हुए पुलिस के भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा आयी । भ्रष्टाचार है यह तो वे मानेंगे । पिछले साल भ्रष्टाचार था; १५ वर्ष पहले जितना था उसमें कमी जरूर आयी है, यह मानते हुए भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त करें, ऐसी बात नहीं है ।

पिछले साल हमारे सीकर जिले में जाली सर्टिफिकेट का मामला पकडा गया था, जिसमें जांच हुई थी और कर्मचारी गिर-

(श्री किशनसिंह बाटड)

फ्तार भी हुआ था। जाली सर्टिफिकेट बांटे गये उसमें मैंट्रिक, इन्टर, बी. ए. के सर्टीफिकेट थे। जिसको पकडा गया उसकी जमानत हुई। जिस थानेदार के पास वह केस था उससे बदल कर दूसरे को दे दिया गया। दूसरे थानेदार ने उसका क्या किया, उस मामले का क्या हुआ, आज तक किसी को पता नहीं...

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): यह मामला कहां का है ?

श्री किशनसिंह बाटड: लक्ष्मणगढ जिले का है जो शिक्षा विभाग से संबंधित है कि वहां मैट्रिक, इन्टर, बी. ए. के जाली सर्टिफिकेट बनाकर बांटे गये थे और इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। उनका अब तक क्या हुआ यह भी पता नहीं।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय सदस्य यह बतायेंगे कि लक्ष्मणगढ पुलिस स्टेशन पर जांच कौन करता रहा है ?

श्री किशनसिंह बाटड: लक्ष्मणगढ का थानेदार जांच कर रहा था।

दूसरे बीजपुरा के लोगों ने शिकायत की थी कि वहां का जो थानेदार है वह बहुत गडबड करता है, लोगों के घरों में बड जाता है। बीजपुरा के लोगों ने एस. पी. को कहा कि थानेदार इस घर में मौजूद है, शराब पीये पडा हुआ है। उस पर एस. पी. ने उसको मुअत्तिल कर दिया लेकिन बाद में फिर उसको बहाल कर दिया गया।

श्री मथुरादास माथुर: कहां का ?

श्री किशनसिंह बाटड: नेचुआ का। वह शराब पीकर किसी के घर में घुसा हुआ था और वह बातें तो मैं यहां नहीं कहूं तो ही अच्छा है। एक औरत के मरने की रिपोर्ट की गई, वह औरत मरी हुई पायी गई। उसका पोस्ट-मार्टम नहीं कराया वगैर पोस्ट मार्टम के ही उस लाश को जला दिया गया। वहां के थानेदार की बदली कर दी गई। वहां उसकी जांच का क्या हुआ यह किसी को खबर नहीं। ये बातें आपके पहले की हैं...

श्री मथुरादास माथुर: आखिर है तो पुलिस विभाग की उसका जवाब भी मुझे ही देना है।

श्री किशनसिंह बाटड: मैं अर्ज करूं, करप्शन होता है, उस करप्शन में आपके पुलिस विभाग के लोग भी शामिल होते हैं। उसके लिये आपके जांच का क्या परिणाम है। अगर कोई थानेदार घूंस नहीं ले तो उसका रहना मुश्किल हो जाय। किसी जिले में २० थानेदार हैं और उनमें १६ रिश्वत लेते हैं और एक नहीं लेता है तो उस बापडे एक की क्या दशा होती है, वही जानता है। आपके एस. पी. मुआयना करने जाता है। वह थानेदार के यहां ही मेहमान रहता है, थानेदार के घर पर ही खाना खाता है तो वह खिलाता है, उसकी आवभगत करता है। तो घर से खर्च थोडे ही करता है, वह इधर उधर लेकर ही इन्तजाम करता है। जो थानेदार घूंस नहीं लेता है उसकी मुसीबत है। फतेहपुर के सी. आई. की रिपोर्ट मंगा लीजिये और मुझे पेश कर लीजिये कि यह बातें सत्य हैं या नहीं। एन्टी-करप्शन में यही बातें हो रही हैं। आप इसके लिये एक ही बात सोच लीजिये कि इस आदमी ने चार वर्ष से, पांच वर्ष से या दस वर्ष से किसी प्रकार की घूंस नहीं ली है तो उसको आप प्रमोशन

(श्री किशनसिंह बाटड)

देंगे। उसको आगे एस. पी. या ऊपर का अधिकारी बना कर प्रमोशन देंगे तो उसको काम करने में उत्साह मिलेगा। जो घूंस लेता है वह एस. पी. साहब को भी राजी रख लेगा और ऊपर के अधिकारी को भी राजी रख लेगा। उनको खुद को घूंस खिला देंगे, लड़कों को खिला देंगे। इस तरह से घूंस खाने वाले ही आगे बढेंगे। जो घूंस नहीं खाते हैं वे बेचारे परेशान होकर आखिर पुलिस विभाग को छोड कर चले जाते हैं। और प्रमोशन भी उन्हीं को मिलता है जो घूंस खाते हैं।

इसके अलावा सीकर ठिकाने के जो पुलिस के आदमी थे उनको अभी तक प्रमोशन नहीं मिला। जो ठिकाने की पुलिस थी उसमें कांस्टेबिल, हैड कांस्टेबिल भी थे उनका कोई कहने वाला नहीं। क्योंकि उनके पास जरिया नहीं। कई तो ऐसे आदमी हैं जो काफी होशियार हैं, समझदार हैं, ऐसे हैं जिन्होंने थानेदारों की भरती कराई है और थानेदारों को शिक्षा दी है। उनके पास रहे हुए एस. पी. हो गये लेकिन वे बेचारे वहीं पर बैठे हैं। यदि उनको क्राइम्स में काम करने का मौका मिले तो वे आपके अच्छे अच्छे थानेदारों से आगे बाजी ले जायेंगे।

अभी अभी आपको बताया गया था बन्दूकों के लाइसैन्स के बारे में। टोपीदार जो बन्दूक हैं वह लाठी के बराबर है। लाठी का लाइसैन्स लिया जाय तो टोपीदार बन्दूक का भी लिया जाय। बन्दूक भर कर पटाखा लगाने में जितनी देर लगती है उतनी देर में तो लाठीसे दस बारह आदमियों को भगाया जा सकता है। उस बन्दूक से तो लाठी ही अच्छी गिनी जाती है। उसके लाइसैन्स के लिये लोगों को दस दस कोस चलकर आना पडता है और आकर उसी रोज लाइसैन्स नहीं बन जाता। एक दो रोज इन्तजार करना पडता है इस तरह से फिजूल बेचारे लोगों को चक्कर कटवाया जाता है। आखिर इन लाइसैन्स से अर्थ क्या? टोपीदार बन्दूक के लाइसैन्स से जनता को क्या फायदा? लाइसैन्स रखिये तो रिवाल्वर का रखिये और दूसरे प्रकार के हथियार हैं उनका रखिये।

भोत पंचायत है वहां की ग्राम पंचायत ने पिछली साल रिपोर्ट की थी कि एन्टी-करप्शन विभाग से जांच कराई जाय उसका क्या हुआ, वह किसी को पता नहीं।

अभी कुछ दिनों पहले फिर रिपोर्ट मेरे पास आई। एक पिपलदा गांव है वहां पर पहाडपुर के एक आदमी को मोटर से कुचल कर मार दिया। रिपोर्ट पुलिस में दर्ज है लेकिन अभी तक पता नहीं, सही बात क्या है। आदमी वहीं मर गया और यह सही बात है कि मोटर वाला मार गया। यह केस भी यों ही दबा पडा है।

रसीदपुरा में एक कर्मचारी द्वारा मोर मारा गया बन्दूक से। दो तीन महिने हो गये इस चीज को लेकिन इसके लिये कोई जांच नहीं हुई। मोर जब कि राष्ट्रीय पक्षी है। उस राष्ट्रीय पक्षी को मारा गया लेकिन अब तक जांच नहीं हुई।

इसके अलावा आपके थानों के बारे में यह सही बात है कि जो कोई इब्तदायी रिपोर्ट कराना चाहता है तो उससे कागज का दस्ता मांगते हैं और बीडी का बन्डल मांगते हैं। आप किसी कर्मचारी को मेरे साथ भेजिये। मैं बता सकता हूं। आखिर रिपोर्ट कराते समय दस्ते की क्या जरूरत है?

इसी तरह से भ्रष्टाचार और घोटाले जिनको कहते हैं उसमें कमी तो हुई है।

(श्री किशनसिंह चावड)

जितने घोटाले चलते थे उतने तो अब नहीं हैं। आज भी लोग समझते हैं कि रिपोर्ट करने के बाद भी कुछ नहीं होता है, हालांकि यह पहले से तो कम है। इसी प्रकार पिछले पन्द्रह वर्षों में जितनी चोरियां होती थीं, उससे कम हैं। लेकिन पहले भैंसों की चोरियां और बैलों की चोरियां नहीं हुआ करती थीं, आज कल यह भी होने लग गयी हैं। ऊंट चोरी चले जाते हैं। डाकू खत्म हो गये, लेकिन ऊंट चोरने वाले बढ गये। इनके मारे भी लोग परेशान रहते हैं।

डाकुओं के अलावा चोर जो हैं उनका पता नहीं लगता। कहते हैं रिपोर्ट नहीं होती है। मैं कहता हूं रिपोर्ट तो होती है पर बाद में चोरियां रुल जाती हैं और इस रुलने का कारण घूंस है। घूंसियें न हों तो चोरियां नहीं रुलें। इसका इलाज कोई है नहीं। वह तो हमारी समझ में, पुलिस में ही नहीं सारे सरकारी कर्मचारी वर्ग में, उनके दिलों में घर कर गई है। इसका कभी कुछ इलाज भी होगा या नहीं, यह भगवान ही जाने। मुझे तो एसा लगता है कि कोई बडी भारी क्रांति आवेगी, एसे ढंग मुझे लगते हैं।

ये आपके कर्मचारी देश को पामाल करेंगे। उनको इतनी बडी बडी तनख्वाहें मिलती हैं तब भी घूंस खाते हैं। इस घूंस का कारण क्या है? आप देखिये कि साधारण खेतों में काम करने वाला किसान अपनी मामूली सी आमदनी से अपना काम चलाता है, अपनी सारी दिनचर्या चलाता है। एक तरफ तो आप इनको देखिये। दूसरी तरफ आपके कर्मचारी हैं जिनको आप इतनी मोटी तनख्वाह देते हैं, इतने बडे बडे आराम के साधन देते हैं फिर भी वे अपनी मोरेलिटी का विकास नही कर पाते, घूंस लेते नहीं शर्माते। सब तरफ से राज्य का धन खा जाने की नियत रखते हैं। ये राज्य के विकास के लिये है। आप कहते हैं ये राज्य का विकास करते हैं, ये तो उन कुत्तों का विकास करते हैं जो इनके बंगलों पर परवरिश पाते हैं। राजकीय इन कर्मचारियों के पास कितने कुत्ते हैं आप इसका पता लगाइये। घूंस का पैसा लकर वे कुत्तों का विकास करते हैं। मैं पूछता हूं इससे क्या फायदा है? आप अगर उनको नहीं रख कर अपनी संस्कृति के हिसाब से गाय रखने लगे और उसकी तरक्की भी करें तो नरक में थोडे ही चले जायेंगे। गाय में खर्चा भी कम लगेगा, उन कुत्तों के मुकाबिले में। और अगर गाय को भी नहीं रखें तो आप आदमी को रख लीजिये। राजस्थान में आदमी बहुत बेकार हैं, दाने दाने को मोहताज बने फिरते हैं। रोटी रोजी के लिये दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। आप उनको रख लीजिये। आपका सारा काम कर देंगे, आपको खाना खिला देंगे, सब्जी आपके लिये बाजार से ले आवेंगे। आपके कपडे धो देंगे। आपके मकान की निगरानी भी रख लेंगे। कुत्ते से तो ज्यादा योग्यता रक्खेंगे। और कुत्ता आपके किस काम में आता है, आप बता दीजिये। आप घूंस रोकें। घूंस का पैसा इस तरह कुत्तों पर खर्च करने में आपको मिलेगा भी क्या? आप घूंस रोकने की चेष्टा करेंगे तो उस तरह की बात शायद आ सके। पिछले पांच सालों में ये नये होम मिनिस्टर आये हैं, पहले वाले कुछ नहीं कर पाये, ये शायद रोकने की चेष्टा करें। हालां कि मैं जानता हूं, इसके रोके यह रुकेगा नहीं, क्योंकि यह रुके तब न, जब आदमी पेट में नाज खावे तो भर जावे, पर माथे पर भोजन रखता जावे तो? इस तरह से जो लोग घूंस खाते हैं उनका पैसा इकट्ठा भी नहीं होता। दुरुपयोग करते हैं

(श्री किशनसिंह बाटड)
उसका ।

आज वित्त मंत्री यहां नहीं हैं। मैं अर्ज करूं कि आप कितना ही कमा कर घर में ले जायं अगर घर की धराणी ठीक नहीं है और वह उस कमाई को गांव में बांटने लगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको । इसी तरह से आप कितना ही कर लगावें अगर उसकी हिफाजत आप नहीं करेंगे और इसी तरह से आपके ये घर के मालिक नौकर लोग उसे उडाने लगेंगे तो कुछ नहीं हो सकता । अगर उस पैसे को आपके ये नौकर लोग खराब नहीं करें, हिफाजत से रखें और हिसाब से, ईमानदारी से खर्च करें तो इन पैसों में ही बहुत कुछ योजनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। पर हालत यह है कि माली जिस बाग को सींचता है पर अगर उसके धोरे फूट जाते हैं तो पानी बिखर जावेगा, वह पानी क्यारी में नहीं आता है तो। हम जितना धन कमा कर लाते हैं उसका लीकेज होता है, वह लीकेज आप रोकिये। बीच में ही खत्म हो जाता है। उपयोग उसका होता नहीं। इसके अलावा घूस और चलती है। समय अधिक है नहीं । इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : पिछली पंक्तियों के कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री दुर्गालाल बादाार (हवामहल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कट मोशन है उसको प्रस्तुत करते हुए निवेदन करूंगा कि पुलिस का विभाग जिसने अपना मोटो 'मेरे योग्य सेवा' रखा है क्या आज इस सेवा को कराने के लिये भी राजस्थान की जनता तैयार है।

जिस सिद्धांत को लेकर पुलिस विभाग चलता है और कहता है कि हम जनता की सेवा के लिये तैयार हैं उनके कर्म और कारनामे ऐसे हैं जो उनके सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत पडते हैं, उनसे कतई मेल नहीं खाते, और इसीलिये उनसे सेवा कराने के लिये कोई तैयार नहीं हैं ।

एक नहीं पचासों बातें आपके सामने आईं। मैं नहीं कहता कि इसमें सारा दोष पुलिस का ही है, कुछ अन्य राज्य कर्मचारियों का भी हो सकता है, कुछ सरकार का भी हो सकता है, कुछ परिपाटी ही ऐसी चली आती है उसका हो सकता है ।

मैं तो केवल एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि पुलिस का इन्वेंस्टीगेशन का तरीका ऐसा है कि वे यह चाहते ही नहीं, ऐसा लगता है कि अपराधी को सजा मिले, उसका चालान हो और उसको सजा दिलाई जा सके। इस तरह के केसेज आये हैं जिनसे मानना पडेगा कि निर्दोष आदमियों को फंसाने की भी कोशिश पुलिस द्वारा की जाती है। चालान नहीं करते न कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं। जब कि जाब्ता फौजदारी में लिखा है, "as soon as investigation is completed the police shall challan the case. 'C' As soon as' वर्डस हैं। इसका अजीब इन्टरप्रिटेशन पुलिस विभाग लगाता है ।'as soon as' में छ: छ: वर्ष उसको लग जाते हैं और फिर भी शक रहता है कि सही आदमी का चालान किया गया या नहीं। मैं एक मिशाल दूं। १६ मई, १९५५ को जयपुर में बनी पार्क में एक केस ४२० का बनाया गया । मनी सकूलेटिंग के बारे में वह केस था । यह एक इस प्रकार की स्कीम बनाई गई कि जिससे जनता का उपकार नहीं हो सकता । जब कि ठीक इसी तरह की मनी सर्कूलेटिंग कम्पनी या एजेन्सियां बहुत जगह

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

हैं, जयपुर मे रन कर रही है, कोटा में हैं, हिन्दुस्तान के कोने कोने में रन कर रही हैं, रजिस्टर्ड हैं। पर यह जो केस ५५ में रजिस्टर्ड हुआ वह रजिस्टर करने के बाद ४ साल तक कुछ नहीं किया। उसके कागज वगैरह सब जब्त कर लिये। उन्होंने बड़े अधिकारियों को दरख्वास्तें दी, अदालत में मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी कि अगर हमने कसूर किया है तो हमारा चालान पेश करिये कोर्ट में, हमें सजा दिलाइये। हम सजा भुगतने को तैयार हैं। पर चार साल तक कोई चालान पेश नहीं हुआ। अगर 'As early as possible' का यह मतलब लगाया जाता है तो फिर कुछ नहीं कहना मुझे। तो यह तो मैं कहूंगा कि दुर्दशा इस तरह की है कि नौ दिन चलें ढाई कोस। नौ दिन में ढाई कोस चल गये 'As soon as' का यह मतलब लगाया गया है। यह सही वाकया है।

इस इन्वेंस्टीगेशन के लिये भी मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि जो उनका रिकार्ड है, उनका जो लिट्रेचर है उस पर साफ तौर से यह लिखा है कि यह कम्पनी अपने पास से पैसा नहीं देती। मैं यह नहीं कहता कि पुलिस को चालान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन प्राइमा-फेसी जो अधिकारी हैं, चालान करने वाले हैं या तहकीकात करने वाले अफसरान हैं, उनको कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिये कि मुकदमा सही बनता है या नहीं और कामयाब भी हो जायगा या नहीं। साफ तौर से वे यह कहते हैं कि कम्पनी अपने पास से पैसा देने का वायदा नहीं कर सकती, यह कस्टमर इस चेन को चलाना चाहते हैं तो चला सकते। लेकिन इसके बावजूद भी चालान पेश करने की कोशिश की जाती है। अगर यह मान भी लें कि यह वाकया सही है तो एक कम्पनी के ऊपर तो यह चालान पेश किया जावे और जो दूसरी दो कम्पनियां हैं उनके ऊपर क्यों नहीं किया जाता। मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा कि पुलिस अफसरान से उन्होंने साठगांठ कर रखी है ताकि उनके कम्पीटीशन में वह खडी न रहे। उसका नतीजा यह होता है कि दो कम्पनियां बराबर चलती और इसका चालान पेश कर दिया। आप लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिये।

इसके अलावा एक मोटी सी बात है कि कोटपूतली के एरिया के अन्दर आपके विभाग का ही एक हैड कॉन्स्टेबिल था। उसके घर के अन्दर चोरी हुई। उसके कारण उसने आपके यहां दरख्वास्त पेश की और कहा कि जो इन्सपैक्टर साहब इन्वेंस्टीगेशन करने जा रहे हैं वह विपक्षी से मिले हुए हैं और जो मेरे यहां चोरी हुई उसके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं हो रही है। उसका नतीजा यह हुआ कि जो स्टेटमेन्ट वगैरह दफा ६१ के अन्दर रेकार्ड हुए थे उनको बर्न कर दिया गया और दूसरे स्टेटमेन्ट लिये गये। उसके कुछ पीसेज उसने इकट्ठे कर लिये और उसके बारे में उच्च अधिकारियों के पास शिकायत की। तो उसको सस्पेन्ड कर दिया गया। आपके यहां कोई दफा ७ होगी जिसके तहत कोई उच्चाधिकारियों के पास नहीं पहुंच सकता, इसके बिना पर उसको सस्पैन्ड किया जाता है और उन थानेदार साहब की तरक्की की जाती है। हमारे यहां सदन के नेता और हमारी पार्टियों के नेता यह कह चुके हैं कि" "Justice delayed Justice denied";

परन्तु मैं इसके कुछ आगे कहूंगा कि Justice delayed justice corrupt' सही आदमियों का चालान नहीं कर सकते, किसी

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

दबाव के कारण किसी और वजह के कारण गलत आदमियों का चालान पेश कर दिया जाता है और जुर्म बना दिया जाता है तो आप खुद ही अन्दाजा लगा सकते हैं कि आप किस प्रकार से सेवा जनता की करते हैं ? इसके बाद में मोरेलिटी की बात की जाती है । मैं आपके सामने मोरेलिटी का नमूना बताता हूं । सरकार विचार नहीं करती और कानून के ऊपर नजर अन्दाज कर सकती है । जयपुर शहर का वाकिया है, जिसमें एक चोरी का मुकदमा दायर किया गया, यह इन्टरेस्टिंग एपीसोड है । पुलिस ने कुछ सामान वापिस कर दिया और उसमें एक हजार का कैश लिखा कटोरदान में बन्द । उसने कुछ गबन कर लिया, कुछ चोरी कर ली और सारा सामान लेकर चला गया । मजिस्ट्रेट ने फैसला दे दिया कि यह रुपया उसको लौटा दिया जाये जिसके यहां से बरामद किया । उस आदमी ने दर्ख्वास्त दी कि मुझे रुपया दिया जाये लेकिन वह रुपया वहां कहां था वह तो गायब हो गया था during the course of employment· आपके राजस्थान सरकार का मुलाजिम जिसको आपने नौकर रखा था वह गबन कर गया, चोरी कर गया या पता नहीं क्या हुआ । उसके लिये उस आदमी ने राजस्थान को नोटिस दिया और एक दावा दायर किया और उस पर कानूनी आपत्ति यह उठाई गई कि हो सकता है वह मुलाजिम सरकारी हो, हो सकता है दौराने एम्पलायमेंन्ट यह सारी कार्यवाही हुई हो लेकिन कानन की मंशा ऐसी है कि राजस्थान सरकार इसके लिये लायबिल नहीं हो सकती । वह उस आदमी के ऊपर दावा करे जिसने यह किया है । आपकी राजस्थान सरकार मोरेलिटी के नाम पर टाइम बार डट का दे सकती है लेकिन उस आदमी की कोई गलती नहीं हो सकती । अगर वह सामान दौराने इन्वैस्टीगेशन चला गया और अगर वह उस सामान को पुलिस ऑफिसर को नहीं देता तो उसकी मुश्किल होती । अदालत को उसकी हिफाजत रखनी चाहिये । आपके मुलाजिम की गलती से रुपया गायब हो जाता है और आप इस तरह का आक्षेप करते हैं · · ·

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : इसमें आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई । क्या पुलिस आफिसर ने रुपया गायब कर दिया ? पुलिस ने तो रुपया बरामद करके अदालत को दे दिया और अदालत से भी फैसला हो गया · · · ·

श्री दुर्गालाल बाढदार : और अदालत ने यह आर्डर दे दिया कि "The money should be returned to the man from whom it has been taken".

श्री मथुरादास माथुर : तो अदालत की कस्टडी में रुपया है, अदालत ही वह रुपया देगी ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : The money has already been taken away by the servants of the Government. I am putting up an illustration that wherever a reply is made by the Treasury Benches....

श्री मथुरादास माथुर : But it does not concern the police.

श्री दुर्गालाल बाढदार : I am also coming to the point. I am just citing an illustration to that effect.

इसके अलावा मैं सबसे बडी बात यह बताऊं कि देखिये इस समय जहां एक तरफ हम यह प्रश्न लकर चल रहे हैं कि हमारे

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

सामने कटौती का सवाल है, हमारे सामने कम खर्च का सवाल है, बहुत सी बातें या सब बातों को देखते हुए जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया था कि जो हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स हैं उनमें राजस्थान ही एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम पुलिस पर आमदनी का अधिकांश हिस्सा खर्च करते हैं। लेकिन जहां हम इतनी बडी राशि पुलिस पर खर्च करते हैं तो साथ ही उससे आशा भी करते हैं कि जो पुलिस का स्टाफ है वह इतना एफीशियेन्ट हो कि हर रेस्पेक्ट के अन्दर उसकी एफीशियेन्सी सबसे ज्यादा होनी चाहिये।

केवल एक ही टॉपिक को लेकर, जैसा मैं निवेदन कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहां पुलिस की ट्रेनिंग के सिलसिले में कुछ इन्स्टीट्यूशन्स खुले हुए हैं। उनके बारे में आप विचार करें कि उनमें हर साल नये एडमिशन्स कितने स्टुडेन्ट्स के होते हैं। मुश्किल से १३ या १४ स्टुडेन्ट्स हर साल होते हैं लेकिन उनके लिये बाकायदा आपका एक लम्बा स्टाफ है जिनको आप हजारों की तनख्वाहें महिने की महिने अदा करते हैं। उसके बावजूद जो फायदा उस इन्स्टीट्यूशन के द्वारा पब्लिक को दे सकते हैं; वह उससे कोई फायदा नहीं होता। इसके अलावा जो दूसरी बात जरूरी रह जाती है वह यह है कि मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जो बोर्डर एरिया है वह एक ऐसा प्रधान एरिया है कि जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिये और उसमें जैसा कि एक माननीय सदस्य जो कि मेरे पूर्व वक्ता थे उन्होंने बताया कि वहां पर सडकों की व्यवस्था नहीं, उसके ऊपर तुरन्त राज्य सरकार को विचार करना चाहिये। लेकिन एक मोटी सी बात है कि राजस्थान की सवारी ऊंट है और जहां सडकें नहीं हैं वहां पर यह एक निहायत आवश्यक सवारी है, वहां जीपें नहीं चल सकती तो कम से कम ऊंटों के द्वारा उस एरिया की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन क्या पुलिस विभाग के मंत्री हमें यह बताने के लिये तैयार हैं कि जो ऐसे एरिया के अन्दर थानेदार हैं उनको ऊंट की सवारी की किसी प्रकार की ट्रेनिंग मिली है, कितनी इस प्रकार की चौकियां बोर्डर पर कायम की कि जिनको ऊंट और जितने हथियार आवश्यक हो सकते हैं उनको ट्रेनिंग देने के बाद में उनको मुहैया किये गये हैं? हम अपनी तकलीफों को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन साथ ही साथ हमें विचार करना होगा कि दूसरी ताकत यदि हम पर आकर अनाधिकृत रूप से अत्याचार करना चाहे तो उसको रोकने के लिये, थामने के लिये जो सबसे बडा हाथ; जिसको राज्य सरकार का हाथ कहना चाहिये, प्रिवेन्टिव मेजर्स लेने के लिये, ला एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के लिये पुलिस महकमे की बहुत बडी जिम्मेदारी है। क्या यह महकमा उस जिम्मेदारी को निभाने के लिये तैयार है?

ये बहुत सी मोटी-मोटी बातें हैं। टाइगर कम्पेन चला, उसकी बात यहां कही जा चुकी है। उस एरिया में कितना जुल्म हुआ है, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने कितना अत्याचार किया है, जिला कलेक्टर को उसकी इन्क्वायरी करने को कहा गया था। उसने इन्क्वायरी की और उसकी रिपोर्ट आई लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उस इन्क्वायरी का क्या नतीजा निकाला और क्या एक्शन लिया? जब इस प्रकार की बात जनता के सामने आती है तो उसमें असंतोष

Page No 59

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

होता है । उसका नतीजा यह होता है कि जो कोन्फीडेन्स उस विभाग में होता है उसमें कमी आती है । यही कारण है कि पुलिस इतनी बदनाम है ।

बहुत से थानेदारों के ट्रान्सफर्स किये जाते हैं लेकिन नतीजा यह होता है कि दो-तीन महीनों तक न तो चार्ज लिया जाता है और न कोई इन्तजाम किया जाता है न चार्ज देने का मौका दिया जाता है । उसके कारण स्पीडी जस्टिस नहीं मिलता और नतीजा बुरा होता है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन सब बातों पर आपको विचार करना चाहिये और इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि पुलिस जिसके कंधों पर जान माल के रक्षा का भार और जनता उससे आशा करती है, पुलिस एक ऐसा विभाग है जो जनता को दिक्कत, परेशानियों और जुल्मों से बचा सकता है लेकिन यदि वह स्वयं ही अत्याचार करने लगे तो कहा जा सकता है कि बाड खेत को खा रही है ऐसी हालत में उसके प्रति विश्वास का प्रश्न नहीं रहता । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन बातों पर पूर्णरूप से विचार करें तो जस्टिस आसानी से और स्पीडी मिल सकता है ।

श्री देवेन्द्रकुमार (सराडा): **अध्यक्ष महोदय, मांग सख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस के बारे में जो मांग पेश हुई है उसके बारे** में कुछ कहूंगा । पुलिस आज हमारे देश में गरीब और अमीर सब की जान-माल की रक्षा करती है । सबसे पहले में पुलिस के जो छोटे छोटे कर्मचारी सिपाही हैं उनके वेतन के बारे में निवेदन करूंगा कि इन सिपाहियों की ओर ध्यान दिया जावे । अध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाय जो कम वेतन वाले हैं। आज हमारी पुलिस हर एक के लिये चाहे कोई भी हो, मौत के वक्त काम आती है और संकट आते समय उनके बडे अफसर जो पुलिस के अधिकारी होते हैं उनका वेतन सबसे बडा होता है और कर्मचारी सिपाही सबसे कम वेतन वाले होते हैं । आज हरएक जगह से यह शिकायत आती रहती है कि पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं । छोटे सिपाही क्या करें, रिश्वत न लें तो भूखों मरें । न तो उनको पूरा वेतन मिलता है और न वे अपने परिवार की व्यवस्था कर सकते हैं और न बाल-बच्चों को पढा सकते हैं । इसका खास कारण यह है कि उनको इतना कम वेतन मिलता है ।

अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चितौड में पुलिस की भर्ती हुई उस समय वहां पर गरीब कौम के लोग भरती होने के लिये आये थे; चितौड, खैरवाडा, सराडा इन एरियाज के मीणे भरती होने के लिये आये। उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार चलता था उसके बारे में मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं । वहां आर० आई० रूपसिंहजी थे, उन्होंने सिपाहियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया । तेजराम जमादार था उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जंगलीपने के नाम से सम्बोधित किया । इस तरह व्यवहार किया यह बहुत बडी भारी दुःख की बात है । जो मरने के लिये अपने बच्चों को छोड कर आदमी फौज में आता है उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, यह ठीक नहीं है तथा जवानों के उत्साह को समाप्त करता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाडा में पहले से काफी अर्से से

(श्री देवेन्द्र कुमार)
आदमी पुलिस में भर्ती हैं उनको अब तक कोई प्रमोशन नहीं मिला है, न उनको कोई तरक्की मिली है। चार-छः महीनों के या दो-तीन साल के आदमी होते हैं उनको प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन जिनको १०-११ साल हो जाते हैं उनको कोई प्रमोशन नहीं दिया जाता है। इस प्रकार इनका व्यवहार पक्षपात का हमारे पुलिस विभाग में हुआ तो ईमानदारी से रहने वाले आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

देखिये, हमारे थाने में कहीं कहीं लिखा हुआ है कि 'हमारे लायक सेवा,; लेकिन एक तरह से उनकी सेवा क्या है ? उनके डंडे की सेवा है। जिस प्रकार पंचों और सरपंचों को ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरह से इन सिपाहियों को भी ट्रेनिंग दी जाय और उनको सिखाया जाय कि सेवा कैसे की जाती है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के जो बड़े अफसर होते है उनको पेन्शन मिलती है और कई तरह से अच्छी तनखा से नौकरी कर लेते हैं और अन्य साधनों से पैसा भी कमा लेते हैं लेकिन गरीब सिपाही नौकरी छोडने के बाद न तो अपने बाल बच्चों का पालन कर सकते हैं और न बुढापे में पैसा उनको मिल सकता है और मारा मारा फिरता है इसलिये उनकी वेतन वृद्धि की जाय। मैं इतना ही कहूंगा।

श्री ललितमोहन (गोगुन्दा-सु०): अध्यक्ष महोदय, बैकवर्ड एरियाज में पुलिस वाले जो अत्याचार करते हैं उस बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं और उस ओर गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वे यहीं न बैठे रहें बल्कि गांवों में जाकर देखें कि वहां पर क्या हो रहा है ?

जिस समय हिन्दुस्तान आजाद हुआ उस समय हम यह सोचते थे कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन आज बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। किसी के घर चोरी हो जाती है वह आदमी पुलिस में इत्तला करने जाता है तो उसको भी पुलिस वाले कहते हैं कि रिश्वत लाओ (शेम-शेम)। किसी का बैल चोरी में जाता है वह थानेदार के पास अर्जी लेकर जाता है तो वह कहता है कि रुपया लाओ, बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। चोरी जिसके यहां हो उससे रुपया लेना इससे आदिवासी और अन्य लोग भयभीत हो गये हैं। पुलिस का डंडा इतने जोर से चलता है कि लोग कहते हैं यह कांग्रेस राज्य नहीं, बल्कि पुलिस राज्य है। हम कहते हैं कि सुखाडिया साहब का राज्य है लेकिन वे कहते हैं, नहीं नहीं पुलिस का राज्य है।

यह बात मैं सही कहता हूं क्योंकि मैंने पहले ही शपथ ले ली है। सदन के अन्दर मैं गलत नहीं कहता। मैं भी गांव गांव घूमता हूं। पन्द्रह साल मैं आपके साथ रहा हूं। आप जब पी० सी० सी० अध्यक्ष थे और हमारे यहां आते थे तो बड़े मीठे लगते थे और गुड में लपेट लपेट कर जनता को पत्थर दिया करते थे . .

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): जिस तरह हमें धोखा दिया है उसी तरह दूसरों को देंगे।

श्री ललितमोहन : मैं निवेदन कर रहा हूं, आप इधर आयें तो आपका भी सुधार हो जायेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि आज किस प्रकार वहां के आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं, हमारे आदिवासी जंगलों के धन्धे पर निर्भर रहते हैं जिसमें लकडी, गोंद, मूसली लाकर बेचने

(श्री ललित मोहन)

का धन्धा है। वहां जो घटना ल्यूनी गांव में घटी, मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर यह हुआ कि लोग जंगल से मूसली लाकर बेचने का धन्धा करते हैं। वे मूसली लाने के दो चार दिन बाद बेचते हैं। वहां क्या हुआ, जिस जंगल में मूसली है, उस जंगल के ठेकेदार साहब जंगलात एवं पुलिस से मिल कर आदिवासियों को धोखे से खींच लेते थे और कहते थे तुम उधर से, इधर से, ब्लाक से लाये हो जब कि वे ठीक ढंग से लाते थे। यह किस्सा यों हुआ कि एक ठेकेदार को आदिवासियों की कई मन मूसली हड़प करके भी चैन नहीं हुआ। इस पर ठेकेदार और आदिवासियों में झगड़ा हो गया। उसके बाद उसने पुलिस के थानेदार से मिलकर उसे पन्द्रह रोज तक परेशान किया और ठेकेदार का पक्ष पानरवा के थानेदार ने लिया। यह घटना घटी, उसमें एक को नहीं बल्कि आदिवासी क्षेत्र में जाकर बीस आदमियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस है, उससे वे लोग आतंकित हो गये हैं। पहले राजाओं के जमाने में, जब जागीरदारों का राज्य था और जो अंग्रेजों की छावनी कोटडा में रहती थी, वहां हम लोग जाते थे, तो तमाम बात सुन कर न्याययुक्त फैसला होता था। लेकिन आज क्या होता है, कि उस इलाके में बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। पहाड़ी क्षेत्र है उदयपुर वहां से अस्सी मील दूर है। वहां वे कैसे जा सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस इलाके में जो पहाड़ी इलाका है, उदयपुर के अन्दर जो पहाड़ी इलाका है, वहां के जो पुलिस वाले होते हैं। वे क्या कहते हैं, मैंने एक थानेदार से बात की, उसने कहा कि मंत्री महोदय कहते हैं कि आटे में नमक के बराबर रिश्वत चल सकती है। वे खुद इतना कह कर चलते हैं। अरे भाई, कमाल हो गया। इतना रास्ता तो बता दिया आगे क्या हो, वे समझ जाते हैं। थानेदार होशियार होते हैं, उनको आगे का रास्ता ढूंढने में आसानी रहती है। हम आजादी के बाद सोचते थे कि हमारे यहां पर उन्नति होगी, हमारे यहां उद्योग बढ़ेंगे, हमारे यहां कृषि एवं शिक्षा बढ़ेगी। इसकी अपेक्षा आपने आगे बढ़ाया है, इस पुलिस को ईमानदारी के बनिस्पत भ्रष्टाचार की ओर। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत, गृह मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि वे इस तरफ देखें और यहां जयपुर में राजस्थान की राजधानी में रहने की बनिस्पत आप वहां चल कर देखें आप चाहें तो मैं आपके साथ चलता हूं। अगर मैं कोई बात गलत कहता हूं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं अस्तिफा दे दूंगा। मैं आपको बताऊं कि पिछली साल यहां पर आया था। यहां पर आकर शपथ लेली और कुछ दिन के बाद मैं डूंगरपुर में गया तो मेरे भाई ने बताया तुम्हारे जाने के बाद गनेशपुर की पुलिस ने मुझे पीटा। मैंने उससे पूछा कि किस्सा क्या था उसने बताया किस्सा कुछ नहीं उसके बाद मैं थानेदार से मिला। थानेदार साहब ने कहा वाकई गलती हुई। हम दूसरा आदमी समझ गये। हम एम. एल. ए. के भाई को क्यों पीटते? मैंने पूछा यह न्याय है एम.एल.ए. का भाई को न पीटना और दूसरे को पीटना। इस प्रकार से लोगों को क्यों पीटते हो। तो उसने कहा– अरे भाई खर्चा नहीं चलता है, किसी न किसी रूप से खर्चा तो चलाना ही है। बाद में उसने माफी मांगी। मैं निवेदन करता हूं कि सरकार द्वारा इस ओर ध्यान दिया जाय नहीं तो यह पुलिस का डंडा कांग्रेस को बिल्कुल खा जायेगा। आज लोग हमसे कहते हैं सुखाड़िया साहब ने यह कर दिया, वह कर दिया। मैं कहता हूं कि कुछ नहीं हुआ है, आप क्यों आक्षेप करते हैं। वहां एक

(श्री ललित मोहन)

कृषि कालेज लगाया, यह लगाया, वह लगाया लेकिन पिछड़े क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है, अगर तरक्की हुई है तो पुलिस की ज्यादतियों में हुई है। आप महरबानी करके इस तरक्की और आदिवासियों की जो वास्तविक उत्थान करने की बात है, उसकी ओर ध्यान दीजिये।

मैं आपको निवेदन करूं कि पुलिस आज पांच-पांच रुपये बन्दूक के ले रही है। दो साल से पांच–पांच रुपये ले रही है। बन्दूक यह आदिवासियों की आत्म रक्षा का साधन है, वे लोग जंगलों में रहते हैं, पहाडों में रहते हैं और उन घोर जंगलों और पहाडों में शेर और चीते से अपनी आत्म रक्षा के लिए वे बन्दूक रखते हैं। उनसे पांच–पांच रुपये लेते हैं, लेकिन फिर भीलाइसेन्स नहीं मिलता है। वे कहते हैं में आपको निवेदन कर दूं वे साफ कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा तुलसीदास जी ने कहा है "तुलसी आह गरीब की, कबहुं न निष्फल जाय, मुई भेड की खाल सों लोह भस्म हो जाय"।

यह गरीब की आह है। एक दिन आपको हटना पडेगा, आपने ठेका नहीं ले लिया है। मैं मंत्री महोदय को साफ कहना चाहता हूं वे यह न कहें कि मैं कार्य कर्त्ता नहीं हूं मैं पन्द्रह साल कांग्रेस में रहा हूं। मैं सब जानता हूं। मैं आज इधर आया हूं, कल आप इधर आयेंगे। कोई बात नहीं है, यह समय का फेर है। आज वहां के लोग कहते हैं हमारा दुःख है, परेशानी है, वह किसको कहें। सुखाडिया साहब को कहते हैं। वे कहते हैं मैं क्या करूं, यह विभाग माथुर साहब के पास है। जनवरी में हम माथुर साहब के पास गये तो इनको फुरसत नहीं है और वे हमारे साथ वैसे ही पेश आये जैसे थानेदार चोर के साथ पेश आता है (शेम-शेम) आप उनके बारे में कुछ नहीं सोचते हो और आपकी पुलिस आदिवासियों को सताती है। मैं कहना चाहता हूं, आप इस पर ध्यान दीजिये।

एक माननीय सदस्य : समझ में नहीं आ रहा है।

श्री ललितमोहन : आप तसल्ली रखिये। और कोई कसर रह गई होगी तो निकाल दूंगा

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप बार बार कहते हैं कि आदिवासियों को हमने आगे बढा दिया है। आप रात दिन यही कहते हैं। हमारे भीखा भाई आगे बढे हैं जो यहां बैठे हैं। लोग उनको कहते हैं वे सब समझ रहे हैं। ये कुछ सुधार की बात कहते हैं तो वे कहते है अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो टिकट नहीं देंगे। इसलिए वे दबे हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने पिछले चुनावों में देखा, वहां की कितनी सीटें गरीबों की छीन लीं। गरीबों में से जो खडे हुए वे जीते। इसलिए महरबानी करके, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत दोहराना चाहता हूं कि आदिवासियों का जो पहाडी इलाका है डूंगरपुर उदयपुर में उसकी तरफ न्यायोचित ध्यान दीजिये नहीं तो आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस के हाथ से सब सीटें चली जायंगी। इतना कह कर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन में पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीलाल।

श्री गोपीलाल गोठवाल (फागी): अध्यक्ष महोदय, पुलिस की डिमान्ड पर जो मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है वह पुलिस पर सरकार का उचित एवं निष्पक्ष नियंत्रण

(श्री गोपीलाल गोठवाल)

न होने से व्याप्त कठिनाइयों के सम्बन्ध में है। जो पुलिस की उपयोगिता का सवाल आता है और यहां रखा जाता है उसका परिचय एक घटना द्वारा से बताता हूं। मेरी तहसील फागी के अन्दर ग्राम चौरू में एक घटना हुई, वह शायद गृह मंत्री जी को भी मालूम होगी, आपके नोटिस में उसका पूरा विवरण बताया गया था इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ग्राम चौरू के अन्दर जयलाल नाम का एक जाट था वह डी.एस.पी. सांभर का साला बना हुआ है। डी. एस. पी. से उसे मिला कर उसकी एक दरख्वास्त लेकर और एक झूंठा केस ग्राम चौरू के किसानों जाटों पर लगाया गया। वह इस तरह बनाया गया कि मेरी जान माल का खतरा है। इसकी रिपोर्ट थाने के रजिस्टर में दर्ज नहीं थी लेकिन डी.एस.पी. उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस फोर्स के साथ चौरू पहुंच गये और वहां के पचास किसानों को लाकर फागी थाने में बन्द कर दिया। उन किसानों में चार महिलायें थीं, जिनमें दो गर्भवती महिलायें भी थीं और आठ बच्चे मौजूद थे। वैसे करीब पचास किसान लाकर बन्द कर दिये गये और उन औरतों के सामने उनके मर्दों और बच्चों को सामने नंगा करके मारा पीटा (शेम-शेम) इसकी सूचना गृह मंत्री जी को दी गई तार द्वारा दी गई और सारे ऑफिसरों को सूचना दी।

उसके ऊपर उसकी इन्क्वायरी की गई और इन्क्वायरी पर झूंठा केस दफा १४७, ३५२, ३४२ और १८६ की दफा में केस बनाये गये। उसके लिये हमने इन्क्वायरी कराने के लिये कहा तो उसकी इन्क्वायरी करने के लिये सी. आई. को भेजा गया है। एक ऑफिसर के खिलाफ सी. आई. क्या इन्क्वायरी कर सकेगा और क्या न्याय किसानों को मिलेगा। हम लोगों को क्या उससे न्याय मिल सकता है? इसके अलावा सही ढंग से इन्क्वायरी नहीं की गई और ४० किसानों को और ४ स्त्रियों का यहां चालान किया और अच्छे ढंग से इन्क्वायरी नहीं होने के कारण उनके साथ बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया गया और एक जयपुर-टौंक फाटक के पास है रामपुरा रूपा में, एक शिवकुमार कौशिक ने रैगर हरिजन बस्ती के सामने जमीन का नाजायज कब्जा किया और सांगानेर थानेदार से मिल कर डोलियें बनाली और आगे चल कर झूंठा मुकदमा हरिजनों के खिलाफ बनवाया। आज वे हरिजन भी कलैक्टरी में मारे मारे फिरते हैं। हजारों रुपया खर्च हो गया है, मगर फिर भी उनको न्याय नहीं मिल सका। यह पुलिस में सुधार हो रहा है। इसलिये मैं कहूंगा कि पुलिस में सुधार होना चाहिये। इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि नेमीचन्द जो फागी तहसील में कार्यकर्ता हैं उस पर झूठा केस दायर किया और ग्राम माधोराजपुरा के सरपंच हैं वहां के पंचायत में बहुत सारा गबन था। जिस समय उप-मन्त्री वहां पधारे तो उस पर गबन का आरोप लगाया। उन्होंने एक चपरासी से मिल कर झूंठा केस बना दिया और पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट करवा दी गई। जिस समय चपरासी से पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे तो सरपंच साहब ने बहकाया था और उनके बहकाने से मैंने रिपोर्ट की थी। उसके खिलाफ थाना फागी में झूठा केस बनाकर किया और गिरफ्तार करने की काफी कोशिश की अब भी पुलिस बराबर परेशान कर रही

Page No 64

(श्री गोपीलाल गोठवाल)

(२.०२ म. प.)

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

है। थाण के लोग हैं। वहां एक मंगला नाम का व्यक्ति मौजा ग्राम मदरामपुरा से अपनी अर्जी लाया था। उसके खिलाफ थाने दार साहब ने दूसरों से दर्खास्त दिला कर, माननीय सभापति, उसके खिलाफ भी झूठा दावा दायर किया और दफा १०० में वारन्ट निकलवाया गया और चालान कोर्ट में पेश किया गया।

सभापति महोदय, इस तरह की घटनाएं हरिजनों के साथ हो रही हैं, इनको रोका जावे और अन्याय हो रहा है जिन लोगों के साथ उनको न्याय दिलाया जावे।

तहसील फागी में जिन लोगों का जमीन पर कब्जा है और उनके पास अलॉट की लिस्ट में उनका नाम दर्ज है फिर भी उन गरीब हरिजनों को जमीन से लोग हटा रहे हैं, और पुलिस उनके खिलाफ वालों से मिल कर झूठे झूठे दावे दायर करवाती है और उन लोगों पर, गरीब हरिजनों पर १०७ की कार्यवाही करके परेशान करती है। सभापति महोदय, फागी तहसील में इस प्रकार की कई गडबडियां हो रही हैं, यह होम मिनिस्टर को मालूम है और बहुत से अन्य अधिकारियों को भी मालूम है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि पुलिस वालों के इस अत्याचार से गरीब लोगों को राहत दिलाई जावे और जिन गरीब हरिजनों के साथ न्याय नहीं हो रहा है उनको न्याय दिलाया जावे।

कल की मैं फागी की एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। कल मैं एक घटना को लेकर थाना फागी में पहुंचा तो वहां पर एक गांव नारेडा है वहां हरिजनों की जमीन में दूसरे लोगों ने अपने जानवर भेज दिये और बाद में कुछ गांव वालों ने उस हरिजन को मारा और उल्टा फागी में अपना नाम थाने में दर्ज कराया और उसके खिलाफ ३२४ का केस बनाया और उस हरिजन की मार पीट की, उसके लिये कोई जांच नहीं। यह उसके साथ अन्याय किया गया। यह कल की ही घटना है। सभापति महोदय, इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। उनको तुरन्त रोका जाये। पुलिस की इस प्रकार की कार्यवाहियों से लोग परेशान हैं।

श्री सभापति: श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदय, यह जो कहा गया है कि पुलिस जनता की जान माल की रक्षा करने के लिये है और मैं मानता भी हूं कि पुलिस हमारे जान और माल की रक्षा करने के लिये है और इसके लिये हमारे यहां पर 'मेरे योग्य सेवा' के बोर्ड भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि राजस्थान की जनता पुलिस से दया की याचना करती है और कहीं कहीं पुलिस और जनता दोनों ही उन क्रीमनल्स से दया की आशा करते हैं। यहां राजस्थान में ऐसे जिले भी हैं जहां पुलिस और जनता उन क्रीमनलों से दया की याचना करती है और उन जिलों में से एक अभागा जिला भरतपुर भी है। जहां हम सुनते हैं बीकानेर डिवीजन की बातें वहां भरतपुर जिले में भी आये दिन डकैतियों, चोरियों और लूटमार की घटनाएं होती रहती हैं और उसकी तरफ हमारी पुलिस ने कोई ध्यान

Page No 65

(श्री नत्थीसिंह)

नहीं दिया है और अगर दिया जात है तो हमारी पुलिस के लिये यह कहना चाहिये कि इतनी इनएफिसिएन्ट है कि वह कुछ कर नहीं सकती। मैं यह कहूंगा कि जिस समय धौलपुर से आर. ए. सी. को हटाया गया था उस समय होम मिनिस्टर को यह निवेदन किया गया था कि हमारी जान और माल को खतरा है इसलिये आर. ए. सी. की वटालियन को यहां से नहीं हटाया जाए। २५ सितम्बर को यह घटना होती है। लेकिन सरकार की तरफ से जवाब मिलता है कि हमने पूरा इन्तजाम कर दिया हैं कि आर. ए. सी. की फोर्स को हटाने से कोई खतरा नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि सिर्फ दो दिन ही बीत पाये होंगे कि वहां दिन दहाड़े बसई नवाब का बाजार लूट लिया गया और पुलिस हमारी कुछ मदद नहीं कर पाई। दूसरे दिन और भी डकैतियां होती हैं। महज आर. ए. सी. के हटने के कारण और जिस समय जान माल की रक्षा की बात कहते हैं तो कहा जाता है कि हमने पूरा इन्तजाम कर दिया है। थोड़े दिन बाद में आपने सुना होगा कि निठेडा गांव में डाकू आते है, डकैती होती है और ७ आदमियों को कत्ल कर दिया जाता है और ६ औरतों को उठा कर ले जाते हैं और ऐसा लगता है कि यहां पर राजस्थान की पुलिस का या होम मिनिस्टर का राज्य नहीं है यहां तो डाकुओं का राज्य है। यह घटना जब होती है जब कि एस. पी. को और भरतपुर की पुलिस को चार दिन पहले इत्तिला दी दे जाती है कि यहां डाकुओं का एक गेंग आया हुआ है और चार दिन की पूर्व सूचना के बाद भी कोई इन्तजाम नहीं होता है और डकैत डाका डालत है, हत्या करते हैं और महिलाओं को भगा कर ले जाते हैं।

इतना ही नहीं होता, होता यह है कि वहां के नौजवान लोग हिम्मत करते हैं मुकाबला करने के लिये, उनका पीछा करते हैं लेकिन हमारी पुलिस के अधिकारी, मैं यह कहूंगा कि कुछ नहीं करते। पुलिस के थानेदार निठार गांव से १॥ मील की दूरी पर बल्लभगढ गांव में सिपाहियों को लेकर बैठे रहे और ५ घंटे बाद जब हिन्डौन की पुलिस वहां पहुंच जाती है तो उसके बाद वहां पहुंचते हैं। यह हमारी पुलिस की एफिशियेन्सी का द्योतक है।

इसके अलावा मैं दूसरी बात और बताना चाहता हूं कि भरतपुर शहर में जो जिले का हैड क्वार्टर है वहां पर कत्ल होते हैं और वहां पर वही कोतवाल हैं जिनके लिये जयपुर शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने इशारा किया, जिसको भरतपुर के एस० पी० एफीसियेन्ट मानते हैं। जिनके बिना उनका काम नहीं चलता। मैं यह बता देना चाहता हूं कि २६ जनवरी को भरतपुर में जब इधर गणतन्त्र दिवस मनानें को आम सभाएं होती हैं उधर उसी दिन एक मन्दिर के पुजारी दामोदर की हत्या की जाती है। उसको गला घोट कर, मारा जाता है और ताले तोड कर माल निकाल लिया जाता है। मगर आज तक उसके मारने वालों का कोई पता नहीं, कोई तफतीश नहीं की गई। यही नहीं, आज से तीन दिन पहले भरतपुर की नहर में एक प्रभुलाल पटवारी की लाश मिली। उसको मार कर बोरी में बन्द करके नहर में डाल दिया गया। वह भी लाश कैसे मिली वह भी तब मिली जबकि एक १४ साल की लडकी गायब हो गई थी और जब उसको

(श्री नत्थी सिंह)

तलाश के लिये जाल उस नहर में डाला तो उस प्रभुलाल पटवारी की लाश मिली। इस लाश का बाद में पता चला कि यह प्रभुलाल पटवारी की लाश है, उसे मारा गया है और उसकी लाश को बोरी में बन्द करके नहर में डाल दिया गया है। इसके बाद में उसके घर की तलाशी लेते हैं तो पता चलता है कि उसके बही पोथे, कागजात सब जला दिये गये। पर वे एफिशियेन्ट कोतवाल साहब और एस. पी. साहब बहादुर इस सबका पता अभी तक नहीं लगा सके।

कुछ समय पहले बिडला वैगन फैक्ट्री से एक कर्मचारी तनख्वाह लेकर आरहा था तो उसको रास्ते में मार दिया गया, उसका भी अभी तक पता नहीं चला। इस प्रकार का एफिशियेन्ट पुलिस एड्मिनिस्ट्रेशन आज राजस्थान में है। वे किस काम में माहिर हैं? वे इस काम में माहिर हैं कि जिन लोगों का राजनैतिक रूप से हाथ अपने सिर पर चाहते हैं उनके गुलाम बने रहें, उनके कृपा-पात्र बने रहें, उनके हर आदेश का पालन करते रहें और ऐसा नहीं हो कि उनकी उन पर नाराजगी होजाय।

इसीलिये माननीय सभापति महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कि एक पत्रकार का दफा ११० में चालान किया गया। इसलिये चालान नहीं किया कि वह पुलिस के घोटालों की पोल खोलता हो, या कुछ अधिकारियों के खिलाफ उनकी गलत कार्यवाही के लिये आवाज उठाता हो बल्कि उसका चालान इसलिये किया गया कि वे म्युनिसिपल कमिश्नर रह चुके थे, रिटायर होने पर पत्रकार बन गये, उनकी वजह से केन्द्र के मन्त्रीजी बहुत परेशान थे, उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लडा, चुनाव में तो मेरे खिलाफ भी लडे हैं सूरजभान गुप्ता। पर मुझे उनसे कोई गिला नहीं उनको गिला है, उन्होंने डट कर सामने मीटिंग की, गृह मन्त्रीजी भी उस समय भरतपुर पधारे थे, उनको भी परेशानी हुई थी, वे तो नहीं चाहते होंगे पर उनका ११० में चालान किया गया, दफा ११० में बदमाशों का चालान किया जाता है। दफा ११० में बदमाशों की तरह उनका चालान किया गया यह कह कर कि बदमाश है। इस तरह अपनी राजनैतिक प्रतिशोध की भावना को सन्तुष्ट किया जाय, ११० जैसे गलत तरीके के जुर्म में उनको गिरफ्तार किया जाय, जमानत नहीं ली जाय और जेल भिजवा दिया जाय, यह गलत बात है, अन्याय है।

यही नहीं सभापति महोदय, ऐसे भी लोग भरतपुर में हैं जो पत्रों में कहते हैं कि अभी तो हुआ ही क्या है, एक ही को गिरफ्तार किया है अभी तो और लोग नम्बर पर हैं। अगला सेशन हो तब तक दस, ग्यारह घटनाएं शायद आपके सामने रख सकें। तो सभापति महोदय, जहां की पुलिस राजनैतिक नेताओं को सन्तुष्ट करने में लगी हुई हो, डाकुओं से डर कर दूर रहती हो, डाकुओं से कतराती हो, उनसे मिल जाती हो वह पुलिस राजस्थान की जनता के जान माल की रक्षा नहीं कर सकती। पुलिस दूसरा काम यह करती है कि अभी कान्स्टेबलों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कहा कि आई. जी. पी. भरतपुर के एस. पी., डी. एस. पी. व अलवर के डी-वाई. एस. पी. की एक कमेटी बनाई इसलिये कि इन्टर्व्यू करें हैड-कान्स्टेबल के लिये। पर एस. पी. साहब का सिटी कोतवाल साहब के बिना काम नहीं चलता था उनको भी लिया

(श्री नत्थी सिंह)

और सी. आई. को भी लिया। इन्होंने किया क्या? यह किया कि जो लोग रिटन टेस्ट में फेल होगये जिनको केवल २० नं० मिले उनकी कापियां बदली गईं। यह सब पुलिस के सिपाहियों ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है। माननीय गृह मन्त्रीजी को ये आरोप मिल गये होंगे आई. जी. पी. को भी इस प्रतिवेदन की कापी भेजी है।

भरतपुर के अखबार ने, भरतपुर की जनता ने मांग की है कि लोग कोतवाली में एफ. आई. आर. दर्ज कराने जाते हैं तो उनको डंडा बताया जाता है, उनकी एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की जाती, उनको भगा दिया जाता है। जनता ने मांग की है कि आप कम से कम कुछ जांच तो करें कि क्या वहां केस रजिस्टर किये जाते हैं या नहीं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इन्हीं कोतवाल साहब की मोटर साइकिल से एक लडकी के टक्कर लगती है तो इसका केस दर्ज नहीं किया जाता है, मामला रफा-दफा कर दिया गया। ऐसी घटनायें जहां होती हैं, वहां हम कैसे मानलें कि जनता की जान माल सुरक्षित है।

मैं यह नहीं कहता कि पुलिस में सभी इस प्रकार के लोग हैं। अच्छे लोग भी हैं। नेहरूजी के खिलाफ साजिश हुई थी हत्या की उसको पुलिस ने पकडा। कल के अखबार में देखा कि अजमेर की पुलिस ने मुरादाबाद के एक गैंग का पता चलाया है। इस तरह के जो कार्य किये जाते हैं उनकी हम प्रसंशा करते हैं, कद्र करते हैं। पर आज जनता में मान्यता है कि पुलिस विभाग या तो पैसे के बल पर काम कर सकता है या ऊपर से राजनैतिक नेताओं का डंडा आजाय तो करता है और दूसरी सूरत में नहीं करता। इस विभाग में मैरिट्स को कोई नहीं पूछता, मैरिट्स की कोई दाद नहीं, कोई बढावा नहीं देता। जिन पर राजनैतिक नेताओं की कृपा है उनको दाद दी जाती है, बढावा दिया जाता है। करप्शन में पुलिस का पी. डब्ल्यू. डी. के बाद सबसे पहला नम्बर आता है। इसके अलावा पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट आने वाले लोग हैं। उनको डीग के सी. आई. हथियार और लाइसेन्स दिला देते हैं, उनको यदि हम मान लें कि ये हमारी जान और माल की रक्षा करने वाले हैं तो यह ठीक नहीं।

हमारे इस प्रदेश में पुलिस के द्वारा हमारे राजस्थान की सेवा हो, यदि आप यह चाहते हैं तो मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात का व्रत ले लें, वे यहां से उठ कर चले गये, यहां होते तो मैं उनसे कहता कि और मैंने उनको कहा है कि देखिये ये राजनैतिक प्रभाव में आकर पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं और मेरी बात साबित हुई है पुलिस अधिकारियों की जांच के द्वारा। जो बात मैंने कही है वही बात. डी. आई. जी. ने कही है कि उस अधिकारी ने जनता के खिलाफ ३०७ का केस नहीं बनाया इसका दण्ड उसे दिया गया है। क्योंकि वे मजबूत आदमी थे इसलिये उन्होंने ऐसा लिखा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि यदि वे चाहते हैं और उनकी अच्छा है कि राजस्थान की पुलिस निर्भीक हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो तो जिस दल के वे सम्माननीय सदस्य हैं, जिसके प्रेसीडेन्ट रहे हैं, उस दल के आदमियों के दबाब में आकर काम न करें, पुलिस को रोकें कि इस तरह के दबाव में आकर वह काम न करे। पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि क्या करें साहब मजबूर हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे तो

Page No 68

(श्री नत्थीसिंह)

न तरक्की मिलेगी और कहीं फंस जायेंगे तो कोई भी छुडाने वाला नहीं होगा।

कुम्हेर थाने में कत्ल हुआ, जनता ने मांग की कि थानेदार को सस्पेन्ड करके इन्क्वायरी कराई जाये। उसको सस्पेन्ड किया गया पर फौरन ही ऊपर के आर्डर से सस्पेन्शन के आर्डर वापिस ले लिये गये। कैलाश प्रसादजी, ९ अकबर रोड, नई दिल्ली के थानेदार हैं, अब दूसरी जगह हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। आज बडे से बड अधिकारी कहते हैं कि ये नेता लोग काम नहीं करने देते क्या करें मजबूर हैं। तो हम नेताजी से कहते हैं कि आप इन नेताओं के इस तरह के नाजायज प्रभाव को रोकिये। तभी राजस्थान की जनता सुख और शान्ति से रह सकती है, वरना नहीं।

श्री **सभापति** : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री **योगेन्द्रनाथ** हांडा (रायसिंह नगर): सभापति महोदय, सदन में पहली दफा पुलिस रिपोर्ट सब्मिट हुई है और वह भी बडी अप्टूडेट। मार्च के महीने तक की घटनायें इस रिपोर्ट के अन्दर मौजूद हैं। झंझाऊ कांड का मफरूर बहादुरसिंह और उसके साथियों के साथ एक मुकाबला पुलिस का हुआ और तुलसी नाम का आदमी मारा गया। आखिरी घटना आयी है इसमें तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि यह रिपोर्ट बहुत जल्दी में बनाई गई है और इसमें काफी हद तक दो प्रयास किये गये हैं। एक तो पुलिस के बजट को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है और दूसरी राजस्थान के क्राइमस् को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। गवर्नर के उस भाषण के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र के ऊपर घटनायें बढ गयी हैं और बाकी राजस्थान में लॉ एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन साधारण रही है इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता था। इस रिपोर्ट को निकालने का प्रयास सराहनीय है। इस रिपोर्ट की कुछ खूबियां भी हैं।

सभापति महोदय, एमर्जेन्सी के कारण, गम्भीर स्थिति उत्पन्न होने के बाद और नेफा में हुए हमारे तजुर्बे के बाद सीमा का प्रश्न हमारे लिये एक गम्भीर प्रश्न हो जाता है और इस प्रश्न को लेकर सीमा की सुरक्षा के लिए भारतवर्ष के नागरिक जितनी आवश्यकता हो उतना धन खर्च करने के लिए तैयार हैं, यदि सीमा की सुरक्षा का मुकम्मिल इन्तजाम किया जाय। एक तरफ देश में एमर्जेन्सी है और दूसरी तरफ सीमा क्षेत्र में घटनायें बढती चली जा रही हैं, यह बडी चिन्ता की बात है।

सभापति महोदय, सीमा क्षेत्र की स्थिति का ही विश्लेषण करना आवश्यक नहीं होगा बल्कि सारे राजस्थान के लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति के दृष्टिकोण से भी यह बहुत आवश्यक होगा। एक तरफ जहां बहादुर सिंह जैसे लोग हैं जो झंझाऊ कांड के बाद मफरूर हुआ है। खुले आम जो हरिजनों के गांव से तावान वसूल करता है और इन्हीं बहादुरसिंह, जगमालसिंह और तेजासिंह की हुकुमत बोर्डर पर मौजूद है। कुछ चीजें इसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा। डाकू जगमालसिंह हमारे लिये लॉ एन्ड ऑर्डर की एक समस्या बन गया है। यह वही जगमालसिंह है जो चुनावों में खुला हिस्सा लेता है, रेलवे लाइन पर मंदिर बनाता है, यह वही डाकू जगमाल सिंह जो देशनोक में करणीजी के मंदिर में

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आकर माथा टेकता है, यह वही डाकू जगमालसिंह है जो बीकानेर में ओपरेशन कराता है, यह वही डाकू जगमालसिंह है जो सियासर के स्टेशन पर आई० जी० पी० से मुलाकात करता है । यह वही जगमालसिंह है जो गहरी समस्या है । १६ जनवरी को पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दीली की गई । कुछ पुलिस ऑफिसर्स का कम्पलसरी रिटायरमेंट किया गया । एक एस० पी० का ट्रान्सफर किया गया और दूसरा एस० पी० पोस्ट किया गया । दो एस० पीज० के युग की घटनाओं का विश्लेषण किया जा रहा है । एक कदम उठाया गया । कुछ लोगों को डिफेन्स ऑफ इन्डिया एक्ट में कदम उठा कर ब्लेक मार्केट में गिरफ्तार किया। स्वर्गीय राजस्थान के प्रिय नेता श्री व्यासजी की रिपोर्ट की ओर ध्यान ले जाना पडेगा । खुद व्यासजी द्वारा पिछले पुलिस अधिकारियों पर चार्ज लगाये गये कि डाकुओं के साथ मिल कर डाकुओं को पकडना नहीं चाहते थे । जहां तक इसकी सत्यता है मैं इसको स्वीकार करता हूं आज भी रहमत रेणका सरदारगढ में बैठा हुआ है । यह पाकिस्तान का भयानक डाकू है ।....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री): **अब गिरफ्तार कर लिया गया है ।**

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब गिरफ्तार कर लिया होगा । ५० हजार की जमानत हुई है और कुछ डाकुओं के मार्फत उसको हिन्दुस्तान में बुलाया गया जो सत्य है और इन डाकुओं के द्वारा डाका डलवाया गया । जो पाकिस्तान से डाकू आये, खोजा, ढिल्लो, फौजी, सड्डा और तल्ला—इन डाकुओं ने पाकिस्तान में ८०० ऊंट और भेडें लूटी और तीन चार कत्ल किये । सभापति महोदय, इन डाकुओं के द्वारा डाका और कत्ल करने के बाद में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें नवाब भावलपुर के आदमियों का भी हाथ था । इसने अय्यूब शाही को चौंका दिया और उसने मजबूर होकर डाकू जगमालसिंह को हिन्दुस्तान को सरेन्डर कर दिया । सुरतिया को लेकर जगमालसिंह को मोहलत दी जाती है । इस दौरान में इन ओफिसर्स का ट्रान्सफर हुआ । कोडम देसर में एक सरपंच जाता है महाजन का अपहरण करना चाहते थे । बसनपुर में सुबेदार धनसिंह पकड गये, डाकू जगमाल सिंह सांचोर की पोस्ट पर और साथ साथ यह भी चीज हुई कि आर० ए० सी० की जीप में ४० बोतलें शराब की गई जिसको बैठ कर उसने (डाकू जगमालसिंह) टीबे पर पीया ।

सभापति महोदय, कुछ फूले वाले डाके पर भी ध्यान डाल दूं । उससे आपको विशेष दृष्टिकोण मिलेगा । इन डाकुओं के सम्बन्ध में समझने का । वैसे आज अनूपगढ क्षेत्र में यह कहा जाता है कि घसान स्टेशन पर जगमालसिंह की मशीनगनें और गनें साफ की जाती हैं लेकिन मैं नहीं जानता यह कहां तक सत्य है। फुले वाला डाका १२ बजे पडा । जगमालसिंह डाकू की पोस्ट चूडी पर मानी जाती है । फोर्ट अब्बास से पुलिस ऑफिसर आता है । चूडी पोस्ट के बाद सरकार ने सखी पर पोस्ट कायम की । इस डाके में चार व्यक्ति मार डाले जाते हैं जान से, मोलाबक्ष, अजीम, अहसान, वहमत । एक लाला नामक लडका वहां से उडा कर ले जाया जाता है । फूले वाला बोर्डर ५०-३० मील दूर है । इस

(श्री मथुरा दास माथुर)

डाके के बाद फूला से बाहर जाता है। ९ डाकू हैं। डाकू के नाम उस इलाके के बच्चे बच्चे के मुंह पर मिलेगा। सरकार ताल मेल बिठाना चाहे तो मैं नाम भी दे दूं।

श्री मथुरादास माथुर: मुझे मालूम है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मेरा ख्याल है कुछ फर्क होगा। अलिया, मूला, लखिया, अजासर, तेजसिंह, विजयसिंह, जयेस्का, यह वह नहीं है जिसको विज्जू कहते हैं। कमानी का मूलजी, तथा मुवाना का एक मुसलमान। ९ डाकू आते हैं, टीबे पर अपने ऊंट खडे कर देते हैं। तीन आदमी ऊंटों की सम्हाल के लिए खडे रहते हैं। गांव में आते हैं, डाकू डाका डालते हैं। धन इतना अधिक नहीं था जो कि लूट कर ले गये। इसके साथ साथ लाला को उठा कर ले गये। मोलाबक्ष मार डाला जाता है। लेकिन सभापति महोदय, डाकू मोलाबक्ष को मारने नहीं आये थे। डाकू गुलामकादिर को मारने आये थे। इसका एक पिछला इतिहास है और मैं उस ओर दृष्टिपात करूं तो वह यह है कि जगमालसिंह और गुलामकादिर में दुश्मनी हुई। गुलामकादिर का सम्बन्ध सिकन्दरिया की लडकी से है। सिकन्दर कोकेला में रहने वाला है, डिफेन्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। जगमालसिंह गुलाम कादिर की तलाश में आया था किन्तु वह तो बच गया और मोलाबक्ष मारा गया। सभापति महोदय, मोलाबक्ष की अलग पार्टी, सिकन्दरिया की अलग पार्टी और जगमालसिंह की अलग पार्टी, तस्करियों के आपसी मामले हैं। इस सरकार ने हाथ नहीं डाला, गुलामकादिर की पार्टी पर हाथ नहीं डाला। आपको आश्चर्य न हो, मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत बडे राज-नैतिक नेता का हाथ है बताया जाता है जिसके पत्र में इस नेता की बडी बडी सुर्खियां निकल रही हैं, तस्करी व्यापार का अड्डा बताया है, स्थान बताया है, 'सिकन्दरिया का खास आदमी है'। वह महाशय 'गण राज्य' के हैं। ७५ कोपीज बांध दी गई बोर्डर के जवानों को पढने के लिए। यह वह आदमी है जिसके पास से ५३ में ट्रान्समीटर पकडा गया, यह वह शख्स है जिसको राष्ट्रपति ने पकडने के लिए कहा। यह वह शख्स है जो ऑल इन्डिया कांग्रेस के उच्च चोटी के नेताओं में से है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): नाम क्या है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: रामरतन कोचर। जिनके साथ हमारे गृह मंत्री महोदय जब बीकानेर पधारते हैं तो सुशोभित होकर घूमते हैं।

(शेम शेम)

चेयरमेन महोदय, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): चेयरमेन महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बडे जोश के साथ में बातें रखी जा रहीं हैं, मैंने सदन में पहले भी निवेदन किया था उसे आज फिर दोहराता हूं कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ चाहे वह कोई नेता हो या छोटा हो या बडा हो, आप तस्करी करने की बात रखते हैं तो उसकी जांच की जायेगी। साबित होने पर मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि सजा देने में हम नहीं हिचकिचायेंगे। लेकिन जिस प्रकार का आपका भाषण हो

(श्री मथुरा दास माथुर)

रहा है उससे आप केवल राजनैतिक आकांक्षा पूरी कर सकते हैं, आप अपने मतलब को भले ही हल करलें, लेकिन उससे नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं । किसी भी व्यक्ति का नाम, जो इस सदन में आकर अपनी सफाई नहीं दे सकता, उसका नाम लेना न लेना कहां तक उचित है यह चेयर के देखने का सवाल है । अगर आप किसी बात को कहते हैं तो कॉन्क्रीट रूप से कहिये । पहले भी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसी प्रकार का जिक्र करते हुए एक का नाम लिया था, हमने उनकी जांच की, साबित होने पर गिरफ्तार किया गया । यह जो आप रामरतन कोचर का नाम कह रहे हैं उसके लिये नम्र निवेदन करूंगा कि आप यह भी बतायें कि आपके पास उनके बारे में क्या सुबूत है । केवल किसी अखबार का उद्धरण दे देना पर्याप्त नहीं है । हो सकता है उस अखबार की नीति से आपको घृणा हो, नफरत हो । मैं चाहता हूं कि उनका हाथ तस्कर व्यापार में किस तरह से है, कौन कौन आदमी करते हैं, वह बताइये ताकि उनको गिरफ्तार किया जाय । हमने प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के नीचे अनूपचन्द कोचर को गिरफ्तार किया, हमने गणराज्य के कॉरेस्पोन्डेन्ट को भी गिरफ्तार किया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: चेयरमेन महोदय, तथ्य और वाकेआत मैं आपके सामने रख रहा हूं । मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मेरे पास इतना समय नहीं कि जो गण राज्य की प्रतियां मैं लाया हूं उसको पढ़ सकूं।............

श्री मथुरादास माथुर : हम इनको पढ़ते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आप पढ़ते हैं तो गण राज्य की प्रतियों के अन्दर जिस प्रकार से लिखा जाता रहा है उससे एक निचोड अवश्य निकलता है । मैंने आपसे निवेदन किया है कि बीकानेर के अन्दर और गंगानगर जिले के अन्दर अनूपगढ़ क्षेत्र के अन्दर दो टोलियां हैं - एक टोली के लोगों को गिरफ्तार किया था, एक समय था जबकि इन्हीं महाशय ने फूले के नीचे एक-दो पुलिस अधिकारियों की बहुत तारीफ की थी । दूसरी दफा दूसरी प्रकार की तारीफ है । इनसे सम्बन्धित मुख्य लोग जैसे कि मैंने फुला वाला केस रखा । भुवालों की लडकी को ले आया गुलाम कादिर मिर्जा सिकन्दर का इस लडकी के साथ रिश्तेदारी थी । उसमें इस जगमालसिंह को इस्तेमाल किया गया । डी० आई० जी० ने जब उसको पकडा, जिन्होंने पकडा, उन कर्मचारियों की इस अखबार में बडी भारी निन्दा है और जब उनके खुद के आदमियों को पकडा गया तो उसके आखिरी अंक में उन अधिकारियों की भी निन्दा है । इसमें किसी पुलिस के कर्मचारी पर कीचड मैं उछालना नहीं चाहता लेकिन जो तथ्य है वह मैंने आपके सामने रखा है..........

श्री सभापति: Please try to conclude as soon as possible. You have now only two minutes to conclude.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: जगमालसिंह का पकडा जाना कोई कठिन काम नहीं ।

श्री सभापति: ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मेरी पार्टी के समय में से दीजिये । मैं पार्टी व्हिप के नाते कह रहा हूं ।

Page No 72

श्री सभापति: There is another member who wants to speak.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: किसी भी विधान सभा में किसी की आवाज पर कन्ट्रोल नहीं।

श्री दलपतसिंह (आबू): On a point of order, Sir. This is not a parliamentary expression......

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): On a point of order, Sir. He can not say like this...........

श्री सभापति: I will see to it, Do'nt worry. Hon'ble Members will please take their seats. Yes. Shri Handa Plsase conclude within three minutes.

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: मैं आपसे अर्ज कर रहा था वे डाकू १२ बजे डाका डालते हैं और उसके बाद वहां से १५-२० मील की दूरी पर पाई स्थान पर जाकर तीन आदमियों को उठाकर पाकिस्तान में चले जाते हैं जो वहां से तीस मील की दूरी पर हैं।

सभापति महोदय, तीन बजे रात को पुलिस वहां पहुंचती है, दो बजे रात्रि को फाइरिंग सुन कर पटसाना पोस्ट से जब आवाज सुनाई देती है तो पुलिस पहुंचती है और डाकू पाई से तीन आदमियों को उठा कर सुबह आठ बजे चड्डी पोस्ट पर पहुंच कर बकरा काटते हैं और वह भी हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की हद्द में बैठ कर। उसके बाद जीप आती है वह जगमालसिंह को संभालती है। हमारी पुलिस पोस्ट केवल तीस मील की दूरी पर थी डाकुओं के चले जाने के बाद कुछ आदमी आते हैं सर्वे वाले देखते हैं राजस्थान केनाल का जो सर्वे चल रहा है उनके जो केम्प बने हुए हैं उन्होंने देखा कि डाकू वहां से गुजरे हैं कुलुवाली में जाकर वहां पर छोड कर वापिस आ जाते हैं। यह वो समय था जब कि हमने कुछ पोस्ट्स छठी बटालियन के चार्ज से लेकर तीसरी बटालियन के चार्ज में दी। उनमें आपसी संघर्ष चल रहा था। थर्ड बटालियन के लोग पोस्ट्स को लेना चाहते थे और छठी बटालियन छोड नहीं रही थी। इसी कान्फरेन्स में कुछ वाकेआत होते हैं इनका एक दूसरे से किस तरह से सम्बन्ध है यह अन्दाज आप लगा सकते हैं।

गोविन्दगढ एक पोस्ट हमारी होती है कादिर बक्ष नामक एक शख्स मर जाता है। ७-८ तारीख को फुलुवाला डाका पडता है उसके केवल कुछ दिनों के बाद एक डाका पडता है काकरों की ढाणी के अन्दर। उस डाके के बाद हमारे बहादुर जवान डाकुओं को पकड लाते हैं और एक डाकू को मार डालते हैं।

वहां पर पुलिस थानेदार इन्वेस्टिगेशन करने आता है। वहां जगमालसिंह पाकिस्तान से आता है और किशनसिंह सिपाही को उठा कर ले जाता है।

सभापति महोदय, इस तरह विगत १२ सालों से वहां के पुलिस के कर्मचारियों में वह प्रोटेक्शन सीक कर रहा है। बहादुरसिंह एक शख्स है, हमारी हद्द में रहता है और वहां के आस-पास के गांवों के हरिजनों से चौथ वसूल करता है। उससे मुठभेड हुई। यह ठीक है, उसमें जीप वगैरह भी तोडी गई है। एक महाशय से रिश्तेदारी है.........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: That will do Please

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसलिये सभापति महोदय,.........

श्री सभापति : श्री मुकुटबिहारीलाल ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): सभापति महोदय, अभी आपने राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर घटने वाली घटनाओं की तरफ माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है, मैं राजस्थान में पूर्वी सीमा पर घटने वाली कुछ घटनाओं की तरफ सदन का और गृह मंत्री महोदय का आपके द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

मैं आपको धौलपुर की तरफ ले जाना चाहता हूं । बड़े शर्म की यह बात है कि हमने जब राजाखेडा के बारे में पाकिस्तान से एक रेडियो ब्रॉड-कास्ट सुना तो हमारी नजरें शर्म से नीचे झुक जाती हैं और पाकिस्तान के रेडियो से जब खुले आम उन बातों का प्रचार होता है कि भरतपुर राजस्थान के एक जिले में राजाखेडा में औरतों का हाट लगता है । उन औरतों को वहां खुले आम खडी करके उनका हाट लगता है । जैसे मवेशी बेचे जाते हैं उस तरह से औरतों की खुले आम बिक्री होती है । वहां के लायक थानेदार महोदय हैं पृथ्वीसिंहजी, इस व्यापार में उनका बाकायदा कमीशन होता है, डी० एस० पी० महोदय का बाकायदा कमीशन होता है (शेम-शेम) और जब हमने इन तथ्यों का पता लगाया कि यह कहां तक सही है तो व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर निहायत नम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि ये घटनायें सही और सच्ची मालूम हुई हैं ।

आज मध्यभारत, यू० पी० और दूसरे पंजाब के इलाकों से औरतें उडा उडा कर वहां लाई जाती हैं और खुले आम उनका व्यापार राजाखेडा में होता है और यह व्यापार सरे आम पुलिस के पूरे संरक्षण में होता है और उनका प्रचार पाकिस्तान के रेडियो से होता है और जब आपका विभाग वहां से रिपोर्ट मांगता है तो वहां से गृह मंत्री महोदय के पास रिपोर्ट आई है वह भी मैं बताता हूं वह यह आई है कि इस प्रकार की कोई घटना वहां नहीं हुई । तमाम इलाके में अमन-चैन है और कोई दो साल पहले एक आध किडनैपिंग का केस दर्ज है पुलिस में । तो इस तरह वहां तो मामला बिल्कुल साफ है ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की चीजों के बल पर क्या आज इन बडी बडी बातों को, इन बडे बडे तथ्यों को हम नजर अन्दाज कर देना चाहते हैं, भुला देना चाहते हैं ? अगर देश में इस प्रकार की घटनाएं बढती रहीं तो जनता का जो विश्वास ह थोडा बहुत पुलिस पर आज भी, वह भी उठ जावेगा ।

मैं वैसे रेफरेन्स के तौर पर बताऊं कि कितनी ही मर्तबा यह बात कही गई कि धौलपुर के बारे में जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उस वक्त गृह मंत्री महोदय, नहीं थे, कि बसई नवाब के अन्दर डाका पडता है, उससे कुछ दिन पहले यह फैसला होता है कि वहां पडी हुई आर० ए० सी० की पोस्टें धौलपुर की फलां फलां इलाकों से हटा लेनी चाहिये । इसके विरोध में हमने लिखा और उस दरख्वास्त पर दस्तखत करने वालों में, मैं भी था । हमने टेलीग्राम देकर भी गृह मंत्रीजी को सूचना दी कि हमारे इलाके में अशान्ति व्याप्त हो जावेगी, इस आर० ए० सी० की पोस्ट को बसई से मत हटाइये, पर दुर्भाग्य

(श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल)

की बात है कि वह पोस्ट वहां से हटाई जाती है और उसके दूसरे तीसरे दिन बसई नवाब में डाका पड जाता है। भीषण डाके की घटना होती है। अब देखने की यह बात है कि उस आर० ए० सी० की पोस्ट को हटाने का निर्णय किसने लिया ? इसके पीछे क्या राज था ? और डकैतों से इसका लिंक कहां जुडता है। एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के डी० एस० पी० श्री नारायणसिंहजी जब बसई नवाब में डाका पडने वाला था तो उसके एक दो दिन पहले छुट्टी ले लेते हैं ताकि कोई यह नहीं कहे कि नारायणसिंहजी वहां पर मौजूद थे। इससे पहले भी और बाद में निठार में डकैती पडती है। डकैत उसी धौलपुर के एरिया के थे उससे भी तीन दिन पहले नारायणसिंहजी छुट्टी ले जाते हैं। जब जब ऐसी घटनाएं हुई हैं। निठार के इलाके में जिस वक्त मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी में होकर डकैतों का गिरोह घुसता है, मैं एस० पी० को फौरन सूचना देता हूं अपनी सूचनाओं के आधार पर कि डकैतों का गिरोह हमारे क्षेत्र में घुस आया है और तीन चार रोज पहले सूचना देने के बाद भी पुलिस इतनी निष्क्रिय साबित होती है कि वहां डकैत घुसते हैं, छः छः आदमियों का कत्ल होता है, पर पुलिस नाकामयाब साबित होती है उनको पकडने में। पुलिस ने जो कदम उठाये हैं उनके बारे में गृह मन्त्रीजी ने सदन को अवगत कराया है और भी कराएंगे।

मैं तो कहना चाहता हूं कि आज अगर हम इन घटनाओं के पीछे पुलिस का और डकैतों का किस तरह से सांठ-गांठ है उसकी तरफ ध्यान दें तो बहुत बडा राज खुलेगा।

मैं राजाखेडा के थानेदार पृथ्वीसिंहजी के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा। यह बहुत ही निम्न तरीके की बात है जिसको कहने में भी मेरा मन अकुलाता है और सकुचाता है, पर यह बात आम हो गई है कि जब जब ट्रान्सफर होने की बात होती है तो सुन्दर सुन्दर युवतियां सामने रख कर राजस्थान के बडे बडे अधिकारियों के पास से ट्रान्सफर कैंन्सिल करवा आते हैं। यह बिल्कुल अक्षरशः सत्य घटना है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir.

श्री सभापति : This is a point of order.

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं सदन का ध्यान रूल २६२ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें उल्लेख है कि," Rule to be observed while speeking. A member while speeking shall not use offensive expressions about the conduct or proceedings of the Assembly and utter treasonable seditious or defamatory words.... मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि माननीय सदस्य जब ऐसे तथ्य रखें तो वे पूरे कन्विंसिंग हों तब तो कोई बात नहीं, पर जो यहां उपस्थित नहीं है उनको इस तरह से डिफेम करना, जो अपने आपको डिफेन्ड नहीं कर सकता, यह रूल्स के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री सभापति : You continue your speech

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापति महोदय, संकोच मेरे को भी था। पर ये तथ्य हैं। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और फिर एक बात और बता दूं जिस आदमी का लगातार नौ-दस साल से एक ही जगह पर पोस्टिंग हो, एक पुलिस अधिकारी एक ही पुलिस स्टेशन पर रह जावे और उसका इतनी शिकायतें होने पर भी, ट्रान्सफर न हो, वैसे भी इतने अर्से

(श्री मकुटबिहारीलाल गोयल)

में अधिकारी का ट्रान्सफर हो जाना चाहिये तो उससे क्या धारणा लोगों की बन सकती है। यह ठीक है कि खाना पूर्ति करने के लिये कभी दो महीने उनको पास ही में वाडी में रख दिया, और फिर वहीं भेज दिया, कभी दो महीने और कहीं आस पास भेज दिया और फिर वहीं ला रक्खा तो इस प्रकार घटना चक्र जब चलता है तो बुरी धारणा बनती है। वे वहां के वहीं आज भी मौजूद हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इन तमाम घटनाओं की विशेष जानकारी करनी चाहिये।

मैं एक बात सुझाव के तौर पर, आलोचना की दृष्टि से नहीं, गृह मंत्रालय को कहना चाहता हूं कि जो कट मोशन्स यहां आये हैं, जो वातावरण यहां पर बना है उसको देखते हुए यह निर्विवाद सत्य है कि आज सदन के सदस्य और राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति इस भ्रष्टाचार से ऊबा हुआ है। जनता का मन इस भ्रष्टाचार से ऊब गया है और धीरे धीरे उसकी इस राज से इस सत्ता से नफरत सी होने लगी है, इस सत्ता के प्रति लोगों में घृणा के भाव पैदा होते जा रहे हैं। तो जनता के इन भावों को बदलने के लिये जरूरी है कि भ्रष्टाचार को मिटाया जाय, और भ्रष्टाचार को खतम करना है, जो कि इन गृह मंत्री जी के रहते हमें तो सम्भव नहीं लगता, तो इसके खिलाफ युद्ध स्तर पर तैयारी करनी होगी।

आपको यह बात अपनी पार्टी के अन्दर भी तय कर लेनी होगी कि चाहे इन भ्रष्टाचारियों में आपकी पार्टी के आदमी हों, चाहे उनके किसी भाई-भतीजे का हाथ हो, कोई भी क्यों न हो, अगर भ्रष्टाचार में, तस्करी में, रिश्वतखोरी में वे संलग्न हों तो उनके खिलाफ भी युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जावेगी इस तरह की बात की जावे तो मैं कुछ सुझाव भ्रष्टाचार विरोधी महकमे के बारे में भी पेश करना चाहता हूं।

इस महकमे के बारे में भी लोगों की धारणाएं बनती जा रही हैं कि यह एन्टी-करप्शन विभाग नहीं है, यह तो अन्टी गरम विभाग बन गया है। पर जहां तक मैं समझ पाया हूं इसमें पूरा स्टाफ नहीं है और फिर इसमें जो कार्य प्रणाली आपने रख छोडी है वह भी दूषित है। तमाम राजस्थान भर के केस जयपुर में आकर रजिस्टर होते हैं। यही नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनको डील करने में उनको वर्ष लग जाते हैं और इस तरह भ्रष्टाचार का मूल तथ्य ही ओझल हो जाता है और न्याय नहीं मिल पाता। इसके लिये मैं सुझाव दूंगा कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि जैसे ही भ्रष्टाचार की शिकायत कलेक्टर के सामने जाय वह थानों में जैसे और क्राइम्स की रिपोर्ट दर्ज होती है, उसी तरह दर्ज कर ली जाय और उस पर तुरन्त कार्यवाही करनी शुरू कर दी जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। जैसे कोई भी काग्नीजेबल ऑफेन्स की रिपोर्ट थानों में होती है और उनकी एक दम जांच शुरू हो जाती है उसी तरह से इनकी भी हो जानी चाहिये। अब अगर शिकायत करने वाले की शिकायत झूठी

(श्री मुकट बिहारी लाल गोयल)

साबित हो तो उसके खिलाफ भी आप कार्यवाही जरुर करें। पर यह जरुर चाहूंगा कि जुर्म जल्दी से जल्दी रजिस्टर किया जाना चाहिये।

यही नहीं मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डीग के सर्किल इन्सपेक्टर मिस्टर सैनी साहब हैं उसके खिलाफ वहां की जनता में बहुत असन्तोष है उनके खिलाफ वहां के पत्रकारों ने काफी लिखा । तो उन्होंने मोहनस्वरूप जी और सूरजभान गुप्ता पत्रकारों को पकड लिया और गिरफ्तार करके ३१० का केस बनाया और श्री तुलसीराम जी 'आवाज' के सम्पादक ने लिखित में शिकायत दी। नाम गिना गिना कर उन्होंने बातें कही हैं कि एस. पी. श्री चड्ढा ने, सैनी ने इस प्रकार की रिश्वतें ली हैं । पर दुःख की बात है कि चड्ढा को तो मुअत्तिल कर दिया गया जब कि मुख्य कलप्रिट सैनी हैं, वे वहीं डीग में ही हैं जिनके लिये जनता ने जगह जगह लिख रखा है कि घूंसघर इधर है, घूंसखोरी इधर है । जगह जगह आपको इस तरह से लिखा मिलेगा । आप डीग के मोटर के अड्डे पर लिखा हुआ देख लें घूंसघर इधर है । बडा घूंसघर और छोटा घूंसघर इधर है इस प्रकार का लिखा हुआ आपको जगह जगह मिल जायेगा । जो सर्किल इन्सपेक्टर महोदय हैं उनके खिलाफ मैं कहूंगा कि कितने ही चार्जेज हैं जो इस अखबार वाले ने भी दिये हैं 'लाल निशान' में। २,०००) रुपये डीग थाने के एक डकैती के केस में लिये, १,०००) रुपये पहाडी थाने के एक गाय काटने के केस में लिये, १,२००) रुपये सीकरी के एक कत्ल के मामले में लिये, ९००) रुपये सीकरी के एक अन्य कत्ल के मामले में लिये, १,३००) रुपये जनूथर के एक कत्ल के मामले में लिये, ७००) रुपये पहाडी के एक डकैती के मामले में लिये, ५,०००) रुपये अरकी थाना सीकरी के गाय के मामले में लिये, १,०००) रुपये देहली के मार्केटिंग करने में एक थानेदार से लेकर व्यय किये । मतलब यह है कि इस प्रकार की कितनी ही ऐसी बातें हैं।

एक बात और मुख्य है जिसको मैं कहना चाहूंगा और वह यह है कि आज भरतपुर जिले की पुलिस राजनैतिक कारणों से शायद लोगों पर ११० के मुकदमे चलाने में व्यस्त है। चाहे वह इस बात में वफादारी सिद्ध करने के लिये आये दिन विरोधी दलों के लोगों पर ११० के मुकदमे चलाकर उनकी आवाज को बन्द कर देना चाहते हों। यदि ऐसा सोचते हैं तो शायद वह हाथी के काम में होते हैं । इस तरह से विरोधी दलों के लोगों की आवाज नहीं दबाई जा सकती । मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रकार की चीजें चलती रहीं तो इसके भयंकर परिणाम होंगे और यह पुलिस शासन आपके लिये भी हितकर नहीं होगा । आम जनता के लिए तो हितकर अब भी नहीं है । इसके अलावा मैं अजमेर की दरगाह के मौलवी साहब का एक बहुत ही गम्भीर मामला यहां रखूंगा । उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में भाषण दिया । उन्होंने इस बात को सरे आम कहा कि अब हमें पाकिस्तान की वफादारी के लिये तैयार हो जाना चाहिये । उन्होंने

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
अपने पक्ष के लोगों को इस बात के लिये आह्वान किया कि अब समय है कि जब हम हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दें और आन्तरिक विद्रोह की तैयारी शुरू कर दें। इसकी रिपोर्ट भी राज्य सरकार के पास आ गयी है तो। राज्य सरकार को इस सम्बंध में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। मैं यह आशा करता हूं कि इसके अन्दर सरकार ध्यान देगी। परन्तु राज्य सरकार का तो तरीका ही दूसरा है। वह नानक इसरानी जो है उसको तो गिरफ्तार करती है डिफेन्स ऑफ इन्डिया एक्ट के तहत परन्तु देशद्रोह के इस प्रकार के काम करने वाले वाले आदमियों के खिलाफ जो कि खुले आम इस तरह का प्रचार करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती ....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): यह आपने कौनसी मस्जिद का जिक्र किया?

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल: दरगाह शरीफ, अजमेर।

इसके अलावा जेल के बारे में एक मेरा कटौती प्रस्ताव है .....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: श्री रविशंकर याज्ञनिक।

श्री रविशंकर याज्ञनिक (भिंडवाडा): सभापति महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव पुलिस में चल रहे भ्रष्टाचार और पुलिस का जो व्यवहार है आम जनता के प्रति उसके बारे में है। हिन्दी के शब्द कोष के अन्दर पुलिस के लिये एक बहुत ही सुन्दर शब्द कहा गया है। उसको कहा गया है आरक्षक; ऐसे व्यक्ति जो कि दुखी लोगों की रक्षा करें। कितना सुन्दर शब्द है। लेकिन उसका व्यवहार जब हम जनता के साथ देखते हैं तो मैं कहे बगैर नहीं रहता कि शब्द का कितना सुन्दर अर्थ है उतना ही उसका व्यवहार भद्दा है। इसके लिये मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। पुलिस अब रक्षक नहीं, लेकिन भक्षक रही है। पुलिस का कर्तव्य है कि आम जनता की सेवा करे, उनके दुख सुने; लेकिन आज मैं देखता हूं कि पुलिस का काम एक ही रह गया है - लोगों के खिलाफ झूठे मकदमे बनाना और उनसे पैसे ऐंठना इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा।

आज से एक वर्ष पहले का उदाहरण है। हमारे यहां थाने के अन्दर एक फौजदार साहब थे। उनके ऊपर अब होम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी हुई उसका उन्होंने तबादला कर दिया। उसके खिलाफ आज कितनी ही अर्जियां हैं जो पेन्डिंग हैं। यह फौजदार थे श्री फतेहसिंह जी लोढा। इनको राजस्थान के अन्दर काफी लोग जानते हैं। वे अपनी औरत के नाम से बीमे का काम करते हैं। वह किरवी के पास जाते हैं, उसको धमकाते हैं और फील्ड ऑफिसर पावा और यह दोनों मिलकर जाते हैं और उसका और उसके लडके का बीमा करते हैं। पैसा लेते हैं। उस बेचारे किरवी ने बीमा निगम के अन्दर और यहां तक कि प्रधान मंत्री के पास भी अर्जी दी। वह मारा मारा फिरता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी तरह से उन फौजदार साहब ने एक व्यक्ति से १,२००) रुपये लिये। यह बात मुझे एक अच्छे आदमी ने कही, जो कि

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)

न्याय पंचायत रोटरा का प्रधान है उसने कही। वह आदमी खुद थाने में गया है, उसकी मार्फत यह पैसा दिया गया और वह इसलिये दिया गया कि जो हकीम आदमी था उसके खिलाफ एक झूंठा मुकदमा बनाया गया। एक आदमी से कह कर उसके घर में कारतूस रखी गयी। वह आदमी मर गया है। उस व्यक्ति का नाम है गनी फौजू। उसने खुद ने कहा कि हमने झूंठा मुकदमा बनाया और पैसे ऐंठे। इसी प्रकार हमारे गांव में हलवाई है उसके खिलाफ २०० रुपये की रिश्वत ली। वे लोग उसकी रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, इसलिये कि वे डरते हैं और जो इन्क्वायरी करते हैं वे वहां के एस. पी. हैं; जिन एस. पी. का उन फौजदार साहब को संरक्षण था। वह एस. पी. की गाडी में फिरता है और कहता है कि तुमने कोई बयान दिया तो मैं वापिस आ रहा हूं और तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करूंगा। इस तरह से जो कार्यवाही होती है वह दब जाती है। इसी तरह से इन फौजदार साहब ने, बद्रीप्रसाद कहा करता है कि उसकी दुकान के ऊपर अफीम रखवाकर उसके खिलाफ झूंठा मुकदमा बनवाया ··

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : इस फौजदार का नाम क्या है ?

श्री रविशंकर याज्ञनिक : फतेहसिंह लोढा। आपने उसका ट्रान्सफर कर दिया है अब। इसी तरह से हमारे थाने के अन्दर ६ महीने पिण्डवारा के अन्दर फौजदार था पुखराज मेहता। उसके समय सिरोही रोड स्टेशन के ऊपर एक पान वाला है उसके यहां चोरी हुई। उस बेचारे ने पुलिस में रिपोर्ट की तो उसका साथ देना तो दूर रहा उसके बदले में उसको हैरान किया गया और आज तक वह आदमी परेशान है। इस तरह की बहुत सी शिकायतें हैं। तो मेरी यही अर्ज है कि आज पुलिस के अन्दर जनता जाने से घबराती है। क्योंकि जानते हैं कि अगर हम जायेंगे तो हमारी सुनवाई तो नहीं होगी, बल्कि हमें कुछ पांच-पच्चीस रुपया देना पडेगा। मेरा कभी कभी थाने के अन्दर जाने का मौका मिलता है। तो हमारे थाने में हमारे डिपार्टमेन्ट ने क्या किया है कि एक महात्मा गांधी की फोटो लगा रखी है ·······

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपका समय थाने में बीता है तो क्राइम के ज्यादा शौकीन हैं या क्या है ?

श्री रविशंकर याज्ञनिक : तो वहां एक महात्मा गांधी का फोटू है, उसके हाथ यों है और ५ ऊंगलियां बताते हैं। तो वह फौजदार साहब क्या कहते हैं, दो तीन फौजदार है, मुझे नाम तो पता नहीं, वे कहते हैं कि देखो भाई यह ५०० रुपये तक की तो छूट देते हैं। उनका धंधा यही है ·······

श्री दलपतसिंह (आबू) : आप उनका नाम बता दें ताकि गृह मंत्री जी कोई एक्शन ले सकें।

श्री रविशंकर याज्ञनिक : वही लोढा साहब है।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) : आप कहें तो सारी लिस्ट दे देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : दे दें।

श्री सभापति : Order please !

श्री रविशंकर याज्ञनिक : तो इस तरह से मेरा होम मिनिस्टर साहब से अर्ज है कि

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)

जो इस तरह से पुलिस का व्यवहार होता है उसको बन्द करायें और जो इन्क्वायरीज होती हैं उनको पुलिस के आदमी से न करा कर ऐसे आदमी से करवायें जो कि इन्क्वायरी बिल्कुल इम्पार्शयली कर सके। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(३-०० म० प०)

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : हमारी पार्टी का टाइम बांधा है उसके मुताबिक बहुत थोडा टाइम हमको मिल सका है।

श्री सभापति : अभी कांग्रेस वाले ही बोले हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : आदरणीय सभापतिजी, पुलिस की डिमान्ड के ऊपर मेरे करीब ६ कट मोशन्स हैं उनमें से ६ बनेडा से तहसील हटाये जाने के बाद जो आन्दोलन हुआ उससे सम्बंधित है, २ भ्रष्टाचार से सम्बंधित है, एक रेल्वे स्ट्राइक के बाद सरपंच ने खाने पीने का इन्तजाम किया काफी अर्सा हो गया उसका पैसा नहीं दिया उसके सम्बंध में है और कुछ नीति के बारे में हैं। मैं एक एक के बारे में अर्ज करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आज से दो रोज पहले पुलिस की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी, उस बात के लिये तो धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान सरकार के कुछ विभागों ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने की हिम्मत की है जिससे लोगों को स्पष्ट मालूम हो जाय कि वास्तव में वे विभाग क्या काम करते हैं। अब से पहले शायद ऐसा काम राजस्थान सरकार के विभाग नहीं करते थे। मैं यह भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पुलिस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ बातें जो गलत मानी जा सकती हैं उनको भी छिपाने की कोशिश नहीं की स्पष्टत: लिखा है जैसे उन्होंने मुकद्दमों के बारे में, जुर्म के बारे में लिखा १९६०-६१ और ६२ के आंकडे दिये उनमें बढोतरी हुई उसको छिपाया नहीं है।

मैं इसके साथ बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं, सभापति महोदय आपके द्वारा गृह मंत्रीजी से कि कल अखबारों को एडवर्टाइजमेन्ट देने के बारे में उन्होंने कहा था कि जो अखबार हमारी नीति के खिलाफ लिखने की कोशिश करेंगे हम उनको एडवरटाइजमेन्ट नहीं देंगे। इस पुस्तिका में यह बताया गया है कि जुर्म क्यों बढे इसमें साफ लिखा है कि डीसेन्ट्रेलाइजेशन उसका एक कारण है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की बात नहीं लिखनी चाहिये थी रिपोर्ट में यदि लिखी है तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि डिसेन्ट्रेलाइजेशन के कारण कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जुर्म बढे हैं इस तरह की खुली रिपोर्ट आनी चाहिये वर्ना अधिकारियों का चार्ज उन लोगों पर है जिनके हाथ में डीसेन्ट्रेलाइजेशन की बागडोर है। चाहे वे मिनिस्टर हों जनता के चुने हुए पंच हों, चाहे सरपंच हों, प्रधान हो जो लोग वहां बैठते हैं उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग हैं उनका खुला चार्ज उनके ऊपर आता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि वे खुली रिपोर्ट पेश करें कि ऐसे कितने कितने जुर्म इनके द्वारा इन कामों में बढे हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के अन्दर पैरा १४ में बताया गया है

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)

कि राजस्थान सरकार की ओर से निश्चित किया है कि चुने हुए आदमियों को जब भी गिरफ्तार किया जायगा, उन पर केस चलाया जायगा तब उसके खिलाफ कोई न कोई केस लगाया जायगा। उनको मालूम होगा तभी ऐसी बात की जायगी और यदि मैं गलती नही करता हूं तो मुझे याद है माननीय गृह मंत्रीजी ने इस हाउस में ऐलान किया था कि चुने हुए आदमियों को कभी हथकड़ियां नहीं लगाई जायेंगी लेकिन मैं फोटो के द्वारा मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि जब वनेडा में तहसील न हटाने के बारे में आन्दोलन हुआ तो एक परिचित आदमी जिनके लडके की शादी में गये थे, भरतलाल और जानकीलाल जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनको हथकडी लगाकर लाया गया, उनकी फोटो पेश करता हूं। इसके अलावा दूसरी फोटो और पेश करना चाहता हूं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कानून की बात है, जब कोई मुलजिम मजिस्ट्रेट के सामने अदालत के कमरे में पेश किया जाय तो अदालत के बाहर उसकी हथकडी खोल देनी चाहिये लेकिन यह फोटो है जो बताती है कि अदालत के कटघरे में हथकडी लगी हुई है। (शेम-शेम) जनता के लोगों को गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया पुलिस के द्वारा, पुलिस के सिपाई मौजूद हैं, कौन सिपाही है उसकी फोटो मौजूद है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि किस तरह से हाउस में बात कही जाती है, किस तरह अमल में लाई जाती है इसका यह फोटो स्पष्ट प्रमाण है।

इसके अलावा महिला पुलिस इस आन्दोलन को दबाने के लिये, जिसमें महिलाएं काम करती थी वे भी भीलवाडा से भेजी गयी थी जिन्होंने बिना पुलिस की ड्रेस पहने जो अत्याचार किये हैं उनके बारे में मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं। उन्होंने बिना पुलिस की ड्रेस पहने लाठी चार्ज किया है उनकी फोटो मेरे पास मौजूद है जिनके बारे में कहा गया कि यहां से भेजा था पुलिस ड्रेस में थी, मैं बतला सकता हूं कि पुलिस की ड्रेस नही होते हुए भी इस प्रकार का काम किया। इस प्रकार का नाजायज काम आपकी पुलिस करती है।

दूसरी तरफ कहते हैं एमर्जेन्सी है। हिन्दुस्तान का यह प्रान्त पाकिस्तान के बोर्डर से मिलता है। मैं अदब से गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आज हमारे सामने मसला है दूसरों से मुकाबला करने का और अपनी आजादी को बचाने का। आपसी झगडों में आपकी पुलिस की ताकत को मत लगाइये, लगाइये उनके खिलाफ लडने में जो हमसे आजादी छीनना चाहते हैं। लेकिन आप उनसे लडने की तैयारी नहीं रखते हैं, घर में लडने की तैयारी रखते हैं। मैंने एक मसला पेश किया था उसका लिखित में जबाब दिया उसके लिये शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन एक बात कहता हूं कि इस पत्र को देखने से महसूस होता है कि डिपार्टमेन्ट ने जैसा लिखा वही बात लिखदी। यह बात तो मुझे खुद को भी मालूम थी। वास्तव में एक ६ महीने के बच्चे को जिन्दा जलाने का मामला था। हाउस में पेश किया यह कहा गया कि पुलिस अधिकारी ने पता लगाया वह लडका आग लग जाने से जल गया था। मैंने कहा कि आखिर पता लगाना चाहिये कि जलाने वाला कौन था ? एक अधिकारी से सम्बंधित मामला था। उसको छिपाया नहीं जाना चाहिये था। पुलिस अधिकारी और सी. आई. डी. को भेज कर इन्वेस्टिगेशन कराके

(श्रीउमरावसिंह ढाबरिया)

पता लगाते कि सही क्या है और गलत क्या है ? इतना ही कहना काफी नहीं था। बात दर्ज हुई उसका पता लगाना चाहिये था, दबाना नहीं चाहिये था।

इस फरवरी माह में बनेडा तहसील में इतनी चोरियां हुई हैं जो पिछले ७ साल में कभी नहीं हुई थी। बनेडा में ४ दिनों में ३७ जगह ताले टूटे साईकिल जैसी चीज छत से पार करके पुलिस थाने के सामने से ले गये, उसके बावजूद, भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। बनेडा तहसील में एक लगास गांव है जहां नारायण जी जाट नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जिनके घर से ३,२२५) रुपये ले गये रात में। मैं खुद एस. पी. और कलेक्टर भीलवाडा से मिला, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मैं बताना चाहता हूं कि तहसील आन्दोलन के समय पुलिस ने ऐसे नाजायज काम किये हैं जिसका आतंक अब भी फैला हुआ है। मैं खुद नारायण जी के पास गया था और उनसे कहा कि आप रिपोर्ट दर्ज कराइये, चोरी हुई उसकी, लेकिन वे कहने लगे कि ३,२२५)रु० की चोरी हो गई 'पुलिस पास जावाला तो तीन हजार रुपया और देना पडेला।' जिस शख्स के यहा तीन हजार की चोरी हो गई वह पुलिस के आतंक के कारण रिपोर्ट करने से डरता है।

आज पुलिस में जितना भ्रष्टाचार होता है वह क्यों होता है, उसका क्या कारण है ? मेरा जिन्दगी में कितने ही पुलिस अधिकारियों से काम पडा है। मैं सही कहना चाहता हूं कि दूसरों को तो बचावें, न बचावें, लेकिन मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि वे खुद इनसे बच लें क्योंकि वे भीलवाडा, उदयपुर या चित्तौड जाते हैं तो उनके साथ सी. आई. डी. रहती है वे भीलवाडा गये थे वहां पर हरेक से मिल नहीं सके, उनके पीछे क्या होता है उनके अधिकारियों को और उनको मालूम नहीं हो सकता। इनके स्वयं के पीछे भी सी. आई. डी. के लोग लगे रहते हैं। इसलिये ये दूसरों को बचाने के साथ साथ अपने को भी बचायें। मैं स्पष्ट रूप से इस मामले में कहूंगा····

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): सी. आई. डी. मेरे पीछे रहती है, मेरे हुक्म से रहती है और मेरी नालेज से रहती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): मुख्य मंत्रीजी के हुक्म से तो नहीं रहती।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर वह सी. आई. डी. के लोग आपके विभाग के हैं तो बहुत अच्छा है परन्तु अगर नहीं है और वे किसी गुप्त विभाग के हैं तो उसका आपको पता लग सके या नहीं पर मैं पता लगा सकता हूं क्योंकि भीलवाडा में मैं काफी वर्षों से रहा हूं इसलिए जानता हूं कि पुलिस विभाग के सी. आई. डी. किसके पीछे हैं और यह भी जानता हूं कि आपके पीछे किसकी सी. आई. डी. रहती है। आपके वहां एस. पी. हैं, वे आपका कहना नहीं मान सकते, वे किसी दूसरे के हुक्म पर चलते हैं। इसी कारण भीलवाडा में जो अच्छे कर्मचारी आये हैं उनमें यह असंतोष है और वे कहते हैं कि इस राज्य में नौकरी करने से तो कहीं कुछ करना अच्छा है क्योंकि ऊपर से टेलीफोन आते हैं और वे कुछ नहीं कर सकते। यह नजारा है वहां का मैं कहना चाहता हूं कि आप चाहे किसी कुर्सी पर बैठे हों लेकिन आप

Page No 82

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कुछ नहीं कर सके हैं। जब आप इस कुर्सी पर बैठे थे, उस समय हमने उम्मीद की थी कि आप जैसे क्रान्तिकारी आदमी इस कुर्सी पर आये हैं, तो जैसे आपने घोषणा की थी, जो कुछ भी हो, मैं यहां आया हूं, मैं बदलूंगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं पिछले एक साल के एक्सपीरियेन्स से कह सकता हूं कि पुलिस के बदलने के बजाय, इसका रवैया जो पहले था, उससे ज्यादा खराब हो गया है। इसका प्रमाण यह है कि जितने भी भाषण सुने, उनमें एक एक आदमी के करेक्टर के बारे में बताया, ऑफिसर्स के बारे में बताया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जितना भी खर्च करना चाहें करें, इसकी परवाह नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा देश की सेवा करने में पुलिस डिपार्टमेन्ट को लगा सकें तो लगायें इससे हमें एतराज नहीं है। उनके ऊपर कुछ भी खर्च करें इसका ऐतराज नहीं है। लेकिन इस डिपार्टमेन्ट में जो भ्रष्टाचार है, जो पक्षपात है उसको देखते हुए आप एक शब्द हटा दीजिये-पुलिस क्योंकि 'पुलिस' शब्द जब तक रखेंगे इस डिपार्टमेन्ट के लिए तब तक इस पुलिस के लोगों का दिमाग जो बना हुआ है पहले गुलामी के समय से हुकूमत पसन्दी का, वह नहीं बदल सकते हैं इसलिये ही महात्मा गांधीजी ने कहा था, इस डिपार्टमेन्ट का नाम सेवा डिपार्टमेन्ट रख दिया जाय। जैसे यह कहते हैं ' May I help you ? मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, मेरे योग्य सेवा बतलाइये। अगर वास्तव में सेवा करने वाला यह विभाग है तो इस डिपार्टमेन्ट का नाम सेवा विभाग रखिये।

इसके अलावा इस डिपार्टमेंट के ऊपर सही खर्च हो। आज डिप्टी एस. पी. की पोस्ट लगा रखी हैं, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस पोस्ट की जरूरत नहीं हैं, इन डिप्टी एस. पी. की कोई जरूरत नहीं है, जो एस. पी हैं उनके नीचे सर्किल इन्सपेक्टर हैं। उनका आपस में इतना नजदीकी सम्बन्ध होता है कि अगर ये नहीं रहें तो भी काम चल सकता है कि आप जो अपने को बहुत क्रांतिकारी विचारधारा वाला कहते हैं यह कहना तभी फलीभूत होगा जब कि जो डिपार्टमेंट आपके हाथ में हैं, उसका सुधार करें, जो उसमें भ्रष्टाचार है उसको मिटायें, जो पक्षपात है उसको मिटायें यह खुद के अन्दर से मिटाने की कोशिश करें और ऑफिसर्स के अन्दर से मिटाने की कोशिश करें तब ही जाकर कुछ कर सकेंगे, नहीं तो नहीं।

श्री सभापति : श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) आदरणीय सभापति महोदय, सदन के समक्ष आज कई दिन की प्रतीक्षा के बाद पुलिस विभाग उपस्थित हुआ है...

श्री सभापति : मैं यह निवेदन कर दूं कि आपकी पार्टी के केवल चौदह मिनट रह हैं इसको ध्यान में रखें।

श्री मानसिंह महार: मैं उसी में खत्म कर दूंगा।

एक माननीय सदस्य : दो चार मिनट ज्यादा ले सकते हैं।

श्री सभापति: नहीं ले सकते। एक मिनट भी ज्यादा नहीं ले सकते चौदह मिनट से।

श्री मानसिंह महार: मैं निवेदन कर दूं कि मेरे इस विभाग के बारे में कुछ तो कटौती के प्रस्ताव हैं और कुछ यहां पर नहीं आ सके।

मैं निवेदन करूं, इस विभाग के बारे में आज जो आलोचनायें सुनी तो मैंने देखा कि हमारे साथी हमारे राजस्थान की दोनों-उत्तरी और पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के बारे में बडे व्यथित हैं, हमारे आर.ए.सी. के बारे में बहुत दुःखी हैं। मैं इसके बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं बहुत शोर्ट में कहूं क्योंकि समय कम है। वह यह है कि अगर राजस्थान के अन्दर मैं सही कहता हूं, राजस्थान की बाउन्डरी की सुरक्षा करनी है तो एक काम आपको करना पड़ेगा। मैं हमारे वर्तमान आई.जी.पी. को बहुत आदर की दृष्टि से देखता हूं, मैं निवेदन करूं लेकिन मैं यह समझता हूं कि अगर आप पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए बाउन्डरी का इन्तजाम करना चाहते हैं तो आपने डी. आई. जी. तो नये लगा दिये हैं लेकिन आई.जी. को नया लगाना पड़ेगा। वे बहुत शरीफ हैं मैं उनकी शराफत के लिए कहूंगा कि उनकी शराफत से पार नहीं पड़ेगी। यह देश की सुरक्षा का सवाल है प्रान्त की सुरक्षा का ही नहीं, भारत की सुरक्षा का सवाल है। अगर आप इसके लिए किसी कमजोर आदमी को रखते हैं तो वह बहुत घातक सिद्ध होगा। इसलिए मैं यह बात निवेदन करता हूं पिछली दफा भी मैं कहना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि जब ये रिटायर हो रहे हैं, उनके पीछे कोई बात नहीं है। लेकिन अब तीन वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया है। सरकार को उन्हें दिल्ली भेज देना चाहिए और किसी काम पर लगा देना चाहिए लेकिन आई.जी.पी. की जगह पर इनको मत रखिये, यह जरूरी है....

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : आपको दे दें, आप काबिल हैं।

श्री मानसिंह महार: और को दिया जाय, जो काबिल आदमी हैं उनको दीजिये। हमें मत दीजिये।

एक बात और अर्ज कर दूं कि आर.ए.सी. के आदमियों की हालत को देखना पड़ेगा और जो पक्षपात होता है उसे रोकना पड़ेगा। मैं निवेदन करूं, जिस समय आर.ए.सी की एक टुकड़ी जयपुर से ट्रान्सफर होकर जम्मू गई उसके एक कमान्डेन्ट थे, जिनका ट्रान्सफर किया आई.जी.पी. से तो उन्होंने कहा, मैंने छः महीने के लिए जयपुर से ट्रान्सफर न करने के लिए अर्जी पेश की है, अब जम्मू भेज कर मुझे बिना वजह परेशान क्यों कर रहे हैं? यह कसमकस एक महीने तक चलती रही। मैं किसी का पक्ष नहीं करना चाहता, मैं फेक्ट्स देना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी इसकी जांच करें कि जब आर.ए.सी. जम्मू गई थी उसके एक कमान्डेंट थे, असिस्टेंट कमान्डेंट वे तो फौरन पहुंच गये लेकिन दूसरे थे उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी कि मेरे, को प्लूरेसी हो रही है। मैं निवेदन करता हूं, ऐसे आदमियों को आर.ए.सी में मत रखिये। प्लूरेसी उनकी दो तीन महीने तक चली, जब तक वहां चीन का हमला पूरे जोर पर, तेजी पर चला, उस वक्त तक उन्हें प्लूरेसी रही। मैं जो कह रहा हूं इसमें शक करने की, शुबाह करने की गुंजाइश नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि जो मेडीकल सर्टीफिकेट उन्होंने पेश किया बीमारी का, उसके साथ शायद उस क्षेत्र के एक मेम्बर का

Page No 84

(श्री मानसिंह महार)

भी सर्टीफिकेट था, कुछ वहां नागरिकों के भी सर्टीफिकेट हैं। मैं जानता हूं गृह मंत्रीजी को यह बात मालूम नहीं है। यह आई.जी.पी. को मालूम है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उस आदमी को पनिश किया जाय यह भी मैं कहता हूं लेकिन वे कुछ कमजोर हैं। वे कुछ कर नहीं सके। जब चीन उस जगह से पीछे हटने लगा तब उस आदमी ने जोइन किया और वहां गया। आप यों भोले मत बनिये आपको भी मालूम है।

अब मैं समझता हूं चेयरमेन महोदय समय बहुत कम है....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री): आपके मुकाबले में कम भोला हूं।

श्री मानसिंह महार: वह तो हम जानते हैं मैं यह कहूं कि जब रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री पद से हटे तो हम लोगों को खुशी हो रही थी लेकिन आज बड़ा दुःख होता है। लोगों ने कहा यह जमाना उससे भी गया बीता है। लेकिन यह आपकी गलती नहीं है, मैं आपको यह निवेदन करूं.......

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): इनसे आपकी मित्रता मालूम पड़ती है।

श्री मानसिंह महार: बिल्कुल आप जिस इलाके से आये हैं वहां का सात दिन पहले का डाकू जगमाल का किस्सा सुना तो मैं ताज्जुब में रह गया।

तो मैं एक बात, विशेष बात पर आऊं मैं समझता हूं सभापति महोदय, जब रक्षक ही भक्षक हो जावे तो क्या किया जाए। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब मैंने बेगूं का किस्सा सुना था कि एक थानेदार बहादुरसिंह ने एक जीप डी. एल. एफ. नं. ४७४५....

एक माननीय सदस्य: ७५६४ थी।

श्री मानसिंह महार: नं. ७५६४ उसको अमल ले जाते हुए पकड़ा। अफीम ले जाते हुए पकड़ा। मैं तो इन चीजों को जानता नहीं हूं और इस माल को पकड़ने के बाद उसने जब उस जीप को एस. डी. एम. की कोर्ट में पेश किया और जीप का राज खुला कि वह कहां की जीप थी तो मालूम हुआ कि वह जीप गृह मंत्री के चुनावों के लिये आई थी और वह जोधपुर जिला परिषद की जीप थी। चुनावों के सिलसिले में आई हुई थी सभापति महोदय, आपको मालूम सब है, मगर आप भोले बन रहे हैं। आप इस बात को नजरन्दाज नहीं कर सकते। आज आप इन बातों को छिपा नहीं सकते। वह जीप आपकी तानाशाही में दौड़ रही थी राजस्थान में बिना लाइसेन्स के। यह बड़े शर्म की बात है कि राज्य करने वाले भी अन्याय करेंगे तो हमें फिर इन्साफ किससे मिलेगा और हम किससे इन्साफ की आशा कर सकते हैं। जिस समय उस जीप को जमानत पर छोड़ने की कार्यवाही की जा रही थी तो बहादुरसिंह सब-इन्सपेक्टर पुलिस ने एतराज किया कि यह जीप तो नहीं छूटनी चाहिये जमानत पर। इस जीप में अफीम बरामद हुई है। लेकिन उस अदालत के बाहर निकलते ही एक रणजीतसिंह थे जो प्रधान ओसियां हैं, उन्होंने थानेदार को कहा कि तुमने जीप को जमानत पर छोड़ने का विरोध किया है, मैं तुमको देख लूंगा, दो मिनट में यहां से निकाल दिये जाओगे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातों के लिये

Page No 85

(श्री मानसिंह महार)

आपका सिर शर्म से झुक जाना चाहिये। उनके आसूं आने चाहिये। उसका वहां से ट्रान्सफर हो जाता है। एक एस. पी. ने कहा कि इसका तबादला नहीं होना चाहिये मगर आई. जी. पी. साहब के लिये मैंने पहले भी कहा है कि वे बहुत कमजोर हैं नेताओं के दबाव से राजस्थान के आई. जी. पी. जो इस पद को सुशोभित करते है, सुशोभित करने के लायक नहीं हैं, कहा कि धौलपुर में भेज दिया जावे (शेम–शेम)। वहां के एस. पी. ने आई. जी. पी. को कहा कि आप इस प्रकार से ट्रान्सफर करके सर्विसेज के मोरेल को गिराते हैं। हमारे आई. जी. पी. जो बिना पेंदें के लौटे हैं उन्होंने कहा कि यह तो होता रहेगा। अभी तो ट्रान्सफर कर दीजिये।

मैं चाहता हूं कि राजस्थान के आई. जी. पी. ऐसे होने चाहियें कि जो पाकिस्तान तो क्या अगर चीन भी हमला करे तो लड़ेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहां कमजोरी पाई जाती है। अगर आप इस कमजोरी को हटाना चाहते हैं तो आप उनको इस दलदल से ऊपर उठाइये। आप छोटे मोटे काम उनसे भले ही कराइये, वे आपके कर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यह होना चाहिये कि आप आर. ए. सी. के आई. जी. पी. को इन्डिपेन्डेन्ट कर दीजिये या आर. ए. सी. के लिये स्पेशल आई. जी. पी. की नियुक्ति कर दी जाये। आर. ए. सी. को हमारे मौजूदा आई. जी. पी के नीचे मत दीजिये।

इसके बाद पूर्व और पश्चिम की बात बहुत कही गई है ······

श्री सभापति : You have four minutes to conclude.

श्री मानसिंह महार : लेकिन हमारे मिडल ओफ राजस्थान की बातें किसी ने नहीं कहीं। वे कहता हूं। एक थानेदार ने बड़ी बहादुरी का काम किया। एक आई. सी. सी. की जीप का चालान किया, उसको दो मिनट में वहां से बदल दिया, उसको दो मिनट में तबादला किया और उधर जब हम मालपुरा में आवें और वहां की बातें सुने तो हमारा सिर नीचा हो जाता है। जिस रामसिंह डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट की इतनी शिकायतें की और बुराई की फिर भी आप कहें तो ६०-८० आदमियों का मेमोरेन्डम पेश करूं, उसके लिये कोई एक्शन नहीं। आप यह इशारा उधर से चाहते है लेकिन आज तक उसका ट्रान्सफर वहां से नहीं हो रहा है उसको वहीं रखा गया है। जिसने चुनावों से पहले और चुनावों के बाद में लोगों पर हजारों मुकद्दमें झूंठे बनाये जिसमें ८० परसेन्ट केसेज झूंठे साबित हो चुके हैं, उस रामसिंह के लिये हमारी सरकार कुछ नहीं सोचती। ऐसे पक्षपाती ओफिसर को वहां से क्यों न हटा दिया जाय।

इसके अलावा मैं एक छोटी सी मिसाल और दूंगा कि मालपुरा और टोंक में मि० जगन्नाथ प्रसाद जिसको हमारी सरकार ने सस्पेन्ड कर रखा है, लेकिन मैं यह निवेदन करूं कि ए. डी. एम. और एस. डी. एम. ने उसको बिना टिकट बस में ट्रेवल करते हुए पकडा। उसने सरकार का टैक्स भी नहीं दिया जो जुर्म है। मैं तो कहता हूं कि जिस बात को ए. डी. एम. और एस. डी. एम. कहे उसके बाद डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी तो नहीं होनी चाहिये। मुझे मालूम नहीं कि ऐसे अन्याय करने वाले कौन आई. जी. पी. हो सकते हैं, कौन डी. आई. जी. हो सकते है जसवन्तसिहजी हो सकते है उन्होंने उसकी

(श्री मानसिंह महार)

इन्क्वायरी नहीं की । उन्होंने झूटा टिकट, प्रोड्यूस कर दिया । दो-चार महीने बाद किसी पेसेन्जर से टिकट लेकर दे दिया । उस समय सी. आई. ने नहीं कहा कि मेरे पास टिकट है । कहते कैसे उनके पास टिकट नहीं था, फिर दो-चार महीने बाद एक फर्जी टिकट पेश करके कह दिया कि यह मेरे अर्दली के पास था । उन्होंने उसको एग्जोनरेट किया । जब आपने उसको बरी किया तो आपने एस. डी. एम. आदि के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया यह एक बड़े शर्म की बात है । मैं यह कहता हूं कि ऐसी बातें हमारे वर्तमान आई. जी. पी. के सामने हो सकती हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : एक मिनट ।

श्री मानसिंह महार : हमारा चार्ज ।

श्री सभापति : आप जिक्र मत करें ।

श्री मानसिंह महार : मेरे खुद के गांव में एक माली का बैल चोरी चला गया । मैंने माली को पुलिस में रिपोर्ट करने के लिये बाध्य किया । मैंने जिस पर चोरी का शक था उसके भाई को कहा कि अब तेरी खैर नहीं । वह आदमी थाना चौमू में गया और वहां के हैड कान्सटेबल को कहा कि सारी बात मानसिंह-जी को मालूम पड़ गई है । तो रातोरात जमुवारामगढ में एक तहसील है उसमें उस बैल को बरामद किया और जयचन्दपुरा से उसे हैडकान्सटेबल ने यह राय दी कि उस गांव के माली को लेकर आवे । वहां ले जाया जाकर एक मीणा जो वहां पर गैर हाजिर है उसके खेत से वहां रात को १२।। बजे बैल की बरामदगी दिखाई । मैं इस बात को साबित करूंगा ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : माननीय सदस्य ने जोधपुर जिला परिषद् की जीप बताई उनको यह कैसे मालूम हुआ ?

श्री मानसिंह महार : उसमें डी. सी. सी. के पैड पर लिखा हुआ था-जीप में आपके पास सामान भेजा जाता है जो दूसरे का है, वह कागज भी इसमें बरामद हुआ और · · · · ·

श्री सभापति : That will do Shri Nathu Ram.

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति महोदय, मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस पर मेरा कटौती प्रस्ताव है कि १) रु० की कटौती की जाय (बांसवाडा जिला, तहसील गढी में पुलिस विभाग की ओर से अव्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

सभापति महोदय, इस मांग पर धनराशि की बढोतरी हुई है, इसका तो देश में संकट-कालीन स्थिति देखते हुए स्वागत करता हूं । वैसे तो इस विभाग में काफी सुधार हुआ है, बडे बडे डकैत थे उनको खत्म किया है, रक्षा के लिये काफी कोशिश की है । वैसे हमारे देश की रक्षा के लिये कई सैनिकों ने बडी बहादुरी बताई है, बलिदान भी हो चुके हैं । तो मेरा आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिस प्रकार ऊपर से जितनी वीरता दिखाई गई है, रक्षा हो रही है उसी प्रकार निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं उनमें भी सुधार होना चाहिये । मैं सरकार से, मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि बांसवाडा जिला पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । वहां लाखों की तादाद में आदिवासी रहते हैं । मैं नहीं कहता कि सभी आदिवासी बडे ईमानदार हैं पर छोटे कर्मचारी उनको बहुत तबाह करते हैं ।

(श्री नाथूराम)

गढी के थानेदार है उन्होंने दो महीनों में जो छोटी मोटी चोरियां हुई हैं, उनमें बहुत अन्याय और अत्याचार किया है। आजणां, परता-पपुरा जैसे बडे मौजे है, वहां छोटी-मोटी चोरियां हुई। ग्रामवासियों ने रक्षा मंडल, पंचायत की तरफ से थाने में रिपोर्ट दी, पर कोई संतोष-जनक कार्यवाही नहीं हुई। उन लोगों ने कोशिश की कि चोरियां बन्द हो जानी चाहियें, लोगों के जान-माल की रक्षा होनी चाहिये, पर यह नहीं होता है उल्टे यह होता है कि चोरियां होती हैं उनकी इत्तला देते है तो इत्तला देने वाले को हैरान किया जाता है और चोरी करने वाला बच जाता है। गांव में से कोई बैल चुरा ले जाता है तो इत्तला देने वाला बडा हैरान होता है, उनको रिश्वत देनी पडती है और चोर को सजा नहीं मिलती। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वर्तमान गढी थानेदार बडा अन्याय करता है, उस थानेदार का जल्दी से जल्दी वहां से तबादला हो जाना चाहिये। बांसवाडा जिले के लिये मैंने पहले भी निवेदन किया और अब भी निवेदन करता हूं कि वहां के लोग बडे गरीब हैं, वर्षा ऋतु में वहां सांप बहुत निकलते हैं और वे लोग अपने खेतों में काम करने, मजदूरी करने जाते हैं और उनको सांप काट खाते हैं तो इसकी इत्तला थाने में अनिवार्य हो जाती है। इस पर उनको बडा परेशान किया जाता है। एक तो उनके घर में मौत होती है, दूसरे थानेदार, हैड मोहर्रिर समय पर नहीं पहुंचते, रात रात भर दिन दिन भर लोग उस मरे हुए आदमी को लिये बैठे रहते हैं। मैंने खुद ने देखा है कि उनके तो घर में मौत होती है, दूसरी तरफ उनसे रिश्वत मांगी जाती है और अगर कोई रिश्वत नहीं देता है तो उस लाश को वहां तहसील हैड क्वार्टर पर मंगाया जाता है और वहां लाश की डाक्टर से जांच कराई जाती है। वहां तहसील हैड क्वार्टर पर जहां पोस्टमार्टम होता है वहां उस जगह न छत है और न कुछ इन्तजाम है, आम सडक पर लाश को पोस्टमार्टम के लिये रखवाते हैं। वहां पर बिना ऊपर कपडा डाले ही लाश को पटक दिया जाता है और इसी तरह कई घंटों तक पडा रखा जाता है और फिर चीर फाड की जाती है, इस तरह से लोगों को वहां परेशान और दुखी किया जाता है। आजादी मिलने के १५ साल बाद भी तहसील हैड क्वार्टर पर यह दशा रहे और इस तरह से लोगों को परेशान किया जाय तो बडी शर्म की बात है। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन सब मामलों में सुधार होना चाहिये और छोटे कर्मचारी जो इस तरह लोगों पर अत्याचार करते हैं इस सम्बन्ध में व्यवस्था होनी चाहिये।

तरह तरह से लोगों को वहां पर परेशान किया जाता है। मैं निवेदन करूं कि वर्षा के मौसम में उनके बच्चे खेलने जाते हैं और पानी में डूबकर कोई बच्चा मर जाता है तो उस बच्चे के घर वालों से रिश्वत ली जाती है, इसमें भी सुधार होना चाहिये। पुलिस के छोटे कर्मचारी यह नहीं देखते कि हमारा देश संकटकालीन स्थिति में से गुजर रहा है। वे लोगों को परेशान करते हैं। हजार हजार, बारह-बारह सौ रुपया एक थानेदार रिश्वत लेता है आज के जमाने में, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। आदिवासी अपनी रक्षा के लिये हथियार रखते है एक तन्त्र शासन में भी इनका लाइसेंस नहीं रखा जाता था पर आज उनको लाइसेंस लेने के लिये कहा जाता है। जिन लोगों के पास दो दो, चार

Page No 88

(श्री नाथूराम)

चार बीघा जमीनें हैं या जो महनत मजदूरी करके खाते हैं उनके पास पुरानी बन्दूकें हैं तो उनकी लाईसेन्स के लिए कई बार बुलाया जाता है और कई बार टाले दिये जाते हैं और उनसे रकम भी ली जाती है। सभापति महोदय मैं तो निवेदन कर रहा हूं और मंत्री महोदय आपस में बातें कर रहे हैं यह भी हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। छोटे कर्मचारी बहुत अत्याचार करते हैं। जब उनके खेती करने का वक्त होता है, मजदूरी का वक्त होता है, वर्षा में खेती करने का वक्त होता है उस वक्त उन लोगों को बुला-बुला कर परेशान करते हैं जिससे वे लोग खेती नहीं कर सकते मजदूरी नहीं कर सकते। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इन लोगों को फ्री लाइसेंस दिया जाना चाहिये यह बांसवाड़ा के लिये ही नहीं है, यह सारे आदिवासी क्षेत्र के लिये है। होम मिनिस्टर साहब को एक प्रार्थना-पत्र पेश किया था, आदेश हुए या नहीं पता नहीं। आदेश हो जाते हैं तो नीचे उसका पालन कराने में बहुत देरी होती है।

(३.३६ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां पर थानेदार आदि बहुत इमानदार होने चाहियें। आजादी के १५ वर्ष बाद भी गरीबों से, पिछड़े हुए लोगों से रिश्वत ली जाती है तो यह बड़ा शर्म की बात है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पुलिस की रिपोर्ट हमारे सामने आई है, यह बहुत ही कारीगरी से रिपोर्ट लिखी गई है और इसमें सच और झूठ को मिलाने की कोशिश की गई है। अपराध बढ़े हैं, अपराध इसमें दिखाये हैं, डकैती के २६ केस बढ़ गये, १६७ लूट के बढ़ गये हैं, कत्ल के करीब ८० बढ़ गये २१३ केस दंगा-फिसाद के बढ़ गये। इस तरह कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसके केस इस साल में नहीं बढ़े हों। एक भी खाना ऐसा नहीं दिखाई देता कि जिसमें केसेज की कमी रही हो। जो खाने बाकी रह गये हैं, जिनको इन्होंने लिखा नहीं है वे भी बढ़े हुए मिलेंगे। जैसे पुलिस के लोगों ने कितने लोगों साथ अत्याचार किये हैं, कितनों को पीटा है, उनके पीटने से कितनों की जानें गई हैं। कितनी औरतों के साथ बलात्कार किये गये हैं और जितने इस किस्म के केस हैं वे कहीं इसमें दर्ज नहीं है, जो पुलिस खुद करती है उनका इसमें जिक्र नहीं है। इसलिये यह रिपोर्ट एक अधूरी रिपोर्ट है। और मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जितने डाके, लूट, मारपीट और डकैतियां, चोरियां बलात्कार जितने अपराध हैं, जितनी घटनाएं हैं उनमें कमी नहीं आ रही है। इस रिपोर्ट में कहा है कि इसका कारण यह है कि कुछ जन-संख्या बढ़ गई है। उसकी वजह से ये सारे के सारे केस हैं। समाज विरोधी तत्व हैं उनकी जनसंख्या को बढ़ाने से बल मिलता है यह बात बिलकुल गलत है और यह अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए इस तरह की बहानेबाजी इस रिपोर्ट में दर्ज की गई है। मैं यह समझता

(श्री हरीराम चौहान)
हूं ईमानदार जो हमारे गृह मंत्रीजी हैं उनको यह ईमानदारी महसूस करनी चाहिये और सदन के सामने खडे होकर कहना चाहिए कि यह मेरी नालायकी की वजह से और मेरे स्टाफ की नालायकी की वजह से····

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : On a point of order, Sir, आपका यह शब्द अनपार्लियामेन्टरी है और इसको विथड्रा करवाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल पार्लिया-मेन्टरी है।

श्री हरिराम चौहान : ठीक है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनके ये शब्द अनपार्लियामेन्टरी हैं, "गृह मंत्रीजी को खडे होकर कहना चाहिये कि यह मेरी नालायकी की वजह से" These are all unparliamentary and I would request the Chair that he may be asked to withdraw the words and these may also be expunged.

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : It is only a translation.

यह तो उर्दू ट्रान्स्लेशन है हिन्दी शब्द 'योग्यता' का।

श्री उपाध्यक्ष: Order please. प्रत्येक भाषा में प्रत्येक शब्द अपनी अपनी भूमिका में अलग अलग अर्थ रखता है और नालायक शब्द जिस कन्टेक्स्ट में यूज किया गया है उस दृष्टि से अनपार्लियामेन्टरी समझा जायगा इसलिये मैं माननीय सदस्य से नम्र निवेदन करूंगा कि वे उसको विथड्रा करे।

श्री हरिराम चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो मकसद है अयोग्यता का, यदि यह उसके बाहर जाता है तो मैं उसको विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल न लें। केवल कोई गलत प्रयोग हो जाता है तो उसको विथड्रा करने के लिये प्रस्तुत रहना चाहिए। 'नालायक' की जगह कोई श्रेष्ठ शब्द यूज करे।

श्री हरिराम चौहान : वापिस लेता हूं और दूसरा शब्द अयोग्यता ऐड करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप इसको विथड्रा करेंगे ?

कई माननीय सदस्य : कर लिया है साहब।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : When the Government will reply ?

श्री उपाध्यक्ष : Government will be called upon to speak at 4.30.

श्री हरिराम चौहान : तो उनकी अयोग्यता है उसकी वजह से यह सब दिक्कतें बढती हैं और मैं यह समझता हूं कि यह अयोग्यता यहां तक बढ चुकी है कि कोई भी दर्ख्वास्तें दें तो उसका जवाब नहीं दिया जाता।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : कब माननीय सदस्य ने दर्ख्वास्त दी और जवाब नहीं दिया ?

श्री हरिराम चौहान : मैं बता दूंगा। मैंने और कई माननीय सदस्यों ने दी है।

Page No 90

श्री मथुरादास माथुर : सिवाय थानेदार के ट्रान्सफर के और कोई नहीं आयी होगी।

श्री हरिराम चौहान : थानेदार के खिलाफ दी गई हैं तो चार्जशीट दी गई, अभियोग लगाया गया, जांच भी कराई होगी।

श्री मथुरादास माथुर : क्या शिकायतें हैं ?

श्री हरिराम चौहान : जांच हुई, साबित हो गई फिर भी बाकायदा थानेदार बना हुआ है। इसके अलावा हमारे अलवर के अन्दर एस. पी. साहब बडे सामन्ती विचार के हैं, बडे सामन्ती रहन-सहन में पले हुए हैं उनको बडी मदद मिलती है। मैं नहीं समझता कि वह गृह मंत्री महोदय से मिलती है या और किसी से मिलती है। उनका हौसला इस कदर बढा हुआ है कि कोई राजनैतिक कार्यकर्ता जाय, साथ में दो-चार किसान हैं और यदि वे कुर्सी पर बैठ गये तो उनको उनके कुर्सी पर बैठने से चिढ हो जाती है क्योंकि मैले कपडे रखने वाला एस. पी. के बराबर बैठ जाय तो तोहीन समझते हैं। इस बिना पर कामरेड हारूमल है उसको बाहर निकाला गया। मुख्य मंत्रीजी को दरख्वास्तें दीं, कोई जवाब नहीं मिला। दूसरे अधिकारियों को दरख्वास्तें दीं, कोई जवाब नहीं मिला। इस तरीके से आम लोगों की इस कदर समझ बनी है, बनती जा रही है, नीचे से ऊपर तक कितनी ही शिकायतें करें, उन शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। उसने खुद ने इल्जाम लगाये हैं। दूसरे स्थानीय अखबारों में इल्जाम लगते हैं। यहां तक लगते है कि तिजारा के थानेदार का ट्रान्सफर किया था दूसरा थानेदार भेजा गया। दूसरे महारथी साहब ऐसे थानेदार आये कि पहले वाले कम से कम थाने के अन्दर तो पीटते थे ये तो बाजार में चलते हैं तो लोगों को गालियां निकालते हुए चलते हैं, डंडे चलाते हैं। अखबारों में यहां तक छपा था कि थाना नहीं, सुरक्षा केन्द्र कहा जाय उसकी जगह यातना-केन्द्र नाम रख दिया जाय तो अच्छा होगा। थाने की जगह शराबखाना रख दिया जाय तो अच्छा होगा। मुझे अफसोस है कि मैं इस कारण यूज कर रहा हूं यह शब्द कि थाने में शराब पी जाती है, औरतों को नचाया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा टाइम है अभी।.....

श्री उपाध्यक्ष : एक और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। यदि उनको बोलने देने के लिए अवसर देना चाहते हैं तो आप अपने भाषण को सीमित करें। नहीं तो आपका टाइम खत्म कर लें।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : कांग्रेस पार्टी को टाइम दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : There will be time up to 4.30.

एक माननीय सदस्य : टाइम तो आपके ऊपर निर्भर है।

श्री हरिराम चौहान : एक-एक कर घटनायें गिनाऊं, तो किस कदर पुलिस के जुल्म बढ रहे हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, उसने कोई २० लोगों को गालियां दीं, २५-३० आदमियों को थाने में पीटा। बावजूद उसके वह थानेदार बना हुआ है। यदि आप उसका पूरा इतिहास देखें तो वह डिस्मिसल और मोअत्तिलियों से भरा हुआ है। ये सारी चीजें

(श्री हरिराम चौहान)
क्यों होती हैं ? इसलिये होती हैं कि हमारे गृह मंत्रीजी हैं, जैसे कोई कैंसर का इलाज गंडा डोरियों से करना चाहें तो उसका इलाज नहीं हो सकता है। हमारे गृह मंत्री इस कैंसर का इलाज गंडा डोरियों से करना चाहते हैं। वही पुरानी मशीन, वे ही पुराने कानून, अंग्रेजों के जमाने में बनाये हुए कानून, अंग्रेजों के जमाने में बनाई वही मशीन, वे ही अंग्रेजों के जमाने के तौर तरीके सारे के सारे इस्तेमाल करते हैं और तफतीस करते है तो वे ही तरीके इस्तेमाल करते हैं। किसी ऑफिसर की जांच कराना हो तो आम जनता से साक्षी न लेकर डिपार्टमेन्ट से लेकर जो कुछ वे कह देते हैं वैसा करते हैं। घोषणायें तो बहुत बडी करते हैं। इन घोषणाओं से कोई मकसद हल नहीं होता। रसगुल्ले--रसगुल्ले कहने से ही मुंह मीठा हो जाय तो गृह मंत्रीजी की ?

(समय--समाप्ति--सूचक घंटी)

घोषणाओं से कोई मीठा होने वाला नहीं। यह घोषणा करो कि चुने हुए नुमाइन्दे को हथकडी लगा कर नहीं ले जाया जा सकता है। घोषणा ठीक अमल में न आये तो घोषणा क्या ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : आपने नहीं बताया कि कभी इलेक्टेड रिप्रे-जेन्टेटिव को हैंड-कफ किया हो ? अलवर में एक प्रधान को किया तो आफिसर को सस्पेन्ड किया गया। इतने पत्र आते हैं, आपने कभी लिखा है कि हैंड-कफ किया है और एक्शन नहीं लिया है ? बताइये।

श्री हरिराम चौहान : कौन से प्रधान के बारे में कह रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : अलवर डिस्ट्रिक्ट।

श्री हरिराम चौहान : एक न्याय पंचायत का प्रधान है उसको हथकडी लगा कर बाजार में से लाया गया--न्याय पंचायत मालपुर जो गोविन्दगढ में है। आपने क्या कार्यवाही की कुछ पता नहीं। अगर आपकी घोषणाओं पर अमल होता है, केन्सर का इलाज बिना ऑपरेशन के नहीं होता है, इसके लिए आप ऑपरेशन करें, गंडा डोरियों से काम नहीं चलेगा, पुराना ढांचा बना हुआ है, पुराने कानूनों में ऑपरेशन करें, मशीन में ऑपरेशन करें, जांच में ऑपरेशन करें तब ही समझा जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक दो केसेज बता देना चाहता हूं; उनके सिलसिले में क्या हुआ, फिर बैठता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे जिले बानसूर में जो थानेदार हैं उनके बारे में मेरे से पहले जो माननीय सदस्य बानसूर से आये हैं उन्होंने जिक्र कर दिया। उन पर जो आरोप लगाये थे उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। उनके बारे में जो शिकायतें हैं वे बढती जा रही हैं। उनके बारे में जितनी शिकायतें दीं, आशा है उनके बारे में जांच करेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे। इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जयकिशन (थानागाजी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से पुलिस संबन्धी मांग पर माननीय सदस्य अपने--अपने विचार रख रहे हैं। सब से पहले मैं आपकी मार्फत माननीय गृह मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से आपने इस विभाग को संभाला है आपने इसमें काफी परिवर्तन करने की कोशिश की है। आप

(श्री जयकिशन)

यदि इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने एक पुलिस आयोग का गठन किया है वह इसलिये कि पुलिस का किस प्रकार का व्यवहार हो, पुलिस की किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये और उसमें किस प्रकार की तबदीलियां होनी चाहिये, किस प्रकार से ज्यादा जन-सम्पर्क में वे आ सकते हैं, किस प्रकार पुलिस कर्मचारियों को राहत दी जा सकती हैं-यह सब कार्य इस आयोग को सौंपा गया है। उसके लिये भी गृह मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं।

पुलिस विभाग के अन्दर जो काफी तबदीलियां हो रही हैं, उडन-दस्तों को देखें और दूसरे तरीकों को देखें तो आपको यह महसूस होगा कि पुलिस विभाग तरक्की कर रहा है। मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह इसलिये रखा है कि पुलिस में जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है उसमें परिवर्तन करना जरूरी है। मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं, आज तबदीली का जमाना है, तेजी के साथ तबदीली होती जा रही है। इसी तरह से हमें इस भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भी तबदीली के बारे में सोचना है। वह इसलिये सोचना है कि जब हम देखते हैं हाउस के अन्दर और बाहर जिस प्रकार की चर्चा सुनते हैं कि विभागों में भ्रष्टाचार है, पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार है तो वह भ्रष्टाचार किस प्रकार से मिट सकता है, इसके बारे में माननीय सदस्यों का फर्ज हो जाता है कि वे इस बारे में विचार करें और अपने सुझाव रखें।

बहुत से साथियों ने अपने अपने विचार सदन में रखे। उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उन्होंने अपने जजबात रखे, थानेदारों पर आरोप लगाये; मैं तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य के लिये कहना चाहता हूं कि जब से वे आये हैं, तिजारा में जितने भी थानेदार आये हैं, सबको उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया है। इससे पहले जो थानेदार था उसको भी, भ्रष्टाचारी बताया। अभी आया है वह भी, इनकी निगाह में भ्रष्टाचारी है। तो ऐसी हालत में मैं गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे माननीय सदस्य को पूछ लें कि कौन सा थानेदार अच्छा है जिसको तिजारा में लगाया जाय.....

श्री हरिराम चौहान (जिरा): थानेदार बहुत अच्छे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री जयकिशन : आप जब बोले, हमने आपकी बात भी बडी शान्ति से सुनी। आप भी सुन लें।

उधर देखिये, किशनगढ भी आपकी ही कॉन्स्टीट्यूएन्सी में है। वहां भी तीन चार थानेदारों की तबदीली हुई। गृह मंत्री महोदय के पास पत्र आने लगे, आई.जी.पी. महोदय को लिखा जाने लगा। जब गृह मंत्री महोदय ने देखा, तिजारा से बहुत पत्र आते हैं, असेम्बली में रोज रोज इसके लिये बातें सुननी पडती हैं तो उन्होंने देखा कि इनके निर्वाचन क्षेत्र से थानेदार को बदल दिया जाये। इस तरह से उनके हौंसले हो गये और वे इस तरह से थानेदारों का राजनैतिक शोषण करने लगे। यह जो राजनैतिक भ्रष्टाचार है जिसका आधार माननीय सदस्य लेना चाहते हैं वे यह बतलाना चाहते है कि हम असेम्बली में जाकर तुम्हारे लिये क्या बोल सकते हैं,

(श्री जयकिशन)

असेम्बली में क्या बखेडा पैदा कर सकते हैं। यह जो राजनैतिक भ्रष्टाचार है इसको आप पनपा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन जहां तक विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार का संबन्ध है उसको मिटाना हमारा सबसे पहला फर्ज है । इसको अच्छी तरह सोचना चाहिये और उसको मिटाने का प्रयत्न करना चाहिये।

दूसरी बात पुलिस के बारे में कही गयी की क्राइम्स की संख्या बढी है। लेकिन यह क्राइम्स बढे क्यों हैं ? आप इसकी पृष्ठभूमि में तो जाइये। पहले जो जागीर के गांव थे जिनमें आपको जाने का मौका मिला होगा । उस समय जो क्राइम होते थे उनकी थाने में जाकर कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता था । आप इन आंकडों को ५४ के आंकडों से मिलाना चाहते है ? सैंकडों मुकदमें अपने घरों में ही रह जाते थे। लेकिन आज स्थिति दूसरी तरह की है। आज मामूली सा भी झगडा हो जाता है, लडाई हो जाती है, थाने पर झट पहुंचते हैं और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। ठीक यह कहा जा सकता है–यह सेन्स डवलप हुई है, जागृति आयी है कि जो कोई अन्याय करता है उसकी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज होती है। इससे यह कहना कि ज्यादा क्राइम बढे है यह उचित नहीं है। इन सब चीजों को आंकडों के आधार पर देखना चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमें क्राइम्स को इस लाइट में देखना चाहिये ।

मैंने जो कट मोशन रखा है उसका मकसद यह है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को पुलिस विभाग से अलग किया जाय। पुलिस और भ्रष्टाचार निरोघक विभाग एक नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव को हमने अलग अलग करने की कोशिश की है और इन्ही गृह मंत्री महोदय ने की है मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात का भी श्रेय लें। इस काम को अपने समय में करें। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग और पुलिस विभाग दोनों अलग अलग होने चाहिए। पुलिस के खिलाफ शिकायत है और पुलिस वाले ही उसकी जांच करें यह ठीक नहीं क्योंकि एस. पी. या डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में रह कर जांच करता है। वह सोचता है, उसको भी पुलिस में ही एस. पी. या डिप्टी एस. पी. होकर जाना है। तो ऐसी हालत में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग पुलिस के अधीन नहीं होना चाहिए; ये दोनों महकमें अलग अलग होने चाहिए।

दूसरा मैं पुलिस की वर्दी के संबंध में कहना चाहता हूं। मेरा इलाका पंजाब से नजदीक है। मैंने पंजाब की पुलिस को भी देखा है और राजस्थान की पुलिस की वर्दी को भी देखा है। इन दोनों में बडा अन्तर है। हमारे यहां की पुलिस की वर्दी जो देखी जाती है तो हम शर्म के मारे अपना सिर झुका लेते हैं। फटे हुए जूते, कमीज शायद कभी धुलती ही नहीं। पंजाब और राजस्थान का सिपाही दोनों को साथ में खडा किया जाय तो हमारा सर नीचे झुक जाता है। आपके बजट में यदि वर्दी के लिये प्रावधान नहीं है तो आप उसके लिये रखिये-हम इस प्रकार की कटौती को अच्छा नहीं समझते । आप बढोतरी करिये । पुलिस की वर्दी अच्छी होनी चाहिये ताकि दूसरे लोग समझ पायें कि राजस्थान की पुलिस

(श्री जयकिशन)

एफीसियेन्ट है। उनको रहन-सहन का और काम करने का अच्छा मौका मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, कुछ दिनों पहले अलवर के अन्दर एक अधिकारी की लडकी का मर्डर हुआ था। चार दिन तक लडकी गायब रही और उसके बाद एक जगह जली हुई वह मिली। लेकिन उसको तीन साल हो गये उसका कुछ भी पता नहीं चला कि वह चार दिन तक कहां गायब रही और किसने उसको जलाया। उसी की पुनरावृति अभी दस-पन्द्रह रोज पहले होती है। एक लडका जो मैट्रिक के अन्दर पढता है उसको कुछ लडके ले गये और वह चार दिन तक गायब रहा। गायब रहने के बाद वह सागर के अन्दर मरा हुआ मिला। पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि यह लडका आठ घंटे से ज्यादा पानी में नहीं रहा है। इसके बारे में तीन-चार लडके पकडे गये, उसमें एक पुलिस अधिकारी का भी लडका है। लेकिन अभी तक यह ट्रेस आउट नहीं हुआ है और न हो सका है कि वह लडका चार दिन तक कहां रहा।

(४.०० म. प.)

तो यह बात है कि अगर इन बातों को हम बढावा देंगे, अगर इनका पूरा पता नहीं लगेगा तो इनकी पुनरावृति होगी इसलिये गृह मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात को देखें।

ये जो आपके पास चिट्ठियां आती हैं और उन पर तालिया पिटवा लेते हैं और लोग कहते हैं कि आप क्रान्तिकारी हैं और ये बातें सुन कर आप जो इस तरह कर देते हैं तो इससे पुलिस सर्विसेज डिमॉरेलाइज हो जावेगी और इसी तरह की बातें कह कर उनसे काम करवाया जावेगा। उनकी भी भावनाओं को देखना होगा कि और इस नतीजे पर पहुंचना होगा कि उनकी क्या मन्शा है-इन्हीं शब्दों के साथ में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गणपतिलाल वर्मा (माण्डलगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे दिन मैंने पुलिस की शिकायतों के बारे में और उसके भ्रष्टाचार के बारे में सुना सदन के माननीय सदस्यों से। पिछले सालों के मुकाबले में इस साल जो पुलिस के बारे में बातें सदन में कही गई उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पहले के मुकाबले में पुलिस आज कहीं अधिक अच्छी है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजस्थान बहुत लम्बा-चौडा प्रदेश है वहां एक-आध मामले पुलिस की गलतियों के और भ्रष्टाचार के आते रहते हैं। पर एक जमाना था, उस जमाने को छोटी उम्र के माननीय सदस्यों ने नहीं देखा, उस समय जागीरदार और राजाओं का राज्य था और लॉ और आर्डर की यह हालत थी कि एक गांव से दूसरे गांव-दो मील भी लोग बाहर जाते तो उनको अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता था। वे लूट लिये जाते थे, हजारों कंजर और सांसी रास्तों में उनको परेशान करते थे और आराम से जाने नहीं देते थे, लूट-खसोट कर लेते थे . .

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल गलत बात है यह।

श्री गणपतिलाल वर्मा : तो यह हालत थी उस वक्त जनता की और आज हालत यह है कि वे कंजर और सांसी भी अच्छे नागरिकों की तरह रह रहे हैं और कोई भी व्यक्ति अब आजादीपूर्वक कहीं भी आ-जा सकता है। हमारी बहिन बेटियां भी आज आजादी-पूर्वक एक गांव से दूसरे गांव सोने और चांदी

(श्री गणपतिलाल वर्मा)

के गहने पहने आ-जा सकती हैं, जिनकी तरफ कोई हाथ उठाने वाला नहीं मिलता।

तो उस वक्त को आज के वक्त से मिलाया जावे तो अन्तर साफ मालूम होगा। इस पर भी यह कह दिया जावे कि पुलिस विभाग में तो चोर ही चोर भरे हैं तो यह जो अन्तर आया—यह क्या है ?

तो माननीय उपाध्यक्षजी, खाली बातें कर लेना सहज है, काम करना कठिन है। हमारे माननीय सदस्य जो भीलवाडे से आये और उन्होंने जो फोटो पेश करते हुए आरोप लगाया और उसमें एक तरफ तो किन्हीं अधिकारियों को बढावा देने की और किन्हीं को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। इस तरह उनमें फूट डाल कर अपना लाभ उठाने के लिये यह बात सदन में रखी गई और फोटो पेश किये गये। इन फोटो में किसी प्रकार का जुल्म होना बताया। मैं बताऊं, वास्तव में बात यह थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर बनेडा तहसील को लेकर आन्दोलन हुआ। इसका उनको दुख था, सही बात है, दुख हो सकता है। वे वहां से कोर्ट में आये, कोर्ट में जो अपनी पेशियों पर आये उन लोगों ने देखा है कि वहां क्या हाल था। लोग यह कहते थे उनकी हरकतों को देख कर कि यह क्या पोपां बाई का राज्य है। वे वहां कोर्ट में दरवाजों पर खडे थे और किसी को अन्दर नहीं घुसने देते थे। कोर्टों के अन्दर जिन्दाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। अनुशासन कायम रखना बहुत मुश्किल था। अनुशासन का वहां तो कोई नाम ही नहीं था। उस वक्त यदि पुलिस ने अनुशासन रखने की कोशिश की तो कौनसी बुराई की। फोटो में हो सकता है डंडे मारते बता कर फोटो खिचवा लिये हो। पर उस वक्त के अधिकारियों ने कोई भी एक्शन लिया तो उन्होंने अच्छा किया और वे धन्यवाद के पात्र हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके बाद, उपाध्यक्षजी, मैं माननीय गृह मन्त्रीजी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें दो राय नहीं है कि पुलिस में भी सचमुच भ्रष्टाचार है और इसके मिटाने के लिये जो उपाय किये जा रहे हैं वे भी स्वागत के योग्य हैं। पर कुछ सुझाव मैं भी पेश करना चाहता हूं। एक तो यह कि जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत होती है, मानलो कि वह साबित नहीं होती है क्योंकि साबित करना बडा कठिन काम है, पर जहां जन-मत इस तरह की हो कि सचमुच में यह अधिकारी भ्रष्टाचारी और बेईमान है तो निश्चित रूप से उसकी इन्क्वायरी कराई जानी चाहिये और उसका स्थानान्तरण कर देना चाहिये और शिकायत करने पर भी यह बहाना जो लिया जाता है कि दो साल तक बदली नहीं हो सकती तो यह दो साल का नियम भी भ्रष्टाचार को पैदा करता है। तो यह सुझाव मेरा माना जाना चाहिये। जांच में थोडा सा भी साबित हो जावे तो उसको कडी से कडी सजा दी जानी चाहिये और ट्रान्सफर की जरूरत पडे तो ट्रान्सफर भी कर दें।

दूसरा सुझाव है मन्त्रियों को पॉवर अपने हाथ में लेना चाहिये ताकि वे यह पता लगा सकें अपने भरोसे वाले आदमी या सी० आई० डी० रख कर खुफिया तौर पर, जिनका सीधा सम्बन्ध उनके विभागीय

[श्री गणपतिलाल वर्मा]
अधिकारियों से न रह कर सीधा मन्त्रियों से रहे या मन्त्रि-मण्डल से रहे कि कौन अधिकारी भ्रष्टाचारी या बेईमान है या अपना कर्तव्य अदा नहीं कर रहा है या जो शिकायत उनके पास आई हो उसकी जांच इस तरह अपने आदमियों से करावें कि आया वह शिकायत सही है या गलत है । इसके लिये पैसा भी खर्च करना पड़े तो करना चाहिये ।

इसके अलावा भीलवाडा जिले की दो-तीन बातें और रखना चाहता हूं और वे दो मिनट में मैं कह दूंगा । अभी अभी चार-पांच कत्ल एक रात में कोटू कोटा में हो गये और पुलिस आज तक भी उनका पता नहीं लगा सकी । यह चिन्ता का विषय बना हुआ है कि पुलिस वाले अगर इनका पता नहीं लगा सके तो आगे और भी इस तरह के किस्से हो सकते हैं ।

दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि मांडलगढ तहसील में नीम की खेडी में एक कत्ल और हो गया साल भर पहले पर उसका भी पता नहीं लग पाया ।

तीसरी बात यह भी है कि पुलिस के अधिकारी अपने को सही साबित करने के लिये किस प्रकार का बचाव करते हैं । मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं कि बिजौलिया थाने में एक किसान के घर में चोरी हुई । ६ हजार रुपया का माल एण्डा लगा कर ले गये । पुलिस ने पता लगाया, सही लगाया या नहीं, पर अपना बचाव करने के लिये वहां के कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया, और जिसके चोरी हुई उसे दबाव देकर यह कहलवाया, जाने के लिये तैयार किया तो यह कहो कि चोरी हुई ही नहीं । उसके इन्कार करने पर उसे गिरफ्तार करके दस दिन का रिमान्ड भी कोर्ट से लिया, दो दिन जेल में भी रखा पर बाद में छोड दिया । तो पहले तो गिरफ्तार क्यों किया और फिर छोडा क्यों ? तो इस पर कुछ एक्शन लिया जाना चाहिये । इतना ही कह कर मैं अपना कथन समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा । आपके लिये केवल सात मिनट का समय बचा है । इसका आप ध्यान रक्खें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): जो व्यवस्था माननीय अध्यक्ष महोदय ने दी है . . .

श्री उपाध्यक्ष : उसी के अनुसार मैं कह रहा हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं अति संक्षेप में, उपाध्यक्ष महोदय, अपने विचार व्यक्त करूंगा ।

इस वर्ष के लिये पुलिस की जो मांग रखी गई है, सदन में सभी सदस्यों के भाषणों से स्पष्ट हो चुका है कि यह इस रकम की पात्र नहीं रही है । पुलिस, जो जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, उनका मुकाबला करने में उनकी तफतीश करने में और दोषी को दंड दिलाने में असफल रही है ।

इन जुर्मों में सबसे चिन्ताजनक प्रान्त के बोर्डर पर होने वाली डकैतियां हैं । पिछले साल में ६५ डकैतियां हुई जब कि इस साल ९५ और इन घटनाओं का प्रमुख कारण यह बताया जाता है कि सरकार द्वारा पाकिस्तान की सरहद में कुछ यहां

(श्री मानिकचद सुराणा)

के डाकू पनाह पाते हैं-जगमालसिंह, तेज सिंह वगैरह वगैरह । वे डाकेजनी की घटनाएं हिन्दुस्तान में, हमारे एरिया में करके उनकी तरफ चले जाते हैं । हर डाके के बाद हमारी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और उनको पकड नहीं पाती और सरहद तक जाकर वापिस लौट आती है ।

मैं एक मिनट के लिये इसे ठीक मान लेता हूं और उनके द्वारा किये गये प्रयत्न को भी मान लेता हूं कि आज हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जितने भी मसले हैं और काश्मीर प्रश्न के साथ साथ और भी अन्य मसलों पर भारत और पाकिस्तान के बीच में मंत्री-स्तर पर बातचीत हो रही है । खुद हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को कहा है कि काश्मीर प्रश्न के साथ साथ और दूसरे जो अलाइड सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी दोनों देशों की वार्तालाप हो रही है । तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं इस संबंध कि जो घटनायें डाकुओं के द्वारा हिन्दुस्तान की सीमा पर की जाती हैं और वे डाकू शरण पाते हैं इस मैटर के बारे में हमारी प्रान्तीय सरकार भारत सरकार को कहां तक यह समझा पाई है कि वह अलाइड सब्जेक्ट्स के अन्दर पाकिस्तान की सरकार के साथ डिसकस करे और इसका फैसला सरकारी स्तर पर पाकिस्तान और भारत के बीच हो रही मंत्री स्तर की वार्ता में हो । मैं समझता हूं कि कोई माकूल कदम हमारी प्रान्तीय सरकार द्वारा इस ओर नहीं उठाये गये हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये मसले ऐसे नहीं हैं कि आई० जी० और डी० आई० जी० की स्तर पर जिनका फैसला हो सके । ये मसले कोई एक साल के नहीं, बल्कि दस साल के हैं और डाकू जगमालसिंह बराबर दस साल से हमारे बोर्डर के क्षेत्र में डकैतियां कर रहा है और उसके बाद पाकिस्तान में-शरण पाता है । क्या कारण है कि हमारी सरकार आई० जी० और डी० आई० जी० की लेवल के अलावा और कोई सरकारी स्तर पर कार्य नहीं करती है । मैं तो कहता हूं कि इसके लिए यदि आवश्यकता हो तो हमारे गृह मंत्रीजी को पाकिस्तान भेजना चाहिए और हमारी सदन की भावना को भी भारत सरकार तक पहुंचाया जाना चाहिए कि राजस्थान के नागरिक, विशेष तौर पर बोर्डर पर रहने वाले लोग इन घटनाओं से बहुत परेशान हैं और हमारी भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह काश्मीर के साथ साथ अलाइड सब्जेक्ट्स पर भी डिस्कस करके मार्शल अय्यूब को साफ कहे कि काश्मीर का मामला सुलझाना चाहते हैं तो जो डकैतियों की घटनायें बोर्डर के एरिया पर होती हैं और बाद में डाकू लोग पाकिस्तान में शरण पाते हैं इन घटनाओं को बिल्कुल बन्द करना चाहिए । लेकिन आज तक इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

आज स्थिति यह है कि डाक जगमालसिंह बीकानेर से ८ मील दूर जो गांव है वहां पर आता है और डकैती करता है। आज स्थिति यह है कि बीकानेर से १५ मील दूर करणीसर गांव में डाकू तेजसिंह डकैती करता है और बहादुर सिंह डाकू हमारे गांवों से चन्दा वसूल करता है और इन सारी घटनाओं की हमारी सरकार को

Page No 98

(श्री मानिक चन्द सुराणा)

इतला भी होती है। डाकू लोग साफ कह कर जाते हैं कि हम ७ दिन बाद आयेंगे और उस समय तक इतना पैसा हमको मिल जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जब कि हमारी सरकार सी० आई० डी० पर इतना रुपया खर्च करती है, आज तक भी इस तरह का कोई भी माकूल कदम इन डकैतियों को एनकाउन्टर करने के लिए हमारी सरकार नहीं उठा पाई है जब कि इस तरह की स्थिति है सारे जिले के अन्दर। मैं विशेष तौर से बीकानेर, बाडमेर और जैसलमेर के लिए कहता हूं कि एक असुरक्षा की भावना वहां की जनता में पैदा हो रही है। बोर्डर के जो एरिया हैं और वहां पर जो गांव हैं उनमें जो नागरिक हैं वे गांवों को छोड छोड कर शहरों में आ रहे हैं। उसके लिए जब पुलिस अधिकारियों को कहते हैं कि इस एरिया के नागरिक गांवों को छोड छोड कर शहरों में जा रहे हैं इसलिए आप आर० ए० सी० की पोस्ट कायम कीजिये तो कहते हैं कि हर गांव में पोस्ट नहीं लगाई जा सकती। हम मानते हैं कि हर गांव के अन्दर आर० ए० सी० की पोस्ट नहीं लगाई जा सकती लेकिन सरकार किस मुंह से कह सकती है कि सुरक्षा और कानून की व्यवस्था करना हमारा फर्ज नहीं है। मैं कहता हूं कि उस ग्रामीण को इससे मतलब नहीं है कि आपके पास कितनी फोर्स है। आपका काम तो सुरक्षा और कानून को बनाये रखना है और इसकी व्यवस्था सब जगह करना है। सरकार का फर्ज है कि वह उसके गांव में डकैती न होने दे। सरकार यह नहीं कह सकती कि वहां पर दस साल में एक डकैती होती है इसलिए वहां फोर्स को कैसे भेज सकते हैं या पोस्ट वहां पर कैसे रख सकते हैं? यदि सरकार से वहां पर कोई पोस्ट नहीं लगाई जा सकती तो आपने इसका कोई आल्टरनेटिव भी सोचा है? मैं निवेदन करूंगा कि हम बोर्डर के ऊपर जिन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, मैं राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को ध्यान में रखता हुआ कहता हूं कि जो सोशियल ग्रुप्स वहां हैं उन सोशियल ग्रूप्स को जिसमें खास तौर से एक्स-सर्विसेज के आदमी हैं उनको सरकार ट्रेण्ड करे और सरकार हथियार दे। यदि हमारी सरकार पंजाब के एक लाख लोगों को लाना चाहती है तो आप उनको बीकानेर, बाडमेर और जैसलमेर के बोर्डर के एरिया में बसाइये, उनको फैसिलिटीज दीजिए, उनको कूओं के लिए लोन दीजिए, और दूसरी तरह के लोन दीजिए ताकि हमारी बोर्डर की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आये। यदि हम बोर्डर की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर पाये तो निश्चित मानिये कि बोर्डर पर जितने भी ग्रामीण लोग बसे हुए हैं और जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं वह लोग अपने गांवों को छोड कर चले आयेंगे।

माननीय सदस्य श्री भैरोंसिह जी ने कहा कि वहां पर आज भी पाकिस्तान की करेन्सी चलती है हिन्दुस्तान के गांवों में, हिन्दुस्तान के गांवों में मस्जिदें बनी हुई हैं, वहां पर पाकिस्तान के कोर्स की पुस्तकें पढाई जाती हैं। हमारे पिछले गृह मंत्री जी के लिए कहा जाता था कि वह बहुत कमजोर थे लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सक्षम हाथों में सचिवालय का भार देने से क्या हुआ है, जुर्म बढे है साथ साथ में एक्सप्लेनेशन हो गया उन्होंने लिखा है

(श्री मानिक चन्द सुराणा)

कोई भी प्रशासन वर्ष प्रति वर्ष गिरावट की प्रवृत्ति की अपेक्षा करता है अथवा उसे प्रोत्साहन देता है, तो परीक्षा में वह अकुशलता, जनश्रुति दबाने की प्रवृत्ति तथा भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देता है। फिर यहां पर कोई भी सरकार या प्रशासन यह सोचे कि जुर्म गिरेंगे तो वह सरकार ऐसा सोच कर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देगी और दूसरे गलत तरीके की बातों को प्रोत्साहन देगी। यह कौनसा सिद्धान्त है जिसके अनुसार पुलिस गाइड हो रही है। हम कहें कि जुर्म गिरें तो आप कहें कि गिर ही नहीं सकते। हम नहीं कहते कि आप एफ० आई० आर० दर्ज न कीजिए, वह तो अब भी दर्ज नहीं कर रहे हैं पर हम इस बात के लिए आपको पूछ सकते हैं कि आप हमारे इस कन्सोलीडेटेड फण्ड से ५ करोड ६० लाख की ग्रान्ट लेना चाहते हैं लेकिन जो पिछली ग्रान्ट थी उसका एक्सपेन्डीचर किस प्रकार से किया ? कहा जाता है कि हमने बोर्डर के लिए दो नई आर० ए० सी० की प्लाटून तैयार कीं। पहले ८ बटालियन थीं अब १० हो गयी हैं। अभी अभी हमारे गृह मंत्री महोदय ने हमसे सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट के थ्रू ५ लाख रुपये लिये लेकिन मुझे ताज्जुब होता है यह सुन कर और मैं इसका वैरीफिकेशन चाहूंगा सरकार की ओर से कि आज सरकार यह सोच रही है कि जिन दो बटालियन को ट्रेनिंग देकर जिस पर ५ लाख रुपये खर्च किये उसमें से एक बटालियन को हमारी सरकार डिस्बेन्ड करना चाहती है। सरकार सोचती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप भारत सरकार से लें और आप भारत के गृह मंत्री श्री लालबहादुर जी शास्त्री से कह दें कि आप बोर्डर एरिया पर सुरक्षा को कायम रखना चाहते हैं तो इस बोर्डर के ऊपर भारत सरकार की जिम्मेदारी है। क्या वजह है कि इन्डो-पाक बोर्डर जो कि राजस्थान की सीमा पर पडता है उस पर भारत सरकार पैसे नहीं खर्च कर सकती और राजस्थान में विशेष बटालियन के लिए वह पैसा नहीं दे सकती। यदि नहीं देती है तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यह हमारी सरकार की कमजोर नीति का परिणाम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट! जैल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज जब कि इस सरकार ने बहुत से कमीशन्स सस्पेन्ड कर दिये हैं मैं नहीं कहता कि जेल कमीशन अभी तक कैसे कायम है ? रेवेन्यू कमीशन और दूसरे महत्वपूर्ण कमीशन रोक सकते हैं, हो सकता है उसमें हमारे प्रान्त के राज्यपाल महोदय के भाई चेयरमैन हों या और कोई बडे बडे लोग हों जहां दूसरे कमीशन्स सस्पेन्ड हो सकते हैं तो मैं इस बात की प्रोप्राइटी को चेलेन्ज करना चाहूंगा.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) Point of order, Sir, This sort of reference may be expunged.

'राज्यपाल महोदय के भाई हैं', यह एस्पर्शन है...

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह तय की बात है। It is a question of fact.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : He is there by virtue of his own qualifications

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

You can criticise whether you want that Commission or not, ? Some of the Members of this House are also members of that Commission.

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय उपाध्यजी, मैंने विवरण दिया है यदि माननीय ज्वालाप्रसादजी को ऐतराज है तो "गवर्नर" शब्द कहा है वह निकाल दिया जाय, परिपूर्णानंदजी रहने दिया जाय, बात एक ही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : शब्दों के प्रयोग के बारे में आपको संयम रखना चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने संयम रखा है। माननीय सदस्य को परेशानी नहीं रहनी चाहिये। इसलिये कि आपने राज्यपाल के भाई को रख दिया है इस खर्चे की प्रोप्राइटी नहीं है . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कितना खर्चा लगता है, मैं भी उसका एक सदस्य हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : १ लाख रुपया खर्च करते हैं, तीन हजार उनको देते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : किनको दे रहे है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप उनको दे रहे हैं ५० हजार रुपये टी० ए०-डी० ए० आदि पर खर्च कर रहे हैं . . .

श्री मथुरादास माथुर : ३०००) रु० तनख्वाह नहीं दे रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तनख्वाह मैंने नहीं कहा . . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने कहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : 'तनख्वाह' नहीं कहा। आप ५० हजार रुपया सालाना इस पर खर्च कर रहे हैं अगर नहीं कर रहे हैं तो स्पष्टीकरण कर दें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बीकानेर जेल में एक दुर्घटना हुई, तीन कैदियों की हड्डियां टूट गईं। उसके बारे में केस भी अदालत में चलाया गया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो इस केस में गवाह था, वह भी एक कैदी था उसको सरकार ने बीकानेर जेल से दूसरी जगह ट्रान्सफर कर दिया, उसको ट्रान्सफर करने में मुझे एतराज नहीं है कि आप उसको कहां रखें लेकिन मुझे ऐतराज है, सैद्धान्तिक एतराज है और वह यह है कि आप के अधिकारी जाकर बार बार उसको कहते है कि गवाही मत दो। मैं उसका नाम बता सकता हूं—रमेशचन्द्र वकील उसको कहते हैं कि गवाही मत दो। वह बीकानेर जेल का कैदी था, अलवर या धौलपुर पता नहीं—उसको कहां बदल दिया। जेल के अधिकारी उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि गवाही मत दो। इस प्रकार से जो दबाव डाला जाता है उसको बंद करना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि जो प्रश्न उठाये गये हैं उनका माननीय गृह मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कुमारानंद। Only five minutes for you.

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : ५ मिनट में मैं क्या बोलूंगा ?

मैं दो विषय पर बोलना चाहता हूं। एक तो यह कि मजदूर और किसानों के आन्दोलनों को कुचलने के लिये पुलिस अनुचित व्यवहार करती है उस बारे में और दूसरा राजस्थान

(श्री कुमारानन्द)

पुलिस के नोन-गजटेड कर्मचारियों का यूनियन न बनने देने के बारे में कहना चाहता हूं ।

एक तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं हूं कि मैं एक मजदूरों में काम करने वाला आदमी हूं, मजदूर हूं और मजदूर के ऊपर पुलिस की तरफ से हमेशा जो जुल्म होता है उसके बारे में कई बार कहा गया है, कई बार लिख कर शिकायतें की गई हैं। आपने एक बात देखी होगी कि जब जब मजदूर अपनी मांग के लिये खडे होते हैं तो हमारी गवर्नमेन्ट जो समाजवादी सरकार है, उसकी लाठी, डन्डा और गोली हमेशा उनके लिये तैयार होती है। म एक मिसाल देता हूं। गुजरे करीब डेढ पौने दो साल पहले ब्यावर मिल में, हमारे जो भाई अभी जेल में हैं मोहन पूनमिया और ब्यावर के केसरीमल उनको गिरफ्तार किया था इस बहाने पर कि उन्होंने मजदूरों को मिल में जाने से ओब्स्ट्रेक्ट करते हैं, हालांकि यह बिल्कुल झूठी बात है। मैंने कोतवाली में जाकर पूछा कि उनको क्यों गिरफ्तार किया तो कहते हैं कि आप भी बैठ जाइये। हमसे कहा कि हम भी गिरफ्तार होंगे जब कि हमारे खिलाफ कोई वारन्ट नहीं—कुछ नहीं, हमको भी ले गये। यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस की जबानी मालूम हुआ कि पुलिस गोली तक चलाने को तैयार है ।

साल भर पहले उदयपुर मिल में झगडा हुआ था आइ० एन० टी० यू० सी० के सेक्रेटरी को काम करने वाले किसी आदमी ने मार दिया—उनका क्या हुआ आज तक मालूम नहीं। उस उदयपुर मिल में हडताल हुई। रेलिंग खाते में काम करने वाले एक मजदूर की लाश मिली। पुलिस ने उसको दबा दिया आज तक क्या हुआ, पता नहीं। तो इस तरह से मजदूरों में काम करने वाले लोगों के ऊपर, मैं बताऊंगा मजदूरों के बारे में, लेबर विभाग के ऊपर मांग आयेगी तब पाली में एक ट्रिपार्टाइट फंक्शन हुआ था, जयपुर में भी हुआ था। अभी अभी पाली में ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स के फैसले का उल्लंघन करके पुलिस जाती है मजदूरों के पास और उनसे कहती है कि ज्यादा काम करो नहीं तो जेल में ठूंस दिये जाओगे। यह तो हम लेबर की मांग आयगी, तब बोलेंगे पूरा ३०-३० मिनट बोलेंगे। तो में कहना चाहता हूं कि इस तरह का अनुचित हस्तक्षेप होता है। गृह मंत्रीजी मानेंगे कि यह बात सारी दुनिया में है कि जब मजदूर मांग के लिये खडे होते हैं तो उनको दबाया जाता है लेकिन मालिक कितना ही जुल्म करे ट्रिपार्टाइट एग्रीमेन्ट को भंग करके तो भी मजदूरों को डंडा लगाते हैं। मजदूरों में काम करने वाले मोहन पूनमिया को जेल में बैठाया। पुलिस की रिपोर्ट पर उसकी इन्क्वायरी क्यों नहीं करवाई गई जिसने आपके डिफेन्स फंड में चंदा देने का सबसे पहला कदम उठाया ।

दूसरी बात क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, मैं उन आदमियों में नहीं हूं जो यह समझते हैं कि पुलिस सब की सब खराब है। खास कर नोन-गजेटेड पुलिस ऑफिसर हे उनकी यूनियन बनाने का कहते हैं तो आपकी गवर्नमेन्ट उनको डराती है, धमकाती है, रोकती है जिससे कि उनका यूनियन नहीं बन सके। आपके हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया रामशरण कांस्टेबिल के केस में। ज्यादा हम कहना नहीं चाहते। उसको सब-इन्सपेक्टर से हैड-कांस्टेबिल बना दिया था अब उसका हक है वापिस सब-इन्सपेक्टर बनने का। अजमेर मेरवाडा राजस्थान में विलीनीकरण हुआ उस समय का केस है। आपके विलीनीकरण के बाद हजारों कर्मचारी अफेक्टेड हैं जो

(श्री कुमारानन्द)

रामशरण के केस पर दरगुजर रखते हैं। रामशरण हाई कोर्ट में गया और वहां पर जज ने फैसला दिया कि पुलिस कर्मचारियों का यूनियन बनाने में कोई जुर्म नहीं है, युनियन बना सकते हैं। लेकिन आज तक आपकी सरकार पुलिस यूनियन को रोकती है, रामशरण को भी बुलाकर डराया धमकाया है। आपके जो नोन-गजेटेड पुलिस ऑफिसर हैं वे कांस्टेबिल तबका है जो दिन रात काम करता है, सुबह से शाम तक जिनको पूरी तनख्वाह नहीं देते हैं। गजेटेड ऑफिसर्स के मुकाबले में उनको यूनियन बनाने की सरकार इजाजत नहीं देती।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं। एक बात गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप राजस्थान का भला करना चाहते हैं तो राजस्थान के आई० जी० पी० हैं गोवर्धन शर्मा उनको जितना जल्दी ट्रान्सफर कर सकें उतना जल्दी करें चाहे उनको नेफा भेजें, चाहे लद्दाख भेजें। दूसरे हैं चीफ सेक्रेटरी मेहता। दोनों आदमी रहेंगे तब तक राजस्थान में कोई फायदा नहीं होगा। हम दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। ऐसे करप्टेड लोगों को नहीं रखें किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट में। मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Honourable Minister.

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी...

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ) : On a point of Order, Sir. मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष This is no point of Order.

श्री मोहनलाल सारस्वत : इण महत्वपूर्ण मांग पर टाइम तो देणो चाहिजे।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, सदन में पुलिस की डिमान्ड को लेकर करीब करीब २०-२२ माननीय सदस्यों ने इस बहस में हिस्सा लिया है और ६० माननीय सदस्यों ने २१७ कट मोशन्स भेज कर पुलिस विभाग के प्रति और उसमें जो कमियां हैं उनको सदन के सामने और हमारे सामने लाने का कष्ट किया है। उसके लिए मैं अपनी ओर से और पुलिस विभाग की ओर से आभार प्रगट करता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, एक धारणा हमारे सदन के माननीय सदस्यों में चल रही है कि पुलिस विभाग बराबर खर्चा बढाता जा रहा है और सन् १९५२ से लगा कर आज तक पुलिस विभाग ने २ करोड ७५ लाख रुपये से करीब करीब पौने छः करोड रुपये तक खर्चा बढाया है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके जरिये यह सूचना देना चाहता हूं कि इन दस वर्षो के अन्दर पुलिस विभाग के बजट की धनराशि जरूर बडी है, लेकिन पुलिस विभाग की नफरी १९५२ में थी, पुलिस विभाग के कर्मचारियों की संख्या १९५२ में थी, उससे आज इन दस वर्षों के अन्दर २,४०० आदमियों के करीब, ढाई हजार आदमियों की कमी हुई है। दो दफा सरकार ने हमारे यहां पर इकॉनामी के नाम पर पुलिस विभाग के कर्मचारियों की कटौती की है और वह कटौती उस समय से आज तक इन दस वर्षों में जो नफरी पुलिस विभाग की सन् १९५२ में थी, उससे घट कर अब इस वक्त २,४०० कम हो गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सन् १९५२ में २१,३७६ हमारे पुलिस के कर्मचारी थे और आज २०,७६९ कर्मचारी रह गये हैं...

Page No 103

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आर० ए० सी० को छोड कर ?

श्री मथुरादास माथुर : इसमें आर० ए० सी० शामिल हैं । उस वक्त जब आर० ए० सी० १९५२ में बनी थी, तो आर० ए० सी० एक बहुत छोटी टुकडी थी, अब आर० ए० सी० दिन पर दिन बढती गई और १९५२ से भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच यह मुद्दा चलता रहा कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेदार, जवाबदारी राज्य सरकार पर या भारत सरकार पर है । १९५२ से लगा कर आज तक दस वर्षों में यह एक इतिहास और कहानी बन गया है । राज्य सरकार ने भारत सरकार के सामने १९५२ से लगा कर आज तक बराबर इस बात की कोशिश की है कि इसकी पूरी जवाबदारी भारत सरकार पर होनी चाहिए । जितने भी हमारे यहां फाइनेन्शियल कमीशन आये, उनके सामने राजस्थान सरकार द्वारा जितने मेमोरेन्डम रखे गये हैं उनको देखें तो उन मेमोरेन्डम में हमने बराबर मांग की है कि बोर्डर की हिफाजत करने के लिए, बोर्डर की सुरक्षा करने के लिए जितना खर्च हो, वह भारत सरकार को बर्दाश्त करना चाहिए लेकिन भारत सरकार हमारी इस दलील को कभी स्वीकार नहीं कर सकी और हमें खेद है कि आज भी हमारी इस दलील को नहीं मानती है । लेकिन मुख्तलिफ फिसकल कमीशन और भी दूसरा कमीशन आया था, उसने इस बात को माना है कि यह जवाबदारी जो राजस्थान के एक्स-चेकर पर है उसमें भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार, भारत और पाकिस्तान की सीमा होने की वजह से सीमा की पूरी जवाबदारी लेने की बात को तो मंजूर नहीं किया लेकिन अपनी रपोर्ट में कुछ लाख रुपये की धनराशि हमारी आर० ए० सी० को इक्विप्प करने के लिए देना स्वीकार किया है और वह धनराशि केवल चालीस लाख रुपये की थी । लेकिन उससे पहले और आज तक जहां तक सीमा से सम्बन्ध है, यह राज्य सरकार के कन्धों पर भार रहा है और आज भी राज्य सरकार यह भार निभा रही है । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं, जिस वक्त सन् १९५२ में हमारा २ करोड ७५ लाख का बजट था, उस वक्त और तब से लगा कर आज तक दस वर्षों में हमारे यहां काफी तब्दीलियां हुई हैं और आज ५ करोड ६१ लाख रुपये का जो बजट ह उसमें से १ करोड ७५ लाख रुपये आर० ए० सी० पर खर्च कर देते हैं, उसके बाद १ करोड ४५ लाख रुपया खर्च करते हैं वह इन वर्षों के अन्दर जो रिवीजन आफ पे स्केल्स हुए, रिवीजन आफ अलाउन्सेज हुए और मुख्तलिफ अलाउन्स दिये गये वक्तन फवक्तन, भारत सरकार के कमीशन की सिफारिश को स्वीकार करने के बाद और राज्य की बढती हुई मंहगाई को देखते हुए जो राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को दिये, उससे १ करोड ४५ लाख रुपये की और बढोतरी हो गई है । इस तरह २ करोड ८० लाख रुपये तो हमारे बजट के अन्दर बिना एक इन्सान, एक कर्मचारी बढाये हुए खर्च हो जाते हैं, फिर हमारे पास २ करोड ८० लाख रुपये बच जाते हैं बजट में, वही २ करोड ७५ लाख रुपया सन् १९५२ में थे, उतने ही हमारे पास रह जाते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्यों के दिमाग में भ्रम है कि इन वर्षों में पुलिस का खर्चा बराबर बढता जाता है, उसके बढने के जो कारण हैं, वे मैंने आपके सामने रखे कि १ करोड ४५ लाख का आर० ए० सी० का खर्चा है, जो राज्य सरकार पर विशेष रूप से भार है, जो कि

(श्री मथुरादास माथुर)

दूसरे राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश और सीमा पर आने वाले प्रान्तों के अलावा दूसरी सरकारों और प्रान्तों के ऊपर नहीं है और बाकी का जो रुपया बढा है, वह हमारे पे स्केल्स के अन्दर बढोतरी से बढा है और वह भी जब कि हमारी पुलिस की नफरी जो पहले थी, वह उतनी नहीं रह जाती है। इसके अलावा हमारे प्रान्त की जो १९५२ में आबादी थी और जो १९६२ में आबादी है, उसको भी आप ख्याल में रखिये, इस प्रान्त की भूगोल को ख्याल में रखिये, जहां ६४०, ६४१ मील का पूरा बोर्डर है और वह भी रेगिस्तानी इलाका है, इधर चम्बल की बडी बडी रेवीन्स हैं, मध्य के अन्दर अरावली की पहाडियां आई हैं। इस तरह की ऐसी भौगोलिक स्थिति है, और इस प्रान्त की ज्योग्राफी को देखते हुए हिन्दुस्तान में अब पहला नहीं, दूसरे नम्बर पर क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान प्रान्त है। इस प्रान्त में लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था करने के लिए, हमें बहुत बडे विस्तार में काम करना पडता है। इस प्रान्त की भौगोलिक, राजनैतिक स्थिति और क्षेत्रफल के आधार पर और जो बढती हुई आबादी है, उसके आधार पर और उसके साथ साथ इन दस वर्षों में विकास के जरिये हमारे राजस्थान के अन्दर औद्योगीकरण हुआ है और औद्योगीकरण के साथ साथ अरबनीकरण होता जा रहा है और अरबनाइजेशन और अरबनीकरण होता है, उससे हमारे यहां के जुर्म बढते जाते हैं।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा): यह अरबनीकरण क्या है?

श्री मथुरादास माथुर: मैं हिन्दी में बोल रहा हूं। तो ये भी फेक्टर्स हैं जिनको हमें मद्देनजर रखना पडेगा। इधर ज्यों ज्यों हमारी नई नहर आती जाती है, ज्यों ज्यों कोलोनाइजेशन होता जाता है, ज्यों ज्यों नहरों में पानी बहता जाता है, हमें इस बात का खेद है कि त्यों त्यों जुर्म बढते जाते हैं। जैसे पंजाब की मिसाल है और हमारे यहां गंगानगर का इलाका और वे इलाके जहां नहर आई है और जहां नहर आने से कोलोनाईजेशन हुआ है, उसका एक असर पुलिस पर भी पडता है। मैं यह नहीं कहता, मैं यह निवेदन नहीं करता कि यह नहीं होना चाहिए। यह तो अनिवार्य है, होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक तीसरा कारण है, जिसके लिए बनेडा से आने वाले माननीय सदस्य को बहुत बुरा लगा था हमारी रिपोर्ट को पढ कर, मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि हम डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं, अगर डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन में पुलिस की सहायता ली जाय तो हमें उससे खेद नहीं होगा, मगर हमें इस बात का खेद है कि डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन से एक नई समाज व्यवस्था बनती जाती है हमारे गांवों के अन्दर जैसा कि पहले माननीय सदस्य ने पूछा कि जुर्म कैसे बढते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ४०९ के मुकद्दमे पुलिस ने रजिस्टर किये हैं, उसका पिछले तीन सालों में एक बटा तीन भी नहीं आये थे। इसके साथ साथ गांवों में चुनाव के वक्त लडाई झगडे हुए, चुनाव के दौरान में लडाई झगडे हुए और चुनाव के बाद में लडाई झगडे हुए उनकी वजह से ज्यादा मुकद्दमात जो पार्टी पॉलिटिक्स के कारण होते हैं, उनका भार भी पुलिस को बर्दास्त करना पडा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन वर्षों के अन्दर‥

श्री उमराव सिंह ढाबरिया (बनेडा): सारे झगडे डिसेन्ट्रलाइजेशन के कारण नहीं हुए हैं। मैंने जो कहा है, उसको आप एप्रीशियेट करिये...

श्री मथुरादास माथुर : जब माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं बहुत खामोशी से सुन रहा था। मैं आशा करके चलता हूं कि मैं बोल रहा हूं तो वे खामोशी से सुनेंगे।

मैं खुद विकेन्द्रीकरण का एक छोटा सा विद्यार्थी हूं और विकेन्द्रीकरण का हामी हूं। विकेन्द्रीकरण होना चाहिए, होगा और बढेगा लेकिन उससे इम्पेक्ट हमारे यहां लॉ एण्ड ऑर्डर पर पडा है, उससे रियलिस्ट्स होने के नाते हम दर गुजर नहीं कर सकते। इतना मैंने निवेदन किया है, मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच रहा हूं, क्योंकि जुर्म बढ रहे हैं इसलिए इसे बन्द कर देना चाहिए। मैं इसका हामी हूं, भले ही जुर्म बढते रहें— ये जुर्म राजस्थान में ही नहीं बढ रहे हैं, मैंने जो आंकडे इस छोटी पुस्तिका में रखे हैं, हो सकता है इस पुस्तिका में जल्दी में लिखे जाने की वजह से इसमें गलतियां रह गई हों, मैं उसके लिए क्षमा मांग सकता हूं, मगर इस पुस्तिका में फेक्ट्स लिखे गये हैं और कहीं भी ११ कैरट गोल्ड रखने की कोशिश नहीं की गई है, कहीं मिलावट नहीं रखी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : परोक्ष रूप से, आप यह मानते हैं कि विकेन्द्रीकरण नाकामयाब हुआ है ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जुर्म बढा है। आप दूसरे राज्यों की रिपोर्ट को भी पढ लें तो आपको मालूम होगा कि सभी जगह जुर्मों की तादाद बढी है। आप इंग्लैन्ड, अमेरिका, स्वीडेन, स्कॉटलैण्ड किसी को भी ले लें जहां पर पूर्ण प्रजातन्त्र है और आप उन देशों को भी लें लें जहां पर डिक्टेटरशिप है, आप रूस की रिपोर्ट भी पढ लें जो अमूमन दी नहीं जाती है तो आपको मालूम होगा कि दुनियां भर में क्राइम बढा है। यह क्राइम का एक वेव है जो दुनियां भर में चला और हम दुनियां के बाहर नहीं रह सकते। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जांच हमने की है वह सब मैंने आपके सामने रखी है क्राइम बढे हैं और इसकी वजह से खर्चा भी बढा है मगर हम इनको भी रोकने की कोशिश करेंगे। इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय सदस्य जो इसमें सहानुभूति रखते हैं, मेरे हाथ मजबूत करेंगे . . .

श्री मुरलीधर व्यास : आजकल प्रजातंत्र है उसमें क्राइम बढ रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य थोडी देर अपनी सीट पर चिपके रहें।

तो मैंने यह बातें आपके सामने रखी हैं। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से सहयोग चाहता हूं और उनसे एमर्जेन्सी की घोषणा होने के कारण मैं ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता। मगर इतना जरूर कहूंगा कि हमारे पुलिस की जिम्मेदारियां बहुत बढी हैं। चाहे पश्चिम या उत्तर के कारण हो मगर हर हालत में हमारी पुलिस की जिम्मेदारियां बढी हैं और जो कुछ होता है उसको पुलिस को बर्दाश्त करना पडता है। इसके अलावा पुलिस में सिविल डिफैन्स, होम गार्ड, राइफल ट्रेनिंग सैन्टर आदि पुलिस पैमाने पर ही होते हैं। इन सब के लिये अगर गल्ती से भी दो शब्द उनकी तारीफ के माननीय सदस्यों के मुंह से निकल जावें तो वे अपना सौभाग्य समझते हैं मगर वे भी नहीं निकले।

मैं निवेदन करूंगा कि जो माननीय सदस्यों ने मुद्दे रखे हैं उनका जवाब दूंगा और जिन

(श्री मथुरादास माथुर)
माननीय सदस्यों ने अपने कट मोशन्स रखे हैं और उनको बोलने का और यहां पर चर्चा करने का समय नहीं रहा, अगर समय रहा तो उनके कट मोशनों का भी उत्तर दूंगा और समय नहीं रहा तो उनके कटौती प्रस्तावों का उत्तर लिखित रूप में भेजने की कोशिश करूंगा।

बोर्डर को लेकर चर्चा की गई। मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसी हालत उपस्थित है, मैं बहुत ज्यादा फैक्ट्स सदन के सामने खुले तौर पर नहीं रख सकूंगा।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने जो वहां की हालत है उसमें दिलचस्पी ली है, उसके लिये बडी खुशी है कि माननीय सदस्य वैस्ट बोर्डर पर हो रही घटनाओं से सजग हैं और हमारा हाथ बटाना चाहते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एमर्जेन्सी के बाद में, मैं राजनैतिक कारणों में नहीं जाना चाहता क्योंकि माननीय सदस्य खुद राजनीतिज्ञ हैं और वे समझते ही नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं, वहां के मामले डकैती के मामले नहीं हैं। जिस तरह से बीकानेर से आने वाले और दूसरे सदस्यों ने कहा कि राजनतिक कारण हो सकते हैं। जब गांवों में लोगों में परेशानी होती हैं, खलबली बढती है तो हम लोग भी कम परेशान होते हों यह बात नहीं है। मैंने इस साल बहुत कोशिश की डकैती को दबाने की। मैं यह नहीं कहता कि हम डकैतों को पूरी तरह से दबाने में सफल हो गये हैं। यह बात नहीं कहता हूं। गवर्नर के भाषण में मैंने यह कहा कि हम इसके लिए पूरी तरह से सजग हैं और मैं कहूंगा कि हमने इन दिनों में डकैतों को पकडा है, कई डकैत मारे गये हैं और कई डकैत सरेन्डर भी हुए हैं। हमारा स्मगलरों और डाकुओं को हारबर करने वालों के साथ बराबर मुकाबला चलता रहा है। इन दो तीन महीनों में बाडमेर और जैसलमेर में एक भी डकैती नहीं हुई। बीकानेर और हनुमानगढ़ वगैरह में इसके लिये ऐसी बात है कि हमारा बराबर डकैतों से मुकाबला होता है और डकैत मारे गये और हमारे पुलिस के सिपाही भी मारे गये। बराबर मुकाबला होता रहा है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपने फरमाया कि हमारे डकैत मारे गये। आप भी डकैतों को हारबर करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो वैसा ही सैन्टैन्स है जिसको हमारा भी कह सकते हैं। हमारे डकैत जो पाकिस्तान में पनाह पाते हैं।

माननीय सदस्यों ने कहा कि बोर्डर पर डकैत बैठे हुए हैं और हमारे यहां आते और जाते हैं। मैं यह कहूंगा कि हम भी पूरे सजग हैं। माननीय सदस्य उस इलाके में रहते हैं और हम भी माननीय सदस्यों से और दूसरे जरियों से उनको रोकने के लिये पूरी तरह से सजग हैं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने आदमियों की जरूरत होगी दिये जावेंगे। हमारे पास बोर्डर के लिए आदमियों की कमी नहीं है, दो-तीन महीने में हमारे पास इतने आदमी हो जावेंगे। अभी ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद ज्यादा आदमी डकैतों का दमन करने के लिये ले सकेंगे। इसके अलावा जहां तक Communications का संबंध है वहां के लिये ऊंट और वायरलैस आदि के बारे में जो साधन और सामग्री की आवश्यकता होगी उसको राज्य सरकार ने

Page No 107

(श्री मथुरादास माथुर)

कर दिया है और कमी रहेगी तो पूरी कर दी जावेगी और डाकुओं को खत्म कर दिया जावेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आर. ए. सी. बटेलियन को आप डिस्बैन्ड तो नहीं कर रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं कर रहे हैं। उसको तो पूरी तौर से सीमा रक्षा के लिये काम में लिया जावेगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्मगलर्स और डाकुओं को हारबर करने वाले हैं उनका सामना कर रहे हैं और आज भी मैं यह कहता हूं कि बोर्डर पर जो डकैतों को हारबर करेंगे या हिन्दुस्तान की सीमा की सुरक्षा में गडबडी करेंगे उनको चाहे वे किसी भी पार्टी के हों सरकार उसका कोई पार्टी का ध्यान नहीं रखेगी और चाहे कोई आदमी प्रजा सोशियलिस्ट पार्टी का हो, चाहे कोई दूसरा कांग्रेस या और किसी का चौअन्नी सदस्य हो अगर वह देश की सुरक्षा के विरुद्ध और अराष्ट्रीय काम करेगा तो कोई रियायत नहीं होगी, उसको भी सजा दी जावेगी और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर मेरा सगा भाई भी होगा और वह देशद्रोह का काम करता है तो हम उसके साथ नहीं हो सकते हैं।

इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि डकैतों और स्मगलर्स की समस्या की तरफ हमारा पूरा ध्यान है, लाखों रुपयों की प्रोपर्टी हमने पकडी है। हमने लोंग पकडी है, केशर पकडी है। मैं यह नहीं कहता कि हम पूरी तरह से इस समस्या को हल कर पाये हैं। मगर मैं यह कह देना चाहता हूं कि या तो स्मगलर्स ही रहेंगे या पुलिस ही रहेगी दोनों एक साथ नहीं रह सकते।

एक माननीय सदस्य : पुलिस वाले तस्कर व्यापार नहीं करने देंगे तो उनका क्या होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : अपन तो बाड़मेर में बात कर लेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक सीमा का पहलू है, वह हमारे देश का पहलू है।

एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया सदन के सामने कि उस एरिया में मस्जिदें बना ली हैं। इसके लिये कानून है और उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देखना चाहिये। राज्य सरकार उसके लिये कानूनी कदम उठा रही है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस सेकुलर स्टेट में कोई मस्जिद बना ले तो हम रोक नहीं सकते। मगर बगैर हुक्म के कोई नहीं बना सकता। हमारे यहां कानून के अनुसार मन्दिर, मस्जिद या चर्च बगैर इजाजत के बना लेते हैं तो उसके लिये कानूनी कार्यवाही की जा सकती है और अगर यह भी बिना इजाजत बनी है तो आगे कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, आप और हम सब पर बड़ी जवाबदारी है, जब कि हम सीमा-प्रांत में रहते हैं। जिस तरह के हालात अखबारों में पढते हैं और आगे जो हालात और तूफान आने वाला है उसे सब महसूस करते हैं। देश की आजादी और सुरक्षा की जवाबदारी आप और हम सब पर है। आप ही के बलबूते और ताकत पर हम यहां पर बैठे हुए हैं और आप ही की ताकत व बलबूते पर हम इसकी रक्षा

(श्री मथुरादास माथुर)
करने के लिये तैयार और सजग हैं। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को सूचित करता हूं कि राजस्थान सरकार बराबर बोर्डर समस्याओं के बारे में भारत सरकार को लिखती रही है और उन्होंने यह भी कहा कि वहां के खर्चे के बारे में भारत सरकार की जवाबदारी होनी चाहिए, हमने फिर लिखा है, इस एमर्जेन्सी के समय में हमने फिर लिखा है कि राजस्थान एक पिछडी हुई स्टेट है जिसका बजट घाटे का है, इसमें हमें मदद मिलनी चाहिये। हमारे मुख्य मंत्रीजी और केबिनेट के सदस्यों ने इसके लिये कोशिश की है, हमने लिखा ही नहीं बल्कि हम मिले भी हैं। मैं इतना निवेदन कर देता हूं कि मैं कोई डिफेन्स मिनिस्टर नहीं पुलिस मिनिस्टर हूं और पुलिस को कितने अधिकार हैं वही कर सकता हूं। इससे ज्यादा आशा रखते हैं तो मुझे खेद है कि मैं पूरी नहीं कर सकता।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (आसपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। क्या केन्द्रीय सरकार से राजस्थान सरकार ने यह मांग की है कि सीमा पर सडक की व्यवस्था के बारे में विचार करे?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, हमने इस बात की मांग की है और पुरजोर मांग की है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : और करेंगे?

श्री मथुरादास माथुर : की है और करेंगे, जब तक कि पूरी न हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हमारी आपके साथ सहानुभूति है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): असफल होने पर इस्तीफा भी देंगे?

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विषय पर चर्चा करते हुए सडक का भी जिक्र किया था; उसका जवाब, माननीय विरोधी दल के नेता ने पूछ कर स्पष्ट कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अब तक क्यों नहीं किया?

श्री मथुरादास माथुर : और मैं यह निवेदन कर दूं, राजस्थान सरकार की हैसियत से राजस्थान सरकार को जितनी धनराशि उपलब्ध हो सकती है इस संबंध में कदम उठा रही है।

इसके साथ साथ, माननीय उपाध्यक्षजी, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ हथियारों और हमारी आर्म्स पॉलिसी के बारे में जिक्र किया। इस बारे में माननीय गवर्नर महोदय के भाषण के अवसर पर सारी नीति वता चुका हूं। उन्होंने सुझाव दिया कि जितनी मज़ल लोडिंग टोपीदार बन्दूकें हैं उनको लाइसेन्स से छूट दी जाय। मैं अर्ज कर दूं कि आर्म्स एक्ट एक सेन्ट्रल एक्ट है और हमको अधिकार नहीं कि किसी को एग्जेम्प्ट कर सकें। भारत सरकार को हमने इसके लिये लिखा है। पर अभी तक भारत सरकार हमारी राय से सहमत नहीं हो पायी है, इसलिये आपने जो सुझाव दिया है उसे मैं मानने से असमर्थ हूं। और भी एक दो सुझाव उन्होंने दिये मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि उन सुझावों के बारे में, राज्य के इन्ट्रेस्ट में, यहां कहना उचित नहीं होगा पर राजस्थान सरकार, जितना हो सकेगा, इस समस्या को हल करने की कोशिश करेगी।

(श्री मथुरादास माथुर)

उन्होंने अपने भाषण में यहां के जयपु के छोटे मोटे हर पहलुओं का जिक्र किया और पुलिस में असंतोष होने की भावना का भी इजहार किया। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस द्वारा किसी की पिटाई हुई हो, आपस में झगडे हुए हों, उन सब में हमने पूरी कार्यवाही की है। उन्होंने एक मंत्री का जिक्र करते हुए कहा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस केस का चालान कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : कब किया?

श्री मथुरादास माथुर : मैं कहता हूं, तो कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : रजिस्टर होने के कितने दिन बाद चालान किया ?

श्री मथुरादास माथुर : केस हुए ही महीने दो महीने हुए हैं, चालान कर दिया है।

जिस सिपाही और थानेदार और सिपाही के आपसी झगडे का जिक्र किया तो उसमें मैंने हुक्म दिया था कि थानेदार के खिलाफ इन्क्वायरी की जाय, उसके खिलाफ इन्क्वायरी की जा रही है। सिपाही ने भी इन्डिसिप्लीन किया था उसकी भी इन्क्वायरी होगी। सिपाही का इन्डिसिप्लीन करना गुनाह है उसकी इन्क्वायरी होगी। थानेदार का उसे पीटना गुनाह है, वह और कार्यवाही कर सकता था, इसके लिये उसके खिलाफ इन्क्वायरी का हुक्म दिया। दोनों के खिलाफ इन्क्वायरी का हुक्म दे दिया है और इन्क्वायरी हो रही है।

जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना कि पुलिस के अन्दर प्रमोशन्स और कन्फर्मेशन्स और खास कर के प्रमोशन्स के अन्दर बहुत से नाम सदन में नहीं रखे पर उन्होंने सदन में रखा कि ठीक तरह नहीं चलता नेपोटिज्म होता है। मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने पुलिस सबोर्डिनेट रूल्स पास कर दिये हैं, कान्स्टेबिल से हैड कान्स्टेबिल तक के प्रमोशन्स एक बोर्ड से होंगे, हैड कान्स्टेबिल से सब-इन्सपैक्टर तक के प्रमोशन्स उन्हीं रूल्स के आधार पर होंगे। सब-इंन्सपैक्टर से आगे के प्रमोशन्स का प्रश्न है, आज भी माननीय सदस्य जानते ह कि पूरे डी. आई. जीज बैठते हैं, बोर्ड हैं, बोर्ड में पहले मैरिट-कम-सीनियोरिटी का फार्मूला था। उसमें मैरिट्स को प्राइमरी इम्पोटेंन्स देते थे, उसमें सीनियोरिटी सैकण्डरी चीज थी। अब सीनियोरिटी कम मैरिट्स का फार्मूला है, इसमें सीनियोरिटी को प्राइमरी इम्पोर्टेन्स देते हैं फर्स्ट प्रिफरैन्स देते हैं और मैरिट्स को सैकिन्ड प्रिफरेन्स।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : सीनियोरिटी-कम-मैरिट्स का फार्मूला...

श्री मथुरादास माथुर : वे इस बात को समझ रहे हैं, जरा बारीकी की बात है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आपसी समझौते की बात है ?

श्री मथुरादास माथुर: विरोधी दल के नेता खुद एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं वे इन बारीकियों को समझ सकते हैं पर बयाना से आने वाले माननीय सदस्य नहीं समझ सकते।

श्री मानसिंह महार (आमेर): आपको ही मुबारक हो ये बारीकियां।

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक डी. वाई. एस. पीज के प्रमोशन का प्रश्न

(श्री मथुरादास माथुर)
है पी. एस. सी. के चेयरमैन बैठते हैं, इसके बाद दूसरे अधिकारी बैठकर सलेक्शन करते हैं। मुझे खेद है कि इन दो वर्षों में बोर्ड नहीं बैठा था। अब बोर्ड बैठ गया है, एप्रूव्ड लिस्ट बनाई है। २५ नं० कार्यवाही के और ५० नं० पास्ट हिस्ट्री के—इनमें से साढे बासठ ले आता है वह एप्रूव्ड लिस्ट में आता है और जब तक वह एप्रूव्ड नहीं हो जाय पी. एस. सी. से तब तक प्रमोशन नहीं मिलता।

यदि माननीय सदस्य, अभी नहीं बाद में जब भी कोई ऐसा केस बतायें तो मैं रेकर्ड से उनकी शंका को साफ कर सकता हूं।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): पी. एस. सी. के एप्रूवल के बिना प्रमोशन और डिमोशन कर दिये उनके लिये क्या कहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : पी. एस. सी. के एप्रूवल के बिना कन्फर्मेशन नहीं हो सकता। जो अब एप्रूव्ड लिस्ट बनाई है उसमें जो होगा वह प्रमोट होगा। जो है वह है और इस वक्त लिस्ट में नहीं आया है तो डिमोट होगा।

श्री भैरोंसिह : जो आ गये उनको डिमोट किया है, उनका क्या होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : जो लिस्ट में आ गये हैं, एप्रूव्ड लिस्ट में आ गय है और अप्रूवड लिस्ट में सीनियोरिटी में ऊंचे हैं और नीचे आ रहे हैं उनको कैसे रखें ....

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं एक कांक्रीट केस रैफर करता हूं जिसमें कि ....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please !!

सदन का समय समाप्त हो रहा है। क्या सदन की मन्शा है कि मांगें जब तक पारित नहीं हो जायं, सदन का समय बढाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय जब तक कि मांगें पारित हों तब तक के लिये बढाया गया।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय उपाध्यक्ष, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां के भूत पूर्व एस. पी. जो भरतपुर में लगे हुए हैं, उनकी तरफ इशारा करके एक दो बातें कहीं। जिन मुकदमात्, हालात को बताया उन दोनों केसेज में चार्जशीट दी जा चुकी है और इन्क्वायरी जारी है।

(५.०० म. प.)

इन्क्वायरी पूरी होने पर, जो हमारे डिपार्टमेण्टल इन्क्वायरीज़ कमिश्नर हैं वे कर रहे हैं, हो जायगा।

उन्होंने खेतड़ी का जिक्र किया। पहले भी जिक्र मुझे वे कर चुके थे। यह सन् ५४ का केस है। सदन में कई बार आ चुका है। कई बार जांच हो चुकी है। एक दफा मजिस्ट्रेट ने इन्क्वायरी करके कह दिया कि कत्ल नहीं किया। १६० सी. आर. पी. सी. के मुताबिक भी केस खारिज होकर डिस्चार्ज हो चुका है। आदमी अस्पताल में मरा, वह भर्ती हुआ या नहीं, दुबारा आपके कहने से मैंने डी. आई. जी. क्राइम के मार्फत इन्क्वायरी कराई। उस अस्पताल का जो इण्डोर पेशेण्ट का टिकट होता है वह पाया गया। जब पाया गया तो आपसे बात कही। डाक्टर और कम्पाउण्डर के आपस का झगड़ा था वह उसको फंसाना चाहता था। इण्डोर पेशेन्ट का टिकट मिलने के बाद में यह साबित हुआ कि वह अस्पताल में जरूर

(श्री मथुरादास माथुर)
भर्ती हुआ । यह मैंने सरसरी तौर पर और जो फेक्ट्स मुझे इस समय मिल सके उनको देख कर कहा । डिटेल्ड फेक्ट्स माननीय सदस्य मेरे पास पहुंचा दें ।

माननीय सदस्य ने जेल विभाग के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि मेट्रिक का सर्टिफिकेट झूठा है । गंगाप्रसाद जोधपुर के हैं । उनको चार्जशीट दी जा चुकी है । दूसरे आदमी की जांच चल रही है और पूरी होने पर और साबित होने पर कार्यवाही की जायेगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले साथियों ने जो मुद्दे उठाये, मैंने सदन के संतोष के लिए रखे और मुझे खुशी है कि उनकी शक्ल से मालूम पड़ता है कि उन्हें संतोष हुआ है ।

माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरे अन्य साथियों ने भी सदन के सामने कई बातें रखीं । जहां तक बीकानेर से आने वाले माननीय साथी का संबंध है उनका खास विषय है बोर्डर और स्वाभाविक है यह, उस इलाके में रहते हैं । मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं । अकेले सदन में वे ही एक ऐसे ईमानदार आदमी हैं जो यह मानते हैं कि कुछ हुआ है, हो रहा है और कुछ ज्यादा होना चाहिए । मैं भी यही कहता हूं कि कुछ हुआ है, हो रहा है और कुछ ज्यादा होना चाहिए । वे और हम एक हुए हैं यहां एक मामले में।

उन्होंने भी तीन चार बातें रखी हैं । मैं उन्हें निवेदन कर देना चाहता हूं कि उन्होंने डा. टण्डन की बात रखी, हमने उनका केस रजिस्टर करके चालान कर दिया । वे जमानत पर हैं । उसके साथ साथ दूसरी बात रखी है नमक प्लाट्स के विषय में । वह एण्टीकरप्शन बोर्ड में पड़ी हुई है ।

श्री मुरलीधर व्यास : ६ साल हो गये ।

श्री मथुरादास माथुर : पुलिस ने इन्क्वायरी की । एण्टीकरप्शन में केस गया है । सदन का ही तो प्रोसीजर बनाया हुआ है ।

श्री मुरलीधर व्यास : ६ साल का प्रोसीजर हमारा बनाया हुआ नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक डी. एस. पी. मानसिंह के केस का, जो उन्होंने रखा, संबंध है, पांच हजार रुपया गायब हुए तो हैड कान्स्टेबिल और उनके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है । और भी छोटे केस कई हुए हैं, बड़ा केस यह रखा, सबके लिए हम सजग हैं, कार्यवाही कर रहे हैं। ।उम्मीद करता हूं कि साबित होने पर उनको अदालत के सामने खड़ा किया जायगा ।

और भी माननीय सदस्यों ने और खास तौर पर उन सदस्यों ने जिन्होंने एक-एक थाने के ऐसे केसेज का जिक्र किया है जो इस वक्त मेरे पास नहीं हैं, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उनका जवाब यहां नहीं दे पाऊंगा, पूरे फेक्ट्स ,कोई दो साल पुराना है तो कोई तीन साल पुराना केस है, इस समय मेरे पास नहीं है । विरोधी दल के सदस्यों ने भी पुलिस के बारे में कहा "मेरे योग्य सेवा" पुलिस लिखा करती है। मैंने पुलिस को लिख दिया है कि बिल्ला हटा दिया जाय ।क्योंकि हम आपकी सेवा करने योग्य नहीं हैं ।

श्री दुर्गालाल बादवार (हवा महल, जयपुर) : उसकी जगह कौनसा बिल्ला रखा है ?

श्री मथुरादास माथुर : उसकी जगह "May I help you."

माननीय उपाध्यक्षजी, शहर के ४२० वाले केस का जिक्र किया । उस केस का चालान किया जा चुका है ।

श्री दुर्गालाल बादवार : रेस्ट ऑफ दी कम्पनी रन कर रही है ।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसे ६६ केसेज हैं । १ टेस्ट केस बना कर उसका कन्विक्शन होने पर, सब ही केसेज का एक ही मुद्दा है, उन ६६ केसेज को अदालत में रख देंगे हमारे पास रेकार्ड मौजूद है । हम उसको छिपाना नहीं चाहते । एक पर सजा हो गई तो ६६ केसेज़ पर सजा देंगे ।

तो माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक पुलिस के वेतन का प्रश्न है इसको सदन में एक माननीय सदस्य ने रखा है । मैं निवेदन करूं कि हमारे पुलिस कर्मचारियों का वेतन, खास तौर पर कानस्टेबिल्स का, मैं नहीं कहता कि हमारा वेतन जितना होना चाहिए वह है, हालांकि मंहगाई और बढ़ते हुए हालात से जगह जगह यह मांग है, पुलिस कमीशन कई जगह बैठे हुए हैं लेकिन यह कह दिया जाय कि हिन्दुस्तान में सबसे कम है मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं । पंजाब, मध्य प्रदेश वगैरह कई अन्य स्टेट हैं, कईयों से अच्छे हैं और कईयों से खराब हैं । माननीय सदस्यों ने पुलिस कर्मचारियों के लिए तनख्वाह बढ़ाने की बात कही उससे पुलिस कर्मचारियों का बहुत उत्साह बढ़ेगा ।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो भाई हमारे रायसिंहनगर से आये हैं उन्होंने बड़े उत्साह से और बड़े जोश के साथ और दलीलों के साथ कुछ बातें रखीं । उनके जोश का तो मैं बहुत ही मुरीद हूं और यह अर्ज करूं...

श्री भैरोंसिंह : मुरीद का क्या मतलब है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (रायसिंहनगर) : यह किसी पीर से पूछिये ।

श्री मथुरादास माथुर : मगर उन्होंने बात वही कही । हमने और उन्होंने बोर्डर के इलाके का साथ दौरा किया । था उनको यह निवेदन है कि उनको डाकुओं से कोई समाचार मिले तो हमको पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : २५ हजार की मांग हुई है ।

श्री मथुरादास माथुर : एक बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्षजी और वह यह है कि मैंने कभी भी सदन के सामने जहां तक स्मग्लर्स, होर्डर्स और बोर्डर के इलाके में जुर्म होते हैं कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि केस को छिपाया जाय या किसी गुनाहगार को सजा न दिलाई जाय । इसकी कोशिश नहीं की । मैंने कभी राजनैतिक लोगों का फायदा नहीं किया और माननीय सदस्यों को निवेदन करूं, माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहा हो सकता है मुख्तलिफ संस्थाओं में होते हैं, मुख्तलिफ विचार होते हैं, एक दूसरे

(श्री मथुरादास माथुर)
से टकराना स्वाभाविक हो सकता है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक मुद्दा न हो, माननीय सदस्यों का एक एक लब्ज इस सदन की मेज पर, इस सदन के आंगन पर गिरता है उसकी वकत होती है और हम एक एक लब्ज को वकत देते हैं उनको राजनैतिक संस्थाओं के जरिये अधिकार मिला है, हम कुछ भी कहें ताजीरात की दफा कुछ भी नहीं कर सकती है, उसका उपभोग करें तो सही तरीके से करें, दुरुपयोग नहीं करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपभोग किया है दुरुपयोग नहीं ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य का जो सदन में बोल नहीं सकते हैं उनके बारे में दस दफा जांच करके कहना चाहिए तो राज्य सरकार बहुत बहुत आभारी होगी ।

मैं आपसे निवेदन करूं, माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस कर्मचारी जो बोर्डर पर रहते हैं वे इधर-उधर जाते हैं और मिला करते हैं । आप इस तरह की बातें रोज कहते आये हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा पुलिस का कर्मचारी बोर्डर पर एन्टी-नेशनल एक्टीविटीज करता हुआ पाया जाता है तो आप हमें सूचना दें हम उस बारे में पूरी जांच करवायेंगे और जिन सदस्यों ने इस प्रकार की सूचना दी है उनके बारे में हमने कार्यवाही की है और मैं समझता हूं उन कार्यवाहियों से माननीय सदस्यों को संतोष होगा ।

जब हम शहर के रहने वाले ऐसे लोगों को एन्टी-नेशनल एक्टीविटीज के कारण नजरबन्द कर सकते हैं तो हमारा कर्मचारी जो बोर्डर पर रहता है और इस प्रकार एण्टी-नेशनल एक्टीविटीज़ करें तो जो कानून हर नागरिक के लिये है उस कानून के मातहत हम उसको भी पकड़ेंगे । कानून सबके लिये समान है । इसलिए आप हमें इन बातों के लिये जो भी सहयोग दें हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे जो भी समाचार आपको इस संबंध में मिल सके दिया करें......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सांचोर के संबंध में कहिये ।

श्री मथुरादास माथुर : सांचोर एक तो जोधपुर में है और दूसरा आपके उधर सोशियलिस्ट भाई हैं उन्होंने राजाखेड़ा में औरतों की बिक्री की बात कही । यह समाचार ब्लिट्ज अखबार में भी प्रकाशित हुआ था । जब से यह खबर निकली है मैंने खुद ने वीमेन्स सोशियल वेलफेयर आफिसर को बुलाया और उनसे इस बारे में पूछा । हाट लगने की बात तो मेरी इन्क्वायरी से साबित नहीं होती । इस तरह का काम काफी ठीक पैमाने पर नहीं तो बहुत बड़े पैमाने पर रिवीजन (अश्रव्य) होता रहा है । इसलिये मैंने इस बात की कोशिश की है और करूंगा; लेकिन यह सामाजिक इविल है· ·

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हम इसके लिये पूरा सहयोग देने के लिये तैयार हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक सरकार द्वारा इस इविल को मिटाने का सवाल है वह अपनी भरसक कोशिश करेगी, किन्तु यह तो सामाजिक इविल है इसको मिटाने का काम पुलिस के जरिये से हो जायेगा, यह नामुमकिन है । इसके लिये सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको आगे आना चाहिए । जो बाप अपनी बेटी को बेचना

(श्री मथुरादास माथुर)

चाहे उसमें पुलिस क्या कर सकती है ? इस बारे में सरकार सतर्क है, इसमें आप भी हमारा सहयोग करें ।

आर. ए. सी. को धौलपुर से हटाने के बारे में भी कहा गया । मेरा निवेदन है कि उस वक्त ऐसी हालत हो गई थी, हमारी एक बटालियन भारत सरकार की सेवा में चली गई थी । वह धौलपुर एरिया से ट्रांसफर करके वहां भेजनी पड़ी, केवल एक हफ्ते के लिये । धौलपुर से आने वाले साथी जो इधर बैठते हैं उन्होंने भी मझे कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं भेज रहा हूं । हुक्म पहुंचने में और उनके आने जाने में एक हफ्ते का समय लग गया । उस एक हफ्ते की गेप के अन्दर गांव के अन्दर डकैती हो गई । धौलपुर मध्य प्रदेश और चम्बल रेवेन्स की वजह से डिस्टर्ब्ड एरिया है । ६३ में सिर्फ ४ डकैतियां हुई जिनमें से तीन डकैतों का मुकाबला किया गया और जितने भी किडनेपीज़ थे उनको वापिस रेस्टोर किया गया । धौलपुर के दो डकैतों को मारा है, ८ डकैत सरेन्डर हुए हैं । बराबर हम उनका पीछा करते जा रहे हैं । अमुमन ऐसी डकैतियां पकड़ी नहीं जाती हैं लेकिन वहां पर ये डिटेन्ड हुई हैं । मैं खुद वहां पर गया और तीन सौ आदमी भेजे हैं जिन्होंने रात दिन पीछा करके उनको रेस्क्यू किया और इस तरह से छः डकैत पकड़े गये । यह भी कहा गया, पुलिस को सूचना मिलने पर भी कॉवर्डनेस की विजह से उन्होंने पीछा नहीं किया । इसके लिये मैंने वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्क्वायरी के लिये कहा और इन्क्वायरी करा कर ही मैंने संतोष लिया । आज पुलिस की कॉवर्डनेस और नेग्लीजेन्स रहती है तो उनका हमारे जीवन में क्या सहयोग हो सकता है ? हम चाहते हैं कि पुलिस में कॉवर्डनेस न हो । अगर आपको मालूम पड़े तो हमें इत्तला दें, हम उचित कार्यवाही करेंगे ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट को मैं अभी पूरी तरह से नहीं देख पाया हूं इसलिये फाइनली कुछ नहीं कह सकता लेकिन सरसरी तौर पर मैं देख पाया हूं उससे प्राइमा-फेसी चार्ज मालूम नहीं पड़ता ।

निठार में जो डकैती हुई उसके लिये जो वहां सहयोग मिला उसके लिए हमने राइफल ट्रेनिग सेन्टर दिया । जिस बहादुर आदमी ने बन्दूक छीन ली थी उसको सरकार की तरफ से अच्छी बन्दूक भेंट की है । हम अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं, करेंगे। क्राइमलेस सोसाइटी हो जाती है, उससे बढ़ कर और क्या बात हो सकती है; वह हमारे लिये युटोपियन डे होगा । क्राइम है, अगर वह टेन्डेन्सी बढ़ती है तो साथ साथ उसको रोकने की टेन्डेन्सी को हम डवलप करना चाहते हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से हम इसमें कामयाब होंगे ।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने करप्शन की बात कही । उनका कहना है कि करप्शन वहां बड़े ऑफिसरों और छोटे ऑफिसरों में बहुत व्याप्त है । एस० पी० ने करप्शन किया जब प्राइमा-फेसी साबित हुआ तो हमने उसको सस्पेन्ड किया । राजस्थान में किसी आई. पी. एस. ऑफिसर को

(श्री मथुरादास माथुर)
करप्शन के लिये सस्पेन्ड किया गया हो, उसका यह पहला उदाहरण है……

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : सर्कल इन्सपेक्टर को क्यों नहीं किया ? मुख्य शिकायत तो सी. आई. के लिये थी ?

श्री मथुरादास माथुर : उसके लिये इन्क्वायरी चल रही है । मैं आपसे निवेदन करूंगा, उसके खिलाफ और भी चार्जेज़ हैं । सी. आई. के खिलाफ प्राइमा-फेसी प्रूव हो गया तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेने में हम पीछे नहीं रहेंगे ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जब तक वह वहां है कुछ नहीं हो सकता ।

श्री मथुरादास माथुर : इसके बारे में भी विचार कर रहे हैं । इसके अलावा भरतपुर के लिये कहा गया वहां पर इम्तिहान के पर्चे फाड़ दिये गये–यह सूचना मुझे अभी अभी मिली है । उसकी जांच करके ही निवेदन कर सकूंगा अगर कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार की हरकतें करता है तो वह इस लायक नहीं कि वह इस प्रकार की फोर्स में रहे ।

बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को बनेड़ा के आन्दोलन से बहुत दर्द है, खास दर्द तो है बनेड़ा तहसील के टूटने का……

एक माननीय सदस्य : यह तो जिन्दगी भर रहेगा ।

श्री मथुरादास माथुर : उस दर्द का नजला वे पुलिस पर गिराते हैं ……

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : इसका इलाज आपके पास नहीं ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपसे यह कह देता हूं, मैंने खास तौर से पुलिस को यह हिदायत कर दी थी, आन्दोलन हुआ करे लेकिन जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लॉ एण्ड आर्डर की सिच्युएशन खराब होने का संकेत न करें वे किसी पर हाथ न डालें । जिस हैड कान्सटेबिल ने पकड़ कर हथकड़ी पहनाई, जिसका चित्र पेश किया गया उसको सस्पेन्ड कर दिया और उसको चार्ज शीट किया गया और उसका एक साल का इन्क्रीमेंट रोक दिया गया । मैं जो भी बात सदन कहता हूं, और सरकार की तरफ से कह देता हूं, उसको हम पूरी तरह से अमल में लाने की कोशिश करते हैं । अगर कोई समाचार न मिल पाये तो वह बात दूसरी है ।

वहां पर औरतें आन्दोलन में आयीं पुरुषों की कमी हो गई तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि औरतें पकड़ने के लिये हमने यहां से अपनी पुलिस को भेजा । जयपुर से पुलिस वहां उतरी, उतर कर पहुंची तो आन्दोलन चल रहा था । पुलिस औरतों में से कुछ ने वर्दी नहीं पहन रखी थी । वर्दी नहीं पहन रखी थी तो भी वह आखिर हमारी पुलिस की कर्मचारी थी । तो पुलिस के अलावा किसी ने गिरफ्तार किया हो औरतों को–यह बात नहीं । औरतों को गिरफ्तार करने के लिये औरतों को भेजा गया और पुरुषों को गिरफ्तार करने के लिए पुरुष थे और हथकड़ी डालने वाले को सजा दी गई । बनेड़ा का आन्दोलन नहीं चल पाया तो यह दोष मेरे पर नहीं है ।

उन्होंने एक नारायणा जाट के यहां चोरी होने का भी जिक्र किया । ऐसे पचासों केसेज़ होते रहते हैं, उन सबकी जानकारी आपके होम मिनिस्टर के पास……

Page No 116

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपके तो वित्त मंत्री ही को रहने दीजिए ।

श्री मथुरादास माथुर : हर एफ. आई. आर. की रिपोर्ट मेरे पास आती रहे, यह मुमकिन नहीं । नारायणा जाट ने यह लिख कर दिया है जो कि ओरीजिनल मेरे पास मौजूद है कि मेरे यहां चोरी नहीं हुई । जब मुस्तगीस ही कह दे चोरी नहीं हुई तो फिर पुलिस किसकी तफतीश करे ।

श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** : पुलिस ने जबरदस्ती लिखवा लिया……

श्री **मथुरादास माथुर** : पुलिस ने जबरदस्ती लिखवा लिया तो मेरा निवेदन है कि पुलिस को ऐसी क्या गुरेज थी । इतनी चोरियां होती रहती हैं, किसने लिख कर दिया है कि मेरे यहां चोरी नहीं हुई । यदि उसके यहां चोरी हुई होती तो उसको लिखने में क्या एतराज था । चोरी पैदा करके आन्दोलन करावें । आपके पास तो बहुत काम है आन्दोलनों का ।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं उनके इस सुझाव पर गौर करूंगा । वे कहते हैं कि डी. एस. पी. की पोस्ट को रिड्यूस कर देना चाहिये । अगर उनसे आपकी कोई नाराजगी हो तो वह बात समझ में आ सकती है । पर उसे रिड्यूस कर दें यह समझ में नहीं आता । हमने यह जरूर किया है आपके सुझाव से भी पहले कि हमारे जो टायर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एस. पी. , डी. एस पी., सर्किल इन्सपेक्टर– **तो** इनमें से हमने एक टायर को हटा दिया है–– सर्किल इन्सपेक्टर को । ये इन्सपेक्टर की ग्रेड के होते हैं । एक तरह से आपकी बात मैंने मान ली है । आपको इसके लिये मुझे धन्यवाद जरूर देना चाहिये ।

उपाध्यक्षजी, आमेर से आने वाले साथी ने बहुत बातें कहीं । कहा कि ऑफिसर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ऑफिसरों के खिलाफ बातें कहीं । मैं निवेदन करूं कि हम तो आपके लिये हाजिर हैं यहां । जो कहना हो हमें कह दीजिये । मेरे एक एक ऑफिसर की गलती के लिये मैं जिम्मेदार हूं । सदन को हक है कि मुझे गुलेटिन करें । आखिर आफिसरों के बारे में इस तरह से सदन में कहना यह सदन के लिये और माननीय सदस्यों के लिये भी अच्छी परम्परा का द्योतक नहीं है । लोक–सभा और राज्य–सभा में अथवा अन्य कहीं ऐसी परम्परा नहीं है । आई. जी. पी. अगर कोई गलती करता है तो जिम्मेदारी मेरी है, उसके लिये आप मुझे हटाना चाहें तो हटा सकते हैं ।

इसी तरह से एक अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि यह पोलिटिकल ब्लैक मेलिंग की तारीफ में आ सकता है । यह उनकी आदत है । मैं यह नहीं कहता कि इरादा है ऐसा कोई, पर यह उनकी आदत है । चाहे हिन्दुस्तान का हो, चाहे चीन का हो, वे तो फायर करना जानते हैं, जो सामने आया कर दिया फायर । उनकी इस आदत पर तो मैं मुबारकबाद देता हूं । पर कहीं ऐसा न हो कि बन्दूक पिस्तौल यह उनकी उनके खुद के ही न लग जावे । इसका भी वे ध्यान रखें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपका मतलब है कि वे लोडेड रखते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : और भी कहा गया । जगन्नाथजी का केस था । सस्पेन्ड

(श्री मथुरादास माथुर)

कर दिया है। इन्क्वायरी कर रहे हैं। आप यह इत्मिनान रक्खें कि इस मामले में जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी अवश्य की जावेगी।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : केस रेफर किया, उसमें तो फाइनल लगा दिया है?

श्री मथुरादास माथुर : ऑफिसर हमारा रस्पेन्डेड है, जांच चल रही है। इसके बाद में रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जावेगी।

माननीय उपाध्यक्षजी, मालपुरा बेगूं वाले केस के लिये मैं निवेदन करूं कि केस को अदालत में पेश कर दिया है। मुकद्दमा चल रहा है। गुनहगार होगा उसको सजा मिलेगी।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ट्रान्सफर कैसे हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : क्योंकि मामला अदालत में है, सब-जुडिस है इसलिये ज्यादा कहना ठीक नहीं है। अदालत का फैसला हमें शिरोधार्य होगा।

श्री मानसिंह महार : डी. एस. पी. मालपुरा ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके बारे में कभी कभी यह हो जाता है कि कहा यह जाता ह कि इसका राजनैतिक कारणों से तबादला नहीं किया जा सकता है, पर दलील में यह होता है कि राजनैतिक कारणों से तबादला हो। अगर ऑफिसर के साथ बिलकुल एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से डील करने का अधिकार आपने मुझे दिया है तो मेरे पर विश्वास करिये। मैं यकीन दिलाता हूं कि बिल्कुल प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से मैं डील करूंगा। आप पोलिटिक्स को खुद बीच में न डालें। मैं भी नहीं डालूंगा।

श्री मानसिंह महार : ट्रान्सफर करके रोका तो किस कारण से रोका ? वह शायद राजनैतिक ही था।

श्री मथुरादास माथुर : डी. एस. पी. का ट्रान्सफर मैं नहीं करता हूं। मुझे ज्ञान नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो मैं पूछ कर बता सकूंगा।

श्री मानसिंह महार : ज्ञान कैसे हो ?

श्री मथुरादास माथुर : तिजारा से आने वाले साथी ने कुछ बैक डेट्स की बात कह दी। मुमकिन है उनको अच्छी न लगी हो। न्याय पंचायत के न्याय पंच और एस. पी. के बिहेवियर के लिये कहा है। एक दरख्वास्त आई, उसमें आपके हस्ताक्षर थे या नहीं—मैं नहीं जानता। पर जिस अलंकारिक भाषा में वह लिखी गई, वह बात उस रूप में नहीं पाई गई जांच कराने पर। तो थी तो राई, पर बताया पर्वत। मैं निवेदन करना चाहता हूं उनसे कि उनको दर्द हो सकता है, मगर आखिर में अपनी पुलिस का ऑफिसर और वह भी एस. पी. की रैंक का इस तरह की बदतमीजी करे, आप जावें साथ में और वह अदब नहीं करे आपसे, तो ताजिमी ग्रेड २ की तरह मिलना चाहिये हमारी संस्कृति के माफिक......

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : मैंने यह नहीं कहा कि मैं गया।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे पता नहीं था कि आप सुनी हुई बात ही कह रहे हैं। मैंने जांच करवाई, रिपोर्ट आने पर वह बात नहीं मिली ठीक। फिर भी मैंने लिख दिया है कि आगे से ख्याल रखा जावे कि भारत का नागरिक या राजस्थान का नागरि

(श्री मथुरादास माथुर)

आवे तो उससे उसी तरह से मिलना चाहिये जिस तरह वे अपने होम मिनिस्टर से मिलते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हमारे अलवर से आने वाले दूसरे साथी श्री जयकिशन जी का कहना है ।

श्री मानसिंह महार : On a point of information........

(राज्य पक्ष के सदस्यों द्वारा टेबलों पर थपथपाहट)

राजा मानसिंह : On a Point of Order, Sir, The Hon'ble member is trying to obtain certain information from the Hon'ble Minister but the other side is behaving in this manner. He would like to listen the Home Minister..

श्री मथुरादास माथुर : I am trying to listen everybody.

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह भी एक सुझाव दिया गया कि हमारी पुलिस कर्मचारियों की यूनीफार्म सुधारी जाय । मैं निवेदन कर दूं कि हम इस पर काफी खर्चा करते हैं । इत्तफाक से ऐसा हो गया होगा कि पंजाब का पुलिस का आदमी और हमारी पुलिस का आदमी कहीं मिल गये होंगे और ऐसा देखने में आ गया होगा माननीय सदस्य को। नहीं तो हम साल में हर आदमी को दो कमीज, दो नीकर, पगडी देते हैं-प्रेस्क्राइब्ड स्केल के मुताबिक, इसका एक प्रेस्क्राइब्ड स्केल है । स्टेन्डर्ड स्केल है । हिन्दुस्तान भर में राज्यों में जो पुलिस को दिया जाता है, राजस्थान उनसे किसी तरह पीछे नहीं है । राजस्थान में भी इसके लिये लाखों रुपया दिया जाता है । यूनीफार्म उनको बराबर इश्यू की जाती है । आप जयपुर में रोज घूमते हैं, हमारे यहां के सिपाही यूनीफार्म में और पर्सेनलिटी में किसी भी हिन्दुस्तान के सिपाही से कम नहीं हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप भी कम नहीं हैं पर्सेनेलिटी में किसी भी होम मिनिस्टर से ।

श्री मथुरादास माथुर : और भी माननीय सदस्यों ने कई सुझाव रक्खे हैं और २१७ कटौती के प्रस्ताव इस मांग पर आये । इसके लिये हमारा विभाग उनका आभारी है कि माननीय सदस्यों ने पुलिस विभाग की हलचलों में इतनी गहराई से पीप करने की कोशिश की है, इतनी बारीकी से देखने की कोशिश की है और सुझाव दिये हैं। तो मैं भी उनको विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस का हर कर्मचारी, पुलिस का अधिकारी और मैं उन्हें अमल में लाने की बराबर कोशिश करेंगे । हमारी यह भावना है और इरादा है कि पुलिस हल्के हल्के जिस जगह होनी चाहिए उस जगह पहुंच जावे । सदियों से चली आ रही पुरानी पुलिस को हम लिये जा रहे हैं । समाज पुलिस का ही एक अंग है और समाज जिस तरह से बढ सकेगा, उसी तरह से उसका अंग बढ सकेगा । इसलिये जितने कटौती प्रस्ताव रक्खे हैं उनको वे माननीय सदस्य वापिस लेंगे और बढोतरी के प्रस्तावों को रख कर पुलिस को बढावेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपकी उन भावनाओं को लेकर हम आगे बढ सकेंगे ।

(स्वामी कुमारानन्द को बोलने के लिये खडे होते देख कर)

(श्री मथुरादास माथुर)

आप उठियेगा नहीं। मुझे ध्यान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार की नीति है कि मजदूरों और मिल मालिकों का जब झगडा हो तो पुलिस रास्ते में नहीं आती है।

बीकानेर से आने वाले साथी ने पलाना के मामले को लेकर कहा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन मामलों में हमने सब पुलिस अधिकारियों को यह सख्त हिदायतें भेज दी हैं कि पुलिस मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में कतई नहीं आवे तब तक कि जब तक लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन ही कहीं खराब न हो जाये। आप वहां की दो ढाई वर्ष पुरानी बात कह रहे हैं। सुनी सुनाई कह रहे हैं। आप भी तब नहीं थे, मैं भी नहीं था। यह निवेदन करना चाहता हूं। मैं और निवेदन कर दूं कि पुलिस कोई पूंजीपतियों की गुलाम नहीं है, राजस्थान सरकार की, आपकी और जनता की गुलाम है। जनता की पुलिस है, जितना सहयोग चाहिये आप लीजियेगा।

श्री मानसिंह महार : Point of information, Sir....

(व्यवधान)

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : नान-गजेटेड पुलिसमैन के बारे में क्या कहा ?

श्री मथुरादास माथुर : जो यूनियन बनाने की दरख्वास्त थी उसके बारे में यह है कि हमारे यहां पर गवर्नमेन्ट सर्विस रूल्स का क्लाज २३ और २३ (ए) के मातहत कोई भी गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट किसी आर्गेनाइजेशन में हिस्सा नहीं ले सकता जब तक कि वह रजिस्टर्ड न हो। वह संस्था रजिस्टर्ड नहीं थी इसलिये इसके लिये एक कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की गयी और उसको डिस्मिस किया गया। मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट का जजमेन्ट हो चुका है और उसके अंदर हाई कोर्ट ने सेक्शन २३ और २३ (ए) को अल्ट्रा वायर्स आफ दी कान्सटीट्यूशन डिक्लेयर किया है। इसलिये अब उसके बाद क्या किया जाये, यह राज्य सरकार के विचाराधीन है और इसमें अब हम आगे कदम उठा सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! इस प्रकार से प्रश्न पूछे जायेंगे तो उनका कोई अंत नहीं होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मेरा एक कटौती का प्रस्ताव था उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): सरकार ने उन रूल्स को अल्ट्रा वायर्स माना है ?......

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करूं कि ज्यों ही गवर्नमेन्ट सर्विस रूल्स के सेक्शन २३ और २३ (ए) अल्ट्रा वायर्स हो गए उस पर राज्य सरकार विचार कर रही है क्योंकि यह सिर्फ पुलिस विभाग का ही तो सवाल नहीं है; गवर्नमेन्ट सर्विस रूल्स तो सबके लिए हैं। इस पर पूरी केबीनेट को विचार करना पडेगा और उसकी जगह दूसरा मोडीफिकेशन करना होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसको आप स्वीकार करने के लिये तैयार हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : वह तो स्वीकार ही है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसको रिवाइज न करे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मियाद बाकी नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : अगर मियाद बाकी नहीं है तो नहीं करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि रूल्स २३ और २३ (ए) अल्ट्रा वायर्स हैं तो फिर वह यूनियन में हिस्सा ले सकता था ?

श्री मथुरादास माथुर : मदनलाल को री-इन्सटेट किया है और उसको हम कर रहे हैं और हाई कोर्ट ने यह कहा है कि सेक्शन २३ और २३ (ए) अल्ट्रा वायर्स आफ दी कान्सटीट्यूशन हैं, उसको हम मान रहे हैं। तो उसकी जगह दूसरा मोडीफिकेशन करना पडेगा फिर बाद में कार्यवाही होगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो फिर यूनियन में जाने का अधिकार है ?

श्री मथुरादास माथुर : यूनियन बनाने का आर्डर दिया जाता है, यह नहीं कहा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप उस फैसले को दुबारा पढ लें।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : Point of information, Sir,

श्री उपाध्यक्ष : काफी इनफॉर्मेशन माननीय सदस्यों को मिल चुकी है·····

(व्यवधान)

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पॉर्टेन्ट पोइन्ट है उसको गृह मंत्रीजी को नहीं छुपाना चाहिए। जिस जीप के लिए मैंने रेफर किया, क्या यह सच है कि वह ऑल इन्डिया कांग्रेस कमेटी से राजस्थान में भेजी हुई थी ?

श्री मथुरादास माथुर: जी हां।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : एक मेरा कट मोशन था। कलेक्टर साहब ने जवाब दे दिया है हमारे पास फण्ड्स नहीं है·········

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक कट मोशन है। खास तौर से कलेक्टर साहब ने और एस. पी. भीलवाडा ने इन्कार कर दिया कि हमारे पास बजट नहीं है और गवर्नमेन्ट के आर्डर्स से सरपंच ने १३७ और १७६ रुपये पुलिस को खाना खिलाने के लिये खर्च किये और उस का पेमेन्ट नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने कट मोशन रखा है। हमारा पौने छः करोड का बजट है और पैसा नहीं चुकाया जा रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : मामूली सी ही रकम है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! जिन माननीय सदस्यों ने मांग संख्या १२ और मांग संख्या ११ पर कटौती प्रस्ताव रखे मैं समझता हूं कि वे उन्हें वापिस लेना पसन्द करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : I want to press my cut motion. और वह यह है कि यदि गृह मंत्रीजी इस बात

Page No 121

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

का आश्वासन दें कि प्लाटून कमिश्नर की भर्ती में जोधपुर में जो अनियमिततायें बरती गई हैं उनकी वह जांच करेंगे तो मैं वापिस ले लूंगा।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : स्पीच में नहीं कहा था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कट मोशन में दिया हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो है ही। जहां कहीं धांधली हुई है जांच करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कट मोशन्स सारे विथड्रा हुए।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १२ एवं ११ दोनों पारित की जायें ?

(स्वीकृत)

(मांग संख्या १२ एवं ११ पारित की गईं)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५.३५ बजे दिनांक २२ मार्च, १९६३ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

संक्षिप्त विवरण

(गुरुवार दिनांक २१ मार्च, १९६३)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक स्कम्भ

पोली—टेक्निक, अलवर में स्टीम बॉयलर। ३९६७

गर्ल्स हाई स्कूल, हिन्डौन ।

अनसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की रिक्त स्थानों में नियुक्तियां ।

आरजी काश्त भूमि का एलॉटमेन्ट—तहसील भादरा ।

रणछोड धर्मशाला, बाडमेर ।

गम्भीर बांध के कारण ग्राम सेगवा के मीणों को मकान हेतु भूमि ।

सेल्स टैक्स-पिगमेन्ट्स मिल, भरतपुर ।

कक्षा १ से ८ तक की पाठ्य पुस्तकें ।

आबादी भूमि—बीकानेर शहर।

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रचलन ।

नाग तलाई व बंधा प्यारा से बस्तियों को नुकसान—जयपुर ।

हल्दीना तेल घाणी सहकारी समिति, अलवर ।

सन् १९५२ से देवस्थान विभाग के मन्दिरों में हुए चोरी के मामले ।

छात्रवृत्ति नियम ।

गल्ले पर चुंगी—सीमल्या पंचायत जिला कोटा ।

सरपंच द्वारा गबन-अमलावत पंचायत जिला प्रतापगढ ।

स्कम्भ

राजस्थान सचिवालय मिनिस्ट्रियल स्टाफ में नियुक्तियां एवं स्थानान्तरण ।

कृषि भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन—अलवर ।

उद्योगों को राजस्थान विद्युत (ड्यूटी) कर से मुक्ति ।

सिवाय चक भूमि के लिये प्रार्थना-पत्र—जिला टोंक ।

पटवारियों के विरुद्ध शिकायतें—जिला पाली ।

आयरन, स्टील व तांबा आदि धातुओं का राजस्थान को एलाटमेन्ट तथा उसका वितरण ।

शराब के नये ठेके—तहसील हनुमानगढ ।

भूतपूर्व नरेशों को बिजली की सहूलियतें ।

भूमि एलाटमेन्ट कमेटी द्वारा भूमि का एलाटमेन्ट—गंगा नहर व राजस्थान केनाल क्षेत्र ।

प्रिन्सिपल पद पर नियुक्तियां पंचायत समिति अध्ययन केन्द्र ।

राजकीय प्राइमरी स्कूल दडीबा का भवन ।

अधूरे निर्माण कार्य—मान्डलगढ पंचायत समिति क्षेत्र ।

Page No 123

अनावृष्टि, अतिवृष्टि या कीडों के कारण फसल को नुकसान-जिला वांसवाडा । स्कम्भ

चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के अन्तर्गत किसानों को भूमि तथा राहत ।

तहसील आहोर के भूतपूर्व जागीरदारों में बकाया सिचाई कर ।

कृषि तकाबी के लिये धनराशि-पंचायत समिति, नीम-का-थाना ।

मंडियों के प्लाट्स की नीलामी से आमदनी—माखरा क्षेत्र ।

बांध योजना—ग्राम अम्बेरी ।

आय-व्ययक, १९६३-६४

द्वितीय अवस्था—अनुदानों की मांगों पर मतदान ।

१—मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३— पुलिस । स्कम्भ ३७२२

२—मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२— कारागार ३७२२

उपरोक्त मांगें श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई । इन पर कुल ९० कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

गृह मंत्री के उत्तर के पश्चात् समस्त कटौती-प्रस्ताव वापिस लिये जाकर मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

सदन की बैठक ५ बज कर ३५ मिनिट पर शुक्रवार, दिनांक २२ मार्च, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

शुक्रवार दिनांक २२ मार्च, १९६३ की कार्य-सूची ३९०८

मांग संख्या ३४, २३ एवं २४—वन, श्रम और नियोजन तथा विविध—सामाजिक ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५१० देखिए)

तारांकित प्रश्न संख्या ५१० का उत्तर

१. यह सूचना उपलब्ध नहीं है। सन् १९५८ से १९६२ तक की जो सूचना उपलब्ध है वह इस प्रकार है:—

(१-४-५८ से ३१-३-६० तक)

सेवा	कुल भर्ती	अनसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति की भर्ती	प्रतिशत	निर्धारित कमी	अनुपात से अधिक
१	२	३	४	५	६
गजेटेड	१९८	५	२.५	१० प्रतिशत	—
सबोर्डिनेट	४१२८	४७६	११.०	१।। प्रतिशत	—
मिनिस्ट्रीयल	१०७३	११८	११.०	१।। प्रतिशत	—
क्लास ४	१४१८	३३६	२३.६	—	८.६ प्रतिशत
		१-४-६० से ३१-३-६१ तक			
गजेटेड	५०१	१५	३	६।। प्रतिशत	—

सबोर्डिनेट	४६३७	३९२	८.४	४.१ प्रतिशत	—
मिनिस्ट्रीयल	६०५	६६	१२.५	—	—
क्लास ४	१२६६	३८५	३०.३	—	१५.३ प्रतिशत

(१-४-६१ से ३१-३-६२ तक)

गजेटेड	४६६	२२	४.७	७.८ प्रतिशत	—
सबोर्डिनेट	४४५१	३९५	८.९	३.६ प्रतिशत	—
मिनिस्ट्रीयल	१०८३	१९०	१७.५	—	५ प्रतिशत
क्लास ४	१४४६	३६६	२४.२	—	६.२ प्रतिशत

सुरक्षित स्थानों में इन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाने के लिए समय समय पर आदेश जारी किये गये हैं। किन्तु योग्य और अनुभवी व्यक्तियों के अभाव में निश्चित अनुपात में, गजटेड तथा सबोर्डिनेट सेवाओं में इन व्यक्तियों की भर्ती नहीं हो पाई। राज्य सरकार ने आयोग को यह भी लिख दिया है कि आर. ए. एस., आर.पी.एस. तथा आर. एसी. एस., की लिखित परीक्षाओं में इन जातियों के व्यक्तियों को, जो उत्तीर्ण हो जावे किन्तु साक्षात्कार में निर्धारित अंक न प्राप्त कर सकें अथवा उत्तीर्ण होने के लिये सपूर्णांक (aggregate marks) न प्राप्त कर सकें, उनकी भी नियुक्ति के लिये सिफारिश की जावे। गजेटेड तथा सबोर्डिनेट सेवाओं में इन जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति निश्चित अनुपात में तब ही संभव है जब कि योग्य (qualified) व्यक्ति उपलब्ध हों।

मिनिस्ट्रीयल सेवा में सन् १९६०-६१ में निश्चित अनुपात के अनुसार भर्ती हुई है और सन् १९६१-६२ में निश्चित अनुपात से भी अधिक।

क्लास ४ में १५ प्रतिशत के निश्चित अनुपात के मुकाबिले में भर्ती कहीं अधिक हुई है।

Page No 126

२. विवरण इस प्रकार है:—

सन्	आर. ए. एस. विज्ञापित स्थान	आर. ए. एस. सुरक्षित स्थान	नियुक्त किए गयों की संख्या	आर. पी. एस. विज्ञापित स्थान	आर. पी. एस. सुरक्षित स्थान	नियुक्त किए गयों की संख्या	आर. एसी. एस. विज्ञापित स्थान	आर. एसी. एस. सुरक्षित स्थान	नियुक्त किए गयों की संख्या
१९५६ ..	१८	२	—	१६	२	—	३	—	—
१९५७ ..	६५	६	२	६	१	१	२	—	—
१९५८ ..	२७	४	१	५	१	१	३	—	—
१९५९ ..	३२	४	२	२	—	—	५	१	—
१९६० ..	८४	११	४	३	—	—	४	१	—
१९६१ ..	२४	३	१	६	१	—	१०	१	—
१९६२ ..	२४	३	३	५	१	२	७	१	१

३. विवरण इस प्रकार है:—

सन्	आर. ए. एस. उत्तीर्ण	आर. ए. एस. चयन	आर. पी. एस. उत्तीर्ण	आर. पी. एस. चयन	आर. एसी. एस. उत्तीर्ण	आर. एसी. एस. चयन
१९५६	—	—	—	—	—	—
१९५७	२	२	१	१	—	—
१९५८	१	१	२	२×	—	—

Page No 127

१९५९	..	..	..	..	३†	२	—	—	—	—
१९६०	..	..	..	..	४	४	२	२×	—	—
१९६१	..	..	..	..	१	१	—	—	—	—
१९६२	..	..	..	..	४	४‡	४@	४	२	२*

† इनमें से एक व्यक्ति को आयोग ने कुछ तथ्य छिपाने के कारण अयोग्य ठहराया ।

+इनमें से एक व्यक्ति आर. ए. एस. में नियुक्त किया गया ।

‡इनमें से एक व्यक्ति यू. पी. एस. सी. द्वारा चयन किये जाने पर सेन्ट्रल सर्विस में चला गया ।

×ये दोनों व्यक्ति आर. ए. एस. में नियुक्त किये गये ।

@इनमें से दो व्यक्ति आर. ए. एस. में नियुक्त किये गये ।

*इनमें से एक व्यक्ति आर. ए. एस. में नियुक्त किया गया ।

जैसा प्रश्न १ के उत्तर में उल्लेख है, राजस्थान सरकार ने भी आयोग को ये आदेश दे दिये हैं कि आर. ए. एस., आर. पी. एस. तथा आर. एसी. एस. की लिखित परीक्षाओं में इन जातियों के व्यक्तियों को, जो उत्तीर्ण हो जावें, किन्तु साक्षात्कार में निर्धारित अंक न प्राप्त कर सकें अथवा उत्तीर्ण होने के लिए संपूर्णांक (aggregate marks) न प्राप्त कर सकें, उनकी भी नियुक्ति के लिये सिफारिश की जावे ।

४. जी नहीं ।

इस बारे में भारत सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है । उनका अन्तिम निर्णय अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

५. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जातियों को राज्य सेवा में संरक्षण दिये जाने के विषय में राज्य सरकार ने समय समय पर अनेक आदेश जारी किये हैं । जो पद जन-सेवा आयोग के दायरे से बाहर हैं उनके लिये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र अब तक नियुक्ति विभाग द्वारा संबंधित विभागों को प्रेषित किये जाते थे और अब सचिवालय के समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रेषित किये जाते हैं । विभागाध्यक्ष भी अपने

यहां रिक्त स्थानों के लिए एम्प्लायमेंट एक्सचेंज़ से नाम मांगते हैं और अखबारों में भी इस बारे में सूचना प्रकाशित करते हैं। प्रत्येक वर्ष में की गई नियुक्तियों का विवरण भी विभागाध्यक्षों से मंगवाया जाता है और यह विवरण मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्य में काफी सफलता मिली है जैसा कि प्रश्न १ के उत्तर में दिये गये आंकड़ों से विदित है।

सबोर्डिनेट तथा मिनिस्ट्रीयल सेवाओं में १-१-५६ से ३०-६-६१ तक के रिक्त स्थानों में भर्ती के लिए एक स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड का भी गठन किया गया है और इसके द्वारा चयन किये गये व्यक्तियों की नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

गजेटेड तथा सबोर्डिनेट सेवाओं में जिनमें भरती आयोग द्वारा होती है इन जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति निश्चित अनुपात में तब ही संभव है जब कि योग्य व्यक्ति उपलब्ध हों यद्यपि आयोग को ये आदेश भी दे दिये गये हैं कि आर. ए. एस., आर. पी. एस. तथा आर. एसी. एस. की लिखित परीक्षाओं में इन जातियों के व्यक्तियों को जो उत्तीर्ण हो जावें, किन्तु साक्षात्कार में निर्धारित अंक न प्राप्त कर सकें अथवा उत्तीर्ण होने के सम्पूर्णांक (aggregate marks) न प्राप्त कर सकें, उनकी भी नियुक्ति के लिये सिफारिश की जावे।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५२० का उत्तर देखिये)

हल्दीणा घाणी तेल उत्पादक सहकारी समिति लि० अलवर के सदस्यों की सूची

क्रमांक	नाम सदस्य	प्रवेश तिथि	पद
१	२	३	४
१.	श्री रामचन्द्र पुत्र रामगोपाल	२५-१-५८	मंत्री
२.	श्रीमती बसन्तीदेवी स्त्री रामचन्द्र	,,	सदस्य
३.	श्री बदरीप्रसाद पुत्र बुधाराम	,,	,,
४.	श्रीमती तीजादेवी स्त्री बदरीप्रसाद	,,	,,
५.	श्री बन्नूराम पुत्र बुधाराम	,,	,,
६	श्रीमती श्रवणीदेवी स्त्री बन्नूराम	,,	,,
७.	श्रीमती भूरादेवी स्त्री बुधाराम	,,	,,
८.	श्री छोटेलाल पुत्र कुल्लीराम	,,	कोषाध्यक्ष
९.	श्रीमती केशरदेवी स्त्री छोटेलाल	,,	सदस्य
१०.	श्री महादेवप्रसाद भौरेलाल	,,	सभापति
११.	श्रीमती दुर्गादेवी स्त्री महादेव	,,	सदस्य
१२.	श्री मनोहरलाल पुत्र मनसुख	,,	,,
१३.	श्री परभातीलाल पुत्र चन्दर	,,	,,
१४.	श्री सोनियालाल पुत्र रामजीलाल	,,	,,
१५.	श्री लल्लूराम पुत्र भूरियाराम	,,	,,
१६.	श्री बुधाराम पुत्र गोविन्दराम	,,	,,
१७.	श्रीमती ग्यारसीदेवी स्त्री बुधाराम	,,	,,
१८.	श्रीमती धन्नीदेवी स्त्री गंगोलीराम	,,	,,
१९.	श्रीमती कपूरीदेवी स्त्री मनोहरलाल	,,	,,
२०.	श्री रमशीराम पुत्र श्रवणराम	२५-१०-५८	,,
२१.	श्रीमती नत्थीदेवी स्त्री परभाती	,,	,,
२२.	श्रीमती ग्रानन्दीदेवी स्त्री कुल्लीराम	,,	,,
२३.	श्रीमती केशरदेवी स्त्री रमशीराम	,,	,,

सूची परिशिष्ट (ख) वास्ते उत्तर तारांकित प्रश्न संख्या ९३ सी. एम.

दी हल्दानी घाणी तेल उत्पादक सहकारी समिति लि० तहसील अलवर पंचायत समिति उमेरण जिला अलवर आडिट अवधि १-७-५९ से ३०-६-६१ ।

(भाग ब)

१. समिति के पास एक्ट नियम नहीं है ।

२. गत निरीक्षण पत्र व आडिट रिपोर्ट में उठाये ऐतराजों की पूर्ति कर पूर्ति-रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को आज तक भी नहीं भेजी गई है ।

३. वार्षिक अधिवेशन कभी नहीं बुलाया गया है ।

४. प्रबंधकारिणी कमेटी में सात सदस्यों के स्थान पर ५ सदस्य ही लेकर उप-नियम संख्या ३५ की अवहेलना की है । प्रबंधकारिणी का चुनाव प्रतिवर्ष नहीं होता है ।

५. मुनीमों की नियुक्ति के समय व उनको कार्य मुक्त करते समय न कोई प्रस्ताव पास किया जाता है न कोई आदेश-पत्र जारी किये जाते हैं । मुनीमों की नियुक्ति के लिये उप-नियम संख्या ४३ के अनुसार उद्योग विभाग की सलाह भी नहीं ली जाती है । इन मुनीमों से जमानत भी नहीं ली जाती है ।

६. आडिट अवधि में प्रबंधकारिणी कमेटी की ६ बैठकें हुई हैं जिनमें से भी एक का कोरम पूर्ण नहीं है । आम सभा एक हुई है दो वर्ष के लम्बे समय में ये बैठकें बहुत ही कम हैं ।

७. प्रबंधकारिणी कमेटी के सदस्य अपने उत्तरदायित्व से अनभिज्ञ हैं वो हर काम करने के लिए श्री रामचन्द्र साहू मंत्री को अधिकार देते हैं जिसके फलस्वरूप मनमानी होती है व अनियमिततायें बर्ती जाती हैं ।

८. प्रबंधकारिणी की या आम सभा की बैठकें सदस्यों ने एकत्रित होकर किसी निश्चित स्थान पर नहीं की है बल्कि किताब कार्यवाही में कार्यवाही लिख ली जाती है और बाद में प्रत्येक सदस्य के घर जाकर उनसे हस्ताक्षर या अंगूठे निशानी करवा लिये जाते हैं ।

९. श्री बुद्धाराम पुत्र गिरधारीलाल तेली का देहान्त हो गया है इसे समिति से पृथक करने के लिये न तो प्रस्ताव ही पास किया है न सदस्य रजिस्टर में ही इसे पृथक करना बताया है । ६ सदस्य और भी पृथक किये गये हैं किन्तु सदस्य रजिस्टर में उन्हें भी पृथक होना नहीं दिखाया है ।

१०. इस समिति में २३ सदस्य हैं जिनमें से १६ सदस्य कार्य क्षेत्र के बाहर रहते हैं । एक एक परिवार से दो दो व्यक्ति सदस्य बनाये गये हैं ।

११. श्री लल्लूराम, सोहनलाल व रमतीराम के घाणियां समिति के गठन के पहिले से ही नहीं हैं किन्तु इनके नाम से घाणियां रजिस्टर करा कर खादी ग्रामोद्योग कमीशन को धोखा ही दिया है ।

१२. खादी ग्रामोद्योग कमीशन से रजिस्टर्ड घाणियां से तेल क्रय विक्रय करने हेतु १-४-६० से ३१-३-६१ तक ही स्वीकृति मिली थी किन्तु समिति में मई १९६१ तक बिना स्वीकृति के ही क्रय विक्रय करती रही है ।

१३. खादी बोर्ड से ९ सदस्यों को सुधरी घाणियां दी गई हैं किन्तु ये सभी घाणियां बेकार पड़ी हैं इनसे एक भी सदस्य तेल नहीं निकालता है ।

१४. समिति ने गैर सदस्यों से भी तेल लेकर बेचा है व इस तेल पर ग्राहकों को रिबेट दी है जो गलत है ।

१५. जो सदस्य समिति से पृथक हो गये हैं उनकी हिस्सा राशि ऋण भी अभी तक नहीं लौटाया गया है ।

१६. सदस्यों को क्रय किये गये हिस्सों के प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये हैं ।

१७. तिलवन व तेल के बैलेन्स पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं ।

१८. सागउदी देने का कोई निश्चित तरीका नहीं है ।

१९. स्थायी सामान का इन्द्राज स्टोक रजिस्टर में नहीं किया गया है । इसके लिये स्टोक रजिस्टर बनाया जावे । स्थायी सामान का खाता भी कोई निश्चित नहीं है ।

२०. माल की छीजत या बढ़ोत्तरी के विषय में प्रबंधकारिणी कमेटी का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

२१. खादी बोर्ड से जो ऋण समिति को मिला है वह कब और किस ब्याज दर से लौटाना है इसकी सूचना रिकार्ड में प्राप्त नहीं है ।

२२. आडिट के लिये जो रिकार्ड दिया गया है वह गत आडिट के समय दिया जाने वाला रिकार्ड नहीं है ।

२३. कैश बैलेंस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं ।

२४ समिति के मंत्री व मुनीम आडिट के समय बार बार बुलाने पर भी नहीं आये ।

२५. स्टोक या रोकड़ बकाया प्रबंधकारिणी के सदस्यों द्वारा जांच नहीं की गई है ।

२६. रोकड़ बकाया मुनीम के पास तादाद से अधिक रही है ।

२७. समिति में पत्र आवक-जावक रजिस्टर नहीं है ।

२८. समिति ने निजी जायदाद जैसे डिपो व स्थायी सामान पर घिसावट नहीं काटी है ।

२९. रसीद बुकों पर न नम्बर हैं न वो स्टोक की जाती हैं ।

३०. समिति में तेल बेचने के एक ही तारीख में कई भाव रखे जाते हैं ।

३१. समिति की तेल बेचने की रसीद बुकों में से बहुत सी रसीदें गायब हैं ।

३२. रोकड़ बही के मुताबिक प्रारंभिक रोकड़ बाकी २६४.१० नये पैसे हैं जब कि गत आडिट रिपोर्ट के मुताबिक २५६.४७ नये पैसे हैं । ७.६ नये पैसे का फर्क है ।

३३. खर्च प्रबंधकारिणी द्वारा स्वीकृत नहीं है ।

भाग (अ)

१. ग्रामोद्योग बोर्ड से तिलहन संग्रह करने आडिट अवधि में ५,०००) रु० का ऋण मिला है जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है । २,५००) रु० ऋण व सहायता टिन शेड के लिये मिले हैं जो टिन शेड के लिये प्रयोग नहीं किये गये हैं । श्री लल्लूराम के २५०) रु० व श्री बन्नुराम के २५०) रु० के ऋण के बोण्ड फर्जी भराये गये हैं ।

३६२१]

परिशिष्ट

२. सदस्यों के बयानों के मुताबिक उन्होंने समिति को कोई तेल नहीं बेचा जब कि समिति के रिकार्ड के मुताबिक उनसे तेल खरीदना व बेचना पाया जाता है। वास्तव में न तेल खरीद किया गया है न बेचा गया है बल्कि सरकार से रिबेट लेने की गर्ज से तेल का आमद खर्च फर्जी किया गया है।

३. सदस्यों को आडिट अवधि में तिलहन भी नहीं दी गई है जब कि रिकार्ड के मुताबिक उन्हें काफी तिलहन देना बताया गया है।

४. सदस्यों के बयानों व मौखिक कथनानुसार जब समिति में तेल का क्रय विक्रय ही नहीं हुआ है तो रिबेट देने का प्रश्न ही नही उठता। समिति ने तेल बेचते समय जो रिबेट देना दिखाया है वह फर्जी है।

५. समिति में ५.१५ नये पैसे का गबन है जो मुनीमों से शीघ्र वसूल होना चाहिए।

६. आडिट अवधि में ७ मन ५ सेर ६।।। छटांक तेल की कमी स्टोक में पड़ती है यह श्री प्रभुदयाल मुनीम से शीघ्र वसूल की जानी चाहिए।

ह० शक्तिसिंह
निरीक्षक आडिट,
सहकारी समितियां, अलवर शहर।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५२१ का उत्तर देखिये)

क्रम. सं.	सन् ५२ से लगाकर अब तक चोरी गये माल का विवरण (प्रश्न १)				प्रश्न २			प्रश्न ३		
	नाम मंदिर	चोरी की तिथि	चोरी गये माल का विवरण	चोरी गये माल का मूल्य	तिथि माल बरामदगी	बरामद होने वाले माल का विवरण	बरामद होने वाले माल का मूल्य	दोषी पाये गये कर्मचारियों का नाम	उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण	विशेष
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
					जोधपुर					
१.	माता जी श्री हिंगलाय जी किला	मई, ५३	चान्दी की मूर्तियां ७, सोने की मूर्ति १	७०००-००	..	..	..	श्री शिवनारायण पुजारी	मुकद्दमा चल कर १ वर्ष की सजा हुई और ५०) रु. जुर्माना हुए।	
२.	माताजी श्री बेछराजजी किला	१४-१-५७	माताजी की तसवीर पर जालीदार फ्रेम सोने के २, वजनी तोला ८ व ७ क्रमशः	१५००-००	..	..	..	श्री मोहनलाल पुजारी श्री गणेश चौकीदार	पुलिस की जांच से निर्दोष पाया गया। विभागीय कार्यवाही द्वारा एक की तरक्की रोकी गई।	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
	माताजी श्री बक्कराज जी किला	१७-१०-५७	फूल एक सोने का १-१ रत्ती बाण १ सोने का १।) तोला	२३६.२५	..	..	..	श्री अमरचंद	पूरी रकम वसूल कर ली गई।	
३.	श्री सीतारामजी किला	"	महादेव जी का लिंग सोने के बाण सहित तोला ६	६००.००	..	..	..	श्री चिरंजी-लाल पुजारी	पुलिस की जांच से निर्दोष पाया गया मगर विभाग द्वारा पी० डी० आर० में कार्यवाही करा कर पूरी रकम वसूल कर ली गई।	
४.	श्री रसिक बिहारी जी	२४-५-५५	चांदी की गायों का जोडा १ तोल ६४।।)	१००.७८	..	..	..	पुजारी	पूरी रकम वसूल कर ली गई।	
५.	श्री चावन्डा जी किला	१२-१-५८	छत्र सोने के २ तोल ३।।।) व १० तोले।टीक सोने की ४।= भर गोखरू ७ सोने का १०।।) तोले	२६२३.२५	..	..	..	श्री मोहन-लाल पुजारी	अदालती कार्यवाही से निर्दोष पाया गया। विभागीय जांच से भी कोई दोषी नहीं पाया।	
						बीकानेर				
६.	श्री माताजी जूनाकोट	६-८-५५	सरलिया जोडी १ सोने की १ तोला	११७.५०	..	..	..	श्री शिवरतन पुजारी	विभागीय जांच में केवल सरलिया	

		५ माशा						मोडी की बडाई पुजारी से वसूल करने का आदेश दिया गया ।
					उदयपुर			
७. श्री ऋषभदेवजी धुलेव	फरवरी, ५४ में चोरी होने का हाल विदित हुआ ।	सूची संलग्न है ।	६६१०५.००	..	..	..	भण्डारी श्री नबलचन्द	कोर्ट से निर्दोष पाया गया इनसे और इनके जामिनों से मंदिर से मिलने वाली पाती पावण की रकम से वसूली की जा रही है । भण्डारी को राज्य सेवा से पृथक कर दिया गया है।
,,	२-३-६१	चांदी के पतरडे वजनी ७७५) तोला	१५५०.००	..	३ ढालिया पुलिस की कार्यवाही से बरामद की गई है। अभी कार्यवाही चालू है	..	कामदार व पुजारियान	विभागीय जांच की जाकर कामदार को वार्निंग दी गई तथा पुजारियान से कीमत वसूल करने एवं नौकरी से पृथक करने का आदेश दिया गया ।

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
८.	श्रीजगदीश मंदिर	२२-८-६१	चांदी की आरती एक व धुपारना, कपूर आरती नग ३। ११७) तोला १० आना भर।	३१५.००	..	..	..	पुजारी	पूरी रकम वसूल कर ली गई।	

परिशिष्ट

धुलेव भण्डार संबंधित चोरी गये माल का विवरण जो मानचित्र के कालम नं० ४ से संबंधित है ।

क्रम संख्या १	नाम वस्तु २	नग ३	वजन तोला में ४
१.	चन्द्रहार सोने का ७ लड़ी	१	३९)२।।
२.	चन्द्रहार सोने का जिसमें ७ लड़ी	१	१८।।।)
३.	चन्द्रहार सोने का ९ लड़ी का	१	४८।।।=
४.	चन्द्रहार सोने का ६ लड़ी का	१	५०।=
५.	चन्द्रहार सोने का जिसमें ९ लड़ी	१	३३।।।)
६.	चन्द्रहार सोने का ७ लडी का	१	३३=)२
७.	हार सोने का ५ लड़ियां	१	४८।।।) १
८.	हालरो एक सोने को पानड़िया ७४ का	१	३७)२।
९.	हालरो सोना को ७ लड़ी	१	४०।।।=
१०.	हालरो एक सोना को ठेकड़ा ६० को	१	७०।।।=
११.	कंठी नंग १ सोना की लड़ा ६	१	१६।।।)२
१२.	कंठी एक सोना की अष्टपेलू	१	१५।)
१३.	कंठी एक सोना की लड़ा ६	१	१२।।।)
१४.	कंठी एक सोना की मोतियां भांत	१	२०।।।=
१५.	कंठी नंग १ सोना की मकोड़ा भांत	१	१९)
१६.	कंठी एक सोना की चपटा मनीया	१	७।।।)
१७.	कंठी नंग १ सोना की फूलरिया भांत लड़ा ५ की ..	१	२३=
१८.	कंठी नंग १ सोना की पेलदार	१	११।।।)
१९.	लंगर नंग २ सोने का	२	२४।।)
२०.	हार नंग १ सोने का लड़िया ५ की	१	२७=
२१.	कंठी नंग १ सोना की अष्टफूल	१	३७।।।)१
२२.	कंठी नंग १ सोना की	१	२७)
२३.	कंठी नंग १ सोना की	१	२०।।।)
२४.	प्याला नंग १ सोना को कंडारमा का	१	२६।।)२
२५.	अमरतियों एक सोना को पड़की वालो	१	१८।।)
२६.	कंठी एक सोना की तोड़ा भांत	१	४)१।।

परिशिष्ट

क्र. सं.	प्रश्न १ — सन् १९५२ से लगाकर अब तक चोरी गये माल का विवरण: नाम मंदिर	चोरी की तिथि	चोरी गये माल का विवरण	चोरी गये माल का मूल्य	प्रश्न २ — तिथि माल बरामदगी	बरामद होने वाले माल का विवरण	बरामद होने वाले माल का मूल्य	प्रश्न ३ — दोषी पाये गये कर्मचारियों का नाम	उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	श्री सीता-रामजी चौडा रास्ता जयपुर	२२-९-५६	मुकट १ सोने का	१०५.२४	..	जिला जयपुर	..	..	..	मक्खन लाल नामक व्यक्ति को पुलिस की तहकीकात से दोषी पाया, परन्तु मुकद्मे का चालानकरने पूर्व ही उसका देहान्त हो गया। ऐसी दशा में कार्यवाही समाप्त करदी गई।
	"	१-१२-५७	कडा सोना का ६ कण्ठी सोने की मोती २ पंचलडी १	११०५.६२	..	..	..	श्री गोविन्द दास पुजारी मन्दिर	..	यह कुल रकम ११०५.६२ गोविन्ददास से वसूल हो चुकी है।
२	श्री बाला-नन्दजी	२१-३-५८	सूर्य एक, चन्द्रमा एक	४२.००	..	..	..	..	..	पुलिस में रिपोर्ट की गई थी जहां से कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसी व्यक्ति पर दोषारोपण नहीं किया गया।

३.	श्री राधा-मनोहर जी रास्ता झालानियान	५-७-५२	एक मुकुट मय कुन्डल	५.६२	..	..	..	..	..	पुलिस में रिपोर्ट की जहां पर जांच की जाकर रिपोर्ट प्राप्त हुई जिससे विदित हुआ कि माल मुलजिम का कोई पता नहीं चला इखराजी के लिये ता० ८-१-६१ को कमिश्नर साहाब को निवेदन किया गया। वहां से अभी पूछताछ हो रही है इखराजी की स्वीकृति अभी नहीं हुई है।
४,	श्री विनोदीलाल जी त्रिपोलिया बाजार जयपुर	८-१०-५९	छत्तर चांदी का एक	४६.५०	..	..	.	श्री भोमराव पहरायती मंदिर	..	विभागीय जांच से भोमराज पहरायती को दोषी पाया गया। परन्तु चोरी के कुछ ही दिन बाद उसका देहान्त हो गया उसके वेतन ५.४२ मौजूद थे वह तो जमा कर लिये गये। शेष ४१.०८ की खारिजी कमिश्नर सा० देवस्थान के कार्यालय से

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
										ता० २२-१२-६० के पत्र द्वारा प्राप्त हो गई। इस प्रकार मामला समाप्त हो गया।
५.	श्री फते-कुंज बिहारी जी पुराना घाट जयपुर	२५-१२-५६	लोटा पीतल २ भगोना पीतल १ कटोरा कांसा १ ताला पीतल १ पोशाक कपडा २	३५.००	..	..	..	..	..	पुलिस में रिपोर्ट की गई जहां से अदमतलाश में मामला समाप्त हो गया । विभागीय जांच से किसी कर्मचारी को अपराधी नहीं माना गया। कमिश्नर महोदय की सेवा में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर आज्ञा ता० १६-५-६१ प्राप्त हुई कि भविष्य में पुजारी को पूरी सावधानी रखने के लिये हिदायत करदी जावे। अतः पुजारी को हिदायत कर दी गई।

६. श्री गोपाल जी गाडी वालान पुरानी बस्ती जयपुर	३०-१०-६०	एक मुकट चांदी का एक बंशी चांदी की	१.३७	..	..	..	..	..	पुलिस में रपोर्ट की गई वहां पर माल या मुलजिम का कोई पता नहीं लगा । इसलिये खारिजी की स्वीकृति के लिये कमिश्नर साहब देवस्थान को निवेदन करने पर ता० १७-५-६२ द्वारा खारिज की स्वीकृति प्राप्त हुई ।
शुद्ध ! ७. श्रीरामचन्द्रजी	९-५-६१	किवाडों का पत्तर चांदी	१४.६२	..	..	..	सर्वश्री परमानन्द, बंशीधर मदन लाल गोपाल तथा भंवरलाल पहरायती मन्दिर	इन से रकम वसूल की गई केवल भंवर लाल से रकम वसूल करना शेष है। जिससे वसूली की कार्यवाही जारी है।	चार पहरायतियों से ११.७६ वसूल हो चुके हैं। शेष २.८६ भंवरलाल से वसूल होने हैं उसका स्थानान्तर स्वास्थ्य विभाग में हो गया है वहां को वसूली के लिये लिखा है ।

जिला झुनझुनू

८. श्री रघुनाथजी लोहागरजी त. उदयपुर	९-४-५५	ट्रंक एक लोहे का १ ग्लास चांदी का १ कटोरी चांदी की २ पीताम्बरी १	२२५.००	..	..	..	..	..	विभागीय जांच से कोई दोषी नहीं पाया गया। पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं दी ।

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
			कुदता १ गपडा १ गैस की लालटेन १ बटवा १ बही कागज की ३ बन्दूक टोपीदार १ खांडा मय म्यान १ तलवार बिना म्यान १							खारिजी के लिये कमिश्नर महोदय को निवेदन करने पर तारीख २६-६-६१ द्वारा इसे खारिजी की स्वीकृति प्राप्त हो गई ।
			जिला भरतपुर							
६.	श्री बिहारी जी किला भरतपुर	२३-१०-६०	गुलबंद सोना १ १ चूडी चांदी सोना २ लुटिया चांदी २ पायजेब चांदी का २ चन्द्रिका चांदी १ लडिया १ वंशी १ रकाबी १ कटोरी १ छत्र २	६२६.६६	..	..	..	..	..	इंसपेक्टर देवस्थान भरतपुर ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी । पुलिस ने जांच के बाद अब तक कोई जवाब नहीं दिया है । इंसपेक्टर को लिखा गया था कि विभागीय जांच करके रिपोर्ट करें । उत्तर प्राप्त हो चुका है ।

१०.	श्री हनुमान जी छावनी धोलपुर	६-१-६२	एक छत्र चांदी का	३३७.३७	..	..	..	श्री मंगलसिंह पुजारी मंदिर	पुजारी को मोत्तिल किया जा चुका है तथा रकम उससे वसूल किये जाने की कार्यवाही हो रही है।	पुलिस में रिपोर्ट करने पर कोई उत्तर नहीं आया। विभागीय ऐक्शन खाने नं० १० में अंकित विवरण के अनुसार लिया गया है।
११.	गंगाजी छावनी धोलपुर	१४-१-६२	लोटा पीतल १ गिलास पीतल २ उगालदान १ पंचपात्र १ कोपूर १ मूर्तिया ४	२०.००		..	..	..	..	रिपोर्ट पुलिस में की गई जिसका कोई नतीजा नहीं आया। इन्सपेक्टर धोलपुर द्वारा पुलिस से परिणाम मंगाने की कार्यवाही जारी है।

जिला अजमेर

१२.	श्री मदन मोहनजी किशनगढ	३१-१-६१	हार सोने के ११ हमेल सोना १ पदक सोना ८ सेवरा जोडी १ कटोरदान चांदी १ धप आरती,, १ साकल ,, ६ साकल ,, ४ आरती ,, १	१२०००.०० (अंदाजन)	..	..	..	..	..	पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट अदम पता माल व मुलजिमान दे दी है। विभागीय जांच भूतपूर्व सहायक कमिश्नर श्री जयनारायनसिंह द्वारा की गई। बयानात वगैरह लिये गये। उन्होंने कोई रिपोर्ट

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
			झूमका चांदी ४ तोता „ १३ घोडा „ ५ मोर „ ५ गाये „ १८ बतक „ ३ हाथी „ १ घूगरा „ १५ होटडी „ १ चरपट „ १ हंस „ १ फीडकल „ १५ चकरी „ २							प्रस्तुत नही की वास्तव में जांच का परिणाम क्या रहा। ऐसी दशा में सामान की खारिजी के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अभी विभागीय जांच फिर होना शेष है।
			जिला अलवर							
१३.	श्री राम रघुनाथजी	९-१२-५४	झेलावाली तिलाई मुरस्सा विल्लोर सफेद क्यार बीच में चूड़ी नीली काच की ठेकडों में गिर्द मोती ८८ वो झूमकी मोतियों की	४२४४.३७	..	..	..	..		तहकीकात से कोई पता चोरी का नहीं चला अतः गवर्नमेन्ट से इस माल की खारिजी की स्वीकृति पत्र दि० ३०-९-५९ द्वारा हो गई।

तारेमीना में जिस
में मोतीदाने खुर्द
११२ ऊपर जंजीर
तिलाई दोहरा में
आंकुडा (१) एक
टेकलस .. लुकाई
जिसमें ठेकडे मुरस्सा
बिल्लोर कमल २१
खुर्द कलां निचेलट-
कन में २ बिल्लोर
खुर्द कलां जुमले
२३ डोरे रेशम में
पुई हुई १ अदद में
से ठेकडे १४ नग
६ वगडी तिलाई
मीनाकार मुरस्सा
करो जो खानापूर
बिलांकील .. एक
कमी चूडी तिलाई
मुरस्सा चुन्नीपन्ना
हीरा वाले की
खाना पुर मये पेच
तिलाई १ पर्दे में १
कडी । जोड १
(नग २) पायजेब
तिलाई मीनाकार
मुरस्से पुखराज

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
			पर खानापुर जिसमें ठेकड़े की फर्द ३५-३५ वा झिलमिल ३५-३५ वो पेच १-१ वो मोती दाने ऊपर नीचे १००-१०० जोड़ १ (नग २) नूकर ईझारी चांदी की घाघरतुमा १ नग झेला १ बगड़ी १ चूड़ी २ पायजेब २							
		५-१२-६३	मुकुट १ लोंग १ छोटी	२१५-६२						विभागीय जांच से कोई व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया । पुलिस में रिपोर्ट की गई । जहां से जांच का उत्तर यह आया कि इस मुकदमा में सुराग सी काफी की गई है मगर कोई पता माल

व मुलजिम का नहीं चलने से इस मुकदमे की फाइनल रिपोर्ट व सीगे अदम पता देदी गई है। इस मामले में जमनालाल मिस्त्री पर माकूल शुबा हुआ था उसको गिरफ्तार कर काफी सुराग की गई मगर कोई सबूत काबिल चालान पैदा नहीं हुआ।

ह०
सहायक कमिश्नर, देवस्थान,
जयपुर डिविजन, जयपुर ।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५२५ का उत्तर देखिये)

जांच रपोर्ट विकास अधिकारी, प्रतापगढ, दिनांक ३१-७-६२

महोदय जी,

निवेदन है कि ग्राम पंचायत अमलावाद के चीटबंद रेकर्ड की जांच की गई तो निम्न खामियां पाई गई:—

इस पंचायत के रेकर्ड का ऑडिट दिनांक २८-११-५९ तक हो चुका है। इसके बाद की जांच होना बाकी है।

जो रेकर्ड बंद की गई थी उनमें से वर्ष ६०-६१ की दो रोकडों के निम्न महीनों की जांच वाउचरों द्वारा की गई उसमें निम्न खामियां हैं:—

इस अवधि में सरपंच श्री जमनाशंकर जी तथा सेक्रेट्री श्री दाउदयाल कार्य कर रहे थे।

माह अप्रेल ६०:—

१. दिनांक २५-४-६० को सरजीकल केम्प खाते रसीद नं० ९ से १५ तक ७) रोकड में जमा होना चाहिये थे परन्तु सेक्रेट्री द्वारा उक्त दिनांक को ६) ही जमा किये हैं। जिससे स्पष्ट है कि रसीदें ७) रु० की दी गई। परन्तु पंचायत कोष में ६ ही जमा कराए जाकर कैश बुक में ६) रु० ही करने का इन्द्राज है अतः १) रु० वसूली सेक्रेट्री श्री दाउदयाल होना चाहिए।

२. इस माह की रोकड देखने से ज्ञात हुआ कि पंचायत कोष में जो आमदनी के रूप में राशि जमा कराई जाती है उन्हें रसीद नहीं दी गई हैं।

३. इस माह में रोकड में बहुत स्थान पर काटा फांस है जिसके ऊपर किसी के इनिशियल नहीं है। तथा उक्त काट फांस सेक्रेट्री द्वारा की गई है। इसके बारे में श्री सेक्रेट्री व सरपंच सा० से पूछा जाय तो अनभिज्ञता तथा जाहिर करते हुए कहा कि मेरे सामने उक्त काटा फांस नहीं हुई हैं। तथा नहीं मैं इस काट फांस के बारे में कुछ जानता हूं।

४. इस मास की आमद की जोड लगाई गई कुल राशि में १) रु० कमी योग पाई गई है।

५. माह अप्रेल ६० से अन्त में माहवारी आमद के योग में सेक्रेट्री द्वारा बिना किसी कारण के बताए ४.५० नये पैसे कम कर दिये गये जो अवैधानिक हैं।

६. दिनांक ७-४-६० का इन हाउस साकरिया के भेड की बैठाई के ५) दिये जिसकी रसीद नहीं पाई गई।

७. माहवारी गोसवारा माह अप्रेल ६० का देखने से पाया गया कि कुल आमद २२४०.३४ हुई तथा व्यय ५७१.७५ नये पैसे हुआ शेष रु० १६६८.५९ नये पैसे होने चाहिये जबकि सिल्क में रु० १६६६.३५ होना बताया गया है।

इस प्रकार माह अप्रेल ६० के अन्त में २.२४ नये पैसे कम पाये जाते हैं इस कमी के बारे में भूतपूर्व सरपंच श्री जमनाशंकर जी तथा सेक्रेट्री श्री दाउदयाल से पूछा गया तो स्पष्टीकरण नहीं कर सके ।

माह मई ६० की जांच के दौरान में निम्न खामियां पाई गई:—

१. दिनांक १५-५-६० को श्री अम्बालाल को चराई टैक्स खाते २४) चौबीस रुपया चुकाना बताया गया। परन्तु जांच के दौरान में न तो वाउचर ही बताया गया है और न ही उसकी कहीं रसीद लेना स्पष्ट किया गया है । अतः इस चुकारे की औचित्यता का मूल्यांकन करना असम्भव सा प्रतीत हुआ। उक्त चुकारे बाबत उचित स्पष्टीकरण किया जाय वरना उक्त राशि पंचायत कोष में वापस जमा होनी चाहिए ।

२. इस माह में कुल आय के योग में रु० १५८४.६४ नये पैसे बताये गये परन्तु सेक्रेट्री श्री दाउदयाल द्वारा बिना किसी कारण बताये इस योग में रु० ३.२६ नये पैसे तीन रुपये छब्बीस नये पैसे कम कर दिये । जिसका स्पष्टीकरण पूछा जाने पर सेक्रेट्री श्री दाउदयाल असमर्थ रहे। इसके कारण पूछाए जाएं ।

३. जब कि सेक्रेट्री श्री दाउदयाल द्वारा माह अप्रेल ६० के अन्त में सिल्क पोते रु० १६६६.३५ नये पैसे सोलह सौ छासठ तथा नये पैसे ३५ होना बताया परन्तु इस माह के प्रारम्भ में रु० १४०७.७७ नये पैसे रु० चौदह सौ सात तथा सतयीतर नये पैसे लिए जाकर रु० २५८.५८ नये पैसे कम लिए गये। ऐसा करने का कारण पूछा गया परन्तु उक्त स्पष्टीकरण करने में श्री दाउदयाल सेक्रेट्री असमर्थ रहे। इस प्रकार बिना किसी कारण बताए रोकडे के सिल्क पोते में घाटा बढी करना अवैधानिक हैं ।

४. माह अप्रेल ६० के अन्त में वास्तविक घाटा बढी को ठीक करने के लिए बचत राशि रु० १६६८.५९ नये पैसे रहे तथा माह मई ६० की आय रु० १७४.१४ नये पैसे दोनो को जोड कर वास्तविक आय माह मई ६० की रु० १८४२.७३ नये पैसे एक हजार आठ सौ बयालिस रुपया तिहतर नये पैसे होते व व्यय माह मई ६० की राशि ११७४.६८ नये पैसे एक हजार एक सौ चौहतर रुपया अरसठ नये पैसे होते हैं। इस आधार पर बचत राशि ६६८.०५ पैसे छ: सौ अरसठ रुपये नये पैसे ५ होना चाहिए परन्तु रोकड में बचत की राशि २३६.३५ नये पैसा होना बताया गया है । जिससे इस माह के अन्त तक ४३१.७० नये पैसे चार सौ इकतीस रुपये सत्तर नये पैसे कम होना पाया गया हैं ।

५. इस माह में कुल अपीलों के प्रतिलिपि फीस की रोकड में जमा होना पाया जाता है परन्तु उनका अपील रजिस्टर में इन्द्राज नहीं पाया जाता है जो अवैधानिक है ।

माह जून ६०.

१. दिनांक ९-६-६० को स्टेशनरी खरीद के रु० १.५० एक रुपया पचास नये पैसे का भुगतान करना बताया गया है परन्तु उसकी रसीद व वाउचर उपलब्ध नहीं हुए है अतः सेक्रेट्री उक्त वाउचर व रसीद पंचायत के रेकर्ड को ढूंढ कर आडिट को पेश करें ।

२. पिछले माह में जो बचत राशि के गलत योग आगे लिखे गये हैं जिससे वह माह में फर्क पाया जाता हैं ।

३. माह मई ६० के अन्त की बचत राशि ६६८.०५ न. पै. तथा चालू मास की आय १०२४.५७ नये पैसे मिलाकर जून ६० की वास्तविक आय रु० १६९२.६२ नये पैसे एक हजार छ: सौ बानवें व बासठ नये पैसे मात्र होते हैं जिसमें से इस माह का कुल व्यय रुपया १११९.६२ नये पैसे एक हजार एक सौ उन्नीस रुपये बासठ नये पैसे मात्र को घटाने पर ५७३) रु० पांच सौ तिहतर रुपये होना चाहिये । परन्तु सेक्रेट्री श्री दाउदयाल द्वारा माह जून ६० पहले की बचत की राशि की दुरुस्ती कर रु० ३०८.३९ नये पैसे पर रु० २६४.६१ नये पैसे सिल्क में कम पाये जाते हैं । अत: यह दो सौ चौसठ रुपये इकसठ नये पैसे मात्र सिल्क में रोकड से कम होना पाया जाता है ।

४. इसी प्रकार इस सारी रोकड को देखने से पाया जाता है कि सारी रोकड में काट फांस सेक्रेट्री श्री दाउदयाल द्वारा की गई है और किसी के इनिशियल नहीं पाये जाते हैं । इस काट फांस के कारण आगे सही जांच यानि डिटेल आडिट जब तक नहीं हो वास्तविकता का पता लगाना बडा कठिन है और हो सकता है कि और भी अधिक राशि का फर्क पाया जावे ।

रोकड नं० ५

१. इस सारी रोकड की बहुत सी एन्ट्रीयां आमद व खर्च की काटी गई है तथा श्री दाउदयाल द्वारा वापस इन्द्राज बढाया घटाया जाकर लिखे गये हैं । इसके बारे में सरपंच श्री जमना शंकरजी से पूछ ताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस काट फांस के बारे में कुछ नहीं बता सकता हूं । यह काट फांस न मेरे सामने की गई है और न मैं जानता हूं इस प्रकार की अवैधानिकता के कारण इसकी पूर्ण रूपेण जांच नहीं की जा सकी । अत: इसका डिटेल आडिट होना आवश्यक है ।

२. इस रोकड की जांच अवधि में पाया गया है कि दिनांक १२-४-६० को श्री जमना शंकर जी द्वारा १५० रुपया जमा होना पाया जाता है परन्तु उस दिनांक जोड में इस राशि को नहीं लिया गया है तथा बाद में श्री दाउदयाल सेक्रेट्री द्वारा १५० रु० के इन्द्राज को काट कर १२९.२६ एक सौ उन्तीस रुपये छब्बीस नये पैसे किये जो अवैधानिक हैं । तथा यह राशि १५०) रु. एक सौ पचास रुपया जमा तो किये गये परन्तु जोड मे नहीं लिये जाने से सिल्क में १५०) रु० एक सौ पचास रुपया कम होना पाया जाता है तथा इन रुपयों के जिम्मेदार श्री दाउदयाल सेक्रेट्री ही हैं । अत: उक्त राशि वसूल की जाकर जमा कराई जावे ।

३. श्री जमना शंकर जी सरपंच द्वारा ७००) रु० सात सौ रुपया पंचायत समिति प्रतापगढ से २००) रु० रास्ते वाले कुई के लिए तथा ५००) रु० खुरन्जा अमलावत के मिले थे । यह उक्त राशि पंचायत के कोरम दिनांक ८-१०-६० के प्रस्ताव से ७००)रु० सात सौ रु. पंचायत भवन पर व्यय कर दिये गये । जो अवैधानिक हैं । जबकि श्री सरपंच साहब द्वारा उक्त राशि ले जाते समय इकरार था कि यह राशि अन्य काम में खर्च नहीं जायगी । फिर बिना पंचायत समिति प्रतापगढ की स्वीकृति लिए इस प्रकार पंचायत भवन पर खर्चा किया गया है जिसके बारे में आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए ।

४. श्री सरपंच साहब द्वारा माह जून ५९ से मार्च ६० तक करीब ११-११ मास तक दो सेक्रेट्रियों ने कार्य किया जिसमें श्री चम्पालाल को २०) रु. मासिक तथा श्री दाऊदयाल का १०) रु० का माहवार राशि चुकाई गई है ।

५. काईन हाउस रसीद बुक देखने पर पाया गया कि निम्न राशि ज्यादा वसूल की परन्तु रसीद बुक में काट फांस की जाकर कम राशि पंचायत में काईन हाउस अमलावत के लेखक

श्री नन्दलाल ने कम ज्यादा कराई है अत: यह राशि अब भी उनसे वसूल की जाकर पंचायत कोष में जमा होनी चाहिए ।

रसीद नं०	वास्तविक आय जो हुई	रकम जो ओवर राईटिंग की गई	अन्तर	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
४९	२॥)	२)	॥)	४
५१	५।)	४)	१।)	रसीद काटी गई परन्तु रकम अंकित नहीं की गई।
५४	..	..	..	
५५	..	..	..	रसीद काटी गई परन्तु स्याही से बाद में १) अंकित किया गया।
५७	..	..	..	एक गाय पीली नीलाम की गई परन्तु रकम कितनी वसूल की गई अंकित नहीं है।
६२	१०)	८)	२)	
७४	३)	२)	१)	
७५	८)	६)	२)	
७७	३॥)	२।=)	१=)	
८८	२।≡)	१।≡)	१)	
९२	११)	७)	४)	
९८	३।)	३)	।)	
१०५	..	..	..	रसीद की पूरी कार्यवाही कारबन पर हुई परन्तु रकम पेन्सिल ६) होना बनाया है।
	४८॥।≡)	३५॥।–)	१३=)	

यह उक्त रुपया १३-२-० की वसूली श्री नन्दलाल से की जाकर पंचायत कोष में जमा कराई जानी चाहिये। तथा जो रसीदों में गडवडी है उसकी जांच होनी चाहिये। तथा इस पंचायत के अन्य काईन हाउसों की रजिस्ट्रों की भी जांच होनी चाहिये।

२. पंचायत भवन में जो राशि श्री सरपंच सा० द्वारा खर्च की गई उसकी जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार है। तथा निम्न दिनांक को राशियें चुकाई गई हैं।

(१) दिनांक २६-१-५९ को श्री मांगी लाल ठेकेदार को ५००) रु० चुकाये गये।
(२) दिनांक २१-७-५९ को श्री मांगी लाल ठेकेदार को ४००) रु० चुकाये गये।
(३) दिनांक १७-८-५९ को श्री मांगी लाल ठेकेदार को १०००) रु० चुकाए गये।
(४) दिनांक २६-११-५९ को श्री मांगीलाल ठेकेदार को ७००) रु० चुकाये गये।
(५) दिनांक २६-१२-५९ को श्री मांगीलाल को ८००) रु० चुकाये।
(६) दिनांक २४-४-६० को श्री मांगीलाल ठेकेदार को चुकाए।
(७) दिनांक ५-५-६० को श्री मांगीलाल ठेकेदार को चुकाए।
(८) दिनांक ७-५-६० को श्री मांगीलाल ठेकेदार को २००) रु० चुकाए।

(९) दिनांक २७-५-६० को ६००) रु० मांगी लाल ठेकेदार को चुकाए।
(१०) दिनांक २३-६-६० को ८७५) रु० श्री मांगीलाल ठेकेदार को चुकाए।
(११) दिनांक ९-१-६० को रुपये १२०) रु० श्री मांगीलाल ठेकेदार को चुकाए गये।
(१२) दिनांक २१-१०-६० को २००) रु० श्री मांगीलाल ठेकेदार को चुकाए गए।
(१३) दिनांक २६-१२-६० को ४१३.५६ श्री मांगीलाल ठेकेदार को चुकाए गये।

इस प्रकार इस पंचायत भवन पर श्री जमना शंकर जी सरपंच ग्राम पंचायत अमलावद द्वारा ६२०८.५६ नये पैसे का भुगतान श्री मांगीलाल ठेकेदार को किया गया।

अतः उक्त राशि का कार्य हुआ या नहीं श्री ओवरसियर साहब द्वारा वेल्युएशन कराया जाने पर ही रकम की उपयोगिता का मूल्यांकन किया जा सकता है।

३. इस अवधि को जांच के दौरान पाया गया कि निम्न राशि की कमी पाई गयी।

१. पैरा १	..	..	१)
२. पैरा ७	..	..	२.२४ नये पैसे
३. पैरा ३	..	..	२६४.६१ नये पैसे
४. पैरा २	..	..	१५०.०० नये पैसे
५. पैरा १	..	..	१३.१२ नये पैसे
	योग रकम	..	४३०.९७

४. इस अवधि की जांच के समय निम्न राशि के वाउचर नहीं पाये गये।

१. पैरा ६	..	..	५.००
२. पैरा १	..	..	२४.००
३. पैरा १	..	..	१.५०
	योग	..	३०.५०

उपरोक्त जांच रिपोर्ट श्री जमना शंकर भूतपूर्व सरपंच को पढ़कर सुनाई गई।

परिशिष्ट

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५३० का उत्तर देखिये)

१-१-६२ से ३१-१२-६२ के दर्मियान शिकायत खिलाफ पटवारियान की तहसीलदार पाली के समक्ष।

क्र. सं.	नाम पटवारी मय पटवार-मण्डल	रिश्वत लेने बाबत	फर्जी इन्द्राज बाबत	पद का दुरुपयोग बाबत	कार्यवाही
१	२	३	४	५	६
१.	श्री अमर सिंह पटवारी। लाम्बिया	रिश्वत	गलत इन्द्राज गिरदावरी में करना	काश्तकारों को जमीन नाप कर न देना सरकारी जमीन को नीलाम न करना	पटवारी को वार्निंग दी जाकर कागजात फाइल किये गये
२.	श्री मोहनलाल पटवारी खैरबा	..	..	सरकारी ड्यूटी को एवोइड करते हुए जाहिर करने	बाद वार्निंग कागजात फाइल किये
३.	श्री किशनलाल पटवारी बिठू	..	..	काश्तकारान से रकम वसूल कर उनको रसीद न देके	अदम सबूत खारिज
४.	श्री हरिसिंह पटवारी चेण्डा	रिश्वत बाबत	..	जमीन नाप कर प्रार्थी को न देना	"
५.	श्री लाबूसिह प० लालकी	"	..	..	"
६.	श्री मिश्रीलाल प० बानीयावास	"	..	आंबंटन पर्मीशन रद्दोबदल करना	जांच पत्रावली एस. डी. ओ. पाली के पास जेरतजवीज है।

१	२	३	४	५	६
७.	श्री गंगाशंकर प० खारडा	रिश्वत बाबत	..	..	मौके की जांच हेतु पैन्डिग है
८.	श्री गंगाशंकर प. खारडा	..	..	हरा दरख्त काटने व मु० काली धर्मपत्नि लाल चन्द को जमीन से बेदखल करने	"
९.	श्री बख्तावर सिंह पटवारी वायद	..	..	१५०) रु० कीमतन का हरा दरख्त राजकीय जमीन से काटकर घरेलू कार्य में लेना	"

(२) तहसीलदार सोजत के पास

१.	श्री जगन्नाथ पटवारी सुरायता	..	..	पद का दुरुपयोग बाबत	जेर कार्यवाही पैन्डिग है
२.	श्री हरीसिंह पटवारी गुडा बीजा	..	..	"	"

तहसीलदार जैतारण के पास

१.	श्री गुमानसिंह प. फूलमाल	रिश्वत बाबत	..	..	एस. डी. ओ. कोर्ट जैतारण से वास्ते इन्क्वायरी कर रिपोर्ट हेतु प्राप्त है जो जेर तजवीज है

तहसीलदार देसूरी के पास

१.	श्री सत्तारबक्ष एक्स पटवारी नाडौल	.. ..	पद का दुरुपयोग व रिश्वत बाबत	कार्यवाही चालू है
२.	श्री अम्बादान प. रानीकलां	.. ..	,,	,,
३.	श्री जेठाराम प. जावली	.. ..	,,	,,
४.	श्री हेतुदान प. केसूली	.. ..	,,	,,
५.	श्री दाऊलाल प. देवली	.. ..	,,	,,
६.	श्री दौलतसिंह प. नादान-माटान	.. ..	,,	,,
७.	श्री डूंगरसिंह प. खींवाडा	.. ..	,,	,,

तहसीलदार खारची के पास

१.	श्री उगमराज एक्स पटवारी बाडसा	रिश्वत बाबत	.. ..	जांच जारी है।
२.	श्री रामचन्द्र पटवारी हींगोला	,,	.. ..	,,

तहसीलदार रायपुर व बाली में शिकायत बाबत व फर्जी इन्द्राज बाबत उक्त अवधि में कोई शिकायत नहीं है।

१.	पटवारी सुरायता	रिश्वत बाबत	.. ..	सम्बन्धित तहसीलदार के पास जांच हेतु भेजी गई।

१	२	३	४	५	६
२.	भीवालिया	शिकायत			
३.	बिठूडा कलां				
४.	पटवारी मेव	..	....	रेकर्ड सम्बन्धित	आरोप-पत्र तैयार किय जा चुके हैं जो एप्रूवल वास्ते कलेक्टर आफिस में जेर तजवीज है ।
५.	पटवारी आउवा	..	..	..	पटवारी आउवा के प्रति शिकायत सिद्ध नहीं हुई ।
	सब डिवीजनल आफिसर जैतारण के पास				
१.	श्री हिम्मतसिंह पटवारी रायपुर	रिश्वत बाबत	..	..	अदम सबूत खारिज ।
२.	श्री गुमानसिंह प. रायपुर	,,	..	..	तहसीलदार जैतारण के पास जांच हेतु भेजी गई ।
३.	श्री पटवारी रिटियाकलां	,,	..	..	तहसीलदार रायपुर के पास जांच हेतु भेजी गई ।
४.	श्री ओडसिंह प. रानीवाल	,,	..	..	कार्यवाही चालू है ।
५.	श्री पटवारी बिराटियां खुर्द	,,	..	..	,,
६.	श्री देवराज प. बिराटियां खुर्द	,,	..	गलत गिरदावरी	,,
७.	श्री पटवारी जाटवा	..	..	,,	अदम सबूत खारिज ।
८.	श्री पटवारी सेदडा	,,	..	..	कार्यवाही चालू है । जवाब-तलब किया गया ।

९.	श्री मोडूलाल प. आकूजा	रिश्वत बाबत	..	सबूत कार्यवाही चालू है।

सब-डिवीजनल आफिसर बाली के पास

१.	श्री हेतुदान पटवारी इन्द्रवाडा	..	गालियां; देना, बकना, बडबडाना।	तहसीलदार देसूरी के पास जांच हेतु।
२.	श्री डूंगरसिंह प. खिवाडा	रिश्वत	..	,,
३.	श्री दाउलाल प. देवली	,,	..	,,
४.	बैनीदान प. हिंगोला	रिश्वत	..	तहसीलदार बाली के पास इन्क्वायरी हेतु।
५.	श्री लक्ष्मीचंद प. दूदनी	,,	..	,,
६.	श्री देवीसिंह प. बिरामी	..	दुरुपयोग	तहसीलदार बाली के पास वास्ते इन्क्वायरी हेतु भेजी।
७.	श्री खींवसिंह प. दूदनी	रिश्वत	गलत गिरदावरी बाबत	चार्जशीट दी गई। डी. इन्क्वायरी चालू है।
८.	श्री सत्तारबक्ष	,,	मारपीट	पटवारी का स्थानांतर किया गया।
९.	श्री शिवलाल	,,	..	जांच की रिपोर्ट भेजी गई।
१०.	श्री धन्नराम	,,	..	मौके पर जांच चालू है।
११.	श्री पटवारी नाणा	,,	..	तहसीलदार को भेजी।

सब-डिवीजनल आफिसर पाली के पास

१.	श्री मोहन लाल पटवारी खैरवा तहसील पाली	रिश्वत	..	शहादत सायल व गैरसायल के पेंडिंग है।
२.	श्री कन्हैयालाल प. रोहट	,,	..	कार्यवाही एंटीकरप्शन में पेंडिंग है।
३.	श्री मिश्रीलाल प. बानीयावास।	..	..	वास्ते जवाब शहादत सायल के पेंडिंग है।
४.	श्री लाबूसिंह प. लालकी	रिश्वत	..	अदम सबूत में खारिज।

१	२	३	४	५	६
				जिलाधीश कार्यालय के पास	
१.	श्री नैनाराम प. कोलीवाडा तहसील बाली	..	..	पद का दुरुपयोग बाबत	एस. डी. ओ. बाली के पास वास्ते जांच हेतु रिपोर्ट ।
२.	श्री जेठाराम प. भवाली तहसील देसूरी	..	..	,,	तहसीलदार के पास रिपोर्ट हेतु भेजी गई ।
३.	श्री पटवारी नाणा तहसील बाली	..	..	,,	एस. डी. ओ. बाली के पास जांच रिपोर्ट कार्यवाही चालू है ।
४.	श्री जगन्नाथसिंह प. गुरायता तहसील सोजत	रिश्वत बाबत	..	,,	एस. डी. आ. सोजत के पास जांच रिपोर्ट हेतु ।
५.	श्री डूंगरसिंह प. खींवाडा तहसील देसूरी	,,	..	,,	तहसीलदार देसूरी से रिपोर्ट मंगवाई गई । कार्यवाही जेर तजवीज है ।
६.	श्री गुमानसिंह प. मुण्डारा तहसील बाली	..	..	,,	तहसीलदार बाली के पास वास्ते इन्क्वायरी ।
७.	श्री हेतुदान प. फीलावणी तहसील देसूरी	..	..	,,	तहसीलदार देसूरी के पास जांच हेतु ।
८.	श्री पटवारी बिराटिया खुर्द	..	..	,,	तहसीलदार रायपुर के पास जांच हेतु ।
९.	श्री सतारबक्ष प. नाडोल तहसील देसूरी	..	..	,,	एस. डी. ओ. बाली व तहसीलदार के पास कार्यवाही चालू है ।
१०.	श्री जगन्नाथसिंह प. सुरायता तहसील देसूरी	रिश्वत	..	,,	एस. डी. ओ. सोजत के पास कार्यवाही व रिपोर्ट हेतु ।
११.	श्री हिम्मतसिंह प. रायपुर व श्री शिवसिंह न. नानवा तहसील रायपुर ।	..	..	,,	एस. डी. ओ. जैतारण के पास वास्ते जांच करने ।

१	२	३	४	५	६
१२,	श्री लक्ष्मीचंद प. दूदणी तहसील बाली	..	..	पद का दुरुपयोग बाबत	एस. डी. ओ. बाली के पास वास्ते जांच करने।
१३.	पटवारी जगनाई त० सोजत	..	..	"	तहसीलदार सोजत के पास जांच हेतु।
१४.	श्री देवीसिंह प. बीरामी त० बाली	..	..	"	तहसीलदार बाली से जांच रिपोर्ट मांगी गई।

१६५६

परिशिष्ट

(तारांकित प्रश्न संख्या ५३१ का (ख) भाग देखिए)

ये कोटा ५ नगरों के उद्योगों को निम्न प्रकार वितरण किया गया:—

			टन व० लोहा	तांबा	जस्ता	स्टेन्लैस स्टील
१	२	३	४	५	६	७
			१९५९-६०			
१.	जयपुर	एस. एस. आई.	४७२५	१४६.५६५	२६८.३१	—
		ए. पी. आई.	११३५			
			५८६०			
२.	जोधपुर	एस. एस. आई.	५४४	२२.३५८	२६.१७	—
		एस. पी. आई.	६६५			
			१५३६			
३.	उदयपुर	एस. एस. आई.	४४०	१.१०	१.६८	—
		एस. पी. आई.	६१			
			५०१			
४.	कोटा	एस. एस. आई.	१८३॥	—	—	—
५.	बीकानेर	एस. एस. आई.	८२	०.६२५	१.४१	—
		एस. पी. आई.	२७६			
			३५८			
			(१९६०-६१)			
१.	जयपुर	एस. एस. आई.	५५७३	२७३.६५	२४६.८१	१६ टन
		एस. पी. आई	११२३			
			६६९६			
२.	जोधपुर	एस. एस. आई.	११८३	५४.१५	११७.६०	१
		एस. पी. आई.	८७८			
			२०६१			

Page No 161

१	२	३	४	५	६	७
३.	उदयपुर	एस. एस. आई.	६७४	०.९७	७.८४	..
		एस. पी. आई.	९९			
			७७३			
४.	कोटा	एस. एस .आई.	३९५	३७.२३	१५.७३	२
५.	बीकानेर	एस. एस. आई.	५५४	०.१४	१.५६	१
		एस. पी. आई.	३५३			
			९०७			
			(१९६१-६२)			
१.	जयपुर	एस. एस. आई.	२५९७	४७७.१२	४१०.७३	कुल ३० टन माल मिला जिसका वितरण करना अभी बाकी है
		एस. पी. आई.	६०३			
			३२००			
२.	जोधपुर	एस. एस. आई.	९०७	११०.३५	१५१.९७	
		एस. पी. आई.	४५			
			१६५२			
३.	उदयपुर	एस. एस. आई.	५२०	१६.००	७०.६६	
		एस. पी. आई.	६५			
			५८५			
४.	कोटा	एस. एस. आई.	४५१	५९.००	५७.००	
५.	बीकानेर	एस. एस. आई.	४४६	०.५०	२०.३३	
		एस. पी. आई.	१२७			
			५७३			

(प्रश्न काल में न लिए जा सकने वाले प्रश्नोत्तर)

भूमि एलाटमेन्ट कमेटी द्वारा भूमि का एलाटमेन्ट : गंगनहर व राजस्थान केनाल क्षेत्र।

५३४. श्री **योगेन्द्र नाथ हांडा**, (रायसिंह नगर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या गंगनहर क्षेत्र जिला गंगानगर तथा राजस्थान केनाल क्षेत्र में भूमि एलॉटमेंट कमेटी बनी हुई है ? यदि हां, तो कमेटी के मेम्बरों के नाम सूचित करें।

(२) क्या गत तीन वर्षों में गंगानगर जिले की पक्की भूमि का एलॉटमेंट तथा राजस्थान केनाल की भूमि का एलॉटमेंट कमेटी के सामने किया गया है ?

(३) यदि नही, तो क्या सरकार कलेक्टर गंगानगर तथा राजस्थान केनाल के अधिकारियों को आदेश देने का विचार रखती है कि वे एलॉटमेंट कमेटी की बिना स्वीकृति के भूमि एलॉट न करें ?

उत्तर

(१) गंग नहर क्षेत्र में भूमि के मुस्तकिल एलाटमेन्ट के लिये कमेटी के निर्माण का प्रावधान सम्बन्धित नियमों में नहीं है।

राजस्थान केनाल क्षेत्र में भूमि के मुस्तकिल अलॉटमेन्ट के लिये अभी तक कोई नियम लागू नहीं किये गये हैं अस्तु कमेटी के निर्माण का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(२) गत तीन वर्षों में गंगनहर क्षेत्र भूमि का मुस्तकिल एलॉटमेन्ट सम्बन्धित नियमानुसार हुआ।

राजस्थान केनाल क्षेत्र में भूमि का मुस्तकिल अलाटमेन्ट नहीं किया जा रहा है।

(३) प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

प्रिन्सिपल पद पर नियुक्तियां पंचायत समिति अध्ययन केन्द्र

५३५. श्री **भीमसेन** (लणकरणसर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) पंचायत समिति अध्ययन केन्द्रों में प्रिन्सिपल के पद पर किस ग्रेड के अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिये तथा इस समय किस २ श्रेणी के अधिकारी को नियुक्त किया हुआ है ? उनको इन पदों पर अपनी वेतन के अलावा कितना भत्ता दिया जाता है तथा ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

(२) यदि स्वीकृत श्रेणी से निम्न ग्रेड के अधिकारी इन पदों पर कार्य कर रहे हैं, तो इन पदों के लिये निम्न ग्रेड के अधिकारी की स्वीकृति क्यों नहीं कर दी जाती ?

(३) उपरोक्त अधिकारियों में से किस किस अधिकारी के संबंध में प्रशिक्षणार्थियों में उक्त केन्द्रों में रखी गई सुझाव पुस्तिका में शिकायत लिखी है ? राज्य सरकार ने उसके संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति अध्ययन केन्द्रों में प्रिन्सिपल के पद पर आर. ए. एस. तथा नान आर. ए. एस. दोनों श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इस समय ४

(उत्तर)

प्रशिक्षण केन्द्रों में आर. ए. एस. तथा ३ प्रशिक्षण केन्द्रों में नान आर. ए. एस. अधिकारियों की नियुक्ति हुई है।

प्रत्येक प्रिन्सिपल को अपने वेतन के अलावा १००) रु० प्रति माह विशेष वेतन अधिक कार्यभार तथा जिम्मेदारियों को देखते हुए दिया जाता है।

(२) जो व्यक्ति नान आर. ए. एस. हैं उन्हें अनुभव के आधार पर इस पद पर नियुक्त किया गया है।

(३) प्रशिक्षण केन्द्रों पर कोई सुझाव पुस्तिका नहीं रखी जाती।

राजकीय प्राइमरी स्कूल दडीबा का भवन

५३६. **श्री मोहन लाल सारस्वत** (रतनगढ) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि राजकीय प्राइमरी स्कूल दडीबा का भवन न होने के कारण वहां बहुत बडी तकलीफ का सामना करना पड रहा है?

(२) क्या यह सही है कि दडीबा तहसील सुजानगढ में सरकार का एक विश्राम घर बना हुआ है जो किसी कार्य में नहीं आता?

(३) सरकार इस विश्राम घर में प्राइमरी स्कूल को चलाने की व्यवस्था क्यों नहीं करती?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां। विश्राम घर बना हुआ है।

(३) ग्राम पंचायत ने पाठशाला भवन पंचायत समिति के अनुदान से अलग से बनाने का निश्चय किया है। इस लिए विश्राम घर को पाठशाला भवन के लिये उपयोग में लाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

अधूरे निर्माण कार्य-मान्डलगढ पंचायत समिति क्षेत्र

५३७. **श्री गणपतिलाल वर्मा**, (मान्डलगढ): क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भीलवाडा जिले की माण्डलगढ पंचायत समिति क्षेत्र में सारे निर्माण के कार्य, पंचायत भवन, स्कूल व अध्यापक क्वार्टर के अधूरे कार्य पूरे हो गये हैं? यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे?

उत्तर

जी नहीं। भवन निर्माण के ८, पंचायत भवन के ८, स्कूल भवन के २७, ग्राम सेवक व अध्यापक क्वार्टर के ११, कुए के १९ और खुर्रा निर्माण के ७ इस प्रकार कुल ८० कार्य अधूरे हैं। इनमें से ५२ कार्यों के बारे में वसूली की कार्यवाही चालू है तथा शेष कार्यों के लिये संबंधित पंचायतों को कार्य पूरा कराने के लिये लिख दिया गया है।

अनावृष्टि, अतिवृष्टि या कीडों के कारण फसल को नुकसान-जिला बांसवाडा

५३८. श्री **हीराभाई**, (कुशलगढ): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर

(श्री हीरा भाई)
देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बांसवाडा जिले की समस्त तहसीलों में अनावृष्टि या अतिवृष्टि या कीडों के कारण खरीफ की फसल को नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो कितना नुकसान हुआ और कितना पाक रहा ?

(२) क्या यह सही है कि गिरदावरी व सर्वे रिपोर्ट में पटवारियों ने तहसीलदार व एस. डी. ओ. के कहने के अनुसार तथा मनमाने ढंग से नुकसान तथा पाक के आंकडे निर्धारित कर तहसील में प्रस्तुत करवाये ?

(३) कुशलगढ तहसील की गिरदावरी रिपोर्ट पर कितने सरपंचों के दस्तखत है और वे कौनसी पंचायतों के सरपंच हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) बांसवाडा जिले के खरीफ जिन्स पर अतिवृष्टि व अनावृष्टि के कारण कोई हानि नहीं हुई ।

कीटों से फसल खरीफ को केवल ८ न. पै. से कम औसत हानि हुई है ।

(२) यह सही नहीं है।

(३) गिरदावरी रिपोर्ट पर सात सरपंचों के दस्तखत हैं । और वे पटवार मंडल टाडा, मंगला, सज्जनगढ, इटाला, डूंगरा, राढधनराज, जालिमपुरा, हिम्मतगढ आदि के सरपंच हैं ।

चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के अन्तर्गत किसानों को भूमि तथा राहत

५३९. श्री **हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के अन्तर्गत किसानों ने भूमि बिना सरकारी आज्ञा के आबाद कर रखी है ?

(२) यदि हां, तो कोटा और बूंदी जिलों के क्षेत्रों में ऐसे किसानों की संख्या कितनी है ?

(३) क्या यह सही है कि इनमें से अधिकतर किसान भूमिहीन हैं एवं सन् ५५ से पहले खेती करते हुये चले आये हैं ?

(४) क्या यह सही है इन किसानों के द्वारा चम्बल नदी के दरडे बरडे एवं ऐसी जमीन को काबिल काश्त बनाया है जो काफी वीरान थी ?

(५) क्या सरकार इन किसानों को राहत देकर किसी प्रकार का हल निकालने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां, बिना सरकारी आज्ञा के किसानों द्वारा भूमि आबाद की गई है ।

(२) कोटा बूंदी जिलों के परियोजना क्षेत्र में ऐसे किसानों की वर्तमान संख्या २३,००० है ।

(३) अधिकतर अतिक्रमि भूमि हीन तथा कम भूमि धारी कृषक हैं । ५७०० अतिक्रमि ऐसे हैं जिनका अतिक्रमण सन् १९५५ से पूर्व का है ।

(४) जी नहीं । अतिक्रमियों ने अधिकांशतः समतल एवं कृ भूमि पर ही अतिक्रमण किया है ।

उत्तर

(५) १५-१०-५५ से पूर्व के अतिक्रमियों को सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य पर तथा इस अवधि के बाद १-४-६० तक के अतिक्रमियों को १५ प्रतिशत जुर्माना सहित भूमि एलोट करने की नीति कार्यान्वित की जा रही है। और यह रकम १० किश्तों में वसूल की जाती है।

तहसील आहोर के भूतपूर्व जागीरदारों में बकाया सिंचाई कर

५४०. **भगराज चौधरी** (रानीवाडा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

आहोर तहसील जिला जालोर के किन किन भूतपूर्व जागीरदारों में कितना कितना सिंचाई-कर कितने कितने समय से बकाया है तथा सरकार उसकी वसूली के लिये क्या कदम उठा रही है ? यदि कोई कदम नहीं उठा रही है, तो क्यों ?

उत्तर

किन २ भूतपूर्व जागीरदारों में कितना २ सिंचाई कर कितने समय से बकाया है। यह सूचना तहसील आहोर के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, संबंधित पटवारियान से मंगाई जा रही है। आने पर प्रस्तुत करदी जावेगी। गांव वार बकाया के आंकडे की सूची संलग्न है।

बकाया की वसूली पटवारियान द्वारा की जा रही है।

सूची

ग्रामवार बकाया के आंकडे:—

नाम ग्राम	रकम बकाया
१	२
१. बांकली	४,१०३.१८
२. सेलडी	७,२७६.६६
३. तोड़मी	१,४३२.८०
४. खेडाकला	६,४४६.०५
५. मालपुरा	४,८४५.८४
६. मोरू	२,६५०.५८
७. बेदाणा	१०,४१७.४६
८. गवंराड़ा	८,५०७.६२
९. मानपुरा	१,४५४.८६
१०. अगवरी	२,३०१.१२
११. आलवा	६,६३.६१
१२. चोधराई	१०,५३३.८०
१३. ऊकरड़ा	४,७५८.७१
१४. जोड़ा	४,२२५.००
१५. विठुड़ा	२,७१७.२०
१६. गुढ़ा रंदपुरा	१७,६७३.४१

कृषि तकावी के लिये धनराशि पंचायत समिति, नीम का थाना

५४१. **श्री छोटूराम** (नीम-का-थाना): क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति नीम का थाना को सन् ६२-६३ में कृषि तकावी के कितने रुपये कब स्वीकृत किये गये थे ?

(२) अब तक कितने रुपये पंचायत समिति नीम का थाना को ट्रान्सफर किये गये और बाकी स्वीकृत राशि कब तक ट्रान्सफर हो जायेगी ?

(३) स्वीकृत राशि को इतनी देरी से स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) २४,५००) रु० इनमें से १०,०००) रु० जून, १९६२ में व १४,५००) रु० दिसम्बर, १९६२ में।

(२) १६,५००) रु०। पंचायत समिति द्वारा ऋण का बोन्ड तथा उसकी प्राप्ति की रसीद देने पर शेष रकम भी हस्तान्तरित करदी जायगी।

(३) कोई देरी नहीं हुई है।

बांध योजना ग्राम अम्बेरी

५४२. श्री **जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जोधसिंह चौहान)

(१) क्या यह सत्य है कि अम्बेरी ग्राम में जो गिरवा क्षेत्र में बडगांव ब्लाक में आता है एक बडा सारा गड्ढा बारहों महीने भरा रहता है और पानी बहता रहता है ?

(२) क्या उसको बांधने के लिये बडगांव समिति में पहले १९,०००) रु० की रकम भी मंजूर हुई थी ? यदि हां, तो उस रकम का क्या हुआ ?

(३) क्या सरकार अब भी इस प्रकार जो पानी अम्बेरी ग्राम में व्यर्थ जाता है उसको बांध बना कर वहां सिंचाई के कार्य में उपयोग करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) १६,९००) रु० पंचायत समिति ने अम्बेरी ग्राम के गड्ढे को बांधने के लिये स्वीकृत किये थे। स्वीकृत रकम में से पंचायत समिति ने कोई व्यय नहीं किया है।

(३) पंचायत समिति ने बांध बनाकर पानी के उपयोग का निश्चय किया है।

मन्डियों के प्लाटों निलामी आमदनी भाखरा क्षेत्र

५४२. **श्री शयोपतसिंह**, (हनुमानगढ): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान सरकार को भाखरा क्षेत्र की मंडियों के प्लाट्स आदि की नीलामी से कितनी आमदनी हुई है ? मंडीवार तालिका सदन की मेज पर रखें।

(२) सरकार ने अब तक मंडियों के विकास हेतु कुल कितना रुपया खर्च किया है व कौन कौन से कार्य सम्पन्न हो चुके हैं ?

(३) अब तक कितनी और कौन कौन सी मंडियां आबाद हो चुकी हैं ?

उत्तर

(१) राजस्थान सरकार को भाखरा क्षेत्र प्लाट्स की नीलामी से जो आमदनी हुई है उसकी मंडीवार तालिका निम्न प्रकार है :—

नाम मंडी	आमदनी
१. हनुमानगढ जंक्शन	२७,४४,५८३.०३
२. पीलीबंगा ..	११,६६,२०४.३६
३. सादुलशहर ..	८,७१,१८६.९८
४. संगरिया ..	८,१६,५५८.०६
५. हनुमानगढ टाउन	१,३७,०३०.००
६. नोहर ..	२,४८,०८५.३२
७. भादरा ..	५,६५,३४८.१०
८. सूरतगढ ..	१७,७००.००
	६५,६६,६९५.८५

(२) सरकार ने अभी तक मण्डियों के विकास हेतु कुल रु० ६५० लाख से ज्यादा धनराशि खर्च की है और इसके अन्तर्गत निम्न कार्य सम्पन्न हो चुके हैं :—

१. बिल्डिंग ३२

२. सडक २९ मील ६ फर्लांग

(३) निम्नलिखित मंडियों को आबाद करने का कार्य चालू है :—

१. हनुमानगढ जंक्शन
२. सादुलशहर
३. पीलीबंगा
४. संगरिया
५. नोहर
६. भादरा
७. सूरतगढ

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक २१ मार्च, १६६३)

स्कम्भ सं०	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
३६७१	१३	अनुसुचित	अनुसूचित
,,	,,	अनुसूचिन	अनुसूचित
३६७३	शीर्षक	माच	मार्च
३६७५	११, १२	(श्री रामप्रसाद लड्ढ)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
३६७७	१४	ह	है
३६८१	अन्तिम पंक्ति	नक्स्ट	नेक्स्ट
३७०७	८	एवं हस्थानान्तरण	एवं स्थानान्तरण
३७०८	२२	परिर्वातिन	परिर्वातित
३७०६	१३	ल्ढा	लड्ढा
३७१६	८	सहुलियते	सहूलियतें
३७२०	१	मेदरणा	मदेरणा
३७२६	१६	स्थानो–	स्थानों पर
३७३०	२४	पुलिस म	पुलिस में
३७३२	१०	श्री नायूरा करौल (बागीडोरा)	श्री नायूराम (बागीडोरा)
३७३६	१	वास्तवविक	वास्तविक
३७४३	३	चकी है	चुकी है
३७४५	अन्तिम से पहली	रखगी	रखेगी
३७४६	१	लकिन	लेकिन
३७६१	१३	दर्ख्वास्त	दर्ख्वास्त
३७६५	अन्तिम	डालत	डालत
३८००	१६	वृत	व्रत
३८०६	१४	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री कुटबिहारीलाल गोयल
३८१०	१	वांपिस	वापिस
३८१२	१६	ह	हैं
३८१५	शीर्ष	(श्री मूकुटविहारीलाल गोयल	(श्री कुटबिहारीलाल गोयल)
३८१७	शीर्ष	(श्री मुकट बिहारी लाल गोयल)	(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
३८१६	„	(श्री मकुटबिहारी लाल गोयल)	(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
३८२७	२५	जाबाला	जावोला
३८४१	१३	बुला बुल	बुला बुला,
३८४२	१७	लोगों	लोगों के
३८६०	२८	डाक	डाकू
३८६४	२६	तय	तथ्य
३८८२	२६	सके	इसके
३८८६	६	बा दार	बाउदार

Page No 168

३६०२	६	श्री मुथरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर
३६०४ व	क्रमशः ९, १४ व	Please	Please
३६०६	२७		
३६०६	१४	श्री उमरावसिंह डाबरिया	श्री उमरावसिंह डाबरिया
३६२०	२	तिलवन	तिलहन
३६२७	६	ढेहान्त	देहान्त
३६२८	१०	साहाब	साहब
३६३७	२०	पूछा जाय तो अनभिज्ञता तथा जाहिर	पूछा गया तो अनभिज्ञता जाहिर
३६३८	१६	सतयीतर	सत्हतर
,,	१६	घाटा	घटा
३६३६	३१	खर्च नहीं जायगी	खर्च नहीं की जायगी
,,	३५	का	को
३६४०	२३	की	के
३६४२	शीर्षक	परिशिष्ट	परिशिष्ट ५
३६४६	,,	,,	परिशिष्ट ६
३६५१	,,	,,	परिशिष्ट ७
३६५४	१०	भगराज चौधरी	श्री भगराज चौधरी
३६५४ए	२२	प्लाकी	प्लाट्स की
,,	२७	क्षत्र	क्षेत्र